चतुर्दश माला, खंड 22, अंक 11

सोमवार, 7 अगस्त, 2006
16 श्रावण, 1928 (शाक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 61
Dated 9 Aug 2007

(खण्ड 22 में अंक 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

ललिता अरोड़ा
सम्पादक

परमजीत कौर
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 22, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 11, सोमवार, 7 अगस्त, 2006/16 श्रावण, 1928 (शक)

विषय		कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख		1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	201	6-12
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	202 से 220	12-83
अतारांकित प्रश्न संख्या	1520 से 1674	83-288
सभा पटल पर रखे गए पत्र		288-289
राज्य सभा से संदेश		289
लोक लेखा समिति		
28वां और 30वां प्रतिवेदन		290
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति		
सातवां प्रतिवेदन		291
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		
(एक) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2005-2006) के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति		
श्री प्रियरंजन दासमुंशी		291
(दो) शीतल पेयों में कीटनाशकों से संदूषण का मुद्दा		
डा. अंबुमणि रामदास		299-304
कार्य मंत्रणा समिति के 28वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव		292
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2006-2007		293
वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2006—पुरःस्थापित		293

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) भारत-बंगलादेश तथा भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर घुसपैठ को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता

चौधरी लाल सिंह 304

(दो) कनकपुरा, कर्नाटक में बोडेसाबारा-डोड्डी के निकट एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश 305

(तीन) बरक और ब्रह्मपुत्र नदियों में बार-बार आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए इन घाटियों से निकर्षण-पोतों द्वारा गाद निकाले जाने की आवश्यकता

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य. 305

(चार) बिहार के जहानाबाद जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश प्रसाद सिंह 307

(पांच) तमिलनाडु में कौथिमलई क्षेत्र के आस-पास अन्वेषित लौह अयस्क का खनन किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 308

(छह) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ''काम के बदले अनाज योजना'' का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद. 308

सरकारी प्रतिभूति विधेयक, 2004

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम 309

श्री के.एस. राव 310

खंड 2 से 35 और 1 312

पारित करने के लिए प्रस्ताव 312-315

विषय **कॉलम**

नियम 193 के अधीन चर्चा

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के कथित रूप से गायब हो जाने की जांच के बारे में न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट और रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ज्ञापन

श्री शिवराज वि. पाटील 316-322

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 323-324

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 324-328

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 329-330

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 329-332

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 7 अगस्त, 2006/16 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, भारी मन से मुझे सभा को अपने पूर्व सहयोगी और लोक सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री सूरज भान के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री सूरज भान 1967 से 1970 तक चौथी लोक सभा; 1977 से 1984 तक छठी और सातवीं लोक सभा और 1996 से 1997 तक ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे। ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान वह 12 जुलाई, 1996 को लोक सभा के उपाध्यक्ष के सम्मानीय पद पर सर्वसम्मति से चुने गए, जिसका कार्यभार दिसम्बर 1997 तक उन्होंने कुशलतापूर्वक निभाया।

एक कुशल प्रशासक, श्री सूरज भान मई से जून 1996 तक केन्द्रीय कृषि मंत्री रहे। वह 1998 से 2000 तक उत्तर प्रदेश और 2000 से 2003 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद पर रहे, जिसके कार्यभार का निर्वहन उन्होंने कुशलतापूपर्वक किया इसके पश्चात् 24 फरवरी, 2004 को उन्हें तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। निधन के समय वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे।

श्री सूरज भान 1987 से 1990 तक हरियाणा विधान सभा के सदस्य थे। वर्ष 1987 से 1989 तक वह राजस्व मंत्री रहे और 1989 से 1990 तक वह विधान सभा में विपक्ष के नेत रहे।

वह एक कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ सांसद थे, वह छठी लोक सभा के दौरान याचिका समिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति और उस संयुक्त संसदीय समिति के सभापति रहे, जिसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन किया। दलितों और अल्प सुविधा प्राप्त व्यक्तियों के सक्रिय समर्थक श्री सूरज भान ने सभा में उनसे संबंधित मुद्दे उठाने का कोई अवसर नहीं खोया। उनके निधन से राष्ट्रीय ने पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान तथा कल्याण के लिए कार्य करने वाले कर्मठ योद्धा को खो दिया है।

श्री सूरज भान का निधन 78 वर्ष की आयु में संक्षिप्त बीमारी के बाद 6 अगस्त, 2006 को नई दिल्ली में हुआ।

मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सभा दिवंगत आत्मा की स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको प्रिविलेज का नोटिस दिया है। यह इस हाउस के ग्रौस ब्रीच आफ प्रिवेलेज का मामला है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके नोटिस पर विचार कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आज ही आया है। मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : सारे देश की जनता यह जानने के लिए उत्सुक है कि रिपोर्ट लीक कैसे हुई। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मामला मेरे विचाराधीन है। मुझे इसे पढ़ने हेतु थोड़ा समय दीजिये।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, आपने उस दिन भी अपनी टिप्पणी दी थी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा किया था। उसका विशेषाधिकार हनन से कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न सं० 201।

(व्यवधान)

प्रो० विय कुमार मल्होत्रा : महोदय, आपने भी यह कहा है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आपने भी आश्चर्य किया था कि इस हाउस का ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है। *(व्यवधान)* प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से सारे न्यूज चैनल्स को, सारे अखबारों को। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मल्होत्रा कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा होता हूं तो मैं सदस्यों से इतनी सी शालीनता की अपेक्षा करता हूं कि वे अपने स्थान पर बैठ जाएं। पहले ही अध्यक्ष की यानी लोक सभा के अध्यक्ष की स्थिति का पूरे देश को पता है। मेरा आपसे केवल यही अनुरोध है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : सारा कंट्री यह भी देख रहा है कि हाउस में क्या हो रहा है और ब्रीच ऑफ प्रिवलेज कैसे हो रहा है? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी एक भी लाइन रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप किसलिए बोल रहे हैं?

*(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक : यहां एक भी लाइन रिकार्ड में नहीं आने का संबंध नहीं है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हाउस रूल्स के अनुसार चलता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिये। मैंने स्वयं यह किया था। मैंने सोचा था कि अब बहुत हो गया था। मैंने कहा था मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए, मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि वह जांच कराये। जहां तक मुझे याद है यह शुक्रवार को हुआ था। आज सोमवार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल) : तीन दिन हो गए हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मिलिट्री में रहे हैं। आप सब कुछ जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : आपकी इज्जत का सवाल है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमारी इज्जत का सवाल है तो हमें हाउस संभालने दीजिए।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.08 बजे

(इस समय श्री सुभाष महरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट चुप कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से, मुझे नहीं पता, परन्तु मैंने इस सभा में 37 वर्ष गुजारे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। हर चीज की एक सीमा होती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह पहली बार है कि मैं देख रहा हूं कि नोटिस 10 बजे दिया गया है। अध्यक्ष ने पहले ही कहा है कि यह विचाराधीन है फिर भी सभा की कार्यवाही नहीं चलने दी जा रही है।

मैं सभा को पूर्वाह्न 11.45 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

पूर्वाह्न 11.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.45 **बजे** *तक के लिए स्थगित हुई।*

पूर्वाह्न 11.45 बजे

लोक सभा 11.45 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस एडजॉर्न होने के पहले आपने चेयर से कहा कि मैं 37

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सालों से इस सदन का सदस्य हूं और विपक्ष जो कर रहा है, *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने यह नहीं बोला। हमने बोला –

[अनुवाद]

मैं स्पष्ट करता हूं – "जब अध्यक्ष कहता है कि मामला विचाराधीन है।"

[हिन्दी]

– उसके बाद कभी प्रश्न नहीं उठाया।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : ऐसा नहीं हुआ। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने आपको 37 साल करीब से नहीं देखा है, इसका मुझे काफी अफसोस है, लेकिन आपको छः सालों से हमने काफी करीब से देखा है। इसी चेयर के आगे आप रहते थे और कांग्रेस के लोग आपकी बगल में बैठा करते थे। आप रिकार्ड देख लीजिए। हम महसूस करते हैं कि हमारे जैसे नये लोग जो सदन में आए हुए थे, हमने आपसे जो सीखा है, उतना हमसे नहीं हो पाता, इसका हमें अफसोस है, लेकिन हम वही करते हैं जो आपने किया है। *(व्यवधान)* वही हमने करने का काम किया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरा अनुसरण न करें। कृपया खराब उदाहरण का अनुसरण न करें। यदि मैंने खराब उदाहरण पेश किया है तो मेरा अनुसरण न करें। आप खराब उदाहरण का अनुसरण क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम यह समझते हैं, क्योंकि आप हमारे नेता रहे हैं और आपसे हमने जो सीखा है, वही हम करते हैं। *(व्यवधान)*

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 37 सालों में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि हाउस में रिपोर्ट रखने से पहले सारे टी०वी० और प्रेस वालों को लीक कर दी गई हो। *(व्यवधान)* ऐसा कभी नहीं हुआ *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यहां पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में प्रश्न है।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उस दिन श्री प्रिय रंजन दासमुंशी ने कहा कि हम इंक्वायरी करके यहां बताएंगे। *(व्यवधान)* तीन दिन पहले ही बीत चुके हैं। प्रधानमंत्री जी माफी मांगे और यहां बताएं। *(व्यवधान)* अपोलोजाइस करें। *(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी माफी मांगे। *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.48 बजे

(इस समय श्री सोमाभाई जी० पटेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

पूर्वाह्न 11.49 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 201, श्री कमला प्रसाद रावत।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाना

+

*201. **श्री कमला प्रसाद रावत :**
प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुचारू बनाने हेतु कोई योजना तैयार की है ताकि इसे सुदृढ़ बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयोजनार्थ कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति के विचारार्थ विषय क्या है; और

(ङ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुशलता, जवाबदेही और प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए इसे सुप्रवाही बनाना एक

लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है जिसमें केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की वसूली, भंडारण, भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख वितरण केन्द्रों तक इनकी ढुलाई करने और प्रचलित केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर इनकी सुपुर्दगी करने के लिए जिम्मेदार है जबकि राज्य सरकारें लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने तथा सम्पूर्ण देश में फैली 4.86 लाख उचित दर दुकानों के विशाल नेटवर्क के जरिए खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए जिम्मेदार हैं।

सरकार ने देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों, फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन और संसद सदस्यों के साथ कई बैठकें की हैं। विभिन्न स्तरों पर परामर्श करने के बाद सरकार ने अनुदेश जारी किए हैं कि राज्य जाली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूची की समीक्षा करने हेतु अभियान चलाएं; खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों को दंड देने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के खंड 9 के अधीन कार्रवाई की जाए; खाद्यान्नों के वितरण में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाए; सभी उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित की जाए; खाद्यान्नों के जिलावार और उचित दर दुकानवार आबंटन को वेबसाइट पर डाला जाए; उचित दर दुकान स्तर पर खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित की जाए; उचित दर दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए और प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंम्प्यूटरीकरण किया जाए।

(ग) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 12-7-2006 को एक अंतरिम आदेश पारित किया है कि "एक केन्द्रीय सतर्कता समिति का गठन किया जाए जिसकी अध्यक्षता न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करें और उनकी सहायता डा० एम०सी० सक्सेना, उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में नियुक्त आयुक्त करें ... यह समिति उन खामियों की जांच करेगी जो प्रणाली के उचित कार्यकरण को प्रभावित कर रही हैं और इसके लिए उपचारात्मक उपाय भी सुझाएगी। इस प्रयोजनार्थ समिति अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित करेगी :–

(क) डीलरों की नियुक्ति की विधि।

(ख) डीलर को देय उचित कमीशन अथवा दरें।

(ग) वे विधियां जिनसे पहले से ही मौजूद समितियां बेहतर रूप से कार्य कर सकती हैं।

(घ) ऐसी विधियां जिनसे दुकानों पर बेचे जाने वाले खाद्यान्नों के स्टाक के आबंटन में पारदर्शिता आ सके।

नियुक्ति की विधि के प्रश्न पर विचार करते हुए समिति यह सुझाव भी देगी कि डीलरों के चयन में किस प्रकार पारदर्शिता की विधि लागू की जाए। समिति यह भी बताएगी कि किस प्रकार पहले से ही नियुक्त सतर्कता समितियों की रिपोर्ट पर अधिक प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह तरीका कानून लागू करने में किसी भी नागरिक के लिए उपलब्ध कानूनी उपचारों के अतिरिक्त होगा ... समिति आम जनता, संगठनों से सुझाव आमंत्रित करेगी और सुझाव, यदि कोई प्राप्त हुए हों, तो उन पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करेगी।

हम समिति से चार माह की अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट देने का अनुरोध करते हैं ताकि आगे अनुदेश/निदेश दिए जा सकें ... आरंभ में यह निदेश दिल्ली सरकार को दिया जाता है जिसके बाद इसका अनुसरण अखिल भारत आधार पर किया जाएगा।"

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी और भारत सरकार ने खास तौर से गरीबों के लिए अच्छी नीति बनाई है, परन्तु दूरदराज गांवों में अधिकतर डीलर सरकारी गोदामों से अनाज निकालते हैं लेकिन गरीबों को बहाना बना कर अपनी दुकानों से वापस कर देते हैं और पुनः वही अनाज थोक एजेंटों को ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। ... *(व्यवधान)* पुनः वही एजेंट बोरी और लेबल बदल कर वह अनाज भारतीय खाद्य निगम और प्रदेश सरकारों के गोदामों को ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसे कितने डीलरों के खिलाफ कार्यवाही की है? माननीय कृषि मंत्री जी ने जो समिति बनाई थी, जिसे चार महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, पूरे भारत में इस समिति की रिपोर्ट कब लागू की जाएगी? ... *(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 12 जुलाई, 2006 को एक सुझाव दिया। उन्होंने एक अंतरिम आर्डर दे दिया। इस अंतरिम आर्डर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के एक जज को एपाइंट करके, उन्हें इस समस्या को देखने की सूचना दी।

अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी की टर्म्स ऑफ रैफरेंस इस प्रकार हैं

[अनुवाद]

डीलरों की नियुक्ति की विधि; डीलरों को देय उचित कमीशन अथवा दरें; और पहले से बनी हुई समितियां बेहतर ढंग से कार्य कैसे कर सकती हैं; और दुकानों पर बिक्री किए जाने वाले खाद्य भंडार के आवंटन में पारदर्शिता रखने के तरीके।

[हिन्दी]

कमेटी की टर्म्स ऑफ रैफरेंसेस तय करने के बाद कमेटी का अपाइंटमेंट होगा और उसके अगले चरण में इसकी रिपोर्ट आएगी। इस कमेटी की रिपोर्ट की सूचना सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी, क्योंकि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर 12 जुलाई, 2006 को हो चुका है। अभी तक कमेटी के गठन का काम शुरू नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है कि चार महीने में कमेटी अपना काम शुरू करके पूरा कर देगी और वर्तमान सिस्टम में क्या सुधार किए जा सकते हैं, इस बारे में सुझाव देगी। कमेटी की ओर से सुझाव आने के बाद सरकार उन सुधारों को लागू करने पर गम्भीरता से विचार करेगी।

श्री कमला प्रसाद रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पी०डी०एस० सिस्टम के तहत मिट्टी का तेल भी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन गरीब उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं होता है, बल्कि बड़े पैमाने पर उसकी कालाबाजारी हो जाती है। जहां सूखा पड़ता है, वहां सिंचाई के काम में डीजल पम्प इत्यादि चलाने का काम, डीजल महंगा होने के कारण विशेष रूप से मिट्टी के तेल से ही किया जाता है। इसलिए मिट्टी के तेल की कंजम्पशन बढ़ गई है और गरीब उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो रहा है। अत: मैं माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आम उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल पहुंचाने एवं पी०डी०एस० के अन्तर्गत जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उन्हें उपलब्ध कराने के लिए वे क्या कार्रवाई कर रहे हैं?

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, पी०डी०एस० के तहत दिए जाने वाले मिट्टी के तेल का डायवर्शन पड़े पैमाने पर होता है, यह बात सच है। कुछ राज्य सरकारें इसमें कलर डालकर इसके डायवर्शन को रोकने का प्रयास कर रही हैं। इस बारे में कुछ राज्यों ने ठोस कदम उठाए भी हैं। हमने राज्यों के फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर एवं सैक्रेट्रीज को बुलाकर एक मीटिंग की और उन्हें सलाह दी कि इस बारे में उन्हें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पी०डी०एस० के तहत दिए गए सामान का डायवर्शन न हो, इस बारे में राज्य सरकारों को सुझाव दिए गए हैं और कई राज्य सरकारों ने इस बारे में कदम भी उठाए हैं। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें इस बारे में सख्त उपाय करेंगी और यह सिस्टम ठीक प्रकार से काम कर सकेगा।

प्रो० रासा सिंह रावत : खड़े हुए —

श्री प्रभुनाथ सिंह : खड़े हुए —

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि *(व्यवधान)*

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत बिलो पावर्टी लाइन के टारगेटेड लोगों को जो आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वे उन तक नहीं पहुंचती हैं, विशेषकर फूड फॉर वर्क- और अन्य कार्यक्रमों के तहत जो गरीब लोगों को मुफ्त धान मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है। अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस सिस्टम के तहत दी गई चीजों को मॉनीटर करके सही जगह पर धान इत्यादि पहुंच जाए और गरीब आदमियों को मिल जाए, इसके लिए वे क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, फूड फॉर वर्क- की स्कीम अलग है और उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी जिम्मेदारी दूसरे मंत्रालय की है, मगर यह बात सच है कि ऐसा होता है। प्लानिंग कमीशन ने देश की एक *(व्यवधान)* संस्था की एक कमेटी एपाइंट की थी और उस कमेटी को यह काम सौंपा गया कि देश में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो अनाज जाता है, उसमें से कितना लोगों को मिलता है और कितना डायवर्शन होता है। इस बारे में उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वह बहुत सीरियस है। उसमें बताया गया है कि कई राज्यों में गेहूं का 100 प्रतिशत डायवर्शन होता है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि साउथ इंडिया की स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, मगर नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्यों में यह डायवर्शन ज्यादा है। इसलिए इसमें कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद, इसी काम के लिए मैंने देश के सभी राज्यों के फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर्स और फूड सचिवों की मीटिंग बुलायी थी और यह बात उनके सामने रखी कि इस स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है। जब हमने यह देखा कि अनाज का डाइवर्जन होता है, यह डाइवर्जन बी०पी०एल० कैटेगिरी में बहुत कम होता है, लेकिन एबव पावर्टी लाइन के लोगों के लिए जो एलाटमेंट होता है, उसमें ज्यादा डाइवर्जन होता है, इसलिए जहां जरूरत नहीं है, जहां डाइवर्जन होता है, उनका एलाटमेंट कम करने का सरकार ने निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रंजीत रंजन।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्ष महोदय, एफ०सी०आई० का काम किसान से अनाज खरीद कर बिहार राज्य खाद्य निगम को देना है, लेकिन एफ०सी०आई० बिहार राज्य खाद्य निगम को जो अनाज देती है, वह सिर्फ पेपरों पर ही देती है। बिहार राज्य खाद्य निगम डायरेक्ट डीलरों को अनाज दे देती है, जबकि भारत सरकार का मकसद है

कि एफ०सी०आई० किसनों से सीधे अनाज खरीदेगी और बिहार राज्य खाद्य निगम को देगी। लेकिन यहां पर अनाज डायरेक्ट डीलर ले लेते हैं और कई-कई महीनों का अनाज डीलर केवल कागजों पर ही दिखाते हैं कि उन्होंने एफ०सी०आई० का माल उठाया, जबकि उन्हीं का माल उन्हीं को दोबारा बेच दिया जाता है। इस तरह न तो किसान से अनाज खरीदा जाता है न ही बी०पी०एल० परिवारों को सही समय पर अनाज मिल पाता है।

मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहती हूं कि डीलर गरीबों का लाल कार्ड अपने पास ही रखते हैं हमारे यहां एफ०सी०आई०, बिहार राज्य खाद्य निगम और डीलर्स की एक चेन बनी हुई है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि इस चेन को तोड़ने के लिए भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? इसके अलावा मंत्री जी ने मजदूरों के लिए क्रेडिट कार्ड लाने की बात कही थी, उसे आप कब लाने जा रहे हैं?

श्री शरद पवार : महोदय, माननीय सदस्या ने बिहार की बात बतलायी। मैं बताना चाहता हूं कि एफ०सी०आई० के माध्यम से इस साल चावल और पैडी की खरीद हुई है। पिछले दो-तीन साल में जितनी पैडी की पैदावार हुई, उससे जयादा इस साल हुई है। एफ०सी०आई० पैडी, व्हीट या गेहूं का प्रक्योरमेंट करती है, इसके बाद भारत सरकार हर राज्य को कितना एलाटमेंट करना है, यह तय करती है। भारत सरकार ने बिहार राज्य के लिए गेहूं और चावल का जो एलाटमेंट करना है, वह एलाटमेंट करने के बाद, कोटा के अनुसार भारत सरकार के आदेश के बाद, एफ०सी०आई० से बिहार सरकार वह माल खरीदती है और उसे अपने निगम के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से गरीबों को देती है। गरीब लोगों को अनाज देने की जिम्मेदारी है बिहार सरकार की है। माननीय सदस्या ने जो शिकायत की है, यदि वे इसकी सूचना मुझे देंगी तो उसकी जांच कराने की मेरी तैयारी रहेगी, क्योंकि इससे न तो किसानों को फायदा हो रहा है और न ही उपभोक्ता को फायदा हो रहा है। इससे सरकार को भी नुकसान होता है। ऐसी परिस्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है। वह इंफोर्मेशन आदि माननीय सदस्या मुझे देंगी, तो इस बारे में मैं अवश्य कदम उठाऊंगा।

[अनुवाद]

एडवोकेट सुरेश कुरूप : एक बार सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को लक्षित करने का निर्णय ले लिया तो अब यह साफ हो गया है कि बहुत से पात्र परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क से बाहर हो गए हैं। यदि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित कर रही हैं तो सरकार को जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना होगा वह है इसका नेटवर्क बढ़ाना। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री शरद पवार : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हमने महसूस किया है कि इसमें वास्तविक जरूरतमंद लोगों को लक्षित किया गया है जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि हमने सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों और खाद्य विभागों की बैठक बुलाई है। हमने एक निर्णय यह लिया है कि राज्य सरकार को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची का पुनर्मूल्यांकन करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार हमें उनसे रिपोर्ट मिल जाती है तो हम उन राज्यों को, जिनमें जरूरतमंद लोगों को अतिरिक्त अथवा आवश्यक खाद्यान्न मिलेगा, अतिरिक्त आबंटन सहित उचित निर्णय लेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

"बाघ परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर)"

***202. श्री रामदास आठवले :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय बाघ परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर) को क्रियान्वित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख तक इसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई है;

(ग) क्या कुछ अभयारण्यों में बाघों (टाइगरों) की संख्या कम होती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में वन्य जीव अभयारण्य (टाइगर रिजर्व) स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां। बाघ परियोजना स्कीम एवं इसकी उपलब्धियों से संबंधित ब्यौरे विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरिस्का बाघ रिजर्व से बाघों के गायब होने की सूचना मिली है। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1972 से बाघ रिजर्वों में किए गए बाघ आकलन का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। वन्यजीवों की संख्या स्थैतिक स्वरूप का नहीं है बल्कि इनमें नाममात्र की कमी-बढ़ोत्तरी होती रहती है।

(ङ) राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर और जैसाकि बाघ परियोजना की संचालन समिति की 23.01.2003 को आयोजित 37वीं बैठक में किए गए अनुमोदन के आधार पर देश में आठ नए बाघ रिजर्वों की

स्थापना करने के लिए ''सिद्धांत रूप में'' मंजूरी दी गई है। ब्यौरे विवरण-III पर दिए गए हैं।

विवरण-I

बाघ परियोजना स्कीम का ब्यौरा

1. बाघ परियोजना एक चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसके अंतर्गत अभिनिर्धारित बाघ रिजर्वों में बाघ संरक्षण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस परियोजना में होलिस्टिक एप्रोच का उपयोग किया गया है। क्योंकि पूरी पारि-प्रणाली इस मुख्य प्रजाति (बाघ) जो प्रकृति के पारिस्थितिकीय पिरामिड के शीर्ष पर है, पर ही ध्यान केन्द्रित करके संरक्षित की जाती है।

2. देश के 09 पारि-संवदेनशील विशिष्ट अभिनिर्धारित क्षेत्र में अप्रैल 1973 में यह परियोजना आरम्भ की गई परियोजना की अपनी एक मुख्य बफर कार्यनीति है। वर्तमान में परियोजना 17 राज्यों के 28 बाघ रिजर्वों में फैली है।

3. जबकि बाघ रिजर्व के मुख्य क्षेत्र का वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रबंधन किया जाता है फिर भी मुख्य संरक्षण इकाई से वन्यजीवों की फैली संख्या के लिए निरंतर वनस्पति मुहैया कराने के लिए मध्यवर्ती क्षेत्र को बहुविध उपयोग जोन के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त बाघ संरक्षण के लिए मध्यवर्ती क्षेत्र स्थानीय पणधारी लोगों की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थल विशेष पारि-विकासीय कार्यों के कार्यान्वयन के सुविधाजनक बनाता है।

4. बाघ संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व विशेष प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों से प्राप्त वार्षिक प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार व्यय की गैर आवर्ती मदों के लिए 100% वित्तीय सहायता और आवर्ती मदों के लिए 50% वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

5. बाघ परियोजना के आरम्भ (1973-74 से 2006-07) से अब तक 288.34 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है।

बाघ परियोजना की उपलब्धियां (प्रभाव से संबंधित)

1. बाघ परियोजना ने संकटापन्न बाघ का लुप्त होने से बचाया है और इसके वास-स्थलों की सुरक्षा और स्थिति में सुधार द्वारा इस प्रजाति को उबरने के एक सुनिश्चित पथ की ओर अग्रसर किया है।

2. इस परियोजना में 1973 में 09 बाघ रिजर्व थे। इन्हें बढ़ाकर वर्तमान में 28 बाघ रिजर्व बनाएं गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 8 और सुरक्षित क्षेत्रों को बाघ रिजर्वों के रूप में अभिनिर्धारित करने के लिए ''सिद्धांत रूप से'' अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

3. मध्यवर्ती/सीमावर्ती क्षेत्रों में बाघ परियोजना की मुख्य बफर कार्य नीति ने स्थल विशेष पारि-विकास के माध्यम से स्थानीय निवासियों की सहायता प्राप्त करने के कई अवसर प्रदान किए हैं।

4. परियोजना से समाज को अप्रत्यक्ष रूप से अनेक पर्यावरणीय लाभ हुए हैं जैसे कि कार्बनडायक्साइड का अवशोषण, माइक्रो जलवायु में सुधार, वर्षा और नदी प्रवाह आदि।

5. सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले समुदायों के लाभ के लिए इस परियोजना ने मजदूरी के अनेक साधन सृजित किए हैं। जिन्हें सुरक्षा एवं अन्य श्रमिक क्षेत्रों में काम दिया जाता है।

6. मुख्य प्रजाति (बाघ) का संरक्षण करते हुए इस परियोजना ने पौधों एवं वन्यजीवों की कई प्रजातियों को लुप्त होने से बचाया है।

7. सीमावर्ती क्षेत्रों में पारि-विकास विकासीय कार्यों के अलावा बाघ रिजर्वों में स्थानीय समुदायों को पारि-पर्यटन से भी बहुत लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

(प्रक्रिया संबंधी)

1. बाघ परियोजना हमारे देश में वन्यजीव प्रबंध आयोजना, पर्यावास पुनरूद्धार, संरक्षण और पारिविकास के लिए रोल माडल के रूप में कार्य कर रहा है।

2. राज्यों को स्थानीय कार्य बल, भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती के माध्यम से स्थल विशिष्ट संरक्षण बढ़ाने के लिए निधि सहायता उपलब्ध कराई गई है।

3. बाघ रिजर्व में कार्य कर रहे फील्ड स्टाफ को कठिन पारिस्थितियों में कार्य कर करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में परियोजना भत्ता दिया जा रहा है।

4. प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ (आई०यू०सी०एन०) संरक्षित क्षेत्र पर विश्व आयोग के ढ़ाचे के आधार पर बाघ रिजर्वों की स्वतंत्र मानीटरिंग विशेषज्ञों के पैनल द्वारा की गई है। मूल्यांकन रिपोर्टों की ध्यानपूर्वक समीक्षा की और उन्होंने किए गए प्रयासों की सराहना की है।

5. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय (आई०यू०सी०एन०) स्वतंत्र विशेषज्ञों सहित गहन समीक्षा तंत्र के साथ भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से बाघ परियोजना द्वारा बाघ सह परभक्षी तथा शिकारी जानवरों के अखिल भारतीय आकलन को संशोधित किया गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा गठित बाघ कृतक बल द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया है।

6. जी०आई०एस० (भौगोलिक सूचना प्रणाली) तंत्र में देश के बाघ पर्यावास का तहसील स्तर पर आकलन किया गया है।

7. पुनर्रूद्धार कार्रवाई करने के उद्देश्य से बाघ रिजर्व में और इसके चारों और 10 कि०मी० की परिधि तक के वन क्षेत्र की स्थिति और परिवर्तन का भारतीय वन सर्वेक्षण के साथ मिलकर आकलन किया गया है।

8. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण को बाघ रिजर्वों में उनकी प्राणिजात और वनस्पतिजात का संकलन तैयार करने के लिए सहयोजित किया गया है।

9. बाघ टास्ट फोर्स द्वारा की गई तत्काल किस्म की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उपाय किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ "राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण" और "बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरों" (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों) का गठन शामिल है।

10. प्रबंधन सहायक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए ई-गवर्नेन्स में एक प्रायोगिक प्रयास के उद्देश्य से पांच बाघ रिजर्वों को जी०आई०एस० डोमेन में बाघ परियोजना निदेशालय से जोड़ा गया हैं।

विवरण-II

क्र० सं०	रिजर्व का नाम	1972	1979	1984	1989	1993	1995	1997	2000-02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बांदीपुर (कर्नाटक)	10	39	53	50	66	74	75	82
2.	बांधवगढ़ (म०प्र०)	–	–	–	–	41	46	46	56
3.	भद्रा (कर्नाटक)	–	–	–	–	–	–	–	35
4.	बोरी-सतपुड़ा-पचमढ़ी (मध्य प्रदेश)	–	–	–	–	–	–	–	35
5.	बक्सा (पश्चिम बंगाल)	–	–	15	33	29	31	32	31
6.	कार्बेट (उत्तर प्रदेश)	44	84	90	91	123	128	138	137
7.	दाम्फा (मिजोरम)	–	–	–	–	7	4	5	4
8.	दुधवा (उत्तर प्रदेश)	–	–	–	90	94	98	104	76*
9.	इंद्रावती (मध्य प्रदेश)	–	–	38	28	18	15	15	29
10.	कान्हा (मध्य प्रदेश)	43	71	109	97	100	97	114	127
11.	कलकाड (तमिलनाडु)	–	–	–	22	17	16	28	27
12.	मनास (असम)	31	69	123	92	81	94	125	65*
13.	मेलघाट (महाराष्ट्र)	27	63	80	77	72	71	73	73
14.	नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश)	–	–	65	94	44	34	39	67
15.	नामदाफा (अरूणाचल प्रदेश)	–	–	43	47	47	52	57	61
16.	नमेरी (असम)	–	–	–	–	–	–	–	26
17.	पाखुई (अरूणाचल प्रदेश)	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	पलामु (बिहार)	22	37	62	55	44	47	44	32
19.	पन्ना (मध्य प्रदेश)	—	—	—	—	25	22	22	31
20.	पेरियार (केरल)	—	34	44	45	30	39	40	36
21.	पेंच (मध्य प्रदेश)	—	—	—	—	39	27	29	40
22.	पेंच (महाराष्ट्र)	—	—	—	—	—	—	—	14
23.	रणथम्भौर (राजस्थान)	14	25	38	44	36	38	32	35
24.	सरिस्का (राजस्थान)	—	19	26	19	24	25	24	22
25.	सिमलीपाल (उड़ीसा)	17	65	71	93	95	97	98	99
26.	सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल)	60	205	264	269	251	242	263	245
27.	ताडोबा (महाराष्ट्र)	—	—	—	—	34	36	42	38
28.	वाल्मिकी (बिहार)	—	—	—	31	49	एन.आर.	53	53
	कुल	268	711	1121	1327	1366	1333	1498	1576

संकलन/पुनरीक्षा की जा रही है राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया।

विवरण-III

प्रस्तावित नए बाघ रिजर्वों की सूची

क्रम सं०	प्रस्तावित नए बाघ रिजर्व का नाम	राज्य
1.	अन्नामलाई परम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य	तमिलनाडु और केरल
2.	उदान्ति और सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य	छत्तीसगढ़
3.	सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य	उड़ीसा
4.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	असम
5.	अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य	छत्तीसगढ़
6.	दाण्डेली-वन्यजीव अभयारण्य और अंशी राष्ट्रीय उद्यान	कर्नाटक
7.	संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय दुबरी वन्यप्राणि अभयारण्य	मध्य प्रदेश
8.	मदुमलई वन्यजीव अभयारण्य	तमिलनाडु

[अनुवाद]

औषध कंपनियों को नोटिस

***203. श्री एम० राजामोहन रेड्डी :**
श्री रघुनाथ झा :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण (एन०पी०पी०ए०) औषधों और समपाकों के मूल्य निर्धारण/मूल्यों में संशोधन और अन्य संगत मामलों के लिए उत्तरदायी है;

(ख) क्या एन०पी०पी०ए० नियंत्रण-मुक्त औषधों और समपाकों के मूल्यों पर भी निगरानी रखता है तथा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी०पी०सी०ओ०, 95) के उपबंधों के क्रियान्वयन पर नजर रखता है;

(ग) मूल्य-नियंत्रण के अंतर्गत कितनी 'बल्क ड्रग्स' आती हैं और इनके लिए क्या मूल्य निर्धारित किये गए हैं;

(घ) क्या औषध कंपनियां मरीजों से औषधियों के लिए अधिक मूल्य ले रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में एन०पी०पी०ए० द्वारा विभिन्न औषध कंपनियों को अधिक मूल्य वसूले जाने के बारे में जारी किए गए नोटिसों का ब्यौरा क्या है;

(च) प्रत्येक कंपनी की राशि देयता कितनी है;

(छ) उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों, लंबित मामलों और वसूली गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा शेष राशि की ब्याज सहित वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ज) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी०पी०सी०ओ०, 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध और उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत हैं और उनके मूल्य डी०पी०सी०ओ०, 95 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन०पी०पी०ए०) द्वारा निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। एन०पी०पी०ए० द्वारा निर्धारित/संशोधित अनुसूचीबद्ध औषधों/व्युत्पादों के मूल्यों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए है। इन औषधों को सितंबर, 1994 में घोषित "औषध नीति, 1986 में संशोधन" में उल्लिखित मानदंड के आधार पर मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत रखा गया है।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य उत्पादन लागत, विपणन व्यय, अनुसंधान और विकास व्यय, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। ओ०आर०जी०-आई०एम०एस० रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की मासिक खुदरा ऑडिट रिपोर्टों के अनुसार एन०पी०पी०ए० दवाओं के मूल्यों को मॉनीटर करता है।

एन०पी०पी०ए०, उन फार्मा कंपनियों के विरूद्ध नियमित कार्रवाई करता है जो डी०पी०सी०ओ०, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत एन०पी०पी०ए० द्वारा निर्धारित/अधिसूचित मूल्यों को कार्यान्वित नहीं करती हैं और यह एक सतत और चालू प्रक्रिया है। एन०पी०पी०ए० ने अगस्त 1997 में अपनी स्थापना के समय से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ पठित डी०पी०सी०ओ०, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रति प्रभारित राशि की वसूली के लिए 355 मामलों में 719.94 करोड़ रुपये की मांग उठाई है। एन०पी०पी०ए० ने चूककर्ता कंपनियों से 99.28 करोड़ रुपये (जून 2006 तक) की वसूली की है। विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में (30.6.2206 तक) एन०पी०पी०ए० द्वारा विभिन्न औषध कंपनियों को अतिप्रभारित मामलों में जारी नोटिसों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। एन०पी०पी०ए०, अतिप्रभारित राशि की वसूली के लिए नियमित रूप से समुचित कार्रवाई करता रहा है। कुछ प्रमुख मामलों में विभिन्न उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में मामले न्यायाधीन होने के कारण वसूली प्रभावित है। इन मामलों में शीघ्र निर्णय प्राप्त करने के लिए विशेश प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-I

एन०पी०पी०ए० द्वारा अपनी स्थापना से निर्धारित/संशोधित अनुसूचीबद्ध बल्क औषध/व्युत्पाद के मूल्य

क्रम सं०	औषध का नाम	इकाई	मूल्य (रुपये)	गजट का एस०ओ०स०	दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	एमोडिक्वीन एचसीएल	किग्रा०	704.00	742(ई)	19.05.2006
2	एसप्रिन	किग्रा०	134.00	1135(ई)	15.10.2004
3	एनालजीन (मेटामिजोल)	किग्रा०	458.00	1429(ई)	30.12.2004
4	एमिनाफायलीन	किग्रा०	419.00	1007(ई)	04.10.1999
5	बेंजाथिन पेन्सिलीन जी (पेन जी)	किग्रा०	2288.00	740(ई)	19.05.2006
5क	पोटेसियम पेन्सिलीन जी	बीयू	727.00	201(ई)	07.03.2001
5ख	पोटेसियम पेन्सिलीन जी	बीयू	1106.00	805(ई)	20.08.2001

1	2	3	4	5	6
5ग	पोटेसियम पेन्सिलीन वी	बीयू	1001.00	806(ई)	20.08.2001
5घ	प्रोकेन पेन्सिलीन वी	बीयू	958.00	418(ई)	27.03.2006
5ङ	सोडियम पेन्सिलीन वी	बीयू	824.00	1837(ई)	29.12.2005
6	बेटामेथासोन अल्कोहल	ग्राम	219.00	418(ई)	27.03.2006
6क	बेटामेथासोन वेलरेट	ग्राम	208.00	418(ई)	27.03.2006
6ख	बेटामेथासोन सोडियम फॉस्फेट	ग्राम	175.00	1307(ई)	14.09.2005
7	क्लोरोटेट्रासाइक्लीन एचसीएल	किग्रा०	1877.00	479(ई)	03.07.1997
7क	डायमिथाइल क्लोरों टेट्रोसाइकलीन एचसएल	किग्रा०	4559.00	206(ई)	31.03.1999
7ख	टेट्रोसाइक्लीन एचसीएल	किग्रा०	782.00	1065(ई)	29.10.2001
8	क्लोरोक्वीन फॉसफेट	किग्रा०	763.00	1044(ई)	11.07.2006
8क	क्लोरोक्वीन सल्फेट	किग्रा०	1692.00	915(ई)	18.12.1992
9	क्लोक्सासिलीन सोडियम (ओरल ग्रेड)	किग्रा०	1153.00	418(ई)	27.03.2006
9क	क्लोक्सासिलीन सोडियम (स्टेरिल)	किग्रा०	1651.00	418(ई)	27.03.2006
10	क्लोरोप्रोपामाइड	किग्रा०	306.00	754(ई)	29.08.1995
11	सिफाड्रोक्सील मोनोहाइड्रेट	किग्रा०	2474.00	378(ई)	23.03.2006
12	सिप्रोफ्लोक्सासीन एचसीएल	किग्रा०	4190.00	227(ई)	20.03.1997
13	केप्टोप्रिल	किग्रा०	11971.00	443(ई)	13.06.1997
14	सिफोटेक्सीम सोडियम (स्टेरिल)	किग्रा०	7285.00	417(ई)	27.03.2006
15	कार्बामेजापाइन	किग्रा०	2180.00	412(ई)	27.03.2006
16	सेफाजोलीन सोडियम (स्टेरिल)	किग्रा०	7966.00	416(ई)	27.03.2006
17	डायोडोहाइड्रोक्सी क्यूनोलीन (डीआईएचक्यू)	किग्रा०	547.00	728(ई)	21.08.1995
17क	आईडोक्लोरो हाइड्रोक्सी क्वीनोलीन (आईसीएचक्यू)	किग्रा०	832.00	411(ई)	27.03.2006
18	डेक्सट्रो प्रोक्सी फेन एचसीएल	किग्रा०	3841.00	418(ई)	27.03.2006
18क	डेक्स्ट्रो प्रोक्सी फेन नेफीसेलेट डॉक्सीसाइक्लीन	किग्रा०	5172.00	418(ई)	27.03.2006
19	एचसीएल/डॉक्सीसाइक्लीन हाइक्लेट	किग्रा०	1749.00	418(ई)	27.03.2006
20	डेक्सामेथासोन (पुरे)	ग्राम	114.00	755(ई)	06.08.2001
20क	डेक्सामेथासोन-11-21 पी० 4 (डीआई सोडियम)	ग्राम	125.00	755(ई)	06.08.2001

	2	3	4	5	6
20ख	डेक्सामेथासोन ट्रिमेथाइल एसिटैट	ग्राम	158.67	481(ई)	02.08.1993
21	डाइक्लोरो मेटाकसीलेनोल (डीसीएमएक्स)	किग्रा०	241.00	564(ई)	06.08.1997
21क	पी-क्लोरो मोटाक्सीलेनोल (पीसीएमएक्स)	किग्रा०	270.00	741(ई)	19.05.2006
22	इफेड्रिन एचसीएल	किग्रा०	1062.00	414(ई)	27.03.2006
22क	इफेड्रिन रेसीनेट	किग्रा०	954.00	922(ई)	21.12.1994
22ख	पीस्युडो इफेड्रिन एचसीएल	किग्रा०	1761.00	414(ई)	27.03.2006
22ग	पीस्युडो इफेड्रिन सल्फेट	किग्रा०	2535.00	435(ई)	16.06.1992
23	इरिथ्रोमाइसीन (बेस)	किग्रा०	2085.00	418(ई)	27.03.2006
23क	इरिथ्रोमाइसीन थायोसाइनेट	किग्रा०	3072.00	84(ई)	11.02.1991
23ख	इरिथ्रोमाइसीन स्टेरेट	किग्रा०	1459.00	418(ई)	27.03.2006
23ग	इरिथ्रोमाइसीन इस्टोलेट	किग्रा०	2057.00	418(ई)	27.03.2006
23घ	एरिथ्रोमाइसीन इथाइल सक्कीनेट	किग्रा०	2883.00	418(ई)	27.03.2006
23ङ	इरिथ्रोमाइसीन प्रोपायोनेट	किग्रा०	2309.00	418(ई)	27.03.2006
24	इथीलेस्ट्रेनोल	किग्रा०	80465.00	564(ई)	06.08.1997
24क	लायनेस्ट्रेनोल	किग्रा०	73995.00	414(ई)	24.03.2005
25	फ्रुसेमाइड	किग्रा०	1473.00	765(ई)	07.07.2003
26	फुराजोलीडोन	किग्रा०	417.00	564(ई)	06.08.1997
27	फ्रायमासेटिन	किग्रा०	13732.00	564(ई)	06.08.1997
28	फेमोटिडिन	किग्रा०	1358.00	415(ई)	27.03.2006
29	ग्राइसोफुलवीन	किग्रा०	4270.00	419(ई)	11.05.2001
30	जेन्टामाइसीन सल्फेट बेस	ग्राम	12.74	605(ई)	03.07.1995
31	ग्लीपीजाइड	किग्रा०	29244.00	1043(ई)	11.07.2006
32	हाइड्रोक्सीइथाइल थियोफायलीन (हेट)	किग्रा०	511.00	1302(ई)	14.09.2005
32क	थियोफायलीन इथिनेट ऑफ पिपराजीन	किग्रा०	513.00	36(ई)	14.01.1992
32ख	थियोफायलीन	किग्रा०	439.00	1302(ई)	14.09.2005
33	ह्युमेन इन्सूलीन	किग्रा०	3241924.00	418(ई)	27.03.2006
33क	इन्सूलीन	एमयू	24017.00	564(ई)	06.08.1997

2	3	4	5	6
34 आईब्रुफेन	किग्रा०	408.00	1045(ई)	11.07.2006
35 मेट्रोनिडाजोल	किग्रा०	471.00	164(ई)	07.02.2006
35क मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट	किग्रा०	401.00	164(ई)	07.02.2006
36 मिइल डोपा	किग्रा०	4205.00	564(ई)	06.08.1997
37 मेबीड्रोलीन नापाडिसायलेट	किग्रा०	1268.00	120(ई)	10.02.1998
38 नेप्रोक्सेन	किग्रा०	1864.00	845(ई)	15.06.2005
38क नेप्रोक्सेन सोडियम	किग्रा०	1916.00	845(ई)	15.06.2005
39 नेलिडिक्सिक एसिड	किग्रा०	1622.00	418(ई)	27.03.2006
40 नॉरफ्लोक्सासीन	किग्रा०	841.00	418(ई)	27.03.2006
41 ऑक्सीटेट्रासाइक्लीन एचसीएल	किग्रा०	1097.00	414(ई)	24.03.2005
41क ऑक्सीटेट्रासाइक्लीन एम्फौटैरिक बेस	किग्रा०	1553.00	414(ई)	24.03.2005
42 प्रेडनीसोलोन	किग्रा०	56470.00	418(ई)	27.03.2006
42क प्रेडनीसोलोन	किग्रा०	31813.00	418(ई)	27.03.2006
43 फैनिरामाइन मेलेट	किग्रा०	1107.00	1838(ई)	29.12.2005
44 पायरेन्टोल	किग्रा०	1204.00	1305(ई)	14.09.2005
45 पेन्टाजोसीन	किग्रा०	24710.00	413(ई)	27.03.2006
46 फेनाइल बुटाजोन	किग्रा०	352.00	1133(ई)	15.10.2004
47 पेन्टाक्सीफायलीन	किग्रा०	2013.00	591(ई)	23.05.2003
48 रिफाम्पीसीन	किग्रा०	3518.00	418(ई)	27.03.2006
49 रेनीटिडीन एचसीएल	किग्रा०	625.00	842(ई)	15.06.2005
50 स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट बेस	किग्रा०	2381.00	837(ई)	15.09.2000
51 सल्फाडिमाइडिन	किग्रा०	460.00	590(ई)	12.08.1994
52 स्पिरोनोलाक्टोन	किग्रा०	25667.00	414(ई)	24.03.2005
53 सल्फाडायजीन	किग्रा०	565.00	564(ई)	06.08.1997
53क सिल्वर सल्फाडायजीन	किग्रा०	3596.00	846(ई)	18.11.1992
54 सलबुटामोल सल्फेट	किग्रा०	4818.00	418(ई)	27.03.2006
55 सिल्वर सलबुटामोल	किग्रा०	323.00	1299(ई)	14.09.2005

	2	3	4	5	6
56	सल्फामोक्सोल	किग्रा०	588.00	418(ई)	27.03.2006
57	ट्रीमेथोप्रिम	किग्रा०	828.00	418(ई)	27.03.2006
58	टोलनाफ्टेट	किग्रा०	4167.00	412(ई)	24.03.2005
59	भेरापामिल एचसीएल	किग्रा०	4109.00	564(ई)	06.08.1997
60	विटामिन ए पेमिटेट (ऑयली लिक्विड० 1.0/1.7एमआईयू/जीएम० (1000 ग्राम)	1000 एमआईयू	2425.00	418(ई)	27.03.2006
60क	विटामिन ए एसिट० (ऑयल लिक्विड) (1.0एमआईयू/जीएम०)	1000 एमआईयू	2532.00	418(ई)	27.03.2006
60ख	विटामिन ए० एसिटेट (ड्राय पाउडर 0.5एमआईयू/जीएम०)	1000 एमआईयू	3390.00	418(ई)	27.03.2006
61	विटामिन सी प्लेन	किग्रा०	392.00	418(ई)	27.03.2006
61क	विटामिन सी कोटेड	किग्रा०	378.00	418(ई)	27.03.2006
61ख	सोडियम एसकोर्बेट	किग्रा०	408.00	418(ई)	27.03.2006
62	विटामिन ई एसिटेट	किग्रा०	815.00	1046(ई)	11.07.2006
63	विटामिन बी2 (रिबोफ्लावीन)	किग्रा०	950.00	418(ई)	27.03.2006
63क	विटामिन बी 2-5 फॉस्फेट	किग्रा०	2217.00	1300(ई)	14.09.2005
64	विटामिन बी1 एचसीएल	किग्रा०	1418.00	1102(ई)	23.12.1998
64क	विटामिन बी1 मोनोनिट्रेट	किग्रा०	1160.00	1102(ई)	23.12.1998

नोट : देश में शेष दस बल्क औषधों के उत्पादन की सूचना नहीं है।

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान जारी अतिप्रभारित नोटिस

क्र० सं०	कंपनी का नाम	अनुमानित अतिप्रभारित राशि और ब्याज (लाख रुपए)	वसूली गई राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	वायथ लि०	0.946	0.946
		0.083	0.083
2.	इंड-स्विफ्ट लिमिटेड	0.419	0.880
		0.461	
3.	टीटीके हैल्थकेयर	1.939	
		1.914	
4.	कन्सेप्ट फार्मा लि०	0.360	0.39
		0.126	
5.	शिव केम फार्मा	0.433	
		0.330	
6.	एसपीएम ड्रग्स(पी) लि०	0.348	
		0.191	

1	2	3	4
7.	पिया फार्मास्युटिकल्स	0.261	
		0.062	
8.	खंडेलवाल लैब्स	1.249	
		1.145	
9.	कॉपर फार्मा	0.683	
		0.427	
10.	जी०एस० फार्मास्युटिकल्स प्राई०लि०	0.070	0.070
		0.024	0.024
		0.028	0.28
11.	भारत लैबोरेट्रीज	0.565	
		0.179	
12.	हैल्थकेयर फारमूलेशन प्राई०लि०	0.0335	
		0.065	
13.	जेनस रेमिडीज प्रा०लि०	9.131	
		3.601	
14.	ट्वन्टी फर्स्ट सेन्चुरी फार्मा लि०	2.130	1.800
15.	जे० एंड जे० लि०	2235.728	2235.728
		1297.420	
16.	एन०आर०जैट एन्टरप्राइजेज लि०	902.077	902.077
		509.492	
17.	इंडो स्विफ्ट लि०	2.82	4.836
		2.016	
18.	इंडो स्विफ्ट लि०	2.521	4.509
		1.988	
19.	ओकासा फार्मा लि०	182.000	
20.	ओकासा फार्मा लि०	91.620	
21.	ओकासा फार्मा लि०	474.00	
22.	रैनबेक्सी लैब्स	161.619	
23.	रैनबेक्सी लैब्स	15.994	
		10.769	
24.	सिपला लि०	5144.185	
25.	सिपला लि०	4791.163	
26.	सिपला लि०	5416.215	
27.	ओकासा फार्मा लि०	117.896	
28.	ओकासा फार्मा लि०	2385.250	
29.	ओकासा फार्मा लि०	467.00	
30.	कोपरान लि०	64.190	
31.	रोमेट इंडिया लैब्स लि०	0.963	
		0.457	
32.	दुआ फार्मा प्रा०लि०	1.871	
		0.847	
33.	श्री देव फार्मास्युटिकल्स	0.086	
		0.034	
34.	इंटेक्ट ड्रग्स	0.01	0.214
		0.004	
35.	डा० रेड्डी लैब्स	22.870	11.439
36.	रैनबैक्सी लैब लि०	188.000	
37.	जी०टी० फार्मा प्रा० लि०	0.079	
		0.009	
38.	एस०के० पेरेन्ट्रल प्रा० लि०	0.540	0.1
			0.200
39.	मेडिबेस्ट फार्मा प्रा० लि०		1.700
	कुल	24518.936	3165.023

वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान जारी अतिप्रभारित नोटिस

क्र० सं०	कंपनी का नाम	फार्मूलेशन का नाम	अनुमानित अतिप्रभारित राशि और ब्याज (लाख रुपए)	वसूली गई राशि (लाख रु०)
1	2	3	4	5
1.	एलार लैब्स प्रा० लि०	लेरटीडीन टिकिया	0.247	0.247
			0.050	
2.	जिने लेबोरेट्रीज लि०	को-ट्रिमोक्साजोल टिकिया एसएस एंड डीएस	2.108	
			0.984	
3.	विलक्योर रेमिडीज	इबूनोल टिकिया	0.0477	0.048
		वोस्ट्रिम सस्पेंशन	0.0133	0.0133
4.	रेनबैक्सी लैब्स	सिफाजोलीन	209.267	190.953
				18.314
			245.6020	
5.	एल्केम लैब्स लि०	फाल्टीडीन	5.641	5.641
			2.405	
6.	आर्को फार्मा प्रा० लि०	फेन्सिड 40 मि०ग्रा० टिकिया	0.40	0.04
			0.012	0.012
7.	एसके फार्मास्युटिकल्स लि०	डेक्सारेक्स टिकिया	3.754	
			1.454	
8.	केमवेल प्रा०लि०	वेन्टरोरलिन एक्सप/सिरप	773.77	386.886
			[illegible]41.804	
9.	निर्माण फार्मा	सिफाटोप 250/500 मि०ग्रा०कैप०	22.44	4.049
			10.38	
10.	कालिन्ज लैब्स लि०	पैबुफ्लेम टिकिया	0.333	
			0.233	
11.	लेनबर्ट हैल्थकेयर प्रा०लि०	ब्रूलेम प्लस	0.867	
			0.035	
12.	ग्लैक्सो स्मिथलाइन प्रा०लि०			
			123.866	

1	2	3	4	5
13.	मारवल लैब्स	वेलोक्स + नोरसिन	2.118	
			2.217	
14.	एक्सेल हैल्थकेयर प्रा०लि०	इबु + पेरा	0.256	0.256
			0.080	
15.	ओवरसीज फार्मा	ओपट्रान टिकिया	1.280	1.890
			0.578	
			0.032	
			1.331	1.331
			0.148	
16.	निवारम फार्मा	ग्रिसियोफ्लुडिम टिकिया 250 मि०ग्रा०	0.052	0.052
			0.060	0.060
17.	काबरा ड्रग्स लि०	आक्सीटेट्रासाइक्लीन 250 मि०ग्रा०कैप०	0.065	
			0.081	
18.	सिंथोकेम लैब्स रिसर्च	डी०ई० सिट्रेटठ (बल्क ड्रग)	1.092	1.092
			2.194	
19.	प्रवीन फार्मा	एनलजीन/टेट्रासाइक्लीन	0.207	0.204
			0.190	
20.	रैनबैक्सी लैब लि०	क्लोक्सासिलीन बेस्ड फार्मूलेशन	199.627	125.000
			238.693	
21.	वायथ लि०	प्रेडनिसोलोन	309.634	302.983
			1281.814	984.945
			119.293	
22.	बेक्टोलेक फार्मूलेशन प्रा०लि०	बेक्टोफेन टिकिया	0.816	
			0.939	
23.	जेनिथ हैल्थकेयर	इन्फ्लेजेन टिकिया	0.393	0.393
			0.192	0.202
			0.100	

1	2	3	4	5
24.	अरबिन्द फार्मा लि०	आटीडाइन 20 मि०ग्रा०		0.276
25.	बिलमेट फार्मा	बेटामेट आई ड्राप्स		1.604
26.	अरबिन्द रेमिडीज	सिटाफेन	3.319	
			5.142	
27.	क्योरवेल ड्रग्स	सेफाड्राक्सिल		0.069
28.	पेलिकाम फार्मा प्रा०लि०	पेलीक्लोक्स टिकिया 125	0.199	
			0.034	
29.	पेलिकाम फार्मा प्रा०लि०	पेलीक्लोक्स टिकिया		0.234
30.	क्रिस्टल फार्मा प्रा०लि०	केपलेक्स केप०	1.178	
			0.471	
31.	सेन्तूर लैब्स प्रा०लि०	एफरिन कंपाउंड	1.571	1.571
			2.339	
32.	पेनासिया बायोटेक लि०	एक्सीड-2, एक्सीड-3, एक्सीड-4	146.007	41.954
33.	निकोलस पीरामल इंडिया लि०	टेट्रासाइक्लीन 500 मि०ग्रा० टिकिया	13.303	13.303
			8.702	
34.	मरकरी लैब्स लि०	मेरीजेंटा ड्राप्स आई/ईयर ड्राप्स	0.377	0.377
			0.231	0.212
35.	बेनेट	रैडिक टिकिया		0.280
36.	रैनबैक्सी लैब्स लि०	सिप्रोफ्लोक्सेसिन	6171.080	
37.	सिनेक्स	क्लोरोक्विन इंजे०	0.364	0.364
			0.163	0.163
38.	नेटकेम	इबुफ्लेम टिकिया		0.594
39.	ब्रूसेल्स लैब्स लि०	ब्रोक्सीलिन केपसूल्स		0.36
40.	सेलवोक फार्मास्युटिकल्स	प्रीमाकेन टिकिया	1.191	0.14
			0.018	
41.	काबरा ड्रग्स लि०	आक्सीटेट्रासाइक्लीन 250 मि०ग्रा० केप०	0.065	
			0.081	
		कुल	10600.129	2303.843

वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान जारी अतिप्रभारित नोटिस

क्र० सं०	कंपनी का नाम	फार्मूलेशन का नाम	अनुमानित अतिप्रभारित राशि और ब्याज (लाख रु०)	वसूली गई राशि (लाख रु०)
1	2	3	4	5
1.	पैसिफिक फार्मा	टेट्रासाइक्लीन एंड रेटीडीन फार्मूलेशन	1.457	
2.	आरकेडिया फार्मा	सेफ्रिल — डीटी	1.32	0.252
			0.66	
			0.036	
3.	सनी ड्रग्स	फ्रायूराजोल	0.24	0.240
			0.054	0.397
4.	आरफिक फार्मा	आक्सिल डीएस 30एमएल	0.57	
			0.22	
5.	ग्रे एनोन फार्मूलेशन	स्प्रिंट प्लकस टिकिया	0.26	
			0.331	
6.	मंगेश फार्मा	ब्रूप्लस टिकिया	2.024	
			0.885	
7.	जेनिफार फार्मा	प्रिडिसोलोन		0.121
8.	गोल्डस्टियन लैब चैन्नई	सिफोरिन किड टिकिया		0.073
9.	गोल्डस्टियन लैब चैन्नई	अलफ्रिल 300 टिकिया		0.155
10.	गोल्डस्टियन लैब चैन्नई	स्टेनीसाइक्लीन 500 टिकिया		0.109
11.	गोल्डस्टियन लैब चैन्नई	अलफ्रिल 150 टिकिया		0.117
12.	आर०एस०एल० फार्मास्युटिकल	रेमिसिन ई/ई ड्राप		0.155
13.	त्रिपदा हैल्थकेयर	फेरिप 40	0.306	0.306
			0.107	0.107
14.	डा० रेड्डी लैबस	नोरफ्लोक्सासिन	1542.97	771.486
			1306.87	
15.	लेनसेट फार्मास्युटिकल	लेनसेट 500	0.095	0.095
16.	वेरा फार्मा लि०	रेन्टीडीन	2.20	0.243
			0.64	

1	2	3	4	5
17.	फाइटोकेम फार्मूलेशन्स लि०	रेनीबिड 150 टिकिया	0.51	0.510
			0.404	
18.	यूनीवर्सल हाउस ड्रग प्रा०लि०	सिक्सप्रोडिन्स	3.699	3.699
			2.714	2.714
19.	इन्दु ड्रग्स	इंडुफेन टिकिया	1.963	1.963
20.	फारमेडल फार्मास्युटिकल्स लि०	इरोथिरोमाइसिन स्टीयरची 250 मि०ग्रा० टिकिया	2.304	
21.	सनी ड्रग्स एंड फार्मा लि०	रैंडीडीन एचएसएल 150 मि०ग्रा० टिकिया		0.234
				0.103
				0.24
				0.127
22.	मान फार्मास्युटिकल्स	फोटाइम इंजे० 1ग्रा० एंड 500 मि०ग्रा०		0.117
23.	शेलॉक्स फार्मास्युटिकल्स लि०	सीडाक्स डी०टी०	20.540	9.642
			1.740	
24.	एल्पा लि०	क्विड्रुड्स	3.160	3.160
			0.724	
25.	पेनाका बायोटेक	ओसिमिक्स टिकिया	1.69	1.69
			0.27	0.27
26.	जे०आर० फार्मास्युटिकल्स	ओरोफ्लेम टिकिया	6.616	
			1.739	
27.	मेट्रो गोल्डन लैब्स	मेट्रोनिडाजोल टिकिया	0.069	0.406
			0.180	
28.	अशोक फार्मास्युटिकल	पेसिटन इबू+पेरा	0.998	0.828
			0.374	
				0.064
				0.513
29.	दीप्ति फार्मास्युटिकल्स (प्रा) लि०	इपोफेन फोर्ट टिकिया		0.051
				0.018

1	2	3	4	5
30.	जे०आर० फार्मास्युटिकल	ओरोफ्लेम टिकिया		4.00
31.	नेक्टो फार्मा लि०	ट्रिमाजोल डीएस टिकिया		0.210
32.	नेटकेम फार्मा लि०	ट्रिमाजोल डीएस टिकिया		2.734
33.	शिन्टो आर्गेनिक्स	एक्नेडोक्स		0.238
34.	एल्केम लेब लि०	टेट्रोकेम 250 मि०ग्रा० केप०		0.661
35.	एल्केम लेब लि०	ब्रूसेटा टिकिया		18.35
36.	वाल्टेन फार्मास्युटिकल्स (प्रा०) लि०	काम्फेन टिकिया	0.774	
			0.419	
37.	जेन्डिक (इंडिया) फार्मा प्रा०लि०	जेनफेन टिकिया	0.029	0.029
38.	एडोर फार्मास्युटिकल्स प्रा०लि०	जेंटामाइसिन सल्फेट ई/इ ड्राप्स	0.470	
			0.460	
39.	स्काई लैब्स	इरिथ्रोटाप 3		0.149
40.	परमा फार्मास्युटिकल्स लि०	पेराट्रान फोर्ट		0.54
41.	मेडोज फार्मास्युटिकल्स	रेडिन प्लस		0.323
42.	समेजिस फार्मा प्रा०लि०	इबू+पेरा कोट्रीमोक्साजोल	0.280	0.280
43.	क्लोरोजोक्साजोन टिकिया		16.825	
44.	कारमेज टिकिया		12.68	2.1.06
			13.59	22.3.06
45.	प्रोवनेट प्लस टिकिया		0.03	
46.	माउंट मेटूर फार्मा		0.158	
47.	डाक्सीसिलीन		0.311	
48.	डाक्सीसिलीन एचसीएल		0.178	
			0.29	
49.	सिपिक 250 मि०ग्रा०, ठिवक्लोक्स केप/टेब एंड बेनेक्स टेब		1.393	
50.	थेराकेम लैब्स		0.516	
		कुल	2959.342	827.719

वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान जारी नोटिस (30.06.06 तक)

क्र० सं०	कंपनी का नाम	फार्मूलेशन का नाम	अनुमानित अतिप्रभारित राशि और ब्याज (लाख रु०)	वसूली गई राशि (लाख रु०)
1.	टेक्सास लैब		0.06	0.06
2.	कोटेक	डेक्सामिथोसन टिकिया	0.09	0.09
3.	एपेक्स फार्मूलेशन (प्रा०) लि०	सेफाडाक्स 250 मि०ग्रा० टिकिया		0.1
4.	डेनीजेन फार्मा	डाक्सीसिलीन केपसूल		0.02
5.	यूनियन ड्रग कं०	यूडिक्लोक्स	1.13	0.88
				0.44
			0.65	
6.	सप्रा फार्मास्युटिकल्स			0.14
7.	कोप्रॉन लि०	वेंट सिरप	2.505	
			2.018	
8.	मेलाडी ड्रग्स		11.64	
			27.80	
9.	लुपिन लि०		20.81	
			47.72	
10.	सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (स्पिक)	ग्रिसिओफुलविन	47.81	
			37.17	
11.	जानसन एंड स्मिथ		80.69	
12.	ग्लींडिया लि०		33.75	
13.	इनफार लि०		44.84	
14.	ट्रिडोम लि०		858	
15.	नियोरॉन फार्मा	नेड्राक्स 250 एंड 500 टिकिया	0.99	
16.	कोटेक फार्मा	फरजेसिक टिकिया	0.42	
17.	रेमिडिक्स फार्मा एंड ग्लेक्सो ग्लेक्सो स्मिथक्लाइन	जेविट फोर्ट केप	641.377	
			111.906	
18	मैसर्स एलाइव	इरीटेप क्रीम	0.41	0.15
19	अग्रवाल	एप्रोफेन ओलस	0.1	
		कुल	1971.886	1.880

मछुआरों के लिए योजनाएं

*204. डा० के०एस० मनोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार मछुआरों के लिए बचत और राहत योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्यों को केन्द्र द्वारा अपने हिस्से की कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत सहायता में से कोई राशि केन्द्र सरकार द्वारा अभी जारी की जानी शेष है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों (2003-04 से 2005-06 तक) तथा चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 (31.7.06 तक) के दौरान राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के बचत-सह-राहत घटक को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को क्रमश: 2739.38 लाख रुपए तथा 5.10 लाख रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी जारी की गई है।

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के बचत-सह-राहत घटक को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को विगत तीन वर्षों (2003-04 से 2005-06 तक) के दौरान केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में स्वीकृत 2849.77 लाख रुपए में से 2739.38 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है तथा 110.39 लाख रुपए की राशि अभी जारी की जानी है।

(घ) शेष राशि केरल (26.87 लाख रुपए) और तमिलनाडु (83.52 लाख रुपए) से संबंधित है।

(ङ) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, जिनमें कवर किए गए अथवा प्रत्याशित मछुआरों की वास्तविक संख्या दी जाती है, केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाती है और सहायता की राशि तथा योजना के तहत धनराशि की उपलब्धता की रोशनी में राशि जारी की जाती है। बड़े राज्यों के मामले में केन्द्रीय सहायता दो किश्तों में दी जाती है बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकारें योजना के तहत कवर किए गए मछुआरों की वास्तविक संख्या, लाभार्थियों से एकत्र अंशदान और प्रथम किश्त के रूप में जारी केन्द्रीय हिस्सेदारी की उपयोगिता का ब्यौरा भेजें। केरल और तमिल नाडु राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे ब्यौरा भेजें।

[हिन्दी]

जमाखोरों के विरुद्ध कार्रवाई

*205. श्री सज्जन कुमार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जमाखोरों और सट्टेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकारों को प्रदत्त अधिकारों को 2002 के अपने आदेश के माध्यम से वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से अपने इस निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 15.2.2002 और 16.6.2003 को अधिसूचनाएं जारी कर गेहूं, धान/चावल, मोटे अनाज, चीनी, खाद्य तिलहन, खाद्य तेल, दाल, गुड़, गेहूं के उत्पाद (यथा मैदा, रवा, सूजी, आटा, परिणामी आटा और चोकर) तथा हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल अथवा वनस्पति जैसे विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर से लाइसेंसिंग अपेक्षा, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। इन आदेशों के जारी होने से कोई भी डीलर इन उत्पादों की कितनी भी मात्रा में स्वतंत्र रूप से खरीद, स्टॉकिंग, बिक्री, परिवहन, वितरण, निपटान, प्राप्ति, प्रयोग अथवा उपयोग कर सकता है।

यह निर्णय पांच केंद्रीय मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों और ग्यारह राज्यों के मुख्यमंत्रियों की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया जिसका गठन "विश्व व्यापार संगठन और कृषि" विषय पर 21.5.2001 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के अनुसरण में तथा सरकार की आर्थिक उदारीकरण की नीति के अनुरूप किया गया।

तथापि, ये अधिसूचनाएं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के प्रचालन, चावल की खरीद तथा चीनी की खरीद और वितरण को विनियमित करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा जारी चावल/धान लेवी आदेशों के प्रचालन से नहीं रोकती हैं।

(ग) और (घ) कुछ राज्य सरकारों ने आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर दालों की मूल्य-वृद्धि को लेकर चिंता जताई है तथा 15.2.2002 की

अधिसूचना की समीक्षा किए जाने का भी अनुरोध किया है। स्टॉक सीमा पर प्रतिबंध तथा खाद्यान्नों के संचलन की बहाली को वांछनीय नहीं समझा गया क्योंकि इससे कृषि उत्पादों के सुचारू वितरण और खुदरा बिक्री में बाधा आएगी और व्यापार पर आंतरिक रोक लगेगी जिस का किसानों और कृषि उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप छापों और इंस्पेक्टर राज के दौर की भी वापसी होगी जिससे कृषि सुधारों की प्रक्रिया बाधित होगी। चूंकि मूल्य स्तर किसी मद की मांग और आपूर्ति से संबंधित मूलभूत कारकों द्वारा तय होते हैं, ऐसे में इन प्रतिबंधों की बहाली से मूल्यों में तब तक कमी आने की संभावना नहीं है जब तक आपूर्ति की स्थिति में सुधार नहीं हो जाए।

[अनुवाद]

"अवैध वन्यजीव व्यापार"

***206. श्री के०जे०एस०पी० रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए कड़े उपाय अपनाने और इस कार्य में सहयोग देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को राजी करने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिया और कड़े उपाय कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों/वन गार्डों के लिए वायरलेस सेट, सेलफोन और वाहनों के अतिरिक्त कोई विशेष पैकेज देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां। वन्यजीवों के सीमापारीय अवैध व्यापार का मामला इस मंत्रालय द्वारा वन्य प्राणीजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्राजातियों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन (साइट्स) जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, की अनेक बैठकों में तथा चीन व नेपाल के सरकारी अधिकारियों की बैठकों में उठाया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है और इसे और अधिक सख्त बनाया गया है।

(ii) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत वन्य प्राणियों को उनके अवैध शिकार व व्यापारिक उपयोग के प्रति कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(iii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(iv) भारत सरकार ने वन्यजीवों तथा उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात व व्यापार केन्द्रों में वन्यजीवों के संरक्षण हेतु क्षेत्रीय व उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है।

(v) राज्य सरकारों को ढांचागत विकास, अवैध शिकार-रोधी कैंप स्थापित करने वायरलैस सैटों, वाहनों, आग्नेय अस्त्रों की खरीद के लिए 'राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है।

(vi) वन्यजीवों के सीमापारीय अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत के नेपाल और चीन के साथ द्विपक्षीय करार हैं।

(ङ) और (च) बाघ परियोजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत केवल बाघ रिजर्व क्षेत्रों में तैनात फील्ड स्टाफ के लिए भत्ता दिया जाता है। अन्य स्टाफकर्मियों के लिए इस मंत्रालय द्वारा विशेष पैकेज दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

नदियों को आपस में जोड़ना

***207. श्री एम० अंजनकुमार यादव :**
श्री काशीराम राणा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रायद्वीपीय नदी विकास संघटक के अंतर्गत नदियों को जोड़ने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना के कार्यान्वियन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस योजना के कार्यान्वियन हेतु इस परियोजना के अंतर्गत संबंधित राज्यों की सहमति ले ली गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो राज्यों द्वारा क्या आपत्तियां की गई हैं; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के तहत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन०डब्ल्यू०डी०ए०) ने अनेक अध्ययनों के पश्चात व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए 16 संपर्कों की पहचान की है। इन संपर्कों के ब्यौरे विवरण-I में दिये गए हैं। इन 16 संपर्कों में से अब तक 14 संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं।

(ख) और (ग) नदियों को परस्पर जोड़ने के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगने वाला समय राज्यों की सर्वसम्मति और सहयोग पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा केन-बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रायद्वीपीय घटक के इस सम्पर्क के संबंध में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों तथा केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री के बीच 25 अगस्त, 2005 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, सरकार ने चार और प्राथमिकता संपर्कों अर्थात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को शामिल करते हुए पारबती कालीसिन्ध-चम्बल, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों को शामिल करते हुए दमनगंगा-पिंजाल और पार-तापी नर्मदा संपर्क तथा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यों को शामिल करते हुए गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क, की पहचान की है। प्राथमिकता संपर्कों के विषय में संबंधित राज्यों की आपत्तियों/आशंकाओं को विवरण-II पर दिया गया है।

(च) अधिशेष जल के बंटवारे तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में सर्वसम्मति स्थापित करने संबंधी मुद्दों पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग (सी०डब्ल्यू०सी०) की अध्यक्षता में जून, 2002 में एक दल का गठन किया गया है जिसमें केन्द्रीय जल आयोग के अन्य अधिकारी तथा संबंधित राज्यों के सिंचाई/जल संसाधन विभाग के सचिव शामिल हैं। इस दल ने 4 प्राथमिकता संपर्कों पर 4 बैठकें की है।

विवरण-I

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहचाने गए जल हस्तांतरण संपर्कों की सूची

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक

1. महानदी (मणिभद्र) – गोदावरी (दोलेश्वरम) संपर्क*
2. गोदावरी (पोलावरम) – कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क*
3. गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (पुलिचिंताला) संपर्क*
4. गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (नागार्जुनसागर) संपर्क*
5. कृष्णा (नागार्जुनसागर) – पेन्नार (सोमसिला) संपर्क*
6. कृष्णा (श्रीसैलम) – पेन्नार संपर्क*
7. कृष्णा (अलमट्टी) – पेन्नार संपर्क*
8. पेन्नार (सोमसिला) – कावेरी (ग्रांड अनीकट) संपर्क*
9. कावेरी (कट्टालाई) – वेगाई (गुंडार) संपर्क*
10. पारबती-कालीसिंध – चंबल संपर्क*
11. दमनगंगा – पिंजाल संपर्क*
12. पार – तापी – नर्मदा संपर्क*
13. केन – बेतवा संपर्क*
14. पंबा – अचनकोविल – वैप्पार संपर्क*
15. नेत्रवती – हेमावती संपर्क
16. बेदती – वरदा संपर्क

*व्यवहार्यता रिपोर्टें पूर्ण

विवरण-II

राज्यों की आपत्तियां/आशंकाएं

पारबती-काली सिन्ध-चम्बल :

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में और अधिक जिलों को शामिल करने के लिए लिंक में सुधार करना तथा गांधीसागर में नहर से मिलना।

राजस्थान: बनास/बाणगंगा नदियों तक संपर्क को बढ़ाना तथा व्यपवर्तनीय जल में अधिक हिस्सा तथा राणाप्रताप सागर से संपर्क को जोड़ना।

पार-तापी नर्मदा और दमनगंगा-पिंजाल

गुजरात: (i) दो संपर्क

(क) दमन गंगा-साबरमती-मंगरोल और

(ख) दमन गंगा-ककरापार को राज्य के भीतर चाहता है।

(ii) वन स्वीकृति, पार-तापी-नर्मदा के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना एक कठिन कार्य है।

महाराष्ट्र: (i) दमनगंगा, पार, नार, अम्बिका, पूर्णा बेसिनों के जल का गोदावरी और तापी बेसिनों में ट्रान्स बेसिन् डाइवर्जन करने में लिफ्ट का कार्य काफी अधिक होगा।

(ii) दमन् गंगा-पिंजाल संपर्क को तन्सा नदी तक बढ़ाना; पार-तापी-नर्मदा संपर्क के लिए महाराष्ट्र के आवाह क्षेत्र में दिए गए जल की क्षतिपूर्ति तापी बेसिन में की जाएगी।

गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा)

आंध्र प्रदेश: (i) एन०डब्ल्यू०डी०ए० द्वारा नई फसल प्रणाली और कम डेल्टा पर विचार करके पोलावरम परियोजना की जल संबंधी आवश्यकताएं।

(ii) गोदावरी बेसिन में कोई अधिशेष जल नहीं तथा मामला दूसरे कृष्णा जल विवाद अधिकरण के समक्ष न्यायाधीन है।

कर्नाटक और महाराष्ट्र: (i) अधिशेष जल के बंटवारे के लिए अलग से समझौता; गोदावरी जल विवाद अधिकरण में सहमत हुए अनुसार उसी अनुपात में संपर्क डाइवर्जन के कारण कृष्णा में आई जल की अतिरिक्त मात्रा का बंटवारा।

छत्तीसगढ़: पोलावरम से उनके राज्य में जलमग्नता।

उड़ीसा: परियोजना के जलमग्नता पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण और पुनर्वास पुनर्स्थापना योजना आवश्यक।

[अनुवाद]

उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के संबंध में कृतक बल

*208. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के संबंध में कोई कृतक बल गठित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जैव-उर्वरकों के प्रयोग तथा विकास पर राष्ट्रीय परियोजना बन्द कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा जैव उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि ये पर्यावरण अनुकूल हैं तथा पौधों के पोषक तत्वों के लिए एक रास्ता स्रोत है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) श्रीमन्, सरकार ने अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में उर्वरकों के संतुलित उपयोग से संबंधित कार्य बल का गठन किया तथा इसने अक्तूबर, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) उर्वरकों के संतुलित उपयोग से संबंधित कार्य बल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(i) सार्वजनिक/सहकारी/निजी क्षेत्र के अधीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।

(ii) उर्वरक, जैविक खादों और जैव उर्वरकों आदि के परीक्षण हेतु उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।

(iii) संतुलित और समेकित पोषक तत्व प्रबंधन का संवर्धन।

(iv) उर्वरक पर राजसहायता वर्तमान उत्पाद आधारित होने के स्थान पर पोषक तत्व आधारित (एन०पी०के० सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व) होगी।

(v) राजसहायता/रियायत के अधीन और अधिक उर्वरक उत्पादों को लाया जाएगा।

(vi) सक्षम स्थल विशिष्ट सीमाशुल्कीकृत (कस्टमाइज्ड) उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन के लिए प्रोत्साहन।

(vii) अनुसंधान और विकास (आर० एंड डी०) प्रौद्योगिकी अंतरण गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु उर्वरकों पर दी जा रही कुल राजसहायता का 0.05% प्रभारित करके केन्द्रीय अनुसंधान और विकास प्रौद्योगिकी अंतरण कोष का सृजन।

(घ) और (ङ) जैव उर्वरकों के विकास और प्रयोग से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना की स्कीम को अक्तूबर 2004 से राष्ट्रीय जैव कृषि पयोजना की नई केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम में मिला दिया गया है।

(च) देश में जैव उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 9वीं योजना और 2002-03 के दौरान राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास और

प्रयोग परियोजना के अधीन जैव उर्वरक उत्पादन एककों की स्थापना के लिए 20.00 लाख रु० की राजसहायता दी। अब राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना के अधीन सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के जरिए जेव उर्वरक उत्पादन एककों की स्थापना के लिए तथा राज्य सरकारों/राज्य एजेंसियों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को भी परियोजना लागत के 20% की दर से अधिकतम 20 लाख रु० तक ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत (बैक-एण्डिड) राजसहायता दे रही है।

गुणवत्तायुक्त जैव उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने उर्वरक (नियंत्रण) 1985 के अधीन 4 जैव उर्वरकों नामतः राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, एजोसपरीलम और फास्फेट सोलुबलाईजिंग बैक्टीरिया के विश्लेषण का विनिर्देश और प्रणालियों को भी अधिसूचित किया है।

[हिन्दी]

चीनी मिलें

***209. डा० राम लखन सिंह :**
श्री चन्द्रभान सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चल रही चीनी मिलें लाभ कमा रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान बंद की गई चीनी मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त मिलों के पुनरूद्धार हेतु कोई कार्य योजना/पैकेज तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त पैकेज के अंतर्गत राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई/प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है तथा इसमें कितनी सफलता मिली?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) निजी चीनी मिलों के शीर्ष संगठन, भारतीय चीनी मिल संघ से प्राप्त सूचना के अनुसार गत दो वर्षों में अधिकांश निजी चीनी फैक्ट्रियां लाभ में थीं। सहकारी चीनी क्षेत्र के शीर्ष संगठन, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना परिसंघ लि० ने सूचित किया है कि जिन 187 सहकारी चीनी मिलों ने सूचना दी है उनमें से 82 मिलों ने चीनी वर्ष 2004-05 में लाभ कमाया है। प्रत्येक फैक्ट्री को हानि होने के कारण अलग-अलग हैं जो कई तथ्यों पर निर्भर करते हैं।

(ग) गत दो चीनी मौसमों अर्थात् 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान जिन चीनी मिलों ने कार्य नहीं किया उनकी राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। इन चीनी मिलों के बंद होने के मुख्य कारणों में चीनी के मूल्यों की तुलना में गन्ने के लिए अधिक मूल्य की अदायगी, गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, मिलों का अलाभकर आकार होना, संयंत्र व मशीनरी का पुराना होना, तकनीकी तथा प्रबंधकीय अक्षमता, आदि शामिल है।

(घ) और (ङ) चीनी विकास निधि नियमावली के अधीन निगेटिव नेटवर्थ वाली संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी मिलों के पुनर्स्थापन का प्रावधान है। ऐसी मिलों को आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन तथा गन्ना विकास के लिए ब्याज की रियायती दर पर ऋण मुहैया कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार जिन सहकारी चीनी मिलों पर आवधिक ऋण बकाया हैं तथा जो वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हैं और जिनके पास उक्त आवधिक ऋणों की अदायगी के लिए पर्याप्त प्रचालनात्मक अधिशेष है, उनके लिए सितम्बर, 2005 में एक पैकेज की घोषणा की गई है। 1.4.2005 से इन मिलों के आवधिक ऋणों को पुनर्संरचित/अदायगी की समय-सारणी को पुनर्निर्धारित करना तथा ब्याज दर को घटाकर 10% प्रति वर्ष करना था। भारत सरकार पुनर्संरचित ऋण पर आर्थिक सहायता देगी जिसमें 560 करोड़ रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त है। इस स्कीम के तहत आवेदन करने वाली तथा निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाली सभी चीनी मिलों के आवधिक ऋणों की अदायगी की समय-सारणी को पुन-र्निर्धारित/पुनर्संरचित कर दिया गया है। इसके परिणाम के बारे में अभी मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी।

विवरण

चीनी मौसम 2003-04 तथा 2004-2005 के दौरान, जिन चीनी मिलों ने कार्य नहीं किया, उनकी राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य	2003-2004 (अनन्तिम)	2004-2005 (अनन्तिम)
1	2	3
पंजाब	1	3
राजस्थान	2	2
उत्तर प्रदेश	19	17
मध्य प्रदेश	5	5

1	2	3
गुजरात	7	5
महाराष्ट्र	45	82
बिहार	18	19
असम	3	3
आंध्र प्रदेश	14	8
कर्नाटक	13	12
तमिलनाडु	4	4
उड़ीसा	4	2
पश्चिम बंगाल	1	1
नागालैंड	1	1
केरल	2	2
पांडिचेरी	1	1
हरियाणा	—	2
जोड़	140	169

टी०वी० चैनलों को कारण बताओ नोटिस

***210. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का उल्लंघन करने के लिए टेलीविजन चैनलों को कारण बताओं नोटिस जारी किये हैं जैसा कि दिनांक 20 जून, 2006 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, आज की तारीख तक कितने नोटिस जारी किये गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन की जांच करने के लिए निजी सैटलाइट चैनलों और स्थानीय केबल चैनलों की निगरानी के लिए निगरानी समितियों के गठन के निदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इस समितियों का गठन कर दिया है; और

(ङ) सरकार ने सेवाओं की प्रसारण विषयवस्तु के विनियमन के लिए और क्या कदम उठाए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) दिनांक 20 जून, 2006 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित 150 कारण बताओ नोटिसों के समाचार के विपरीत वर्ष 2004-06 (आज तक) की अवधि के दौरान सरकार ने कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का उल्लंघन करने पर विभिन्न टेलीविजन चैनलों को 195 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

(ग) जी, हां। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 6 और 7 में यथा परिभाषित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों पर स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेने अथवा इनकी जांच करने हेतु राज्य और जिला स्तर पर निजी टेलीविजन चैनलों के लिए मॉनीटरिंग समितियों का गठन करने हेतु दिनांक 6 सितंबर 2005 को आदेश जारी किए गए थे। इसकी प्रति संलग्न विवरण में दी गई।

(घ) अब तक 14 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र ने मॉनीटरिंग समितियों के गठन करने की सूचना दी है। ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिला स्तर की मॉनीटरिंग समितियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	बंगाल	1
5.	गुजरात	4
6.	हरियाणा	1
7.	हिमाचल प्रदेश	2
8.	जम्मू एवं कश्मीर	2
9.	केरल	1
10.	लक्षद्वीप	1
11.	मध्य प्रदेश	44
12.	मेघालय	1
13.	पंजाब	2

1	2	3
14.	राजस्थान	3
15.	उत्तर प्रदेश	1

(ङ) केन्द्र सरकार ने कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की जांच करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के तहत एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। यह समिति स्वप्रेरणा से अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संहिता के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है और सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश करती है। संहिताओं का उल्लंघन करते हुए आपत्तिजनक कार्यक्रमों/विज्ञापनों का प्रसारण करने पर टी०वी० चैनलों को पहली बार कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाती है। मीडिया/उद्योग के परामर्श से स्व-विनियामन हेतु एक नई विषय-वस्तु संहिता तैयार की जा रही है। सरकार एक उपयुक्त विधान के माध्यम से प्रसारण सेवा विनियामक जो टी०वी० चैनलों पर विषय-वस्तु को विनियमित भी करेगा, की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

विवरण

2301/7/2003-बीसी-III
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रसारण (बी०सी०) स्कंध

दिनांक : 6 सितंबर, 2005

आदेश

विषय : राज्य और जिला स्तरों पर निजी टेलीविजन चैनलों के लिए मॉनीटरिंग समिति

जबकि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के अनुसार जिलाधिकारी या उप मंडलीय मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा उसकी स्थानीय अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर ''प्राधिकृत अधिकारी'' के रूप में पदनामित किया जाता है। और जबकि पूर्वोक्त केबल अधिनियम की धारा 11 और 12 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी को केबल टी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 और 6 के उल्लंघन अर्थात केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 94 के क्रमश: नियम 6 और नियम 7 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन हेतु केबल ऑपरेटर के उपस्कर को जब्त करने की शक्ति प्राप्त है। और जबकि यह ध्यान दिया गया है कि देश के कई भागों में उक्त अधिनियम का प्रवर्तन उनको लागू करने के ज्ञान या तंत्र के अभाव के कारण संतोषजनक नहीं है और जबकि विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 16 अप्रैल 2005 को आयोजित राज्य के सूचना मंत्रियों के 25वें सम्मेलन (सिमकॉन) में इस बात पर सर्व सहमति हुई थी कि केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियम, 1994 के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक प्रवर्तन तंत्र गठित करने की जरूरत है।

इसलिए, अब केबल अधिनियम एवं नियमावली को लागू करने के लिए राज्य, जिला/स्थानीय स्तर पर केबल टी०वी० चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों हेतु मॉनीटरिंग समिति को गठित करने का निर्णय लिया गया है। निर्णय के अनुसरण में निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति का एतद्द्वारा गठन किया जाता है :—

(i)	जिला अधिकारी (या पुलिस आयुक्त)	अध्यक्ष
(ii)	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(iii)	जिला जन संपर्क अधिकारी	सदस्य
(iv)	जिले के किसी एक महिला महाविद्यालय की प्राचार्या (जिला अधिकारी द्वारा चयनित किया जाना)	सदस्य
(v)	बाल कल्याण हेतु कार्यशील एक प्रमुख गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाना)	सदस्य
(vi)	महिला कल्याण हेतु कार्यशील एक प्रमुख और सरकारी संगठन का प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाना)	सदस्य
(vii)	शिक्षाविद/मनोवैज्ञानिक/समाजशास्त्री (जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाना)	सदस्य

उन शहरों के लिए, जहां पर पुलिस आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, वह समिति का अध्यक्ष होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार का निदेशक, सूचना एवं प्रचार या उसका नामिति समिति का सदस्य होगा। अन्य सभी सदस्यों को उपर्युक्त सूचीबद्ध विभिन्न श्रेणियों से पुलिस आयुक्त द्वारा नामित किया जाएगा।

नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। वे पुन:नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। नए कार्यकाल के लिए किसी नए सदस्य को नामित करके किसी भी रिक्ति को भरा जा सकता है।

इसलिए अब, यह मॉनीटरिंग समिति स्थानीय केबल चैनलों में प्रसारित और पुन:प्रसारित कार्यक्रमों में कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघनों के बारे में ''प्राधिकृत अधिकारी'' द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रकार की शिकायतों की समीक्षा व चर्चा करेगी या उनका स्व-प्रेरणा से संज्ञान होगी। समिति बैठक में उपस्थित अधिकांश सदस्यों की राय के अनुसार उल्लिखित

मामलों पर निर्णय लेगी। समिति इस बात का पता लगाएगी कि क्या संहिताओं का उल्लंघन हुआ है और "प्राधिकृत अधिकारी" को इस मामले में की जाने वाली आगे की कार्रवाई के बारे में सलाह देगा।

इसके अतिरिक्त, समिति उपग्रह चैनलों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों को अपर सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजेगी जो कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघनों की जांच करने हेतु केबल अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत गठित अंतर-मंत्रालयीय समिति का अध्यक्ष होता है।

स्थानीय केबल चैनलों या उपग्रह टी०वी० चैनलों पर प्रसारित स्थानीय प्रभाव डालने वाली विषय-वस्तु संबंधी मुद्दों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी पूर्वोक्त केबल अधिनियम की धारा 19 के अनुसार कार्रवाई करेंगे। तथापि, उपग्रह चैनलों पर प्रसारित अखिल भारतीय प्रभाव डालने वाली विषय-वस्तु संबंधी मुद्दों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

हस्ता०
(सीमा जैरे बिष्ट)
निदेशक (बी०सी०)
दूरभाष: 23381592

सेवा में,

1. **सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव**
2. **सभी जिलाधिकारी।**

प्रतिलिपि: निदेशक (बी०पी० एंड एल०) को सूचना एवं रिकॉर्ड हेतु।

विदेशी समाचार पत्र व पत्रिकाएं

***211. श्री संजय धोत्रे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) भारत में कितने विदेशी समाचार पत्र व पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है;

(ख) क्या इन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशन हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी विदेशी समाचारपत्र को भारत से प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी गयी है। तथापि, अभी तक अड़तालीस (48) विदेशी मैगज़ीन/पत्रिकाओं को भारतीय संस्करण निकालने की अनुमति दी गयी है।

(ख) और (ग) भारत से विदेशी समाचारपत्रों और मैगजीन/आवधिकियों/पत्रिकाओं के प्रकाशन हेतु मंत्रालय द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देश विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(i) समाचारपत्रों और समाचार एवं समसामयिक विषयों से संबंधित आवधिकियों के प्रकाशन

(ii) विदेशी समाचापत्रों के अनुलिपि संस्करणों के प्रकाशन के लिए दिशा-निर्देश

नई दिल्ली,
दिनांक: 31 मार्च 2006

प्रस्तावना

इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2005 को जारी पूर्व दिशा-निर्देशों के अतिक्रमण में संघ सरकार ने तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित बातों की अनुमति देने का निर्णय लिया है :-

(i) समाचारपत्रों और समाचार एवं समसामयिक विषयों से संबंधित आवधिकियों को प्रकाशित करने वाली भारतीय कंपनियों में प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 26% भाग तक के साथ-साथ मान्यताप्राप्त विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (जिसमें अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल है) कतिपय शर्तों के अध्यधीन ठोस प्रत्यय-पत्रों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विदेशी कंपनियों द्वारा ऐसे निवेश की अनुमति होगी।

(ii) विदेशी निवेश सहित या उसके बिना भारतीय कंपनियों द्वारा और मूल समाचारपत्र की विदेशी कंपनियों द्वारा भी विदेशी समाचारपत्रों का पूर्णरूप से या आंशिक रूप से अनुलिपि संस्करण निकालना बशर्ते कि उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में निगमित या पंजीकृत किया गया हो।

निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को एतद्द्वारा निर्धारित किया जाता है:-

1. आवेदन

(i) अपेक्षित दस्तावेज सहित विधिवत् रूप से भरे गए निर्धारित आवेदन पत्र की नौ प्रतियां सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएंगी।

(ii) 5000/-रुपये का आवेदन शुल्क वेतन एवं लेखा अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नाम से, नई दिल्ली में देय, बनाए गए डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा कराया जाएगा।

2. प्रकाशन का शीर्षक

अनुलिपि संस्करणों सहित मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार शीर्षक सत्यापन का कार्य प्रेस पंजीयक द्वारा किया जाता रहेगा।

3. पात्रता मापदंड

(क) समाचारपत्रों और समाचार एवं समसामयिक विषयों से संबंधित आवधिकियों को प्रकाशित करने वाली भारतीय कंपनियों में निवेश।

(i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति सिर्फ उसी संस्था को दी जाएगी जो बनाई हुई संस्था (जिसे एतद् पश्चात् नई संस्था कहा गया है) कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अधीन कंपनियां के पंजीयक के पास पंजीकृत कंपनी है।

(ii) विदेशी कंपनियों, एन०आर०आई०, पी०आई०ओ० आदि द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और मान्यता प्राप्त एफ०आई०आई० द्वारा पोर्टफोलियो निवेश सहित नई कंपनी की प्रदत्त इक्विटी के अधिकतम 26 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश की अनुमति दी जायेगी।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा निजी वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 के खंड 4 क में परिभाषित है, नई संस्थाओं को सिर्फ उन मामलों में अनुमति दी जाएगी जहां वृहदतम भारतीय शेयर धारक द्वारा धारित इक्विटी कुल इक्विटी, का कम से कम 51 प्रतिशत होगी। इस खंड में प्रयुक्त शब्द वृहदतम शेयरधारक में निम्नलिखित में से कोई या उनका संयोजन शामिल होगा :–

(1) व्यष्टि शेयरधारक की स्थिति में,

(क) व्यष्टि शेयरधारक

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 के खंड 6 में वर्णित शेयरधारक का कोई संबंधी

(ग) कंपनी/समूह जिसमें व्यष्टि शेयरधारक/ हि०अ०प० जिससे वे संबंधित है, का प्रबंधन और नियंत्रणकारी अभिरूचि है।

(2) भारतीय कंपनी की स्थिति में,

(क) भारतीय कंपनी

(ख) एक ही प्रबंधन तथा मलिकाना नियंत्रण के अधीन भारतीय कंपनियों का समूह

बशर्ते उपरोक्त उप खंड (1) तथा (2) में उल्लिखित किसी एक या सभी संस्थाओं के संयोजन की स्थिति में यह व्यवस्था हो कि नई संस्था के मामले में, प्रबंधन में अकेली इकाई के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक पक्ष को एक कानूनी बंधनकारी समझौता करना होगा।

(iv) नई संस्था की इक्विटी में 26 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का आकलन करते समय, नयी संस्था के भारतीय शेयरधारक कंपनियों की इक्विटी में विदेशी घटक, यदि कोई हो, यथानुपात आधार पर विधिवत गणना की जाएगी ताकि नई संस्था में कुल विदेशी निवेश का पता लग सके।

(v) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कम से कम 50 प्रतिशत नये इक्विटी जारी करके शामिल किया जाएगा। शेष जो कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 50 प्रतिशत है, मौजूदा इक्विटी के स्थानांतरण से किया जा सकता है।

(vi) नई संस्था के निदेशक मंडल के निदेशकों का कम से कम 3/4वां हिस्सा तथा सभी मुख्य कार्यकारियों व संपादकीय कर्मचारियों के भारतीय निवासी होने की स्थिति में अनुमति सशर्त होगी।

(ख) विदेशी समाचारपत्रों के अनुलिपि संस्करण

(i) किसी समाचारपत्र के अनुलिपि संस्करण को प्रकाशित करने को इच्छुक, विदेशी निवेश के साथ या उसके बिना किसी भारतीय कंपनी अथवा मूल विदेशी समाचारपत्र के स्वामित्व वाली किसी विदेशी कंपनी को उसके समाचारपत्र के अनुलिपि संस्करण को पूर्णरूप से या आंशिक रूप से प्रकाशित करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते

(क) इसे कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित और कंपनी पंयीयक के पास एक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया हो।

(ख) इसकी भारत में वाणिज्यिक उपस्थिति होने के साथ-साथ उसके व्यवसाय का प्रमुख स्थल भारत में होगा।

(ग) कि नई कंपनी के निदेशक मंडल के कम से कम तीन चौथाई निदेशक व सभी महत्वपूर्ण कार्यपालक व संपादकीय स्टाफ निवासी भारतीय हों।

(ii) भारत में किसी विदेशी समाचारपत्र के अनुलिपि संस्करण को प्रकाशित करने वाली कोई भी कंपनी सभी संगत कानूनों और भारतीय समाचारपत्रों व उनके प्रकाशकों के संबंध में लागू दिशा-निर्देशों के अध्यधीन होगी।

4. **बुनियादी शर्तें/कर्तव्य**

(i) निर्धारित अधिकतम सीमा के अध्यधीन सभी कंपनियों के लिए प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार और वित्त वर्ष के अंत में 15 दिन के भीतर विदेशी अंशधारिता पैटर्न में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सूचित करना अनिवार्य होगा।

(ii) सभी कंपनियों के लिए उपर्युक्त खंड 3 क (iii) में निर्दिष्ट सबसे बड़े भारतीय अंशधारक की अंशधारिता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।

(iii) सभी कंपनियां अपने निदेशक मंडल अथवा महत्वपूर्ण कार्यपालकों व संपादकीय स्टाफ की संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से 15 दिन के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इसके बारे में सूचित करेंगे। ऐसा परिवर्तन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्योत्तर अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

(iv) सभी कंपनियां वर्ष में 60 से अधिक दिनों के लिए परामर्शदाता (अथवा किसी अन्य हैसियत में) अथवा नियमित कर्मचारी के रूप में किसी नई संस्था में नियुक्त/संलग्न किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी विदेशी/अनिवासी भारतीय के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूर्वानुमति प्राप्त करेंगी।

(v) निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुलिपि संस्करणों की अनुमति दी जाएगी :–

(क) मूल विदेशी समाचारपत्र, जिसके अनुलिपि संस्करण को भारत में प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है, को मूल देश के विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन से प्रकाशित किया जा रहा हो और वह उस देश का एक मानक प्रकाशन हो और उसे विशेषकर भारतीय पाठकों के लिए तैयार न किया गया हो।

(ख) अनुलिपि संस्करण में भारतीय पाठकों के लिए लक्षित किसी भी प्रकार के विज्ञापनों का किसी भी रूप में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

(ग) अनुलिपि संस्करण में स्थानीय रूप से जनित किसी भी प्रकार की ऐसी विषयवस्तु/भारत-विशेष विषय-वस्तु का प्रकाशन नहीं किया जाएगा जिसका विदेशी समाचारपत्र के मूल संस्करण में समकालिक प्रकाशन न किया गया हो।

(घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुलिपि संस्करणों के प्रकाशन हेतु पूर्वानुमति प्राप्त की गई हो और शीर्षक को भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आर०एन०आई०) के पास पंजीकृत कराया गया हो।

(ङ) प्रकाशन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि यह पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से एक अनुलिपि संस्करण है और इसमें मूल विदेशी समाचारपत्र के मस्तूल शीर्ष, संपादकीय पृष्ठ, और प्रकाशन स्थल को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

5. **आवेदनों पर कार्रवाई**

(i) समाचारपत्रों और समाचार एवं समसामयिक विषयों से संबंधित आवधिकियों को प्रकाशित करने वाली भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेशों के लिए सभी नए आवेदन पत्रों तथा विदेशी समाचारपत्रों के अनुलिपि संस्करणों का प्रकाशन करने संबंधी प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाएगी और यथावश्यकतानुसार गृह मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ अन्तर-मंत्रालयीय परामर्श के आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में निर्णय लिया जाएगा।

(ii) आवेदक कंपनी आवेदन करते समय अंतिम रूप प्रदान किए गए या प्रस्तावित अंशधारक करारों और ऋण करारों के बारे में पूर्ण खुलासा करेगी। इनमें किसी भी प्रकार के अनुवर्ती परिवर्तन के बारे में किए गए ऐसे परिवर्तन से पंद्रह दिन के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को खुलासा किया जाएगा।

(iii) आवेदक कंपनी निर्धारित पात्रता मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपना संगम अनुच्छेद/ज्ञापन तैयार करेगी।

(iv) सभी कंपनियां, नई कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित अनिवासी भारतीय न होने वाले सभी व्यक्तियों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूर्वानुमति प्राप्त करेंगी।

(v) यदि समिति विदेशी निवेश के लिए अनुमति प्राप्त कर चुकी आवेदक कंपनी द्वारा उन निवेशकों को छोड़कर जिनके लिए विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है, निर्धारित सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है तो उसे निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा।

(vi) ऐसी आवेदक कंपनियों को, जिन्हें सीमित विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है और जो समग्र सीमा के भीतर एक ही निवेशक से और अधिक विदेशी निवेश करवाने के इच्छुक हैं, निर्धारित आवेदन पत्र में पुन: आवेदन करने की जरूरत नहीं है बशर्ते कि वे प्रारम्भिक अनुमति देने से 5 (पांच) वर्ष के भीतर अपने विदेशी निवेश में वृद्धि के लिए आवेदन करें और बशर्ते निदेशक मंडल या करार की शर्तों में कोई परिवर्तन न किया गया हो।

(vii) पिछली अनुमति की मंजूरी से 5 (पांच) वर्ष के पश्चात् उसी निवेशक से और अधिक निधीयन के लिए आवेदन करने वाली आवेदक कंपनियों को भी निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करने की जरूरत होगी।

(viii) अनुलिपि संस्करणों को प्रकाशित करने के इच्छुक सभी आवेदक अनुलिपि संस्करण को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रकाशित करने के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे। यदि मूल विदेशी समाचारपत्र के केवल एक भाग को प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है तो प्रत्येक पृष्ठ को एक भाग के रूप में माना जाएगा और प्रकाशित किए जाने वाले मूल विदेशी समाचारपत्र के पृष्ठों की सही स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।

विवरण-II

(i) विदेशी वैज्ञानिक तकनीकी तथा विशेषज्ञता वाली मैगजीनों/आवधिकों/पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन तथा

(ii) वैज्ञानिक, तकनीकी और विशेषज्ञता वाली मैगजीनों/आवधिकियों/पत्रिकाओं को प्रकाशित करने वाली भारतीय संस्थाओं में विदेशी निवेश के लिए दिशा-निर्देश।

प्रस्तावना :

केन्द्र सरकार ने विदेशी वैज्ञानिक, तकनीकी और विशिष्ट मैगजीनों/आवधिकों/पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन की अनुमति देने तथा वैज्ञानिक/तकनीकी तथा विशिष्ट मैगजीनों/आवधिकों/पत्रिकाओं को प्रकाशित करने वाली भारतीय संस्थाओं में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

1. **आवेदन**

(i) प्रकाशन के विषयों के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आवेदन करना होगा।

(ii) 5000/-रु० का आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वेतन एवं लेखा अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पक्ष में नई दिल्ली में देय जमा करवाना होगा।

2. **प्रक्रिया**

(i) प्रस्तावित प्रकाशन की वैज्ञानिक, तकनीकी और विशिष्ट मैगजीन/आवधिक/पत्रिका की श्रेणी का निर्धारण करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अंतर-मंत्रालयीय परामर्श करने के पश्चात् आवेदन पर कार्यवाही की जाएगी। जब आवश्यक होगा संबंधित मंत्रालयों/विशेषज्ञ निकायों के प्रतिनिधियों तथा भाषा विशेषज्ञों को भी उसके साथ संबद्ध किया जाएगा।

(क) उचित मामलों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुमोदन के अधीन और उनके अंतर्गत विदेशी पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए बने नियमों के अधीन स्वीकृति जारी करेगा या;

(ख) उचित मामलों में विदेशी निवेश के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र की एक-एक प्रति आर०एन०आई०/एस०आई०ए०/आर०बी०आई० तथा आवेदक को भेजी जाएगी।

(ii) यदि बाद में प्रकाशन (नों) के विषयों में कोई परिवर्तन होता है तो प्रकाशन (नों) को आवंटित श्रेणी में निर्धारण करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से समीक्षा करवानी होगी।

(iii) (क) जिन मामलों में एफ०डी०आई० और एफ०आई०आई० दोनों निवेश शामिल हैं वहां आवेदक को सूचना और

प्रसारण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् निकासी के लिए आई०पी०बी०/आर०बी०आई० से संपर्क करना होगा।

(ख) जिन मामलों में केवल पोर्टफोलियो निवेश शमिल है, आवेदक को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् अगली निकासी, यदि कोई हो तो, के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करना होगा।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय अनापत्ति प्रमाणपत्र देते समय औद्योगिक सहायता तथा भारतीय रिजर्व बैंक को कंपनी द्वारा निवेशित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश के मार्ग पर अनुज्ञेय शेष के विषय में सूचित करेगा।

3. प्रकाशन का शीर्षक

शीर्षक का सत्यापन प्रेस पंजीयक द्वारा वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार किया जाना जारी रहेगा।

4. विदेशी निवेश

(i) कंपनी को भुगतान की हुई इक्विटी का 100 प्रतिशत तक कुल विदेशी निवेश की अनुमति होगी। वित्त मंत्रालय के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पोर्टफोलियो विनिवेश के दिशानिर्देश लागू होंगे।

(ii) विदेशी निवेश से संबंधित सभी मामलों पर निर्धारित एजेन्सियों अर्थात एफ०आई०पी०बी० तंत्र और आर०बी०आई० द्वारा पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से सरकारी अनुमोदन के आधार पर एफ०डी०आई० द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

"प्रदूषण के प्रभाव"

***212. श्री हंसराज गं० अहीर :**
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक/रासायनिक संयंत्रों और खानों के कारण बढ़ते प्रदूषण से मानवीय जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभावों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारी उद्योगों/रासायनिक संयंत्रों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण की प्रतिशतता कितनी है;

(घ) देश में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अभी तक क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं;

(ङ) वर्तमान उपायों से प्रदूषण में कितने प्रतिशत की कमी पाई गई है; और

(च) कमियों को पूरा करने के लिए क्या उपाय शुरू किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) विभिन्न संस्थाओं द्वारा कुछ शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में रूग्णता भार से संबंधित अध्ययन किए गए हैं। प्रमुख जांच परिणामों में यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों/नियंत्रण दल की तुलना में प्रदूषित/शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में कुछ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त सांस की बीमारियां अधिक थी। यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि रूग्णता के मामलों की इस अधिकता का कारण औद्योगिक/रासायनिक/खनन कार्यकलाप है अथवा शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के खतरे का कारण अन्य स्रोत हैं।

(ग) प्रदूषण भार में विभिन्न उद्योगों के योगदान की प्रतिशतता निम्नानुसार है :—

— विविक्त पदार्थ भार के संदर्भ में वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग :

तापीय विद्युत संयंत्र	—	80%
चीनी	—	10%
सीमेंट	—	07%
अन्य	—	03%

— सल्फर डाई ऑक्साइड उत्सर्जनों के संदर्भ में वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

तापीय विद्युत संयंत्र	—	89%
इस्पात संयंत्र	—	05%
तेल शोधक कारखाने	—	03%
सलफ्यूरिक एसिड संयंत्र	—	02%
अन्य	—	01%

— वायु-केमिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड (बी०ओ०डी०) के संदर्भ में जल प्रदूषण भार में विभिन्न उद्योगों का योगदान :

मद्य निर्माण शालाएं	—	28%
कपड़ा उद्योग	—	26%

इंजीनियरी	–	15%
कागज और लुगदी	–	09%
अन्य	–	22%

(घ) प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए गए उपायों में शामिल हैं :–

– पर्यावरण और प्रदूषण उपशमन हेतु व्यापक नीति

– विकासात्मक परियोजनाओं के पर्यावरणीय मूल्यांकन को शासित करने हेतु पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकर अधिसूचना, 1994 प्रवृत्त है।

– 17 श्रेणियों के अंतर्गत अभिनिर्धारित किए गए 2672 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से 1963 उद्योगों ने आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं का प्रावधान कर लिया है, 329 उद्योग बंद हो गए हैं और 380 दोषी उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

– अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया गया है और प्रदूषण उपशमन हेतु कार्य योजनाएं तैयार की गई है।

– पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परियोजनाओं पर विचार करने के लिए एक पूर्वापेक्षा के रूप में 10.4.1997 से अनिवार्य आम सुनवाई की पद्धति शुरू की गई है।

– स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन

– साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्र (सी०ई०टी०पी०) लगाना।

(ङ) किए गए विभिन्न उपायों के परिणाम स्वरूप विविक्त पदार्थ के संदर्भ में औद्योगिक वायु प्रदूषण भार 3 लाख टन प्रतिदिन से घटकर 5400 टन प्रतिदिन तक हो गया है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड (बी०ओ०डी०) के संदर्भ में औद्योगिक जल प्रदूषण भार 9500 टन प्रतिदिन से घटकर 1700 टन प्रतिदिन तक रह गया है।

(च) प्रदूषण नियंत्रण हेतु शुरू किए गए/सोचे गए उपाय निम्नलिखित हैं :

– वायु और जल गुणता मॉनीटरी केंद्रों के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना;

– प्रदूषण भार मूल्यांकन और स्रोत संविभाजन अध्ययन;

– विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु सामूहिक दायित्व से संबंधित चार्टर (सी०आर०ई०पी०) का कार्यान्वयन।

[अनुवाद]

उपभोक्ताओं को जागरूक करना

***213. श्रीमती मनोरमा माधवराज :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकतर उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के बारे में जानकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा शुरू किया गया जागरूकता अभियान भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बागला समिति ने राज्य आयोगों के बढ़ते कार्यभार को देखते हुए वहां अतिरिक्त पद स्वीकृत करने की सिफारिश की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) जी, नहीं। उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने तथा उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न उपभोक्ता सूचनाओं के प्रसार के लिए भी देश भर में एक सुव्यवस्थित और सतत मल्टी मीडिया अभियान चलाता रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के बारे में देश में उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता इस तथ्य को देखी जा सकती है कि तीन स्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष तंत्र की स्थापना के बाद से इन मंचों में 26 लाख से अधिक मामले दायर किए गए हैं। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को दूरभाष द्वारा मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए स्थापित राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्प लाइन के साथ-साथ ऑन लाइन परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित उपभोक्ता ऑन लाइन संसाधन और सशक्तिकरण केंद्र (कोर) के जरिए उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की बढ़ती संख्या तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और सेक्टरों में उनका प्रसार भी देश में उपभोक्ता जागरूकता के बढ़ते हुए स्तर के साक्ष्य हैं। तथापि, देश में उपभोक्ता जागरूकता के स्तर को बढ़ाना एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए सतत आधार पर निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

(घ) से (च) बागला समिति ने मौजूदा कार्यभार और आने वाले वर्षों में प्रत्याशित कार्यभार को ध्यान में रखते हुए तीन स्तरीय उपभोक्ता मंचों के लिए स्टाफिंग पैटन के बारे में सिफारिशें दी। चूंकि राज्य

आयोगों और जिला मंचों की स्थापना और कार्यकरण के लिए राज्य सरकारें सांविधिक रूप से जिम्मेदार हैं इसलिए रिपोर्ट को उनके विचारार्थ परिचालित किया गया। राज्य आयोग और जिला मंचों की स्टाफिंग पैटर्न के बारे में निर्णय नीतिगत दिशानिर्देशों और बजट संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।

[हिन्दी]

समाचार पत्रों में अश्लीलता और अशिष्टता

***214. श्री सीता राम सिंह :**
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन संचार माध्यमों में अश्लीलता और अशिष्टता बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी समाचार पत्रों में बढ़ती हुई अश्लीलता को रोकने के लिए निदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रेस काउंसिल को और अधिक दाण्डिक शक्तियां प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) मीडिया में अश्लीलता और अभद्रता के मामले इस मंत्रालय की जानकारी में लाए गए हैं।

(ख) सर्वोच्च न्यायालय से कोई औपचारिक निदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारतीय प्रेस परिषद को और अधिक दांडिक शक्तियां उपलब्ध करवाने संबंधी प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन है।

"नई वन नीति"

***215. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन नीति, 1988 के अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या यह नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने अब नई वन नीति का प्रारूप तैयार किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) नई नीति के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 की उपलब्धियां अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं :

(ii) वन और वृक्ष क्षेत्र में वृद्धि।

(ii) संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की संलग्नता।

(iii) ग्रामीण और जनजातीय जनता की ईंधन की लकड़ी, चारा, लघु वनोत्पाद और छोटी इमारती लकड़ी की आवश्यकता को पूरी करना।

(iv) लघु वनोत्पाद के अधिकार प्रदान करके वन पर निर्भर समुदायों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाना।

(v) बाह्य-स्थाने और स्व-स्थाने संरक्षण उपायों के माध्यम से देश की जैव विविधता और आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करना।

(vi) देश में पर्यावरण और पारिस्थितिकीय स्थायित्व को बनाए रखाने में महत्वपूर्ण योगदान देना।

तथापि, निम्नलिखित बाधाओं के कारण राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के कुछ उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सके :

(i) चराई और आग सहित जीविय दबाव में वृद्धि।

(ii) अपर्याप्त वित्तीय संसाधन।

(iii) वनों की सुरक्षा के लिए मानव संसाधनों की कमी।

(iv) वन और वन्यजीव अपराधों में वृद्धि।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता। राष्ट्रीय वन आयोग ने राष्ट्रीय वन नीति, 1988 पर कायम रहने की सिफारिश भी की है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

जैव खेती संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम

*216. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जैव उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई०सी०ए०आर०) ने मृदा की उर्वरता के संरक्षण हेतु सरकार से क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी हां, जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान 57.05 करोड़ रुपये के परिव्यय से देश में जैविक खेती के उत्पादन, संमवर्धन और विपणन विकास के लिये एक पायलट परियोजना के रूप में ''राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना'' संवर्धन नामक एक केन्द्र क्षेत्रीय योजना शुरू की गई है। इस योजना के मुख्य घटक निम्नलिखित है :–

(I) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से क्षमता निर्माण।

(II) फल/सब्जी के कचरों के कम्पोस्ट/जैव उर्वरक/वर्मीकल्चर हैचरियों के जैविक आदान ईकाईयों की स्थापना।

(III) प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रदर्शन।

(IV) जैविक खेती से सम्बन्धित विपणन विकास और संवर्धन।

इसके अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए०पी०ई०डी०ए०) द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसमें निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं :–

(i) जैविक उत्पादन एवं प्रमाणीकरण योजना के लिये राष्ट्रीय मानक तैयार करना।

(ii) प्रमाणीकृत जैविक उत्पादों के निर्यात के लिये प्रक्रिया तैयार करना।

(iii) प्रमाणन एजेन्सियों को प्राधिकृत करना।

(iv) राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन०पी०ओ०पी०) के दस्तावेजों को अद्यतन करना।

(v) प्रशिक्षण के माध्यम से सामूहिक प्रमाणीकरण जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना।

इस राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत हासिल प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :–

(i) जैविक उत्पादों का निर्यात 2000-01 के 50.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-05 में 95.00 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

(ii) यूरोपीय समुदाय (यूनियन) के साथ व्यापार में सुधार लाने के लिये राष्ट्रीय मानदण्डों को स्वीकार करने के लिये यूरोपीय समुदाय आयोग द्वारा एक समकक्ष समझौता तैयार किया गया है और इसे यूरोपीय समुदाय आयोग द्वारा 28.06.2006 को इसे अधिसूचित कर दिया गया है।

(iii) संयुक्त राज्य के कृषि विभाग (यू०एस०डी०ए०) ने प्रमाणन निकायों को प्राधिकृत करने के लियेे०पी०ओ०पी० की तदनुरूपी आंकलन प्रणाली को स्वीकार कर लिया है। यू०एस०डी०ए० ने 16.02.2006 को अपनी स्वीकृति की अधिसूचना जारी कर दी है।

(iv) अपेडा ने प्रमाणन निकायों के रूप में विकास करने के लिये कई संगठनों को प्रशिक्षण दिया है। जिसके परिणामस्वरूप ऐसे ही पांच घरेलू संगठनों को प्राधिकृत किया गया है। इनसे प्रमाणन की लागत में कमी आने में सहयोग मिला है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) विविध कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों और फसल उत्पादन पद्धति के अंतर्गत बहुस्थानिक और दीर्घकालिक फील्ड प्रयोग करता है। इन प्रयोगों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मृदा की उर्वरता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित बहु आयामी रणनीति की वकालत करता है :–

(i) फार्म यार्ड खाद, कम्पोस्ट, कुक्कुट खाद, हरी खाद, फसल अपशिष्ट आदि के रूप में स्थानिक रूप से उपलब्ध जैविक खादों का समेकित प्रयोग।

(ii) हरी खाद के लिए फलियों (लग्यूमन), कवर की गई फसलों और चारा फसलों की खेती करना

(iii) वातावरण की नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को बढ़ाने के लिए और मृदा में बैक्टीरियल सोल्युबिल फास्फोरस को बनाये रखने के लिये माइक्रोबियल कल्चर का प्रयोग करना।

(iv) मृदा परीक्षणों और फसल की जरूरतों के आधार पर आवश्यक मृदा पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग।

(घ) आई०सी०ए०आर० की सिफारिशों के आधार पर सरकार समेकित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा दे रही है जिसमें शामिल है – जैविक खादों और जैव उर्वरकों के साथ तथा मृदा परीक्षण के आधार पर रासायनिक उर्वरकों का यथोचित प्रयोग शामिल है।

[अनुवाद]

लौह अयस्क का उत्पादन/निर्यात

***217. श्री आलोक कुमार मेहता :**
डा० के० धनराजू :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तारीख के अनुसार लौह अयस्क का राज्यवार कुल कितना भंडार उपलब्ध है;

(ख) क्या यह नई इस्पात नीति में प्रक्षेपित इस्पात के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लौह अयस्क के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क के निर्यात के लिए विभिन्न देशों के साथ देशवार कितने समझौते किए गए हैं;

(छ) निर्यात किए जा रहे लौह अयस्क की मात्रा की तुलना में देश में लौह अयस्क की कुल आवश्यकता/खपत कितनी है;

(ज) क्या लौह अयस्क और इस्पात की सीमित उपलब्धता के मद्देनजर सरकार का विचार मूल्य नियंत्रण तंत्र शुरू करने का है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जैसा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, नागपुर द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल्स ईयर बुक' 2005 में उल्लिखित है, दिनांक 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार देश में लौह अयस्क (हैमेटाइट तथा मैगनेटाइट) के कुल भंडार का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस समय लौह अयस्क के निर्यात पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(छ) पिछले 5 वर्षों की स्थिति निम्नानुसार है :–

(मात्रा: मिलियन टन)

वर्ष	घरेलू खपत	निर्यात
2001-02	41.36	41.64
2002-03	49.98	48.47
2003-04	51.62	62.57
2004-05 (अनंतिम)	54.00	78.14
2005-06 (अनंतिम)	58.00	89.27

(ज) से (ञ) लौह अयस्क और इस्पात की कीमतें नियंत्रणमुक्त हैं और ये बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। कीमत नियंत्रण तंत्र शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

दिनांक 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार भंडार/संसाधन

(मात्रा: मिलियन टन)

राज्य	भंडार		शेष संसाधन		योग		योग
	हैमेटाइट	मैग्नेटाइट	हैमेटाइट	मैग्नेटाइट	योग हैमेटाइट	योग मैग्नेटाइट	(हैमटाइट+ मैग्नेटाइट)
1	2	3	4	5	6	7	8
झारखंड	2544.78	2.98	499.68	6.93	3044.46	9.91	3054.37

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा	1822.31	–	1967.08	–	3789.39	–	3789.39
छत्तीसगढ़	664.59	–	1455.44	–	2120.03	–	2120.03
कर्नाटक	527.97	220.50	620.35	7663.35	1148.32	7883.85	9032.17
गोवा क्षेत्र	397.51	62.83	244.60	152.72	642.11	215.55	857.66
तमिल नाडु	–	–	–	481.88	–	481.88	481.88
आंध्र प्रदेश	15.493	–	124.523	1463.54	140.016	1463.54	1603.556
राजस्थान	2.018	047	17.426	522.55	19.442	522.60	542.042
अन्य	50.341	0.202	471.676	104.68	522.012	104.881	626.892
कुल योग	6025.01	286.559	5400.775	10395.65	11425.78	10682.21	22107.99

(स्रोत: इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस (आई०बी०एम०), नागपुर द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल्स ईयर बुक' 2005)

- प्रमाणित तथा संभावित संसाधनों के संदर्भ में भंडार।

प्रमाणित: पिटिंग, ट्रैंचिंग तथा ड्रिलिंग के जरिए लौह अयस्क भंडार प्रमाणित किए गए हैं। ड्राइंग बल्क सैम्पल द्वारा मैंटलर्जिकल तथा ओर ड्रैसिंग परीक्षण भी किया जाता है। इसके बाद हम पिट की सर्फेस लिमिट और बोटम, जहां तक लौह अयस्क का खनन किया जा सकता है, के बारे में जान सकते हैं।

संभावित: कोई गवेषण कार्य नहीं किया गया है या यह कार्य वाइडर एक्सप्लोरेशन ग्रिड पर किया गया है।

- शेष संसाधनों में फीजीबल, प्री – फीजीबल, मेजर्ड, इंडीकेटेड और इनफर्ड शामिल हैं।

विवरण-II

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान किसी दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

वर्ष 2006-07 में हस्ताक्षरित दीर्घकालिक समझौते निम्नानुसार हैं :–

क्र० सं०	देश	अवधि	दीर्घकालिक समझौते की अवधि
1.	जापान (5 इस्पात मिलें)	मई, 2006	वित्तीय वर्ष 2006-10
2.	दक्षिण कोरिया (1 इस्पात मिल)	जून, 2006	वित्तीय वर्ष 2006-10
3.	चीन (1 इस्पात मिल)	जुलाई, 2006	वित्तीय वर्ष 2006-10

[हिन्दी]

गेहूं के आयात में अनियमितताएं

*218. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री देविदास पिंगले :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एम०एन०सी०) तथा निजी उद्यमियों द्वारा सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) की घोषणा में विलम्ब और कम न्यूनतम समर्थन मूल्य दिये जाने के कारण भारी मात्रा में गेहूं की खरीद की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या गेहूं का आयात बाजार कीमतों से अधिक कीमतों पर किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त गेहूं के आयात के लिए कोई राजसहायता प्रदान की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आयातित गेहूं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान कीमतों पर वितरित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) गेहूं के लिए 650 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा 10.10.2005 को की गई थी। गेहूं की कम वसूली होने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए 21 अप्रैल, 2006 को 50 रुपये प्रति क्विंटल के प्रोत्साहन बोनस की घोषणा की गई। रबी विपणन मौसम 2006-07 के दौरान गेहूं की खरीदारी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित प्राइवेट व्यापारियों ने अधिक सक्रिय रूप से भाग लिया।

(ख) और (ग) बफर मानदंडों की तुलना में केन्द्रीय पूल में गेहूं के स्टाक की कमी और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया गया था। गेहूं का आयात करने के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा तीन निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया है। भारित औसत की स्वीकृत निविदा दरें निम्नानुसार हैं–

	निविदा-1	निविदा-2	निविदा-3
निविदा जारी करने की तारीख	10.02.2006	08.05.2006	12.06.2006
मात्रा (लाख टन)	5	8	22
भारित औसत संविदा मूल्य (सी० एंड एफ०-एफ०ओ०) (रुपये/टन)	7981	8804	9101

देश में अधिकांश राज्यों में संगत अवधि के दौरान ये मूल्य थोक मूल्यों से कम थे।

(घ) और (ङ) गेहूं के आयात का वित्त पोषण घरेलू वसूली के मामले की तरह बैंकिंग प्रणाली से नकद ऋण सीमा की उधारियों के जरिए किया जाएगा। आयातित गेहूं की आर्थिक लागत और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन जारी करने के समय बिक्री से हुई प्राप्तियों के बीच का अंतर खाद्य राजसहायता के रूप में भारतीय खाद्य निगम को रिलीज किया जाएगा।

(च) और (छ) आयातित गेहूं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मौजूदा केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी किया जा रहा है, ये मूल्य निम्नानुसार हैं :–

(रुपये प्रति क्विंटल)

श्रेणी	गेहूं
गरीबी रेखा से ऊपर	610
गरीबी रेखा से नीचे	415
अंत्योदय अन्न योजना	200

[अनुवाद]

"'बंगाल टाइगर्स' की गणना"

***219. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आई०एस०आई०) तथा वन विभाग ने सुन्दरवन के रॉयल बंगाल टाइगर्स की अलग से गणना की है;

(ख) यदि हां, तो दोनों द्वारा की गई गणना के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा गणना में दिखाई गई टाइगर्स की संख्या 65 तथा वन विभाग द्वारा टाइगर्स की दिखाई गई संख्या 251 में बहुत अंतर है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सुन्दरवन के टाइगर्स के संबंध में की गई गणना में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान तथा भारत सरकार ने किस पद्धति का उपयोग किया है; और

(च) सुन्दरवन के रॉयल बंगाल टाइगर्स के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आई०एस०आई०) द्वारा सुन्दरबन बाघ रिजर्व में बाघों की कोई गणना नहीं की गई है। बाघ टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित बाघ परियोजना (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) और भारतीय वन्यजीव संस्थान के परस्पर सहयोगी अनुसंधान कार्य के माध्यम से राज्य वन विभाग ने अकेले ही बाघ आकलन, सहभक्षी, शिकार किए जाने वाले जानवरों और उनके पर्यावास के आकलन की संशोधित पद्धति के प्रथम चरण का कार्य किया है।

(ङ) बाघ आकलनों की संशोधित पद्धति में विभिन्न स्थानों पर स्कैट्स के डी०एन०ए० वर्गीकरण के अलावा कैमरा ट्रैप, मार्क कैपचर आंकड़ा फ्रेमवर्क पर आधारित कंप्यूटर आधारित पहचान तकनीक द्वारा पहचान निर्धारित करने के लिए पगमार्क की डिजीटल फोटोग्राफी और अन्य डाटा के साथ संबंध जैसे कि बाघ की उपस्थिति के वास्तविक चिह्न, बेस जैसी विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करके विभिन्न स्तरों पर बाघ के नमूने लेना और आकलन करना शामिल है। यह पद्धति राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा गठित बाघ टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित है। यह कार्रवाई अभी भी चल रही है और इसका केवल पहला चरण ही पूरा हुआ है। राज्य ने सूचित किया है कि बाघ आकलन हेतु पगमार्क विश्लेषण करने के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा अपना साफ्टवेयर अभी विकसित किया जाता है।

(च) बाघों सहित वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

बाघों और अन्य वन्यजीवों के बचाव और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

(i) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वन्यजीवों के शिकार और वाणिज्यिक विदोहन के संबंध में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) वन्यजीवों की विभिन्न दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में शामिल किया गया है। इससे उन्हें अधिकतम सुरक्षा मिली है।

(iii) वन्यजीवों (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 का संशोधन करके उसे और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराध के मामलों में सजा बढ़ाई गई है। इस अधिनियम में ऐसे किसी भी उपकरण, वाहन अथवा हथियार को जब्त करने का प्रावधान है जिसका इस्तेमाल वन्यजीव अपराध को करने के लिए किया गया हो।

(iv) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(v) वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए भारत सरकार ने देश के प्रमुख निर्यात केन्द्रों में वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है।

(vi) वन्यजीवों की प्रभावी सुरक्षा के लिए राज्यों की क्षमता और अवसंरचना को बढ़ाने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं-अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(vii) भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में जनवरी, 2002 में राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-16 बनाई गई है। यह योजना देश में वन्यजीवों के संरक्षण एवं बचाव के लिए कार्यनीति को रेखांकित करती है।

(viii) भारत सरकार, वन्य वनस्पतिजात और प्रणिजात के जैव विविधता संरक्षण और अवैध व्यापार के नियंत्रण से संबंधित कई अन्तरराष्ट्रीय कन्वेशनों की हस्ताक्षरकर्त्ता है।

(ix) वन्यजीवों के सीमा पारीय अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नेपाल और चीन गणराज्य के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(x) बाघ संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मामलों पर ध्यान देने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच बनाया गया है।

(xi) बाघ कृतक बल की अत्यावश्यक सिफारिशों के कार्यान्वयन और बाघ तथा अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) के सृजन के संबंध में कार्रवाई की गई है।

राष्ट्रीय जल नीति

***220. श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल नीति देश में सतही एवं भूमिगत जल संसाधनों के नियमन में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति में कतिपय खामियों की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय जल नीति को राज्यों द्वारा क्रियान्वित करने हेतु इसे और अधिक व्यावहारिक एवं स्वीकार्य बनाने, हेतु इसमें संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा राष्ट्रीय जल नीति, 2002 1 अप्रैल, 2002 को स्वीकार की गयी। राष्ट्रीय जल नीति में सतही और भूजल दोनों ही संसाधनों के विकास और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय जल नीति के संबंध में समय-समय पर अनेक लोगों से टिप्पणियां/विचार प्राप्त किए गए हैं और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इनकी भली-भांति जांच की गई है। इन विचारों की जांच से ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्रीय जल नीति में तत्काल परिवर्तन की आवश्यकता है। तथापि, राष्ट्रीय जल नीति में कहा गया है कि जब कभी आवश्यकता होगी इसकी आवधिक रूप से जांच कराई जाएगी।

राष्ट्रीय जल नीति में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इसकी सफलता, पूरी तरह से इसमें निर्धारित सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति राष्ट्रीय सर्वसम्मति और प्रतिबद्धता विकसित करने और उसे बरकरार रखने पर निर्भर करेगी। वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय जल नीति में समयबद्ध ढंग से एक प्रचालनात्मक कार्रवाई योजना से अनुसमर्थित राज्य जल नीति तैयार करने की संकल्पना की गई है।

"असम के वनों में कामकाज की परिस्थितियां"

1520. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने असम के वनों में कामकाज की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष के लिए असम सरकार ने केंद्रीय प्रायोजित एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम के तहत 600 लाख रु० के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अभी तक, उक्त योजना के तहत 10वीं योजना के दौरान 9.766 करोड़ रु० की राशि जारी की जा चुकी है। वर्तमान वर्ष के प्रस्ताव के लिए धनराशि तभी जारी की जाएगी जब राज्य सरकार जुलाई, 2006 में वार्षिक कार्यक्रम 2005-06 की दूसरी किस्त के रूप में जारी 150.27 लाख रु० की केंद्रीय सहायता का भरपूर उपयोग कर लेगी।

जीन क्रान्ति

1521. श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीन रिकम्बीनेशन टेक्नोलॉजी में देश में निकट भविष्य में गरीबी को समाप्त करने की क्षमता है; और

(ख) यदि हां, तो भारत में जीन क्रान्ति की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) बहुत सी वन्य एवं कृष्य किस्मों की विशेषताओं को एक नई उत्कृष्ट कल्टीवर में मिलाने से नई पौध किस्मों के विकास की बड़ी संभावना है। यह किसी प्रजनन कार्यक्रम में मार्कर की सहायता से बने चयन द्वारा निर्धारित आण्विक प्रजनन की प्रक्रिया के माध्यम से संभव है। मार्कर की सहायता वाले चयन आजकल एक प्रमुख उपकरण हैं जिसका उपयोग पौध प्रजनकों द्वारा किया जाता है क्योंकि यह काफी कारगर है तथा उन्नत पौध किस्मों की पहचान करने व उन्हें विकसित करने में इससे बहुत समय एवं ऊर्जा की बचत होती है। इस प्रक्रिया द्वारा उच्च उपज देने वाली किस्में विकसित की जा सकती है जिनमें जैविक व अजैविक दबावों की प्रतिरोधिता मौजूद हो। इसके फलस्वरूप, इन उपकरणों में भविष्य में देश की गरीबी उन्मूलन की क्षमता है।

जीन क्रांति लाने के लिए उन्नत विशेषताओं से युक्त आनुवंशिक रूप से सुधारी गई फसलों के विकास पर कार्य किया जा रहा है। उपयुक्त जीन पृथक्करण किया गया है और जीन कंसट्रक्ट तैयार किए गए हैं। विभिन्न फसलों में क्रियात्मक आनुवंशिक परिवर्तन वाले नयाचार विकसित किए गए हैं।

कीट-व्याधियों, फंगल और जीवाण्विक रोगों के प्रति रोधिता लाने के लिए जी०एम० फसलों जैसे कपास, चावल, ज्वार, मक्का, चना, अरहर, सरसों, टमाटर और बैंगन को विकसित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। कपास, सोयाबीन, मूंग, टमाटर, आलू, केला, पपीता एवं कसावा में विषाणु रोग प्रतिरोधिता को शामिल किया जा रहा है। चावल, गेहूं, सरसों और टमाटर में अजैविक दबाव प्रतिरोधिता के लिए पराजीनी का विकास भी किया जा रहा है। संकर बीज उत्पादन के लिए उन्नत हेटेरोसिस के साथ पराजीनी सरसों विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न पराजीनी परीक्षण के विभिन्न स्तरों पर है।

कुछ पराजीनियों जैसे कीट रोधिता के लिए कपास, चावल, बैंगन आलू में उन्नत प्रोटीन की गुणवत्ता, टमाटर का विषाणु और सूखा/लवणता रोधिता एवं सरसों की लवणता तथा सूखा दबावों के प्रति

सहिष्णुता के खेत परीक्षण जेनेटिक मेनिपुलेशन पर पुनरीक्षा समिति (आर०सी०जी०एम०) के अनुमोदन से किये जा रहे है।

बीटी कॉटन के कारण हानि

1522. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों के एक समूह द्वारा राज्यों में किए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान कर्नाटक में बी०टी० कॉटन उगाने वाले किसानों को भारी हानि उठानी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं और कर्नाटक में हानि उठाने वाले किसानों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) कर्नाटक के किसानों को इस संबंध में क्या मुआवजा दिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने यह जानकारी दी है कि किसी भी गैर-सरकारी संगठन से ऐसी कोई रिपोर्ट/जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु वृक्षारोपण लक्ष्य"

1523. श्री बालेश्वर यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 14 प्रतिशत भूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए इस प्रकार से वृक्षारोपण के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, 20-सूत्रीय कार्यक्रम-1986 की मद सं० 16क और 16ख के अंतर्गत राज्यों और संघ प्रदेशों के लिए वार्षिक आधार पर वृक्ष रोपण के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 2005-2006 के दौरान वृक्षारोपण के लक्ष्य और उपलब्धियां संलगन विवरण में दी गई हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई वन स्थिति रिपोर्ट, 2003 के अनुसार इन राज्यों का वन और वृक्ष क्षेत्र नीचे दिया गया है।

राज्य	वन और वृक्ष क्षेत्र	
	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी० में)	भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में
दिल्ली	268	18.08
हरियाणा	2,932	6.63
राजस्थान	24,464	7.15
उत्तर प्रदेश	21,833	9.06

विवरण

20-सूत्रीय कार्यक्रम — 1986 के अंतर्गत वृक्ष रोपण की प्रगति

राज्य/संघ शासित प्रदेश	लक्ष्य 2005-06		उपलब्धियां 2005-06	
	मद सं० 16क निजी भूमियों पर वृक्षारोपण (वृक्षों की सं० लाख)	मद सं० 16ख (पादप रोपण के तहत शामिल क्षेत्र) सार्वजनिक और वन भूमियां (हेक्टेयर)	मंद सं० 16क निजी भूमियों पर वृक्षारोपण (वृक्षों की सं० लाख)	मद सं० 16ख (पादप रोपण के तहत शामिल क्षेत्र) सार्वजनिक और वन भूमियां (हेक्टेयर)
दिल्ली	10	0	10.17	0
हरियाणा	375	26000	293.19	18648
राजस्थान	80	45000	121.01	59906
उत्तर प्रदेश	2500	100000	2702.00	40653

[अनुवाद]

सहकारी समितियों के लिए सहायता

1524. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता से संबंधित वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके लिए निर्धारित निबन्धन और शर्तों संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश सहकारी समितियों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा जारी वित्तीय सहायता को नीचे दर्शाया गया है :—

	लाख रुपये में
2003-04	4102.24
2004-05	7410.94
2005-06	11793.33

2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा जारी धनराशि का सहकारी समितिवार और परियोजना-वार ब्यौरा तथा उन शर्तों को जिन पर सहायता दी गई है क्रमश: विवरण-I, II और III में दर्शाया गया है।

विवरण-I

2003-04 के दौरान मध्य प्रदेश की सहकारी समितियों को रा०स०वि०नि० द्वारा जारी सहायता के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	सहकारी समिति का नाम	ऋण	सब्सीडी	योग	शर्तें	
					ब्याज दर	ऋण की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
क.	**केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्र क्षेत्रीय योजनायें**					
1.	समेकित सहकारी विकास परियोजना, राजगढ़	262.25	25.58	287.83	10.50%	8 वर्ष
2.	समेकित सहकारी विकास परियोजना, जबलपुर	246.27	4.58	250.85	10.50%	8 वर्ष
3.	समेकित सहकारी विकास परियोजना, छिंदवाड़ा	134.00	11.83	145.82	10.50%	10 वर्ष
4.	समेकित सहकारी विकास परियोजना, भिण्ड	191.00	7.26	198.26	10.50%	8 वर्ष
5.	समेकित सहकारी विकास परियोजना, रतलाम	262.50	2.66	265.16	10.50%	8 वर्ष
6.	समेकित सहकारी विकास परियोजना, सीधी	176.90	20.92	197.82	10.50%	10 वर्ष
7.	समेकित सहकारी विकास परियोजना, गुना	0.00	8.00	8.00	एन०ए०	एन०ए०
8.	सहकारी शीतगृह संस्था मर्या. राठ, गोदाम	0.00	4.99	4.99	एन०ए०	एन०ए०
9.	मां चामुण्डा शीतगृह सहकारी संस्था, मर्या. देवास-शीत गृह	0.00	24.00	24.00	एन०ए०	एन०ए०
	योग (क)	1272.91	109.81	1382.73		
ख.	**निगम प्रायोजित योजनाएं**					
1.	मध्य प्रदेश राज्य माइनर फारेस्ट प्रोड० का-आपरेशन फैडरेशन — वर्कींग कैपिटल लोन	2500.00	0.00	2500.00	10.00%	1 वर्ष
2.	मध्य प्रदेश स्टेट माइनर फारेस्ट प्रोड० का-आपरेशन फैडरेशन — गोदाम	7.38	0.00	7.38	10.50%	8 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7
3.	सहकारी शीत गृह संस्था मर्या० – राऊ गोदाम	9.99	0.00	9.99	11.00%	8 वर्ष
4.	जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री० प्रोड० सोसाइटी लि० – खारगौन-कताई मिलों का आधुनिकीकरण	159.65	0.00	159.65	11.00%	8 वर्ष
5.	मां चामुण्डा शीतगृह सहकारी संस्था मर्या० देवास-शीत गृह	42.50	0.00	42.50	9.00%	10 वर्ष
	योग (ख)	2719.51	0.00	2719.51		
	सकल योग (क+ख)	3992.43	109.81	4102.24		

एन०ए० – उपलब्ध नहीं।

विवरण-II

2004-05 के दौरान मध्य प्रदेश की सहकारी समितियों को रा०स०वि०नि० द्वारा जारी सहायता के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	सहकारी समिति का नाम	ऋण	सब्सीडी	योग	शर्तें	
					ब्याज दर	ऋण की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
क.	**केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्र क्षेत्रीय योजनायें**					
1.	समेकित सहकारी विकास परियोजना – छिंदवाड़ा	0.00	4.33	4.33	एन०ए०	एन०ए०
2.	समेकित सहकारी विकास परियोजना – राजगढ़	220.75	15.00	235.75	8.50%	8 वर्ष
3.	समेकित सहकारी विकास परियोजना – जबलपुर	250.00	25.00	275.00	8.50%	8 वर्ष
4.	समेकित सहकारी विकास परियोजना – भिण्ड	175.00	41.00	216.00	8.50%	8 वर्ष
5.	समेकित सहकारी विकास परियोजना – रतलाम	343.00	60.50	403.50	8.50%	8 वर्ष
6.	समेकित सहकारी विकास परियोजना – छिंदवाड़ा	83.02	7.82	90.84	8.50%	8 वर्ष
7.	समेकित सहकारी विकास परियोजना – गुना	0.00	7.00	7.00	एन०ए०	एन०ए०
8.	सहकारी शीतगृह संस्था मर्या० इन्दौर – गोदाम	0.00	3.50	3.50	10.50%	5 वर्ष
	कुल (क)	1071.77	164.14	1235.91		
ख.	**निगम प्रायोजित योजनाएं**					
1.	सहकारी शीतगृह संस्था मर्या०, राऊ – वर्कींग कैपिटल लोन	50.00	0.00	50.00	9.50%	1 वर्ष
2.	मध्य प्रदेश स्टेट माइनर फारेस्ट प्रोड० लि० – वर्कींग कैपिटल लोन	2500.00	0.00	2500.00	8.00%	–
3.	मध्य प्रदेश स्टेट माइनर फारेस्ट प्रोड० लि० – वर्कींग कैपिटल लोन	2500.00	0.00	2500.00	7.50%	1 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7
4.	जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री० प्रोड० प्रोसेसिंग सोसाइटी लि० — वर्कींग कैपिटल लोन	1100.00	0.00	1100.00	0.090	1 वर्ष
5.	सहकारी शीतगृह संस्था मर्या० इन्दौर — गोदाम	7.00	0.00	7.00	10.50%	5 वर्ष
6.	सहकारी शीतगृह संस्था मर्या० इन्दौर — कोल्ड स्टोरेज	18.03	0.00	18.03	10.50%	8 वर्ष
	योग (ख)	6175.03	0.00	6175.03		
	सकल योग (क+ख)	7246.80	164.14	7410.94		

एन०ए० — उपलब्ध नहीं।

विवरण-III

2005-06 के दौरान मध्य प्रदेश की सहकारी समितियों को रा०स०वि०नि० द्वारा जारी सहायता के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	सहकारी समिति का नाम	ऋण	सब्सीडी	योग	शर्तें	
					ब्याज दर	ऋण की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
क.	केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्र क्षेत्रीय योजनायें					
1.	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ लि० गोदाम	0.00	21.50	21.50	एन०ए०	एन०ए०
2.	नवल सिंह सहकारी साखर कारखाना गोदाम	0.00	11.09	11.09	एन०ए०	एन०ए०
3.	मध्य प्रदेश स्टेट माइनर फारेस्ट प्रोड० काआपरेशन फेडरेशन मार्जिन मनी	1600.00	400.00	2000.00	10.00%	5 वर्ष
4.	समेकित सहकारी विकास परियोजना राजगढ़	350.00	35.00	385.00	8.50%	8 वर्ष
5.	समेकित सहकारी विकास परियोजना रतलाम	75.00	0.00	75.00	8.50%	8 वर्ष
6.	समेकित सहकारी विकास परियोजना भिंड	300.00	0.00	300.00	8.50%	8 वर्ष
7.	सहकारी शीतगृह संस्था लि० इन्दौर — कोल्ड स्टोरेज	0.00	11.50	11.50	एन०ए०	एन०ए०
8.	जवाहरलाल नेहरू एग्री० प्रो० प्रोसैसिंग सोसाइटी ट्यूफस, इन्ट, सब्सीडी	0.00	6.60	6.60	एन०ए०	एन०ए०
	कुल (क)	2325.00	485.69	2810.69		
ख.	निगम प्रायोजित योजनाएं					
1.	मध्य प्रदेश स्टेट माइनर फारेस्ट प्रो० को-ऑप फेडरेशन — वर्कींग कैपिटल लोन	5000.00	0.00	5000.00	7.00%	1 वर्ष
2.	जवाहरलाल नेहरू एग्री० प्रोड० प्रोसेसिंग सोसाइटी — वर्कींग कैपिटल लोन	1400.00	0.00	1400.00	9.00%	1 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7
3.	सहकारी शीतगृह संस्था लि० इन्दौर – गोदाम	4.97	0.00	4.97	10.50%	8 वर्ष
4.	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ लि० गोदाम	43.00	0.00	43.00	10.50%	5 वर्ष
5.	नवल सिंह सहकारी साखर कारखाना गोदाम	22.20	0.00	22.20	10.50%	5 वर्ष
6.	न्यूनतर ब्याज दर पर बचे हुए सरकारी ऋण को समाप्त करना	2512.47	0.00	2512.47	8.50%	1-4 वर्ष
	योग (ख)	8982.64	0.00	8982.64		
	सकल योग (क+ख)	11307.64	485.69	11793.33		

एन०ए० – उपलब्ध नहीं।

"पोलावरम परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी"

1525. श्री तथागत सत्पथी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना को प्रदान की गई पर्यावरणीय मंजूरी पर आपत्तियां उठाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा सरकार ने परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा में क्षेत्र के जलमग्न होने की परिकल्पना पर आपत्ति उठाई है।

(ग) उड़ीसा सरकार की आपत्ति के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार को सूचित किया गया है।

"प्राणी उद्यानों संबंधी व्यय"

1526. श्री के०एस० राव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कितने प्राणी उद्यान है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार उनके प्रबंधन की क्या स्थिति है;

(ग) क्या सरकार का विचार पशुओं और पर्यटकों के लाभार्थ प्राणी उद्यानों में अनुसंधान की सुविधाओं के सृजन और उन उद्यानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र को भागीदारी करने के लिए आमंत्रित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) ऐसे 206 बड़े, मध्यम, छोटे, लघु बचाव केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ये चिड़ियाघर और सर्कस है, जिन्हें देश में वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम की धारा 38 ज के अंतर्गत चिड़ियाघरों राज्य सरकार, न्यास, नगर निगम और निजी व्यक्तियों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है और उनके रखरखाव पर व्यय संबंधित चिड़ियाघर प्रचालकों द्वारा उठाया जाता है। भारत सरकार केवल दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का रखरखाव कर रहा है पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय संलग्न विवरण पर दर्शाया गया है।

(ख) किसी भी चिड़ियाघर ने चिड़ियाघरों को मान्यता नियमावली, 1992 के अंतर्गत निर्धारित किए गए सभी मानदंडों और मानकों का अनुपालन नहीं किया है और इसलिए देश में चिड़ियाघरों को नियमों के अनुपालन में की गई प्रगति के आधार पर सशर्त मान्यता प्रदान की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

2003-2006 के बीच राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली का व्यय ब्यौरा

क्र० सं०	वर्ष	योजना व्यय (लाख रुपये में)	योजनेत्तर व्यय (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	2003-04	214.88	317.13

1	2	3	4
2.	2004-05	50.25	338.11
3.	2005-06	89.00	328.67

प्याज की खेती को बढ़ावा देना

1527. श्री सुब्रत बोस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में प्याज का निर्यात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक प्याज की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है तथा इस वर्ष की शेष अवधि के दौरान कितना निर्यात किए जाने का विचार है;

(ग) इस वर्ष प्याज का अनुमानत: कितना उत्पादन हुआ है और देश में राज्यवार विशेषकर पश्चिम बंगाल में कितने क्षेत्र में प्याज की खेती की जा रही है; और

(घ) सरकार द्वारा प्याज की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) विद्यमान विदेश व्यापार नीति के अनुसार प्याजों का निर्यात सरकार द्वारा नामित राज्य व्यापार उद्यमों (स्टेट ट्रेडिंग इन्टरप्राइसिस) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् किया जा सकता है।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2006-07 के दौरान (31.7.2006 तक) लगभग 300 करोड़ रुपए के मूल्य के 3.32 लाख मी० टन प्याज का निर्यात कर दिया गया है। वर्ष के शेष भाग के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) वर्ष 2005-06 में प्याज का उत्पादन लगभग 13.274 टन प्रति हैक्टेयर था। 2005-06 के दौरान प्याज का राज्यवार क्षेत्र उत्पादन और उत्पादकता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत सरकार प्याज बीज अवसंरचना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में बीज का उत्पादन और न्यून लागत वाली भण्डारण सुविधाओं का समर्थन करती है। किसान अपने निर्यातों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मण्डी तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए परिवहन सहायता स्कीम और विशेष कृषि उपज योजना जैसी स्कीमों को कार्यान्वित किया जाता है।

विवरण

प्याज का राज्यवार क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता

राज्य	क्षेत्र (000 हैक्टेयर)	अंशपूंजी %	उत्पादन (000मी० टन है०)	अंशपूंजी %	उत्पादकता (मी०टन/ हैक्टेयर)
आंध्र प्रदेश	22.050	4.85	197.000	3.26	8.934
बिहार	24.050	5.29	265.650	4.40	11.046
गुजरात	49.230	10.83	984.750	16.32	20.003
हरियाणा	13.050	2.87	257.000	4.26	19.693
कर्नाटक	41.640	9.16	306.600	5.08	7.363
मध्य प्रदेश	25.500	5.61	303.800	5.03	11.914
महाराष्ट्र	84.480	18.58	1661.00	27.53	19.661
उड़ीसा	55.500	12.21	473.00	7.84	8.523
राजस्थान	28.350	6.24	380.600	6.31	13.425
तमिलनाडु	24.000	5.28	251.100	4.16	10.463
उत्तर प्रदेश	53.650	11.80	562.00	9.31	10.475
पश्चिम बंगाल	17.000	3.74	190.00	3.15	11.176
अन्य	16.100	3.54	201.750	3.34	12.531
अखिल भारत	454.600	100.00	6034.250	100.00	13.274

स्रोत : एन०एच०आर०डी०एफ०, नासिक

खरीफ की खेती के अंतर्गत भूमि

1528. श्री ई०जी० सुगावनम :
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादवार, कितनी भूमि पर खरीफ की खेती की जाती है;

(ख) क्या सरकार ने देश के बहुत सारे भागों में देर से होने वाली मानसून वर्षा को गंभीरता से लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या बहुत से प्रभावित राज्यों ने अपने राज्य में खरीफ की फसल की बुआई के संबंध में चिंता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई आकस्मिक योजना तैयार की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) कृषि मंत्रालय में दिनांक 31 जुलाई, 2006 को आयोजित फसल मौसम निगरानी दल (सी०डब्ल्यू०डब्ल्यू०जी०) की साप्ताहिक बैठक में प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार खरीफ 2006-07 में कवर किया गया फसलवार क्षेत्र नीचे सारणी में दर्शाया गया है :—

(लाख हैक्टेयर)

फसल	कवर किया गया क्षेत्र	फसल	कवर किया गया क्षेत्र
चावल	192.64	उरद	16.85
ज्वार	29.35	मूंग	18.41
बाजरा	54.01	कुल दलहन	74.89
मक्का	64.10	मूंगफली	34.72
कुल मोटे अनाज	157.11	सोयाबीन	73.41
कपास	80.39	सूरजमुखी	6.47
गन्ना	44.45	राम तिल	10.74
अरहर	27.54	कुल तिलहन	129.19

(ख) और (ग) सरकार ने देश के कुछ भागों में विलम्ब से आने वाले मानसून को ध्यान में रखा है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीगढ़ में वर्षा की प्रमात्रा सामान्य से भी कम हुई थी जिससे कुछ फसलों की बुवाई प्रभावित हुई।

(घ) और (ङ) मानसून के विलम्ब से आने के कारण आकस्मिकता योजना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) द्वारा तैयार कर लिया गया है और उसे अपने वैबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। किसानों को परामर्श दिया है कि फसल पद्धति का विविधीकरण करे और सूरजमुखी, बाजरा, अरहर, कपास और गन्ना जैसी वैकल्पिक फसलें उगाएं।

पशुवध गृहों को हटाना

1529. **श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुवध गृहों को हटाने संबंधी महाराष्ट्र सरकार के अनेक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लम्बे समय से लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) ऐसे पशुवध गृहों का ब्यौरा क्या हैं जिनके स्थान परिवर्तन संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित किया जा चुका है; और

(घ) सरकार द्वारा लम्बित प्रस्तावों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात उत्पादन

1530. **श्री एस०के० खारवेनथन :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात का उत्पादन घरेलू जरूरतों से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान इस्पात संयंत्रों ने इस्पात के उत्पादन और बिक्री में उल्लेखनीय प्रगति की है;

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई और कितनी बिक्री हुई;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान विभिन्न देशों को इस्पात का निर्यात किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) और (ख) परिसज्जित (कार्बन) इस्पात की घरेलू आवश्यकता प्रत्यक्ष खपत के आंकड़ों में परिलक्षित हो रही है। देश में इस्पात का उत्पादन सदैव घरेलू मांग से अधिक रहा है। पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान परिसज्जित (कार्बन) इस्पात का उत्पादन और प्रत्यक्ष खपत निम्नानुसार है :—

(मिलियन टन)

वर्ष	उत्पादन	प्रत्यक्ष खपत
2003-2004	36.957	31.169
2004-2005	40.055	34.389
2005-2006 (अनंतिम)	42.737	38.112
2006-2007 (अप्रैल-जून, 06) अनंतिम)	10.634	08.534

(स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति)

(ग) और (घ) देश में परिसज्जित इस्पात के उत्पादन में वर्ष 2004-05 में 8.4 प्रतिशत तथा वर्ष 2005-06 में 6.4 प्रतिशत (अनंतिम) वृद्धि हुई है। पिछले दो वर्षों के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० (आर०आई०एन०एल०) जैसे सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों द्वारा विक्रेय इस्पात के उत्पादन और घरेलू बिक्री का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(हजार टन)

	विक्रेय इस्पात	2004-05	2005-06
सेल	उत्पादन	11317	12051
	घरेलू बिक्री	11029	11312
आर०आई०एन०एल०	उत्पादन	3173	3237
	घरेलू बिक्री	3064	3105

(स्रोत: सेल और आर०आई०एन०एल०)

(ङ) और (च) पिछले 3 वर्षों के दौरान इस्पात के देश-वार निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

लोहे और इस्पात का देश-वार निर्यात

(मात्रा: टन तथा मूल्य: लाख रुपए)

देश	कुल बिक्री (कच्चा लोहा और फैरो मिश्र सहित)			
	2005-06		2004-05	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5
आस्ट्रेलिया	46246	17369	30291	13184
बहरीन आईएस	10583	3216	7443	2563
बंगला देश	189826	37938	116394	21199
बेल्जियम	315640	78722	477184	143344
भूटान	29794	6547	25513	4972
कनाडा	12645	7964	22630	10775
चीन	527295	162869	744869	266635
कॉंगो पी आरईपी	9000	3355	4947	1974
डिजीबाउटी	117884	36530	78128	23696
ईथोपिया	2007	682	2098	727
फ्रांस	22754	8709	52507	17457
जर्मन एफआरईपी	36987	27527	31755	25629
घाना	29897	10870	29219	10309
ग्रीक	31401	9906	44496	13867
हांगकांग	60605	27727	48680	20400
इंडोनेसिया	277407	74334	200251	56533
ईरान	410254	63571	131456	41858
ईराक	381	125	1862	443
इटली	181375	56464	358078	115882
जापान	12861	2227	13218	3958
जोर्डन	7563	2293	2393	904
केन्या	45955	11519	21888	7617
कोरिया डीपीआरपीएफ	529	294	8364	2298
कोरिया आरपी	130999	33455	111158	37065
कुवैत	29402	8837	46859	14297
मेडागास्कर	9589	3098	5699	1909
मलेसिया	113066	24782	205132	36609

1	2	3	4	5
मौरीसस	2078	637	2655	824
म्यामार	71550	16406	34485	8131
मैक्सिको	5718	3620	7699	3567
नेपाल	64100	12801	94380	17895
नीदरलैंड	42656	17148	67752	21624
नाईजीरिया	58076	19208	35682	11169
ओमान	11343	3956	6789	1944
पाकिस्तान	26857	11613	10435	5466
पेरू	3706	1784	2636	1316
फिलीपाइंस	174640	40121	96965	28648
पुएट्रोरिका	0	0	66	29
सऊदी अरब	40616	13445	53305	13699
सिंगापुर	62664	20073	50082	18118
दक्षिण अफरीका	112905	35384	131276	39263
स्पेन	87649	25551	269250	81585
श्री लंका	246636	52221	91247	23361
सूडान	30839	9596	14043	4553
स्वीडन	4060	2630	1695	955
तन्जानियां गणराज्य	16751	4481	3649	1171
थाइलैंड	186991	36160	151535	33888
ताइवान	38900	12633	91273	30915
त्रिनिनाँड	7522	2229	5874	1642
तुर्की	16359	13241	17300	10990
युगांडा	1297	676	1417	548
यू अरब अमीराट्स	300447	90269	217655	72503
यू के	123630	38139	62510	23514
यू एस ए	644629	216130	820815	297975
वियतनाम सामाजिक गणराज्य	61482	21751	73084	27979
यमन गणराज्य	12286	3898	10547	3893
अन्य	317453	107677	180814	78515
योग	5435785	1554408	5429425	1761784

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

[हिन्दी]

पशु रोग

1531. श्री वी०के० ठुम्मर :
श्री हरि सिंह चावड़ा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर गुजरात राज्य सरकार से पशु रोगों को नियंत्रित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) सरकार को गुजरात राज्य से गोपशु रोगों को नियंत्रण के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, चालू केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात् (i) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ए०एस०सी०ए०डी०), (ii) खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफ०एम०डी०-सी०पी०) तथा (iii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एन०पी०आर०ई०) के तहत धनराशि जारी करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान गुजरात के लिए जारी तथा पुनर्वैधित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात् (i) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ए०एस०सी०ए०डी०), (ii) खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफ०एम०डी०-सी०पी०) तथा (iii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एन०पी०आर०ई०) के तहत विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान गुजरात सरकार को जारी तथा पुनर्वैधित धनराशि का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

योजना का	2003-04			2004-05			2005-06			2006-07		
नाम	पुनर्वैधीकरण	जारी	कुल	पुनर्वैधीकरण	जारी	कुल	पुनर्वैधीकरण	जारी	कुल	पुनर्वैधीकरण	जारी	कुल
एएससीएडी	1.885	246.715	248.800	82.802	439.37	522.172	162.61	293.00	456.61	84.11	200.00	284.11
एफएमडी-सीपी	0.000	88.000	88.000	0.000	150.00	150.00	0.00	80.00	80.00	36.80	0.00	36.80
एनपीआरई	12.090	25.000	37.09	10.200	20.00	30.20	8.41	30.00	38.41	19.36	0.00	19.36

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजना हेतु पैकेज

1532. **श्री असादूद्दीन ओवेसी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हाल ही में कृषि मंत्री से मुलाकात की थी और राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वियन और कृषि संकट से निपटने के लिए 70,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश की मांग पर क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के उन 16 जिलों को अभिज्ञात किया है जहां किसानों की आत्महत्या की घटनाएं अत्यधिक हुई हैं यथा-आदिलाबाद, अनन्तपुर, चित्तूर, कडप्पा, गुन्टूर, करीमनगर, खम्मम, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नैलोर, निजामाबाद, नालगोंडा, प्रकाशम, रंगारेड्डी और वारंगल में किसानों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों में सुधार लाने के लिए 51856.36 करोड़ रुपये के पुनर्वास पैकेज को प्रस्तुत किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस संबंध में कृषि मंत्री जी के साथ बैठक की थी। पैकेज में अन्य बातों के साथ इन अभिज्ञात जिलों में विकासशील आश्वास्त सिंचाई सुविधाओं के लिए भी सहायता शामिल है। सरकार महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के लिए हाल ही में घोषित पैकेज की पद्धति के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए पैकेज को अन्तिम रूप दे रही है।

"पोज़िट्रा पत्तन को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति"

1533. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोज़िट्रा पत्तन (गुजरात) को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दिया जाना अभी भी लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पोज़िट्रा पोर्ट, गुजरात से पर्यावरणीय मंजूरी के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

"वन भूमि का अन्यत्र उपयोग"

1534. **श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में परियोजना-वार कितनी विकास परियोजनाओं में वन भूमि का अन्यत्र उपयोग किया गया है; और

(ख) उन सभी परियोजनाओं का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है जहां प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) छत्तीसगढ़ में विकासीय परियोजनाओं जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान वन भूमि के वनेतर उपयोग की अनुमति दी गई है, की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) प्रतिपूरक वनीकरण की शर्त, गैर वन भूमि पर उसके बराबर के क्षेत्र पर या गैर वानिकी उपयोग के लिए वनेतर उपयोग के लिए दी जाने वाली वन भूमि से दुगने क्षेत्र पर लगाई जाती है। प्रतिपूरक वनीकरण राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत पर किया जाता है और प्रतिपूरक वनीकरण के क्षेत्र-वार एवं परियोजना-वार ब्यौरे राज्य सरकार द्वारा रखे जाते हैं। 25.10.1980 से अभी तक राज्य सरकार ने 32,444.356 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण किया है।

विवरण

क्र० सं०	प्रस्ताव का नाम	वनेतर उपयोग किया गया क्षेत्र (है०)
1	2	3
1.	दांतेवाड़ा जिला में बी०आर०ओ० द्वारा पट्टागुडम से जगदालपुर एन०एच०-16 को चौड़ा करना	473.42
2.	बस्तर जिले में जल संसाधन विभाग के पक्ष में नहर का निर्माण	0.82
3.	कारवधा जिले में जल संसाधन विभाग के पक्ष में नरसिंहपुर टैंक का निर्माण	13.00
4.	राजनन्द जिले में गाटापर गांव में गांजीगंजा टैंक परियोजना का निर्माण	14.08
5.	राजनन्द जिले में जल संसाधन विभाग के पक्ष में मोंगरा बैरेज (सिंचाई परियोजना) का निर्माण	140.00
6.	बिलासपुर जिले में जल संसाधन विभाग, मारवाही के पक्ष में चांदगिरी टैंक का निर्माण	19.90
7.	रायपुर जिले में हरदी गांव में नहर का निर्माण	2.759
8.	कबीरधाम जिले में सुतियापात मीडियम सिंचाई परियोजना	21.27
9.	बिलासपुर जिले में पुता टैंक परियोजना	23.074
10.	बिलासपुर जिले में पेंडरा रोड में, जल संसाधन विभाग के पक्ष में ओरापानी टैंक परियोजना का निर्माण	24.84
11.	रायपुर जिले में बगनाय सिंचाई परियोजना	25.00
12.	कोरिया जिले में सिंचाई विभाग के पक्ष में रातगा सिंचाई टैंक परियोजना	3.82
13.	बस्तर जिले में कनाएगुडम टैंक	33.64
14.	बिलासपुर जिले में जल संसाधन विभाग के पक्ष में गंगपुर टैंक का निर्माण	33.99
15.	बिलासपुर जिले में कामठी टैंक परियोजना	37.59
16.	बिलासपुर जिले में सिंचाई विभाग द्वारा सेमरहारा लघु सिंचाई टैंक का निर्माण	39.072
17.	बिलासपुर जिले में सिंचाई विभाग द्वारा चेरीचप्पर सिंचाई टैंक का निर्माण	4.75
18.	कोरिया जिले में पचनी टैंक स्कीम के बांध एवं नहर का निर्माण	43.747
19.	सरगुजा जिले में सावला टैंक परियोजना	56.68
20.	रायपुर जिले में पासीदा टैंक परियोजना	61.643
21.	बिलासपुर जिले में अपर खुजी सिंचाई परियोजना	66.2
22.	रायपुर जिले में पैरी घुमर में सिंचाई परियोजना	69.19
23.	रायपुर जिले में मिनीमाता हसदियो बंगों परियोजना के अंतर्गत खरासिया ब्रांच नहर का निर्माण	8.53
24.	कबीरधाम जिले में करनाला बैरेज परियोजना	85.698
25.	धामतारी जिले में बलोरा टैंक लघु सिंचाई स्कीम	90.67
26.	बस्तर जिले में चिपावण्ड गांव में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मुरम खनन	0.4
27.	बस्तर जिले में डिलमिली गांव में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पत्थर खनन	0.4
28.	बस्तर जिले में कार्यकारी अधिकारी, परियोजना कार्यान्वयन इकाई के पक्ष में ग्राम पिपरा में पत्थर उत्खनन	0.5

1	2	3
29.	बस्तर जिले में उड़िबापाल ग्राम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पत्थर उत्खनन	0.6
30.	बस्तर जिले में सदस्य सचिव, परियोजना कार्यान्वयन इकाई के पक्ष में दीही पारा गांव में पत्थर उत्खनन	0.92
31.	बस्तर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कराथी ग्राम में गिट्टी (पत्थर) उत्खनन	1.00
32.	बस्तर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पक्ष में गिट्टी खनन पट्टे का निर्माण	1.40
33.	दुर्ग जिले में स्टील आथारिटी आफ इंडिया की मयूरपानी खानों के लिए खनन पट्टा	100.00
34.	दुर्ग जिले में स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया के पक्ष में भिलाई स्टील प्लांट की पण्डरी दल्ली-राजहारा हिल माईन्स के लिए खनन पट्टा	100.76
35.	कंकर जिले में बरबास पुर ग्राम में कच्चे लोहे के खनन के लिए जीवन लाल जैन के पक्ष में खनन पट्टा	14.714
36.	जंजगीर जिले में प्रकाश इन्डस्ट्रीज लिमि० का कैपटिव कोल माईन प्रोजेक्ट	188.326
37.	रायगढ़ जिले में मै० एस०ई०सी०एल० को खनन पट्टा	19.00
38.	दुर्ग जिले में स्टील अथारिटी आफ इंडिया के पक्ष में भिलाई स्टील प्लाण्ट की दल्ली राजहारा माईन्स के लिए खनन पट्टा	283.6
39.	बस्तर जिले में माईनिंग कारपोरेशन, बस्तर द्वारा कोरनदम खनन पट्टे का नवीकरण	3.70
40.	कोरिया जिले में एस०ई०सी०एल० पश्चिमी चिरमीरी के पक्ष में ओपनकास्ट माईनिंग	30.55
41.	रायगढ़ जिले में जायसवाल एन०ई०सी०ओ० लिमि० को खनन पट्टा	419.887
42.	रायगढ़ जिले में मैसर्स जिन्दल पावर लिमि० को खनन पट्टा	48.208
43.	रायगढ़ जिले में मैसर्स ओ०सी०एल० इन्डिया लिमि० द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	9.80

1	2	3
44.	जिला रायगढ़ में मैसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमि० के पक्ष में उरधाना पहाड़ी सौर लाइट का निर्माण	0.64
45.	मैसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमि०, जिला सरगुजा के पक्ष में खनन के लिए पहुंच सड़क का निर्माण	1.04
46.	जिला रायगढ़ में एम०एस०पी० स्टील एण्ड पावर लिमि० के पक्ष में रेलवे साइडिंग का निर्माण	2.023
47.	जिला बिलासपुर में एन०टी०पी०सी० के पक्ष में सिपात एस०टी०पी०पी० से गतोरा रेलवे स्टेशन तक रेलवे लाइन	60.00
48.	जिला सरगुजा में भूमिगत जल की आपूर्ति (बोरहोल बनाने के लिए अनुमति) के लिए विश्रामपुर क्षेत्र में कुमदा न्यू लोंगवाल परियोजना	83.00
49.	जिला कोरबा में छत्तीसगढ़ राज्य विकास बोर्ड के पक्ष में पूर्व कोरबा के गांव रक्षीकटरा, छिरहुट, सयाहीमुदी में 2×(250-300) मैगावाट थर्मल पावर परियोजना	111.811
50.	जिला रायगढ़ में जिन्दल पावर लिमि० द्वारा 1000 मैगावाट थर्मल पावर संयंत्र के लिए कुरकुट नदी पर बांध का निर्माण	177.542
51.	जिला रायगढ़ में मोनेट इस्पात लिमि० के पक्ष में 11 कि०वाट ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	1.26
52.	जिला दुर्ग में सी०एस०ई०बी० द्वारा गुरुर से कन्केर तक 132 के०वी० इलैक्ट्रिक लाइन बिछाना	17.82
53.	जिला कबीर धाम में 765 कि०वाट 2×एस/सी सिपात-सिवनी ट्रांसमिशन लाइन के लिए अतिरिक्त भूमि	3.993
54.	जिला सरगुजा में 400 किलोवाट विंध्याचल कोरबा ट्रांसमिशन लाइन	324.432
	कुल	3,400.709

सीमेन्ट संयंत्र की स्थापना

1535. **श्री गणेश सिंह :**
श्री जुएल ओराम :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त सहयोग के अंतर्गत देश में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सतना, मध्य प्रदेश में बाबूपुर स्टील अथॉरिटी की खानों में एक सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई समझौता किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) समझौते के अंतर्गत निर्धारित शेयर पूंजी का प्रतिशत कितना है;

(च) प्रस्तावित संयंत्रों की अनुमानित लागत कितनी है; और

(छ) ऐसे सीमेन्ट संयंत्रों की स्थापना में कितना समय लगने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) से (घ) सरकार का देश में किसी संयुक्त सहयोग के तहत सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस्पात मंत्रालय में नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० (सेल) ने बाबूपुर (मध्य प्रदेश) और भिलाई (छत्तीसगढ़) में संयुक्त उद्यम में सीमेंट का उत्पादन करने के लिए एक नीतिपरक साझेदार के रूप में मैसर्स जय प्रकाश एसोसिएट्स की पहचान की है। उन्हें एक आशय पत्र (एल०ओ०आई०) दिनांक 26.6.2006 को जारी कर दिया गया है। समझौतों को निश्चित किया जा रहा है।

(ङ) प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में मैसर्स जय प्रकाश एसोसिएट्स लि० की साम्या 74 प्रतिशत और सेल की साम्या 26 प्रतिशत होगी।

(च) संयंत्र की लागत लगभग 600 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है।

(छ) आवश्यक सभी मंजूरियां के बाद सीमेंट संयंत्र स्थापित करने में अनुमानतः लगभग 37 माह का समय लगेगा।

[अनुवाद]

सुपर बाजार का पुनरुद्धार

1536. **श्री कुलदीप बिश्नोई :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में सुपर बाजार के लिए एक पुनरुद्धार योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तथा परिसमापन प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28.2.2006 के निदेशों के अनुपालन में उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सरकारी समिति ने सुपर बाजार को पुनर्जीवित करने के संबंध में 29.3.2006 को एक रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। मामला उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन है।

गांवों का पुनर्वास

1537. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर स्थित कुछ गांवों का पुनर्वास किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्व भूमि क्षेत्र का कोयना वन्यजीव अभयारण्य में विलय किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन गांवों के पुनर्वास हेतु कितनी भूमि की आवश्यकता है;

(ङ) क्या इन गांवों के पुनर्वास हेतु भूमि की पहचान कर ली गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या राज्य सरकार को पुनर्वास के लिए आवश्यक भूमि की कीमत अदा करने के लिए कहा गया है;

(ज) यदि हां, तो क्या वन्यजीव अभयारण्य में विलय की जा रही राजस्व भूमि पुनर्वास के लिए आवश्यक क्षेत्र से काफी अधिक है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अभयारण्य के अंदर स्थित, सतारा जिले के पाटन और जवाली तालुकों के 12 गांवों का पुनर्वास करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, हां। कोयना वन्यजीव अभयारण्य के 12 गांवों का पुनर्वास होने के बाद, इन गांवों की राजस्व भूमि का अभयारण्य में शामिल कर लिया जाएगा।

(ग) अभयारण्य में शामिल की जाने वाली राजस्व/निजी भूमि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) इन गांवों के पुनर्वास के लिए लगभग 1075.79 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।

(ङ) और (च) 12 गांवों में से पुनर्वास के लिए 9 गांवों की भूमि की पहचान की गई है शेष तीन गांवों अर्थात् तेले, डियुर और नाहिम्बे-अबेघर-नाहिम्बे शिरसिंज के पुनर्वास के लिए वन्यभूमि की पहचान करना प्रक्रियाधीन है।

(छ) जी, नहीं। कोयना वन्यजीव अभयारण्य में गांवों के पुनर्वास के लिए पहचान की गई भूमि, वनभूमि है, अतः पुनर्वास के लिए आवश्यक वन भूमि का मूल्य चुकाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ज) जी, हां।

(झ) अभयारण्य में शामिल की जाने वाली राजस्व भूमि और पुनर्वास के लिए आवश्यक भूमि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

कोयना वन्यजीव अभयारण्य में शामिल की जाने वाली राजस्व/निजी भूमि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	गांव का नाम	निम्न भूमि (हैक्टेयर)
1	2	3
1.	जाडोली	130.67
2.	किसरुल	12.28
3.	पुनवाली	142.66
4.	दिचोली	659.63
5.	नाहिम्बे-अंबेघर नाहिम्बे-शिरसिंज	56.46
6.	रवांडी	80.13
7.	अडोशी	52.94
8.	मडोशी	73.01
9.	कुसापुर	49.25
10.	खिरखिण्डी	133.00
11.	वेले	226.81
12.	दियुर	167.37
	कुल : 12	1784.19

विवरण-II

कोयना वन्यजीव अभयारण्य में शामिल की जाने वाली राजस्व भूमि और पुनर्वास के लिए आवश्यक भूमि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	गांव का नाम	पी०ए० में शामिल की जाने वाली निजी भूमि	पुनर्वास के लिए आवश्यक अनुमानित भूमि
1	2	3	4
1.	जाडोली	130.67	207.20
2.	पुनवाली	142.66	
3.	किसरुल	12.28	196.80
4.	दिचोली	659.63	
5.	नाहिम्बे-अंबेघर नाहिम्बे-शिरसिंज	56.46	163.60
6.	रवांडी	80.13	
7.	अडोशी	52.94	242.39
8.	मडोशी	73.01	
9.	कुसापुर	49.25	

1	2	3	4
10.	खिरखिण्डी	133.00	
11.	वेले एवं अन्य	226.81	265.80
12.	दियुर	167.37	
	कुल : 12	1784.19	1075.79

मिर्च की कीमतों में कमी

1538. श्री हितेन बर्मन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विशेष रूप से कर्नाटक में मिर्च का कुल कितना उत्पादन हुआ तथा राज्य-वार इसकी खरीद मूल्य कितनी है;

(ख) क्या देश में मिर्च के मूल्य में तेजी से कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान कर्नाटक समेत अखिल भारत में होने वाले मिर्च के उत्पादन का राज्यवार संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान खरीदी गई मिर्च को नीचे दर्शाया गया है।

वर्ष	राज्य	खरीद मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल)	खरीद की मात्रा
2003-04	आन्ध्र प्रदेश	2650	30,000
2004-05	आन्ध्र प्रदेश	2700 (उच्च गुणवत्ताप्रद) 2500 (साधारण गुणवत्ता वाले)	30,000
2005-06	मिजोरम	2800	1,250

अब तक, चालू वर्ष अर्थात् 2006-07 के दौरान मण्डी हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत मिर्च की खरीद के लिये किसी भी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(ख) और (ग) निम्न सारणी में प्रमुख उत्पादक राज्यों/केन्द्रों में वर्ष 2003 से 2005 के दौरान मिर्च के औसत मासान्त थोकमूल्य को दर्शाया गया है :-

(रुपये/क्विंटल)

राज्य और केन्द्र	औसत मासान्त थोक मूल्य		
	2003	2004	2005
कर्नाटक बंगलौर	4310	4728	2606
आन्ध्र प्रदेश गुन्टूर	4021	3383	2150
महाराष्ट्र नागपुर	3545	2337	1752
तमिलनाडु चैन्नई	3879	3421	2342
पश्चिम बंगाल कोलकाता	5200	4175	3063

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि उपर्युक्त सभी राज्यों और केन्द्रों में मिर्च के औसत मासान्त थोक मूल्य में गिरावट का रूख आया है। वर्ष 2005 के दौरान मिर्च के मूल्य में इसलिये गिरावट आयी है कि इस वर्ष इसकी मांग और आपूर्ति में साधारण तौर पर विचलन रहा है। क्योंकि केवल 2004-05 में ही मिर्च के उत्पादन में, मामूली तौर पर, गिरावट आयी थी।

(घ) मण्डी हस्तक्षेप योजना (एम०आई०एस०) के अंतर्गत, भारत सरकार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के अनुरोध पर मिर्च सहित कृषि और बागवानी जिंसों की खरीद करती है। मण्डी हस्तक्षेप योजना को इन जिंसों के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जाता है जिससे कि प्रचुरता वाले मौसम के दौरान जब बाजार मूल्य आर्थिक स्तर/उत्पादन लागत से नीचे आ जाते हैं तब उनको अपने उत्पादों को बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। मण्डी हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में नाफेड और राज्य नामित एजेन्सियां खरीद कार्य करती है।

विवरण

मिर्च का उत्पादन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	409	797.0	749.0
अरूणाचल प्रदेश	2.3	2.4	2.6
असम	10	9.7	9.2
बिहार	2.3	2.2	2.2
छत्तीसगढ़	5.7	4.2	3.3
गुजरात	10.5	8.4	5.7
हरियाणा	1.6	1.2	1.2
हिमाचल प्रदेश	0.1	0.1	0.1
जम्मू एवं कश्मीर	1	1.0	1.0
कर्नाटक	153.4	94.5	94.5
केरल	0.8	0.7	0.7
मध्य प्रदेश	31.7	38.4	39.6
महाराष्ट्र	53	44.0	44.0
मणिपुर	6.1	8.0	8.0
मेघालय	1.2	1.2	2.1
मिजोरम	0.9	0.8	0.8
नागालैण्ड	7.9	0.9	0.9
उड़ीसा	62.9	63.2	63.2
पंजाब	4.5	4.2	4.2
राजस्थान	15	31.4	31.1
तमिलनाडु	40.6	40.1	44.6
त्रिपुरा	2.4	2.3	2.3
उत्तर प्रदेश	10.8	12.8	12.8
पश्चिम बंगाल	60.5	66.3	61.4
अ० एवं नि० द्वीपसमूह	0.4	0.7	1.0
अखिल भारत	894.6	1235.7	1185.5

तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ना

1539. श्री मिलिन्द देवरा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का 395 टी०एम०सी० फीट (थाऊजेन्ड मिलियन क्यूबिक फीट) पानी छोड़ने से इन्कार कर दिया है जिसकी सिफारिश कावेरी जल विवाद अधिकरण द्वारा नियुक्त निर्धारकों द्वारा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मामले में हस्तक्षेप करके इसका समाधान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) कावेरी जल विवाद अधिकरण (सी०डब्ल्यू०डी०टी०) ने 10 मई, 2006 के एक आदेश द्वारा अपनी रजिस्ट्री को पक्षकार राज्यों को टिप्पणियों के लिए 5 सप्ताह के भीतर तथा अगली टिप्पणियों के लिए तीन सप्ताह के भीतर निर्धारकों की रिपोर्ट/टिप्पणियां उपलब्ध कराने का निदेश दिया है। पक्षकार राज्यों ने अपनी टिप्पणियां दायर कर दी हैं। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 10 जुलाई, 2006 को अपनी सुनवाई में पक्षकार राज्यों द्वारा दायर की गई टिप्पणियों/प्रति टिप्पणियों पर ध्यान दिया और अधिकार द्वारा इन टिप्पणियों/प्रति टिप्पणियों पर अगले आदेश सुरक्षित रखे गए हैं।

(ग) और (घ) सी०डब्ल्यू०डी०टी० का गठन, अंतर्राज्यीय जल विवाद (आई०एस०डब्ल्यू०डी०) अधिनियम, 1956 (जिसे अब आई०एस०आर०डब्ल्यू०डी०) अधिनियम, 1956 के रूप में जाना जाता है) के प्रावधानों के अंतर्गत जून, 1990 में किया गया था। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, आवश्यक जांच करने के पश्चात अधिकरण को इसमें पाये गए अनुसार तथ्यों को निर्दिष्ट करते हुए तथा इसे भेजे गए मामले पर अपना निर्णय देते हुए केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। केन्द्र सरकार अथवा कोई भी राज्य सरकार, अधिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट और निर्णयों पर अधिकरण से और स्पष्टीकरण अथवा मार्गदर्शन मांग सकती है। आई०एस०आर०डब्ल्यू०डी०

अधिनियम, में अधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा किसी खास ढंग से निर्णय देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्देश देने का कोई प्रावधान नहीं है।

बड़े तथा छोटे बांधों का निर्माण

1540. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान बड़े तथा छोटे बांधों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को दिए गए अनुमोदन तथा वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : चालू वर्ष के दौरान अनुमोदित वृहद सिंचाई परियोजनाओं की सूची नीचे दी गई है। लघु सिंचाई स्कीमों को अनुमोदन प्रदान करने के लिए राज्य सरकारें सक्षम हैं। इसलिए लघु सिंचाई स्कीमों की परियोजना रिपोर्टों को तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्र सरकार के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन, वित्तपोषण, प्रचालन और रखरखाव प्रमुखत: राज्य सरकारों का दायित्व है जो उनकी प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। यह मंत्रालय त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के तहत अनुमोदित वृहद/मध्यम लघु सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराता है। अब तक चालू वर्ष के दौरान ए०आई०बी०पी० के तहत राज्य सरकारों को वृहद/लघु बांधों के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

राज्य का नाम	क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुमोदन की तारीख
आंध्र प्रदेश	1.	पुष्कर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	27 जून, 2006
	2.	तोड़ीपुड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	27 जून, 2006
मध्य प्रदेश	1.	पेंच डाइवर्जन परियोजना	10 अप्रैल, 2006

खरीद मूल्य में बढ़ोतरी

1541. **श्री जी० करूणाकर रेड्डी :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) के माध्यम से वितरित की जाने वली गेहूं, चावल, चीनी तथा कई अन्य वस्तुओं के खरीद मूल्य में कई गुंना बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या खरीद मूल्य में बढ़ोतरी से इन वस्तुओं की खरीद पर असर पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मिनरल वाटर हेतु मानदंड

1542. **श्री जी०एम० सिद्दीश्वर :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार तथा ब्राण्ड-वार कुल कितनी मात्रा में मिनरल वाटर का उत्पादन तथा विक्रय किया गया;

(ख) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने मिनरल वाटर की गुणवत्ता के लिए विशिष्टताएं निर्धारित की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मिनरल वाटर में कीटनाशक तत्वों की अनुमत्य सीमा क्या है;

(घ) क्या ये मानदंड यूरोपीय मानकों के अनुसार हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन मानदंडों को यूरोपीय मानकों के अनुरूप बनान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो ने पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल के विनिर्माताओं को 7 लाइसेंस प्रदान किए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित प्राकृतिक खनिज जल के राज्यवार और ब्राण्डवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय मानक ब्यूरो ने आई०एस० : 13428 के अनुसार पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल की गुणवत्ता के लिए विशिष्टताएं निर्धारित की है जो उसमें ''पता लगाए जा सकने वाली सीमा से नीचे'' के रूप में कीटनाशकों की मात्रा के लिए सीमाएं भी निर्दिष्ट की गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य	लाइसेंसधारी का नाम	ब्रांण्ड का नाम	वार्षिक उत्पादन 2005-06	2004-05	2003-04
गुजरात	शिल्पी एंटरप्राइजेज, अहमदाबाद	आवा	अक्तूबर 05 से मार्च, 06 तक 639560 लीटर	शून्य	शून्य
उत्तर प्रदेश	मैसर्स मनवर मिनरल वाटर कम्पनी, बस्ती	लुम्बिनी	लाइसेंस हाल ही में प्रदान किया गया है। उत्पादन नहीं हुआ है। स्थापित क्षमता 5,60,000 लीटर की है।	शून्य	शून्य
हिमाचल प्रदेश	धरमपाल सत्यपाल लिमिटेड, कुल्लू	कैच, रोहतांक	56,68,268 लीटर	4121195 लीटर	3350132 लीटर
	जी०सी० बेवरेजेज प्रा०लि०, सोलन	नेचुरल स्प्रिंग, लाइफ स्प्रिंग	9,88,629 लीटर	628485 लीटर	253000 लीटर
	आद्या हिमालयन वाटर, सोलन	बिसलरी	लाइसेंस हाल ही में प्रदान किया गया है। उत्पादन नहीं हुआ है। चिह्नांकन अभी शुरू किया जाना है। स्थापित क्षमता 1,72,80,000 लीटर की है।	शून्य	शून्य
	माउन्ट एवरेस्ट मिनरल वाटर लिमिटेड, सिरमौर	हिमालयन	1,32,19,662 लीटर	10934828 लीटर	6051256 लीटर
	मनाली फूड एंड बेवरेजेज, कुल्लू	लाइफ	यूनिट में कोई उत्पादन नहीं होता। स्थापित क्षमता 9,00,000 लीटर	शून्य	शून्य

[हिन्दी]

बीड़ी कामगारों के लिए आवास इकाईयां

1543. **श्री फुरकान अंसारी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजीकृत बीड़ी कामगारों के लिए कार्यान्वित की जा रही 'एक परिवार एक आवास' योजना के अंतर्गत आवास इकाईयों के निर्माण हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में निकट भविष्य में कोई प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त योजना को चालू वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) से (ङ) जी, नहीं। ''एक परिवार एक आवास'' नाम से कोई ऐसी योजना न तो चलाई जा रही है ना ही विचाराधीन है। ''बीड़ी कामगारों आदि के लिए संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर०आई०एच०एस०) – 2005'' नामक एक योजना सरकार द्वारा 25 मई, 2005 से क्रियान्वित की जा रही है। कोई बीड़ी कामगार अथवा घरखाता कामगार, जो कम से कम एक वर्ष से बीड़ी उद्योग में लगा हो; जिसकी पारिवारिक मासिक आय 6500/- रुपये से

अधिक न हो और जिसके नाम से जमीन हो या राज्य सरकार/ग्राम सभा द्वारा आबंटित जमीन हो और जिसने आवेदन-पत्र के साथ संबन्धित जिले के जिला कलेक्टर अथवा उपायुक्त के पास कामगार अंशदान के रूप में 5000/- रुपये की राशि जमा करा दी हो, वह आर०आई०एच०एस०-2005 के अंतर्गत आवास इमदाद के रूप में 40,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है।

आयातित गेहूं में मिलावट

1544. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 22 लाख टन गेहूं के आयात हेतु निविदाओं में खरपतवार तथा कीटनाशकों की अनुमत्य सीमाओं में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पहले ही अनुमत्य सीमा तथा छूट के मानकों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या उक्त छूट प्लान्ट कारंटीन आर्डर, 2003 के निर्देशों का उल्लंघन करती है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त छूट दिए जाने के क्या कारण है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	मद	ढील देने से पूर्व सीमा	ढील दिए गए मानदंड
1.	संगरोध/बाह्य खरपतववार बीज	गेहूं संगरोध खरपतवार बीज से मुक्त होगा (पादप संगरोध (भारत में आयात का नियमन) आदेश, 2003, यथा-संशोधित की अनुसूची-8 के अनुसार)	गेहूं के पारेषण में विहित प्रक्रिया के अनुसार लिए गए प्रति 200 किलोग्राम के नमूने में औसतन 100 संगरोध खरपतवार बीजों (पादप संगरोध (भारत में आयात का नियमन) आदेश, 2003, यथासंशोधित की अनुसूची-8 के अनुसार) से अधिक नहीं होंगे।
2.	आर्जीमोन मैक्सिकाना और लेथिरस सेटीवस	गेहूं आर्जीमोन मैक्सिकाना और लेथिरस सेटीवस से मुक्त होगा	गेहूं व्यावहारिक रूप से आर्जीमोन मैक्सिकाना और लेथिरस सेटीवस से मुक्त होगा और यह आपूर्तिकर्ता द्वारा छानकर तथा अन्य उचित विधियों के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा।
3.	सह्य सीमा (मिग्रा०/किग्रा०) पीपीएम — कीटनाशक अवशिष्ट का अधिकतम		
	(i) काबारिल	1.5	2.0
	(ii) फेनिट्रोथिलोन	0.02	2.0
	(iii) हाइड्रोजन फास्फाइड	शून्य	0.1
	(iv) इनआर्गेनिक ब्रोमाइड	25.00	50.0
	(v) फास्फामिडान	0.05	0.1 कोडेक्स सीमा के अनुसार
	(vi) डाइथियोकार्बामेट्स	0.20	1.0

[अनुवाद]

गुजरात में एन०एच०एम० के अंतर्गत परियोजना

1545. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात विशेष रूप से जामनगर, राजकोट तथा पोरबंदर में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन०एच०एम०) के अंतर्गत हाई-टेक बागवानी के संबंध में कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) और (ख) सरकार को राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन०एच०एम०) के अंतर्गत गुजरात राज्य में बागवानी विकास कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक कार्य योजना प्राप्त हुई है। तथापि जामनगर, राजकोट और पोरबन्दर जिलों को एन०एच०एम० के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है।

(ग) वर्ष 2006-07 के लिए एन०एच०एम० की कार्यकारी समिति द्वारा वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित कर दिया गया है।

उड़ीसा में गेहूं का उत्पादन

1546. श्री जुएल ओराम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दसवीं योजना के दौरान उड़ीसा में गेहूं की खेती को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इसमें अभी तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) से (ग) उड़ीसा में गेहूं की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना नहीं चलाई जा रही है क्योंकि यह मुख्यतया एक चावल उत्पादक राज्य है। हालांकि, उड़ीसा में थोड़े पैमाने पर गेहूं की खेती की जाती है। सरकार गेहूं उत्पादकों को लाभ प्रदान करने के लिए उनको गेहूं के बीज एवं विस्तार सहायता प्रदान कर रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आधुनिकीकरण

1547. श्री बंसगोपाल चौधरी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेहतर उत्पादन और लाभ के लिए भेषज और उर्वरक क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आधुनिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण की गई परियोजनाएं एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया क्या है; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार के संयुक्त उद्यमों, कर्नाटक एन्टीबाओटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (के०ए०पी०एल०) बैंगलोर और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आर०डी०पी०एल०), जयपुर से केन्द्रीय औषध पी०एस०ईज० और संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से उनके संयंत्रों के आधुनिकीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय जी०एम०पी० दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। के०ए०पी०एल० के प्रस्ताव में 22.45 करोड़ रुपयों का खर्च शामिल है। योजना आयोग ने प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है। आर०डी०पी०एल० से 6.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले प्राप्त ऐसे ही प्रस्ताव की विभाग द्वारा जांच की जा रही है। रूग्ण औषध पी०एस०यूज० जैसे आई०डी०पी०एल० एवं बी०सी०पी०एल० के पुनर्वास एवं पुनर्जीवन के लिए भी प्रस्ताव हैं। सरकार ने हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एच०ए०एल०) की पुनर्वास योजना को अनुमोदित कर दिया है। एच०ए०एल० की पुनर्वास योजना की लागत 508.50 करोड़ रुपये अनुमानित है। इसमें से, 137.59 करोड़ रुपये नकदी के रूप में लगाए जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्रीय उर्वरक उपक्रमों के संबंध में, यूरिया इकाइयों के लिए मौजूदा प्रतिधारण मूल्य स्कीम के स्थान पर 1.4.2003 से लागू नई मूल्य निर्धारण योजना, जो एक प्रोत्साहन आधारित नीतिगत ढ़ांचा प्रदान करती है, सार्वजनिक क्षेत्रीय इकाइयों सहित यूरिया इकाइयों को उनके स्वयं के ऊर्जा दक्षता उपाय अपनाने और परिचालन दक्षता के परिणामस्वरूप लाभों को अपने पास रखने को प्रेरित करती है।

तमिलनाडु की सिंचाई योजनाएं

1548. श्री के०सी० पलनिसामी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के लिए अनुमोदित सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग योजना-वार कितनी राशि जारी की गई और चालू वर्ष में कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) विहित समय में कितनी योजनाएं पूर्ण हुई हैं और कितनी योजनाएं अभी पूर्ण होनी शेष हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के अधीन मंजूरी के निमित्त वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, ''सीधे कृषि से संबंधित जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और जीर्णोद्धार के लिए राष्ट्रीय परियोजना'' नामक मार्गदर्शी स्कीम के अधीन तमिलनाडु सरकार को निम्न तालिका में दिए गए ब्यौरों के अनुसार सहायता प्रदान की जा चुकी है :

क्र० सं०	जिले का नाम	जल निकायों की सं०	अनुमानित लागत रु० करोड़ में	अतिरिक्त क्षमता (हेक्टे० में)	केन्द्र का हिस्सा रु० करोड़ में
1.	शिवगंगई	8	1.222	153.23	0.458
2.	विल्लुपुरम	38	9.372	1178.15	3.5145

जैविक कृषि के लिए पैकेज

1549. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जैविक कृषि के लिए कोई विशेष पैकेज तैयार किया/अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग के कारण जैविक उत्पादों के निर्यात की अच्छी क्षमताएं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार गैर-सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ङ) यदि हां, तो उन एन०जी०ओ० की संख्या कितनी है जिन्होंने जैविक कृषि परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं; और

(च) मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) और (ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में जैविक खेती के उत्पादन, संवर्द्धन और विपणन विकास के लिए 57.05 करोड़ रुपये के परिव्यय से अक्तूबर 2004 से ''राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना'' नामक एक नई केन्द्र क्षेत्रीय योजना को पाइलट आधार पर चलाया जा रहा है जिसके निम्नलिखित घटक हैं :—

(i) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से क्षमता निर्माण

(ii) फलों/सब्जी कचरों के कम्पोस्ट, जैव उर्वरकों और वर्मीकल्चर हैचरियों के जैविक आदान ईकाईयों की स्थापना करना।

(iii) प्रमाणन एवं निरीक्षण एजेन्सियों/सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण, जैविक आदान प्रदान उत्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण, क्षेत्रीय कर्मचारियों/विस्तार अधिकारियों एवं किसानों को प्रशिक्षण।

(vi) वर्मी कम्पोस्ट/शहरी कम्पोस्ट समेत जैविक आदानों पर क्षेत्र प्रदर्शन, संवर्द्धित बायोगैस स्लरी का क्षेत्रीय प्रयोग और माडल जैविक फार्मों की स्थापना और

(v) विपणन विकास एवं संवर्द्धन

इस योजना के अंतर्गत क्रियान्वयनकारी एजेन्सियों को उनके प्रस्ताव के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अतः इसके लिए राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है।

इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2.83 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन से फसल उत्पादन पद्धति अनुसंधान संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के 13 केन्द्रों पर अनुसंधान कार्यक्रम का एक नेटवर्क तैयार किया है जिससे प्रमुख फसलों के लिए जैविक खेती के लिये प्रौद्योगिकी पैकेज को मानक स्तर का बनाया जा सके।

(ग) तीन मुख्य बाजारों यथा यूरोपीय यूनियन (ई०यू०), यूनाइटेड स्टेट्स (यू०एस०) और जापान को जैविक उत्पादों का काफी निर्यात किया जा सकता है। वर्तमान विश्व बाजार में इन देशों का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि लगभग 31 बिलियन अमेरिकी डालर के बराबर होता है।

(घ) से (च) ऊपर भाग (क) और (ख) में दर्शाये गये क्रियाकलापों के लिये एन०पी०ओ०एफ० के क्रियान्वयन में 'गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जा रहा है।

राष्ट्रीय जैविक कृषि कार्यक्रम (एन०पी०ओ०एफ) के अंतर्गत देशभर के कई गैर-सरकारी संगठनों ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। हालांकि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों समेत विभिन्न सरकारी संगठनों को, उनकी पात्रता जैसे कि अनुभव, जैविक खेती के लिए उनके पास उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं आदि को देखते हुए, वर्ष

2004-05 और वर्ष 2005-06 में क्रमशः 74.24 लाख रुपये और 275.18 लाख रुपये जारी किये गये।

क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय की स्थापना

1550. श्री अनन्त नायक : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विशेषकर उड़ीसा के क्योंझर में क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) और (ख) क्योंझर उड़ीसा में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है।

नए कार्यालयों को खोलने के प्रस्ताव आवधिक रूप से प्राप्त होते रहते हैं और उन पर अनुमोदित मानकों के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। राज्यवार प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अनुबंध (क)

राज्य	नए कार्यालय के लिए प्राप्त प्रस्ताव
1	2
आंध्र प्रदेश	खम्माम (आंध्र प्रदेश)
	विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)
	तिरूपति (आंध्र प्रदेश)
	करूनूल (आंध्र प्रदेश)
	उप्पल (आंध्र प्रदेश)
	विजयनगरम (आंध्र प्रदेश)
छत्तीसगढ़	भिलाई (छत्तीसगढ़)
	बिलास पुर (छत्तीसगढ़)
दिल्ली	ओखला (दिल्ली)
गुजरात	जामनगर (गुजरात)
	भरूच (गुजरात)
हरियाणा	अम्बाला (हरियाणा)
	हिसार (हरियाणा)
झारखंड	बोकारो (झारखंड)
कर्नाटक	मैसूर रोड (कर्नाटक)
	येलांका (कर्नाटक)
	तुम्कूर (कर्नाटक)
महाराष्ट्र	अंधेरी (महाराष्ट्र)
तमिलनाडु	नागरकोईल (तमिलनाडु)
	कन्याकुमारी
	इरोड़ (तमिलनाडु)
	होशूर (तमिलनाडु)
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
	गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार (पश्चिम बंगाल)
	हल्दिया (पश्चिम बंगाल)

[हिन्दी]

केन-बेतवा संपर्क की परियोजना रिपोर्ट

1551. श्री अशोक अर्गल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन-बेतवा लिंक संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी से संबंधित कार्य राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी (एन०डब्ल्यू०डी०ए०) को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन-बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता भी ली जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) केन-बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) तैयार करने के संबंध में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों तथा केन्द्र सरकार के बीच 25.8.2005 को एक समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस के बाद जल संसाधन मंत्रालय ने निर्णय लिया कि केन-बेतवा संपर्क संबंधी डी०पी०आर० एन०डब्ल्यू०डी०ए० द्वारा तैयार की जाएं।

(ख) और (ग) केन-बेतवा संपर्क की डी०पी०आर० तैयार करने के लिए एन०डब्ल्यू०डी०ए० को मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

अ०जा०/अ०ज०जा० के किसानों को राजसहायताएं

1552. श्री बाला साहिब विखे पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अ०जा०/अ०ज०जा० के किसानों को जल संचयन योजनाओं के लिए प्रदान की गई राजसहायता को सूखा प्रभावित क्षेत्र में छोटे एवं सीमांत किसानों तक बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कारीगरों को कितना लाभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) से (ग) भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने दसवीं पंचवर्षीया योजना के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अनु०जा०अनु०ज०जा०) के लिए केन्द्रीय प्रायोजित जल संचयन स्कीम को शुरू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य अ०जा०/अ०ज०जा० के किसानों को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उनकी वासभूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कवर करना है जो ऋण से जुड़ी स्कीमों से लाभ प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। स्कीम के अन्तर्गत जल संचयन ढांचों का निर्माण किया जाता है जिससे अ०जा०/अ०ज०जा० किसानों की आय अर्जन क्षमता बढ़ती है। स्कीम के अनुसार सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से 50% तक पूंजी सब्सिडी अधिकतम 15,000,00 रुपए तक उपलब्ध कराई जाती है और शेष 50% को 20,000.00 रुपए की औसत लागत से एक सिंचाई एकक को कवर करने के लिए बैंक ऋणों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

स्कीम को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इन बैंकिंग संस्थानों के पास आवश्यक अवसंरचना है और स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए क्षमताएं है तथा नाबार्ड से सब्सिडी के रूप में 50% की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। इस स्कीम से आश्वस्त सिंचाई के कारण अ०जा०/अ०ज०जा० के किसानों को उनकी राय की बढ़ोतरी का लाभ मिलता है। अ०जा०/अ०ज०जा० के किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए जल संचयन स्कीम में 10,000 संख्या में निर्माण करने के लिए 2006-07 के दौरान 20.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों यथा वर्षासिंचित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, (एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए०) (ii) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी (आर०वी०पी० और एफ०पी०आर०), के स्त्रवणक्षेत्रों में अवनत भूमियों की उत्पादकता बढ़ाना (iii) क्षारीय मृदा का उपचार (आर०ए०एस०), (iv) झूम खेती क्षेत्र में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यू०डी०पी०एस०सी०ए०), (v) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (vi) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०), (vii) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०), (viii) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०) और (ix) राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एन०ए०पी०) को भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/कार्यक्रमों के रूप में (100% केन्द्रीय सहायता से) कार्यान्वित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत जल संचयन के कार्यकलापों यथा फार्म पांडस, परकोलेशन टैंकों, खुदे हुए कुएं (डग-वैल्स), गाद अवरोधन ढांचे (सिल्ट डिटैन्शन स्ट्रकयरस), डग-आउट पॉड, गुली प्लगस, लाइव चैक डैमस, चैक डैमस, अर्थन गुली प्लगस, गैबियन चैक डैमस, ड्राप स्पिलवेज, ड्राप इनलैट स्पिलवेज, लूज बोल्डर स्ट्रकयरस, स्परस इत्यादि को किया जाता है। एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए० के अन्तर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में निजी भूमियों पर जल संचयन ढांचों का निर्माण किया जा सकता है जिसके लिए 90% सरकार राशि देती है और शेष 10% का अंशदान किसान से व्यक्तिगत रूप से लिया जाता है। अ०जा०/अ०ज०जा० के किसान के लिए यह अंशदान मात्र 5% है।

केन्द्रीय प्रायोजित कृषि बृहत प्रबन्धन स्कीम के कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी वर्गों के किसानों को पम्प सैट की खरीद के लिए लागत की 25% की दर पर अधिकतम 8000.00 रुपए की सीमा तक सब्सिडी के रूप में भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए० कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर कृषक परिवारों अर्थात कारीगरों इत्यादि के लिए भी आजीविका समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे कारीगरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्वत: सहायता समूह (एस०एच०जी०) बनाए जाते हैं। ऐसे कारीगरों की सहायता करने के विचार से 26,106 संख्या में एस०एच०जी० पहले ही बनाए जा चुके हैं।

पशु कल्याण संगठनों की स्थापना

1553. श्री जी०वी० हर्ष कुमार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की भारत को रेबीज मुक्त बनाने के लिए रेबीज रोधी टीके और पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों हेतु कोई योजना/भूमिका है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक तैयार किया गया ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण हेतु पशु कल्याण संगठनों की स्थापना तथा अभियान चलाने को प्राथमिकता दे रही है;

(घ) क्या भारतीय पशुचिकित्सा परिषद और राज्य सरकारों के सहयोग से एक संस्थागत सामंजस्य विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) भारतीय जीवजन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही 'आवारा कुत्तों का जन्म नियंत्रण और प्रतिरक्षण' स्कीम के माध्यम से रेबीज- रोधी टीकाकरण और पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों को जारी रखा जा रहा है। वर्तमान में, इस योजना को कार्यान्वित करने के अतिरिक्त रेबीज रोधी टीकाकरण और पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों का विस्तार करने हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 360 लाख रुपये की राशि दी गई है।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय, जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण हेतु कोई पशु कल्याण संगठन, गौशाला अथवा इकाई की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। जीवजन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण नियमावली, 2001 की शर्तों के अनुसार जीव-जन्तुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को जिला स्तर पर समितियां स्थापित करने का दायित्व सौंपा गया है।

तथापि, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्कीमों अर्थात् पशुओं की देखभाल हेतु शैल्टर हाऊस का प्रावधान, व्यथित पशुओं के लिए एम्बुलैंस सेवाएं प्रदान करना, आवारा कुत्तों का जन्म नियंत्रण और प्रतिरक्षण, प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों में पशुओं को राहत देने से संबंधित योजना और भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड की प्लान स्कीम के अंतर्गत निधियां प्रदान करके इन अभिकरणों के पशु कल्याण कार्यकलापों में समर्थन प्रदान किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों के लिए 1710 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(घ) और (ङ) संविधान की समवर्ती सूची में 'जीव जंतुओं के प्रति क्रूरता निवारण' एक विषय है। राज्य सरकारें और भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, जीव-जंतुओं के कल्याण से संबंधित विभिन्न पहलों में पहले से ही सक्रिया रूप से शामिल हैं।

[हिन्दी]

अपराधिक मामलों को वापस लेना

1554. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 84 और 85 के तहत दर्ज किए गए आपराधिक मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 84 तथा 85 के अंतर्गत दायर किये गये अभियोजन मामलों को वापिस लेने के लिए 01.08.2006 से 31.01.2007 तक 6 महीने की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर एक आम माफी योजना का प्रस्ताव करने का निर्णय लिया है अर्थात्

(क) मिथ्या घोषणा, जिसके कारण बीमित व्यक्ति को अधिक भुगतान कर दिया गया हो, के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत उसके विरूद्ध दायर किए गए मामलों को वापिस लेना (i) बीमित व्यक्ति/महिला को अदा की गई अधिक धनराशि को निगम को पूरा वापिस किए जाने पर तथा (ii) इस आशय की घोषणा किए जाने पर कि वह भविष्य में मिथ्या घोषणा नहीं करेगा/करेगी।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत निर्याजकों के विरूद्ध दायर मामलों को वापिस लेना (i) अभियोजन की अवधि के लिए सम्पूर्ण देयों की पूरी अदायगी करने तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85 के अन्य उपबंधों का अनुपालन करने पर (ii) नियोजकों द्वारा चूक की अवधि के लिए निगम को ब्याज तथा हरजानों का भुगतान करने पर तथा निगम को इस आशय की घोषणा करने पर कि वह भविष्य में अधिनियम के उपबंधों का नियमित रूप से अनुपालन करेगा/करेगी अथवा अन्यथा वह ऐसी आम माफी योजना का लाभ उठाने के अधिकार का पात्र नहीं होगा।

आम माफी योजना विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटाने तथा ऐसे न्यायालय मामलों में फंसे निगम के देयों की वसूली के लिए प्रारंभ की गई है।

[अनुवाद]

अदरक की कीमतें

1555. श्री पी०सी० थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अदरक की कीमतें तेजी से गिरी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा दिए गये आंकड़ों के अनुसार, दिए गये वर्षों/महीनों के लिए प्रमुख उत्पादक राज्यों/केन्द्रों में अदरक की नई किस्म के वार्षिक औसत मूल्य नीचे दिए गये हैं :—

(रुपये प्रति क्विंटल)

वर्ष/राज्य	केरल (कोझीकोड)	पश्चिम बंगाल (कोलकाता)	उत्तर प्रदेश (कानपुर)	हरियाणा अम्बाला)	दिल्ली
2003	1621	2027	1490	1856	2633
2004	3117	3758	2623	2839	4167
2005	2275	2645	2231	2619	4222
2006 (जून)	900	1063	2460	2300	3200

मांग और आपूर्ति परक कारकों के कारण राज्य दर राज्य और समय-समय पर अदरक के मूल्यां में उतार-चढ़ाव आया है।

अदरक एक बागवानी उत्पाद है जिसकी प्रकृति शीघ्र नष्ट होने वाली होती है। अदरक को मंडी हस्तक्षेप स्कीम (एम०आई०एस०) के तहत कवर किया जाता है। जब कभी ऐसी जिन्सों के मूल्य लाभकारी स्तर से नीचे गिर जाते हैं और किसानों को हानि होने की संभावना होती है और संकट में विक्रय करने के लिए मजबूर होते हैं तो इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे विशिष्ट प्रस्ताव भेजे। सरकार मंडियों में हस्तक्षेप करती है और संबंधित राज्यों के साथ परस्पर रूप से सहमत मूल्यों पर विशिष्ट प्रमात्रा की खरीद करती है। यदि कोई हानि होती है तो उसे 50:50 आधार पर बांटा जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अदरक की खरीद के लिए एम०आई०एस० को निम्नप्रकार से क्रियान्वित किया गया था।

वर्ष	राज्य	खरीद मूल्य (रु० प्रति क्विंटल)	खरीद के लिये अनुमत प्रमात्रा (मी० टन में)
2003-04	मिजोरम	400	15,000
2004-05	मिजोरम	500	5,900
2005-06	मिजोरम	500	6,400

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक किसी भी राज्य सरकार से एम०आई०एस० के अन्तर्गत अदरक की खरीद के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

एकीकृत मत्स्यन परियोजना स्लिपवे का अधिग्रहण

1556. श्री पी० करूणाकरन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोचीन पत्तन से एकीकृत मत्स्यन परियोजना (आई०एफ०पी०) स्लिपवे का अधिग्रहण के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजय सरकार के साथ कोई चर्चा की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन

1557. श्री उदय सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) का विचार केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और कम्प्यूटरों पर टी०वी० कार्यक्रम देने के लिए दूरसंचार लाईसेंस करार में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्प्यूटरों पर टी०वी० कार्यक्रमों की सुविधा से टी०वी० निर्माता कंपनियों और केबल ऑपरेटरों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस संबंध में ट्राई से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

किसानों की आत्महत्या संबंधी समिति की रिपोर्ट

1558. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा किसानों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों के कारणों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने किसानों द्वारा आत्महत्या के बढ़ रहे मामलों के कारणों की गहराई से जांच करने के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया है। प्रधान मंत्री कार्यालय (पी०एम०ओ०) के अनुरोध पर, योजना आयोग द्वारा एक 'फैक्ट फाइंडिंग टीम' का गठन किया गया था ताकि अन्य बातों के साथ-साथ महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में ग्रामीण विपदा को बढ़ाने वाले कारकों का पता लगाया जा सके और राज्य सरकार द्वारा घोषित मौजूदा राहत पैकेजों का अध्ययन किया जा सके तथा ग्रामीण विपदा के मामले पर बल देते हुए आवश्यक उपायों की सिफारिश की जा सके। टीम ने विभिन्न सिफारिशें की है जैसे – उचित बीजों का वितरण, परामर्शी तथा विस्तार सेवाएं, संस्थागत ऋण को समाप्त करना, अवैध साहूकारों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई, संस्थागत ऋण प्रवाह को सरल बनाना, जल संचयन और संरक्षण, क्षेत्रीय विकास योजनाएं, अधिप्रापण तथा मूल्य निर्धारण, कपास का मूल्यवर्धन, किसान, उत्पादकों को शक्तिसम्पन्न बनाना, अंशदान कोष तथा स्वसहाय्य समूह और फसल बीमा संबंधी प्रावधान।

प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्री के साथ 30 जून से 1 जुलाई, 2006 के दौरान महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावित जिलों को सहायता संबंधी एक विस्तृत पैकेज की घोषणा की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुकम्पा सहायता, किसानों को ऋण राहत, ऋण प्रवाह को बढ़ाना, ब्याज को समाप्त करना, सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं, बीज प्रतिस्थापना तथा फसलन प्रवलता, पनधारा विकास, बागवानी विकास, लघु सिंचाई, विस्तार सेवाएं और सब्सिडरी आय के अवसर शामिल है। पैकेज के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय और कृषि मंत्रालय कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घोषित किए गये पैकेज का लाभ पूर्ण रूप से और शीघ्रता से जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे।

प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों के अनुपालन में केरल राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ योजना आयोग की एक टीम ने दिनांक 7 से 11 जून, 2006 तक राज्य के वायनाड जिले का दौरान किया ताकि जिले में कृषि से जुड़ी विपदा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जा सके और उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया जा सके। टीम ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच की जा रही है।

कर्नाटक में समुद्र से भूमि कटाव

1559. श्री पी०सी० गद्दीगौडर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में समुद्र से होने वाले भूमि कटाव को रोकने के लिए कोई व्यापक योजना केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन हेतु लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो योजना को कब तक अनुमोदित कर दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज : (क) और (ख) प्रस्तावित राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (एन०सी०पी०पी०) में शामिल किए जाने के लिए कर्नाटक सरकार ने मार्च, 2002 में 135.95 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। चूंकि एन०सी०पी०पी० की आयोजना बाह्य वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए की गई है अत: जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया तटीय सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोण पत्रक आर्थिक मामला विभाग (डी०ई०ए०) द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए०डी०बी०) को भेजा गया है। ए०डी०बी० ने "एकीकृत तटीय प्रबंधन और संबंधित निवेश विकास" संबंधी तकनीकी अध्ययन के लिए भारत सरकार को तकनीकी सहायता देने का अनुमोदन कर दिया है।

बाघ अभयारण्यों की संख्या

1560. श्री फ्रांसिस फैन्थम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभयारण्यों में बाघों की संख्या विभिन्न आकलन एजेंसियों में अभिलेखों की संख्या से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी एजेंसी-वार तथा संख्या-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गलत आंकड़े दर्ज करने तथा संबंधित वित्तीय संसाधनों के उपयोग के लिए कार्रवाई शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) राज्य (राजस्थान) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरिस्का बाघ रिजर्व में बाघों के लुप्त होने और रणथम्भौर बाघ रिजर्व में बाघों की संख्या 2001-02 में 35 से कम होकर 2005 में 26 होने की सूचना है। यद्यपि राज्यों से बाघ रिजर्वों में बाघों की संख्या में कमी की कोई और सूचना प्राप्त नहीं हुई है फिर भी बाघ कृतक बल द्वारा अनुमोदित परिष्कृत कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए बाघ, सह परभक्षी एवं शिकारी जानवरों के चल रहे अखिल भारत आकलन से देश में राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों एवं बाघ रिजर्वों सहित बाघों की संख्या की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा।

(ग) और (घ) देशी एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ (आई०यू०सी०एन०) के संरक्षित क्षेत्रों पर विश्व आयोग द्वारा निर्धारित 45 मानदण्डों के आधार पर स्वतंत्र विशेषज्ञों के पैनल ने बाघ रिजर्वों का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन रिपोर्टों की आई०यू०सी०एन० द्वारा पुनरीक्षा की गई है जिसे संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

कृषि में पूंजी निर्माण के रूझान

1561. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि में पूंजी निर्माण के रूझानों को समझने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण का प्रतिनिधित्व करने वाले सूचकांक अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी उन्नत हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण के रूझानों की गति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी०एस०ओ०) द्वारा पूंजी निर्माण के रूझान जिसमें कृषि भी शामिल है, तैयार कर लिए गए हैं और जारी कर दिए गए हैं। 1999-2000 से 2004-05 की अवधि के दौरान उनके आंकड़ों के अनुसार अर्थव्यवस्था में कुल सकल पूंजी निर्माण की प्रतिशतता के रूप में (सतत 1999-2000 मूल्यों पर) कृषि में सकल पूंजी निर्माण विनिर्माण क्षेत्र के 45 और 47 प्रतिशत की तुलना में 10 और 8 प्रतिशत के बीच न्यून स्तरों पर रहा जबकि सेवाओं के क्षेत्र में 45 और 46 प्रतिशत रहा।

(ग) कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण की गति बढ़ाने के लिए उठाए गए प्रमुख नीति कदमों में शामिल हैं :—

- ''कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण'' स्कीम के अन्तर्गत कृषि मंडियों, विपणन अवसंरचना और अन्य समर्थन सेवाओं को आदर्श सार्वजनिक, निजी भागीदारी से विकसित किया जाता है जिसमें निजी और सहकारी दोनों क्षेत्रों को अत्यधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। राज्यों को उनके कृषि उत्पाद विपणन समिति (ए०पी०एम०सी०) में संशोधन करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिससे कि मण्डी विकास और ठेके पर खेती में निजी क्षेत्र के लिए विधिसम्मत गुंजाइश का सृजन हो सके।
- निजी क्षेत्र के निवेश को विशेषतौर पर कृषि अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, कटाई पश्चात प्रबन्धन और विपणन जैसे क्षेत्रों में प्रोत्साहन देना।
- सभी चालू सिंचाई परियोजनाओं, सिंचाई अवसंरचना का पुन: स्थापना और आधुनिकीकरण को जिसमें जल निकास भी शामिल है, को पूरा करना।
- आधुनिक वैज्ञानिक भण्डारण सुविधाओं का विकास करना जिससे किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित हो।
- उत्पाद क्षेत्रों में कृषि-प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना करना।
- तीन वर्षों में किसानों को ऋण प्रवाह दुगुना करने के उद्देश्य से व्यापक ऋण पैकेज का प्रचालन करना। इसके प्रमुख घटकों में किसानों को राहत संबंधी ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋणों की पुन: संरचना करना और छोटे एवं सीमान्त किसानों के पुराने और चिरकालिक ऋणों के निपटान के लिए एक बारगी व्यवस्थापन स्कीम तथा नई कृषि संबंधी परियोजनाओं में निवेश करना शामिल है।

सड़क निर्माण हेतु अनुरोध

1562. **श्री किन्जरपु येरननायडु :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वनों में कतिपय सड़कों के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आन्ध्र प्रदेश सहित कतिपय राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) वन क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली सड़कों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे एवं उनकी स्थिति नीचे दिए अनुसार है :

क्र०	प्रस्तावों का ब्यौरा	मंजूरी/मांगी गई सूचना की तिथि
I	**अंडमान एवं निकोबार द्वीप**	
1.	अंडमान एवं निकोबार लोक कार्य विभाग द्वारा ग्रेट निकोबार द्वीप में जोगिन्दर नगर से शास्त्री नगर तक सड़क का निर्माण	मूल्यांकन के लिए केन्द्र शासित प्रशासन से सूचना मांगी गयी
II	**मध्य प्रदेश**	
2.	धार जिला, मध्य प्रदेश में एन०ए०बी०ए०आर०डी० सड़क धर्मापुरी तारापुर मान्डव मुख्य सड़क	मूल्यांकन के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी गयी

(ग) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना प्राप्त होने के बाद उपर्युक्त परियोजनाओं पर यथा निर्धारित समय सीमा के भीतर मंजूरी प्रदान की जाती है।

केरल की बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

1563. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में बाढ़ नियंत्रण हेतु लगभग 47.33 करोड़ रुपये की लागत वाली कतिपय योजनाएं केन्द्र सरकार को भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को कब तक अनुमोदित कर दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग (सी०डब्ल्यू०सी०) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग को जल संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सी०एस०एस०) में शामिल किए जाने के लिए केरल सरकार से फरवरी, 2000 में 32.79 करोड़ रुपये की 20 स्कीमें प्राप्त हुई थी। इन स्कीमों की केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी जांच की गई थी और यह पाया गया कि 19 स्कीमें ऐसी थी जिनकी, प्रत्येक की, लागत 3.00 करोड़ रुपये से कम थी। इस प्रकार, योजना आयोग के निर्देशों के अनुसार, ये स्कीमें दसवीं योजना में शामिल करने के लिए पात्र नहीं पायी गई और 5.80 करोड़ रुपये की राशि वाली ''करमाना नदी के दोनों किनारों की सुरक्षा'' नामक स्कीम दसवीं योजना के वास्ते केन्द्र प्रायोजित स्कीम में इसे शामिल करने के लिए योजना आयोग को संस्तुत कर दी गई जिसे अन्य राज्यों की स्कीमों के साथ स्थायी वित्त आयोग (एस०एफ०सी०) द्वारा स्वीकृत किया गया था। तथापि, योजना आयोग ने 8.3.2004 को अपनी आंतरिक बैठक में दसवीं योजना में नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम की अधिकता से बचने के लिए इस स्कीम को पूर्ण योजना आयोग के अनुमोदन की सिफारिश नहीं की। केरल सरकार को माह अप्रैल, 2004 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अवगत करा दिया गया था। केन्द्रीय जल आयोग ने दिनांक 31.01.2005 के पत्र के तहत यह भी सूचित किया कि केरल सरकार से प्राप्त स्कीमों को लौटाया हुआ माना जाए।

[हिन्दी]

पनधारा कार्यक्रमों के लिए प्राधिकरण

1564. **श्री हरिसिंह चावड़ा :**
श्री जीवाभाई ए० पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पनधारा कार्यक्रमों के लिए अलग प्राधिकरण गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इससे क्या लाभ होने की संभावना हैं;

(ग) इस पर कितना खर्च आने की संभावना है; और

(घ) विद्यमान पनधारा कार्यक्रमों के अलावा अलग प्राधिकरण गठित किये जाने के पीछे क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्राधिकरण सम्भवत: शुष्कभूमि क्षेत्रों में किसानों की समस्याओं को दूर करने पर प्रकाश डालेगा।

(ग) प्राधिकरण की स्थापना पर प्रतिवर्ष 3.5 करोड़ रु० का प्रारम्भिक खर्च आने की संभावना है।

(घ) प्राधिकरण सम्भवत: एक विशेषज्ञ निकाय होगा जो देश के शुष्कभूमि और वर्षासिंचित कृषि का सुव्यवस्थित संवर्धन और प्रबंधन के संबंध में अति आवश्यक ज्ञान संबंधी आदान प्रदान करेगा। इसे परामर्शी और नीति निर्धारक तथा मॉनिटरिंग निकाय बनाए जाने का प्रस्ताव है। प्राधिकरण वर्षासिंचित क्षेत्रों के दीर्घकालिक और समग्र विकास के सभी पहलुओं की जांच करेगा जिसमें उचित कृषि और जीविकोपार्जन प्रणाली दृष्टिकोण और भूमिहीन और सीमांत किसानों जिनकी संख्या वर्षासिंचित क्षेत्रों में अधिक है, से संबंधित मुद्दे शामिल है। प्राधिकरण देश के वर्षासिंचित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही कृषि एवं पनधारा विकास कार्यक्रमों में समन्वय और अभिसरण स्थापित करेगा।

[अनुवाद]

वल्लारपदम टर्मिनल के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति

1565. श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वल्लारपदम कन्टेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को केन्द्र सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतीक्षा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को शीघ्रता से पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दिये जाने के क्या कारण है; और

(ग) यह स्वीकृति कब तक दे दिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा कोची में इन्टरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की विकास और प्रचालन से संबंधित परियोजना अवसंरचना विकास के लिए और विविध परियोजनाएं 25 जनवरी, 2006 को विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। समिति ने कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से 6.2.2006 और 10.2.2006 को अतिरिक्त सूचना मांगी है। कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ने अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

[हिन्दी]

झीलों/नदियों का सर्वेक्षण

1566. डा० धीरेंद्र अग्रवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रदूषित बड़ी झीलों तथा नदियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वेक्षण की गई झीलों/नदियों की सफाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) मंत्रालय देश में अवक्रमित झीलों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना और नदियों के अभिनिर्धारित प्रदूषित क्षेत्रों के प्रदूषण निवारण के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्रियान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने सितम्बर, 2003 में संरक्षण हेतु भारत में "झीलों के अभिनिर्धारण के लिए सर्वेक्षण और संकलन" पर राष्ट्रीय पारिस्थितिकीय संस्थान के माध्यम से एक अध्ययन कराया है। देश में झीलों के संकलन पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है और इस योजना के अंतर्गत संरक्षण के लिए 62 झीलें अभिनिर्धारित की गई है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत दसवीं और ग्यारहवीं योजना के दौरान अतिरिक्त शहरों/नदियों को शामिल करने के लिए प्रस्तावों पर अल्टरनेट हायड्रो एनर्जी सैंटर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के माध्यम से वर्ष 2003-04 में एक सर्वेक्षण भी कराया गया था। संस्थान द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में चल रही नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत पहले से अनुमोदित स्कीमों के अलावा 73 शहरों में प्रदूषण निवारण स्कीमें शामिल करने की सिफारिश की गई है।

(ग) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत आरंभ किए गए झील/नदी संरक्षण कार्यक्रमों में मलजल का अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन, मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना, अल्प लागत शौचालय और शवदाहगृह जैसे प्रदूषण निवारण कार्य शामिल हैं। झील/नदी तट विकास के अलावा खरपतवार हटाना, गाद निकालना, जैव उपचार जैसे स्व-स्थाने झील शोधन सहित अन्य उपाय और नदियों और प्राथमिकता प्राप्त झीलों के अभिनिर्धारित प्रदूषित हिस्सों में कैचमेंट क्षेत्र सुधार करना शामिल है।

[अनुवाद]

यूकेलिप्टस वृक्ष

1567. **डा० एम० जगन्नाथ :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूकेलिप्टस वृक्ष के लाभ तथा नुकसानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये वृक्ष जुताई-योग्य तथा गैर-जुताई-योग्य भूमि को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इसके बाद सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) यूकेलिप्टस जीनस की बहुत सी प्रजातियां हैं और यह तेजी से बढ़ने की अपने विशेषता और इमारती लकड़ी, ईंधन लकड़ी, लुगदी, और अन्य वैल्यू-एडेड उत्पाद उपलब्ध कराने में अपनी बहुमुखी उपयोगिता के कारण अन्य प्रजातियों से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, देशज प्रजातियों की तुलना में प्रति इकाई जैव पिण्ड के उत्पादन में यह पानी का कुशलता पूर्वक उपयोग करता है।

(ख) से (ङ) विभिन्न वैज्ञानिक आकलनों से निश्चित परिणाम का पता नहीं चला है। इस विषय पर अधिक बल दिया गया है कि रोपण कार्य करते समय यूकेलिप्टस प्रजातियों का स्थल विशिष्ट चयन किया जाए।

[हिन्दी]

वन क्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित भूमि में जनजातीय अधिकार

1568. **श्री गिरिधारी यादव :**
श्री मनसुखभाई डी० वसावा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वन क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित तथा संरक्षित भूमि का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार इन वन क्षेत्रों में कितने लोग रह रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन, भारतीय वन सर्वेक्षण, देश के वन आवरण का द्विवार्षिक आधार पर आकलन करता है। वन स्थिति रिपोर्ट, 2003 के अनुसार आरक्षित और संरक्षित वनों के अंतर्गत क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आरक्षित और संरक्षित वनों में रह रहे लोगों के संबंध में अनन्य रूप से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, वन भूमि के संदर्भ में जनसांख्यिकी ब्यौरे का रखरखाव संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा किया जाता है।

विवरण

वन स्थिति रिपोर्ट 2003 के अनुसार देश में वन क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित तथा सुरक्षित भूमि

राज्य/संघ शासित प्रदेश	अभिलिखित वन	सुरक्षित वन
1	2	3
आंध्र प्रदेश	50,479	12,365
अरूणाचल प्रदेश	10,178	9,536
असम	18,060	0
बिहार	693	5,779
छत्तीसगढ़	25,782	24,036
दिल्ली	78	7
गोवा	237	822
गुजरात	14,155	395
हरियाणा	249	1,158
हिमाचल प्रदेश	1,896	33,043
जम्मू और कश्मीर	2,551	17,643
झारखण्ड	4,387	19,185
कर्नाटक	29,550	3,585
केरल	11,098	170
मध्य प्रदेश	58,734	35,587
महाराष्ट्र	49,217	8,196

1	2	3
मणिपुर	1,467	4,171
मेघालय	1,112	12
मिजोरम	7,909	3,568
नागालैंड	308	508
उड़ीसा	26,329	1,525
पंजाब	44	1,137
राजस्थान	11,860	17,652
सिक्किम	5,452	389
तमिलनाडु	19,388	2,183
त्रिपुरा	3,588	664
उत्तर प्रदेश	11,078	2,425
उत्तरांचल	23,827	10,673
पश्चिम बंगाल	7,054	3,772
अंदमान और निकोबार	2,929	4,242
चंडीगढ़	31	0
दादर और नगर हवेली	199	5
दमन और द्वीप	0	1
लक्षद्वीप	0	0
पाण्डिचेरी	0	0
कुल	399,919	238,434

[अनुवाद]

ड्रिप कृषि के लिए वर्षा जल

1569. श्रीमती मेनका गांधी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीन की तर्ज पर वाटर इनफ्लेटेड रबर वाल्स का उपयोग कर कृत्रिम बांध बनाकर वर्षा जल का संरक्षण ड्रिप कृषि के लिए करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि का आकलन किया गया है/जारी की गई है;

(घ) क्या इसके लिए किसानों को कोई राजसहायता दिये जाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार का चीन की तर्ज पर वाटर इनफ्लेटेड रबर वाल्स का उपयोग करके कृत्रिम बांध बनाकर वर्षा जल का संरक्षण ड्रिप कृषि के लिए करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रेडियो तथा टेलीविजन से विज्ञापनों को वापस लिया जाना

1570. श्री मित्रसेन यादव :
श्री कुलदीप बिश्नोई :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ए०एस०सी०आई०) ने कुछ कंपनियों को रेडियो, टेलीविजन तथा विज्ञापन पटों से अपना विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी सभी कंपनियों की पहचान कर ली है जो अपने विज्ञापनों से जनता को गुमराह करती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन कंपनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ङ) सरकार का भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ए०एस०सी०आई०) जो कि विज्ञापन उद्योग का एक स्व विनियामक

निकाय है पर कोई नियंत्रण नहीं है और इसलिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद को की गयी शिकायतों का ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद में एक उपभोक्ता शिकायत परिषद (सी०सी०सी०) है जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हैं जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में गुमराह करने वलो झूठे अथवा अश्लील विज्ञापनों के संबंध में की गई शिकायतों की जांच करते हैं और इस संबंध में कार्रवाई करते हैं।

राष्ट्रीय प्राणिविज्ञान संबंधी प्रयोगशाला केन्द्र

1571. **श्री श्रीचन्द कृपलानी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय प्राणिविज्ञान संबंधी प्रयोगशाला केन्द्रों (एन०जे०एल०सी०) की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्थान सहित अन्य राज्यों में राष्ट्रीय प्राणिविज्ञान संबंधी प्रयोगशाला केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी प्रयोगशालाएं कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा किसी समिति का गठन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) देश में कोई राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान प्रयोगशाला केन्द्र नहीं है और न ही सरकार का राज्यों में राजस्थान सहित ऐसे केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान प्रयोगशाला केन्द्रों को स्थापित करने हेतु सरकार को अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मक्का का उत्पादन

1572. **श्री लक्ष्मण सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मक्का का उत्पादन कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मक्का का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 2002-03 जो कि सूखा प्रभावित वर्ष था और वर्ष 2004-05, जिस वर्ष में वर्षा सामान्य से 13% कम हुई थी, को छोड़कर बाकी वर्षों में मक्के के उत्पादन में बढ़ोत्तरी का रूख रहा है। पिछले पांच वर्षों के मक्के के उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :—

(मिलियन टन)

वर्ष	उत्पादन
2001-02	13.16
2002-03	11.15
2003-04	14.98
2004-05	14.17
2005-06*	15.09

*चौथा अग्रिम अनुमान

वर्ष 2001-02 से 2005-06 के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) मक्के के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये भारत सरकार एक केन्द्रीय प्रायोजित समेकित तिलहन, दलहन, आयमपाम और मक्का (आइसोपोम) योजना चल रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रजनक बीजों की खरीद, आधारी बीजों के उत्पादन, प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन और वितरण, बीज मिनीकिटों के वितरण, पादप संरक्षण रसायनों के वितरण, पादप संरक्षण उपकरणों, खरपतवारनाशी, राइजोबियम कल्चर/बैक्टीरियल विलायक फास्फेट की आपूर्ति, जिप्सम/पाइराइट/लाईमिंग/डोलोमाइट के वितरण, स्प्रिंकलर सेटों के वितरण और जल संवाहक पाइपों के वितरण, प्रचार-प्रसार आदि के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे किसानों को मक्का उगाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके। किसानों में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारियों का प्रचार-प्रसार करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से समेकित कीट प्रबन्धन पर प्रदर्शनों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) के माध्यम से अग्रणी प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है।

विवरण

राज्य/संघ शसित क्षेत्र	मक्के का उत्पादन (000 टन)				
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06*
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	1457.0	1486.0	2477.0	2064.0	3058.0
अरूणाचल प्रदेश	52.5	56.4	54.5	55.0	#
असम	14.0	14.0	14.0	13.9	14.0
बिहार	1488.3	1349.8	1473.5	1465.7	1424.0
छत्तीसगढ़	69.7	122.6	135.0	131.7	106.0
गोआ	0.8	0.8	0.8	0.8	#
गुजरात	884.6	792.6	831.9	412.5	602.0
हरियाणा	47.0	29.0	41.0	40.0	34.0
हिमाचल प्रदेश	768.2	483.3	729.6	736.0	629.0
जम्मू एवं कश्मीर	538.1	465.1	532.6	492.3	493.0
झारखंड	209.2	241.0	300.0	286.0	229.0
कर्नाटक	1451.7	1343.0	1209.9	2512.0	2651.0
मध्य प्रदेश	1680.5	1494.4	1866.2	1252.6	1249.0
महाराष्ट्र	587.1	744.0	752.0	753.0	1119.0
मणिपुर	10.1	8.5	7.5	8.9	#
मेघालय	25.2	25.9	25.9	24.0	#
मिजोरम	16.7	14.9	20.3	15.7	#
नागालैण्ड	5.0	80.0	80.3	83.5	#
उड़ीसा	46.7	42.4	78.8	106.0	102.0
पंजाब	449.0	310.0	459.0	422.0	403.0
राजस्थान	1480.9	871.1	2070.5	1262.6	1102.0
सिक्किम	54.4	53.2	57.1	58.2	#
तमिलनाडु	118.0	191.6	251.0	294.7	369.0
त्रिपुरा	2.1	2.2	2.2	3.0	#

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	1516.0	836.4	1318.5	1494.0	1077.0
उत्तरांचल	51.0	38.0	68.0	44.0	44.0
पश्चिम बंगाल	86.4	55.3	126.5	139.6	174.0
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.0	0.0	0.2	0.1	#
दिल्ली	0.0	0.2	0.5	0.2	#
अन्य	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	212.0
अखिल भारत	13160.2	11151.7	14984.3	14172.0	15091.0

*चौथा अग्रिम अनुमान

#अन्य में शामिल

एन०ए० : उपलब्ध नहीं

अनाजों के मूल्य

1573. श्री एल० राजगोपाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को आंध्र प्रदेश सरकार से 2006-07 के खरीफ मौसम हेतु अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने खरीफ मौसम 2006-07 के अनाजों के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिये अनुरोध किया है, जिसे नीचे दर्शाया गया है।

(रुपये प्रति क्विंटल)

फसल का नाम		आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सुझाये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य
1		2
धान	सामान्य	640
	ग्रेड क	670
ज्वार	हाइब्रिड	700
बाजरा		700
मक्का		600
रागी		660

(ग) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद भारत सरकार राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के सुझावों पर तथा साथ ही साथ उन सुसंगत कारकों पर जो मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, विचार करने के बाद हाल ही में 2006-07 मौसम की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है जिसे नीचे दर्शाया गया है।

(रुपये प्रति क्विंटल)

फसल का नाम		आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सुझाये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य
1		2
धान	सामान्य	580
	ग्रेड क	610
ज्वार	हाइब्रिड	540
	मालदंडी	555

1	2
बाजरा	540
मक्का	540
रागी	540

राष्ट्रीय किसान कल्याण कोष का गठन

1574. **श्री प्रबोध पाण्डा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों के विस्तार के लिए एक 'राष्ट्रीय किसान कल्याण कोष' की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) किसी पृथक् राष्ट्रीय कृषक कल्याण कोष को गठित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, दिनांक 18 जून, 2004 को सरकार द्वारा एक वृहद ऋण नीति घोषित की गई जिसमें आगामी तीन वर्षों में कृषि ऋण को दोगुना करने संबंधी उपाय और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को ऋण राहत का प्रावधान शामिल है। सहकारी ऋण ढांचे में नवीनीकरण और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम शुरू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्यों के 31 चिन्हित जिलों जिसमें किसानों की आत्महत्या की अधिक घटनाएं दर्ज की गई है, में किसानों की विपत्ति को कम करने के लिए एक विशेष पुर्नवास पैकेज शुरू करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के संबंध में पैकेज की घोषणा पहले ही कर दी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुकम्पा सहायता, किसानों को ऋण राहत, ऋण प्रवाह को बढ़ाना, ब्याज को समाप्त करना, सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं, बीज प्रतिस्थापन तथा फसलन प्रवलता, पनधारा विकास, बागवानी विकास, लघु सिंचाई, विस्तार सेवाएं और सब्सिडरी आयु के अवसर शामिल है। इसी तर्ज पर सरकार अन्य तीन राज्यों के लिए पैकेज को अंतिम रूप दे रही है।

लाल बाग वानस्पतिक उद्यान के लिए धनराशि

1575. **श्री एम० शिवन्ना :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से लाल बाग वनस्पतिक उद्यान, बंगलौर के प्रस्तावित संरक्षण और प्रबंधन के लिए धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। "दुर्लभ, खतरे में पड़ी एवं संकटापन्न प्रजातियों के बाह्य स्थाने संरक्षण के लिए जैविक उद्यानों को सहायता" नामक स्कीम के अंतर्गत लाल बाग जैविक उद्यान, बंगलौर में सुविधाओं में सुधार करने का एक प्रस्ताव कृषि एवं बागवानी विभाग, कर्नाटक राज्य सरकार से सहायता के लिए प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव स्कीम के निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार नहीं है। राज्य सरकार को प्रस्ताव को निर्धारित पैरामीटर के अनुसार संशोधित करने की सलाह दी गई है।

आस्ट्रेलिया से मवेशियों का आयात

1576. **श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने आस्ट्रेलिया से कुछ मवेशियों को आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त मवेशियों को कुछ समय से चैन्ने स्थित संगरोधन केंद्र में रोक कर रखा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार मवेशियों को तत्काल छोड़ने की अनुमति देने का है ताकि राज्य सरकार अपने मवेशी प्रजनन कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ङ) जी, हां। अप्रैल, 2002 के दौरान, आंध्र प्रदेश (160) और पश्चिम बंगाल (41) द्वारा आस्ट्रेलिया से कुल 201 प्रजनन गोपशु आयात किए गए थे। भारत में आयात के बाद संगरोध के दौरान, बोवाईन वाइरल डायरिया (बी०वी०डी०) और मेल्गाईनेंट कोटारल फीवर (एम०सी०एफ०) जैसे विदेशी रोगों के लिए कुछ पशुओं को परीक्षण के बाद पाजिटिव पाया गया था। भारत इन रोगों से मुक्त है। अतः, आस्ट्रेलिया सरकार से पशुओं को वापस करने के लिए संपर्क किया गया था। निर्यात करने वाले देश ने पशुओं को वापस लेने से इंकार कर दिया था। सरकार ने संक्रमित पशुओं को मार देने का निर्णय

लिया। तथापि, इसी बीच राष्ट्रीय गोपशु आयोग और भारतीय प्राणी मित्र संघ द्वारा 19.9.2002 को मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी। मद्रास उच्च न्यायालय ने 19.09.2002 को स्थगन आदेश पारित किया और पशुओं को मारने की प्रक्रिया को आस्थगित कर दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा 07.4.2003 को परीक्षण में नेगेटिव पाए गए 46 पशुओं को छोड़ने के लिए भी एक आदेश जारी किया गया। परन्तु, इसे भी सरकार द्वारा एस०एल०पी० में दिनांक 06.05.2003 के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया। यह मामला न्यायाधीन है। अतः, संगरोध केंद्रों से पशुओं को छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

ईथेनोल की आपूर्ति

1577. श्री सुबोध मोहिते : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों के रसायन उद्योगों को अपने उपयोग हेतु ईथेनोल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रसायन उत्पादक संघ ईथेनोल की कमी को समय-समय पर सरकार के ध्यान में लाता रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कम आपूर्ति की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्द्रिक) : (क) से (ङ) प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में चीनी के कम उत्पादन और अल्कोहल आधारित उद्योग की बढ़ती मांग के कारण महाराष्ट्र के अल्कोहल आधारित रसायन उद्योग, देश के अन्य हिस्सों की भांति ही इथेनोल की कमी से ग्रस्त हैं। इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कुछ राज्यों/के०शा०प्र० में प्रारंभ किए गए गैसोहोल कार्यक्रम जिसमें पेट्रोल के साथ 5% इथेनोल मिलाया जाता है, से इथेनोल की मांग बढ़ी है। इंडियन केमिकल मैनुफैक्चरर्स एशोसिएशन (आई०सी०एम०ए०) ने देश में इथेनोल की कमी के संबंध में सरकार को लिखा है। इथेनोल को मिलाने के संबंध में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए इस मामले को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाया गया है। अल्कोहल आधारित उद्योग के लिए आवश्यक औद्योगिक अल्कोहल का मुक्त रूप से आयात होता है। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से भी औद्योगिक अल्कोहल पर सीमा-शुल्क घटाने का अनुरोध किया है ताकि रसायन उद्योग औद्योगिक अल्कोहल का उचित मूल्य पर आयात कर सके।

[हिन्दी]

वन्य जीवों की सुरक्षा

1578. श्री पंकज चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय में एक पृथक विभाग की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) बाघ कार्य बल की सिफारिशों की अनुवर्ती कार्यवाही के अनुसरण में दो पृथक विभागों, अर्थात् पर्यावरण विभाग तथा वन और वन्य जीव विभाग, की स्थापना का प्रस्ताव है।

(ग) अन्तिम निर्णय के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

सिन्दरी, रामागुण्डम और नामरूप संयंत्रों को पुनः चालू करना

1579. श्री टेक लाल महतो :
श्री गुंडलूर निजामुद्दीन :
श्री मणी कुमार सुब्बा :
श्री फुरकान अंसारी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी (झारखंड) व रामागुण्डम संयंत्रों और नामरूम उर्वरक संयंत्रों को पुनः चालू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) इस पर की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्द्रिक) : (क) सरकार सिन्दरी और रामागुण्डम उर्वरक संयंत्रों सहित फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया

लिमिटेड की बन्द इकाइयों के पुनरूद्धार की संभावनाओं की तलाश कर रही है। बी०वी०एफ०सी०एल० के नामरूप उर्वरक संयंत्र को बन्द नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) चूंकि इस मामले की जांच-पड़ताल चल रही है, इसलिए ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

एफ०सी०आई० का कम्प्यूटरीकरण

1580. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड (एफ०सी०आई०) में खाद्यान्नों के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2005-2006 के दौरान एफ०सी०आई० के कम्प्यूटरीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं और इसके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इसके लिए कितना आवंटन किया गया और किनता खर्च किया गया है; और

(ङ) एफ०सी०आई० में खाद्यान्नों के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण कब तक किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, हां। डिपु और जिला स्तर पर स्टाक की गणना करने के काम का कंप्यूटरीकरण करने के लिए कुल 97.66 करोड़ रुपये की लागत पर खाद्यान्न प्रबंधन की एकीकृत सूचना प्रणाली परियोजना अनुमोदित की गई है।

(ग)

लक्ष्य	उपलब्धियां
भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय/ जिला और डिपु स्तर पर स्टाक गणना की सूचना आपरेशनल बनाई जानी है।	भारतीय खाद्य निगम के सभी जिला कार्यालयों में स्टाक गणना का माड्यूल पूरा कर लिया गया। 2005-06 में 355 डिपुओं (348 अपने + 7 किराए के) में आंकड़ों की फीडिंग शुरू हो गई है।

(घ)

किया गया आबंटन (2005-06)	व्यय
15.00 करोड़ रुपये	15.00 करोड़ रुपये

(ङ) खाद्यान्न प्रबंध एकीकृत सूचना प्रणाली परियोजना को 2006-07 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

कृषि संबंधी अनुसंधान में निवेश

1581. श्री निखिल कुमार :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में कृषि संबंधी अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए भारी निवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में कार्यरत कृषि संबंधी अनुसंधान संस्थानों का ब्यौरा क्या है और इन्हें कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार कृषि संबंधी अनुसंधान में विदेशी विशेषज्ञों की सहायता लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) और (ख) सरकार ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना को लगभग 1200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 6 वर्ष की अवधि के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपये का आबंटन है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत 95 कृषि अनुसंधान संस्थान हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं तथा फसलों, बागवानी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंध, पशु विज्ञान, मात्स्यिकी और कृषि अभियांत्रिकी आदि पर अनुसंधान कर रहे हैं। डेयर/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का वर्ष 2006-2007 के लिए योजना बजट आकलन 1350 करोड़ रुपये है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार और यू०एस०ए० की सरकारों ने संयुक्त रूप से कृषि पर इंडो-यू०एस० जानकारी पहल की शुरूआत करने के लिए सहमति व्यक्त की है जिसमें शिक्षा, शिक्षण, अनुसंधान, सेवा और व्यवसायिक सम्पर्क बढ़ाने पर मुख्य ध्यान

दिया जाना है। भविष्य में सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं :–

(i) मानव संसाधन और संस्थागत क्षमता-निर्माण

- शिक्षा, शिक्षण संसाधन की जानकारी, पाठ्यक्रमों का विकास और प्रशिक्षण।

(ii) कृषि-प्रसंस्करण और विपणन

- खाद्य प्रसंस्करण
- उपोत्पाद और जैविक ईंधनों का उपयोग

(iii) नई प्रौद्योगिकियां

- जैव-प्रौद्योगिकी

(iv) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

- जल प्रबंधन

इस वित्तीय वर्ष के लिए आबंटन 5 करोड़ रुपये है।

उपरि इन्द्रावती परियोजना

1582. **श्री विक्रम केशरी देव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006-2007 के लिए उड़ीसा की उपरि इन्द्रावती परियोजना के लिए कितना आबंटन किया गया;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार/विदेशी एजेंसियों से धनराशि की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार को यह सहायता कब तक जारी कर दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) उड़ीसा की ऊपरी इन्द्रावती सिंचाई परियोजना की बायां तट नहर प्रणाली (आर०डी० 15 किलोमीटर से 52 किलोमीटर) के कार्यान्वयन के लिए 11989 से 20199 के दोरान 3744 मिलियन येन की जे०बी०आई०सी० (जापान) ऋण सहायता प्रदान की गई। इस समय ऊपरी इन्द्रावती सिंचाई परियोजना के लिए उड़ीसा सरकार से विदेशी सहायता के निमित्त कोई प्रस्ताव नहीं है।

ऊपरी इन्द्रावती परियोजना 1996-97 में भारत सरकार के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल कर ली गई है। परियोजना की शीघ्र प्रर्ति के लिए अभी तक 189.3070 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है। उड़ीसा सरकार को और आगे अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव पर उस सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

एस०ए०आई०एल० की नई विज्ञापन नीति

1583. **श्री तूफानी सरोज** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और इसकी अनुषंगी कंपनियों ने प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक संचार माध्यमों में विज्ञापन देने के लिए कोई नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूमिगत जल स्तर की निगरानी

1584. **श्री ए० साई प्रताप** :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार भूमिगत जल संसाधनों के सर्वेक्षण, आयोजना और विकास व भूमिगत जल स्तर की निगरानी में राज्य सरकारों की सहायता करती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार आंध्र प्रदेश सहित राज्य सरकारों को कितनी सहायता प्रदान की गई?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) जी, हां। केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड (सी०जी०डब्ल्यू०बी०) जो इस मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है, राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार भूजल सर्वेक्षण और अन्वेषण करता है। इन भूजल सर्वेक्षणों और अन्वेषणों के माध्यम से

एकत्रित वैज्ञानिक आंकड़े राज्यों में प्रयोक्ता अभिकरणों को उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे उन्हें भूजल विकास स्कीमों की योजनाएं बनाने में मदद मिलती है।

(ख) देश में और आंध्र प्रदेश में किए गए भूजल सर्वेक्षणों और अन्वेषणों के वर्षवार विवरण नीचे दिए अनुसार हैं :—

क्रम संख्या	गति विधि	वर्ष		
		2003-04	2004-05	2005-06
1.	भूजल प्रबंधन अध्ययन			
	पूरे देश में (लाख वर्ग कि०मी०)	2.07	2.12	1.97
	आंध्र प्रदेश (लाख वर्ग कि०मी०)	0.18	0.16	0.13
2.	भूजल अन्वेषण (खोदे गए कुओं की संख्या)			
	पूरे देश में	1339	1347	785
	आंध्र प्रदेश में	83	73	72

[हिन्दी]

कृषि शिक्षा को प्रोत्साहन

1585. **श्रीमती किरण माहेश्वरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कृषि शिक्षा के प्रोत्साहन व विकास के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का उचित उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित घटकों के लिए कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा विकास के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान 200.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये है :—

(रु० करोड़ में)

1.	मानव संसाधन विकास	—	10.00
2.	निर्माण कार्य	—	20.00
3.	उपकरण	—	120.00
4.	प्रयोगात्मक जानकारी	—	50.00
	कुल		200.00

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुप्त सूचना की गोपनीयता की रक्षा

1586. **एडवोकेट सुरेश कुरूप :**
श्री स्वदेश चक्रवर्ती :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि रसायन तथा भेषजों के संदर्भ में गुप्त सूचनाओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (ट्रिप्स) के अनुच्छेद 39.3 के उपबंधों के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करने के लिए कोई समिति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुप्त सूचना की गोपनीयता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर्मंत्रालयी समिति, एग्रोरसायनों एवं औषधों के संबंध में अप्रकट सूचना की संरक्षा के लिए ट्रिप्स करार के अनुच्छेद 39.3 के प्रावधानों के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की जांच कर रही है। समिति ने अधिकतर स्टेकधारकों के विचार सुन लिए हैं। तथापि, भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों के कारण, समिति द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण संरक्षण में महिलाएं

1587. श्री मोहन रावले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिला संगठनों ने पर्यावरण संरक्षण और वन विकास में अपनी वृहद भूमिका के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के रिकार्ड के अनुसार, पर्यावरण संरक्षण और वन विकास में व्यापक भूमिका के लिए किसी भी महिला संगठन से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। मंत्रालय, पर्यावरण और वानिकी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान हेतु उनके सामर्थ्य और क्षमता के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। प्रमुख स्कीमों में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन०ए०पी०) नाम से एक स्कीम, वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरणों (एफ०डी०ए०) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे०एफ०एम०सी०) के माध्यम से विकेन्द्रित पद्धति से क्रियान्वित की जा रही है। एन०ए०पी० दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि एफ०डी०ए० की आम सभा और कार्यकारी समिति के 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। इसी के अनुरूप जे०एफ०एम०सी० की कार्यकारी सभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने महिलाओं की भूमिका को शामिल करते हुए पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत डाटाबेस विकसित करने और संबंधी उपयोक्ताओं तक उसका प्रसार करने के लिए पर्यावरण सूचना प्रणाली (एनविस) के अंतर्गत 2005-06 के दौरान पर्यावरणीय संरक्षण और सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका पर एक केन्द्र स्थापित किया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

1588. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय स्तर का कृषि विश्वविद्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। कृषि शिक्षा राज्य का विषय होने के कारण कृषि विश्वविद्यालयों को खोलने का काम संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है।

[अनुवाद]

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में संशोधन

1589. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय कि कार्यस्थल पर हृदय घात के कारण होने वाली मृत्यु के लिए कोई भी प्रतिकर देय नहीं है के मद्देनजर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाई की गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बीड़ी कामगार

1590. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश के विभिन्न भागों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में बीड़ी कामगारों को होने वाली समस्याओं के संबंध में बीड़ी मजदूर संगठनों तथा विभिन्न जन प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन पर क्या कार्यवाई की गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) और (ख) बीड़ी कामगारों के संगठनों/संघों तथा जन प्रतिनिधियों की ओर से भी पहचान पत्र जारी करने, छात्रवृत्ति, चिकित्सा सुविधाएं इत्यादि से संबंधित मुद्दों के बारे में उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों से बीड़ी कामगारों की समस्याओं के संबंध में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं।

(ग) बीड़ी कामगारों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई/कदम उठाए जाते हैं। तथापि, श्रम और रोजगार मंत्रालय बीड़ी कामगार कल्याण निधि के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, मनोरंजन और जल आपूर्ति के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीड़ी कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कल्याण योजनाएं चला रहा है। पात्रता प्राप्त बीड़ी कामगारों और उनके परिवारों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख की पूर्ति करने के लिए 18 औषधालय और एक 10 बिस्तरों वाला अस्पताल गुरसहायगंज (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। हृदय, गुर्दा, कैंसर रोगों जैसे विशेषीकृत उपचार के लिए रोगियों को मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता वाले अस्पतालों में भेजा जाता है और कतिपय सीमा तक उपचार की लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है। उपर्युक्त कल्याण निधि के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी कामगारों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या और किया गया व्यय निम्नवत है :

(व्यय लाख रुपयों में)

		2003-04	2004-05	2005-06
स्वास्थ्य	व्यय	191.82	246.17	235.96
	लाभार्थी	257608	264485	240044
शिक्षा	व्यय	88.68	117.21	157.73
	लाभार्थी	13634	15394	19693
आवास	व्यय	13.92	24.49	24.29

सरसों की खेती

1591. श्री दुष्यंत सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार विशेषकर राजस्थान में कुल कितने भूमि क्षेत्र को सरसों की खेती के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) क्या सरसों की खेती करने वाले किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए कोई केन्द्रीय योजना शुरू की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत शुरू के सरसों की खेती करने वालों को राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) देश में वर्ष 2005-06 के दौरान सरसों की खेती के तहत कुल क्षेत्र 70.74 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्थान राज्य सहित सरसों के तहत राज्यवार क्षेत्र कवरेज संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) भारत सरकार देश में सरसों सहित तिलहन के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये 14 प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में 1.4.2004 से केन्द्रीय प्रायोजित 'समेकित तिलहन, दलहन, ऑयलपाम व मक्का स्कीम' (आइसोपाम) क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के तहत किसानों को तिलहन की खेती के लिये प्रोत्साहित करने हेतु प्रजनक बीज की खरीद, आधारी बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन व वितरण, बीज मिनीकिटों के वितरण, पौध रक्षण रसायनों, पौध रक्षण उपकरणों, खरपतवारनाशियों के वितरण, राइजोबियम कल्चर/फास्फेट साल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया की आपूर्ति, जिप्सम/लाइमिंग/ डोलोमाइट के वितरण, स्प्रिंकलर सेटों तथा जल वाहक पाइपों के वितरण और प्रचार आदि के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है।

किसानों में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों के संबंध में जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिये राज्य कृषि विभाग के जरिये प्रखण्ड प्रदर्शन तथा समेकित कीट प्रबंध प्रदर्शन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जरिये अग्रणी प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं।

वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक आइसोपाम के अंतर्गत सरसों, दालें, आयलपॉम और मक्का सहित तिलहनों से संबंधित विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये दी गई राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

2005-06 के दौरान सरसों की फसल के तहत राज्यवार क्षेत्र कवरेज

राज्य	क्षेत्र (लाख है०)*
1	2
आन्ध्र प्रदेश	0.06
बिहार	0.85

1	2
छत्तीसगढ़	0.57
गुजरात	3.38
हरियाणा	7.02
कर्नाटक	0.05
मध्य प्रदेश	8.09
महाराष्ट्र	0.13
उड़ीसा	0.17
पंजाब	0.49
राजस्थान	35.59
तमिलनाडु	0.01
उत्तर प्रदेश	5.62
पश्चिम बंगाल	4.21
अखिल भारत	70.74

*चौथा अग्रिम अनुमान 15.07.2006 की स्थिति के अनुसार

विवरण-II

वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक आइसोपाम के अंतर्गत तिलहनों, दलहनों, आयलपॉम और मक्का के विकास लिये दी गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	निर्मुक्त राशि (रुपये लाख में)*		
	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	3559.97	4816.50	2750
असम	4.00	3.00	30
बिहार	145.00	245.00	490
छत्तीसगढ़	625.00	400.00	425
गुजरात	1883.00	1850.00	1950
गोवा	10.00	16.50	33
हरियाणा	497.00	434.00	375
हिमाचल प्रदेश	40.00	75.50	75
जम्मू व कश्मीर	85.00	142.50	302
कर्नाटक	2155.00	1800.00	1900
केरल	5.00	7.50	15
मध्य प्रदेश	2925.00	2400.00	2500
महाराष्ट्र	1040.00	2739.00	1850
मिजोरम	107.00	90.00	180
उड़ीसा	455.00	500.00	525
पंजाब	52.50	87.50	175
राजस्थान	2000.00	2840.00	2450
तमिलनाडु	990.00	1245.00	1345
त्रिपुरा	5.00	7.00	40
उत्तर प्रदेश	785.00	1065.00	1115
पश्चिम बंगाल	260.00	450.00	475
अखिल भारत	17628.47	21214.00	19000

*आवंटन

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एच०ए०एल०) के लिए पुनरूद्धार योजना

1592. **श्री पी० राजेन्द्रन :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एच०ए०एल० के लिए कई पुनरूद्धार योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्डिक) : (क) और

(ख) जी हां। विस्तृत जानकारी का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) हिन्दुस्तान एंटिबोयाटिक्स लिमिटेड (एच०ए०एल०) के पुनर्वास के लिए 137.59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

विवरण

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का पुनरूत्थान

(क) सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज योजना की लागत (व्यय के घटक)	**(करोड़ रुपयों में)**
(अ) बैंकों/वित्तीय संस्थानों और पी०एस०यू० के साथ एक बार में समायोजन इस प्रकार है :	76.92
	(करोड़ रुपयों में)
(i) एस०बी०आई० के साथ एक बार में समायोजन	25.80
(ii) कैनरा बैंक के साथ एक बार में समायोजन	35.00
(iii) आई०डी०बी०आई० के साथ एक बार में समायोजन	3.90
(iv) एस०आई०सी०ओ०एम० के साथ एक बार में समायोजन	1.18
(v) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड (पी०एच०एल०) के साथ एक बार में समायोजन)	2.50
(vi) भारत डायनामाइट लिमिटेड (बी०डी०एल०) के साथ एक बार में समायोजन	1.76
(vii) ओ०एन०जी०सी० को अंश – भुगतान	6.78
कुल	76.92
(ब) वैधानिक बकाया (भविष्य निधि 13.86 करोड़ रुपये और आयकर 2.81 करोड़ रुपये)	16.67
(स) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर०एस०)	34.00
(द) पेन-जी सुविधाओं में नये उत्पाद शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकता	5.00
(य) संशोधित गुड मेनुफेक्चरिंग प्रेक्टिस (जी०एम०पी०) के अनुसार फार्मूलेशन सुविधाओं का उन्नयन	5.00
कुल	137.59
वित्त के माध्यम	**(करोड़ रुपयों में)**
(अ) एच०ए०एल० द्वारा भूमि की बिक्री होने तक ब्याज मुक्त ऋण	56.96
(ब) भारत सरकार से निधियां	
1. शेयर पूंजी	23.31
2. अनुदान/ब्याज मुक्त ऋण	23.32
3. वी०आर०एस० के लिए अनुदान (8.90 करोड़ रुपयों के टर्मिनल लाभ का भुगतान शामिल)	34.00
कुल धन राशि	137.59

बट्टा खाता/परिवर्तन/छूट की मदें

(ख) भारत सरकार से	**(करोड़ रुपयों में)**
(अ) भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं पिछले ऋणों पर ब्याज को बट्टे खाते में डालना (एच०ए०एल० की लेखा पुस्तकों के अनुसार 31.3.2003 को यह राशि 111.25 करोड़ रुपये है जबकि वेतन एवं लेखा कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार यह राशि 31.3.2005 को 259.43 करोड़ रुपये होती है; जो वेतन एवं लेखा कार्यालय की पुस्तकों में गैर-प्रविष्टि के कारण था, जो पिछले वर्षों में सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत पुनर्गठित योजना की वजह से था।	259.43
(ब) भूमि बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर के भुगतान से छूट	6.56
(स) आयकर अधिनियम की धारा 241(1) के प्रावधानों से छूट (रद्दीकरण को आय के रूप नहीं देखा जाना चाहिए)	—
(द) अधिकृत पूंजी 50.00 करोड़ से बढ़ाकर 100.00 करोड़ रुपये करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क से 27.00 लाख की छूट (राज्य सरकार की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है)	शून्य
(य) आयकर में ब्याज/दंड या विलम्बित भुगतान में शिथिलता	1.58
कुल	267.57

(ग) अन्यों से	**(करोड़ रुपयों में)**
(अ) बैंकों/वित्तीय संस्थानों एवं अन्यों द्वारा ब्याज/शासित ब्याज की माफी	87.00*
(ब) पिम्परी चिंचवाड नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर बकाया की माफी	02.00**
(स) ओ०एन०जी०सी० द्वारा सम्पूर्ण मिश्र एवं दंड ब्याज की माफी (योजना की लागत में 6.78 करोड़ रुपयों की अंश मूलधनराशि का भुगतान शामिल)	परिकलित नहीं****
(द) महाराष्ट्र सरकार द्वारा बिक्री कर के बकायों पर ब्याज व जुर्माने की माफी	परिकलित नहीं****
(य) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई०पी०एफ०) द्वारा भविष्य निधि एवं पैंशनरों के अंशदान के विलंबित भुगतान पर क्षतिपूर्ति की माफी	14.34
कुल	103.34

टिप्पणी: 1* बैंक/वित्तीय संस्थान एवं अन्य संस्थान, ब्याज/दंड ब्याज माफ करने पर सहमत हो गए हैं।

टिप्पणी: 2** पिम्परी चिंचवाड नगर निगम, सम्पत्ति कर बकाया की माफी पर सक्रिया रूप से विचार कर रहा है।

टिप्पणी: 3*** ओ०एन०जी०सी० डाउन पैमेन्ट के रूप में 6.78 करोड़ रुपये और शेष 22.11 करोड़ रुपये 5 वर्षों के बिलम्बन काल के साथ 5 वार्षिक किश्तों में स्वीकार करने में सहमत हुआ है जो एच०ए०एल० अपने पुनर्वास के बाद चुकाने में सक्षम होगा। ओ०एन०जी०सी० समपूर्ण मिश्र एवं शासित ब्याज को माफ करने पर भी सहमत हुआ है।

टिप्पणी: 4**** रूग्ण कंपनियों की पुनर्वास योजना, 1990 के लिए महाराष्ट्र सरकार के स्टेण्डर्ड पैकेज के अधीन महाराष्ट्र में अवस्थित सभी कंपनियों को बिक्री कर 5 समान किश्तों में ब्याज की रियायती दरों पर भुगतान करने की अनुमति दी गई है और बिक्री कर के विलम्बित भुगतान में दंड प्रभारों को माफ करने के इस शर्त पर पात्र हैं कि रूग्ण कंपनियों की पुनर्वास योजना बी०आई०एफ०आर० द्वारा अनुमोदित की गई है। बी०आई०एफ०आर० द्वारा पुनर्वास पैकेज के अनुमोदन के पश्चात एच०ए०एल० महाराष्ट्र सरकार के सामने आवेदन करेगा।

नारियल उत्पादकों हेतु योजना

1593. डा० पी०पी० कोया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका इत्यादि जैसे देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर नारियल उत्पादों की सहायता के लिए नारियल विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही नई कल्याण योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लक्षद्वीप जहां अधिकांश लोग नारियल उत्पादों पर निर्भर हैं, में नारियल विकास बोर्ड का कोई अधीनस्थ कार्यालय कार्य कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादकों और सहकारी समितियों के लिए उपलब्ध कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) नारियल विकास बोर्ड नारियल के किसानों के लाभ के लिए विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है अर्थात् नारियल के तहत क्षेत्र विस्तार, रोग प्रभावित पामों का प्रबंधन, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम, सूचना प्रसार और गुणवत्ताप्रद पौध रोपण सामग्रियों के उत्पादन और वितरण हेतु वित्तीय सहायता देकर उत्पादकता सुधार तथा प्रदर्शन प्लॉट निर्धारण। बोर्ड नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के अधीन प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण, मूल्य वर्धन तथा मण्डी अनुसंधान और नारियल के मूल्य वर्धित उत्पादों के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता भी देता है। नारियल विकास बोर्ड ने उपर्युक्त कार्यक्रमों पर पिछले चार वर्षों (2002-03 से 2005-06) के दौरान 110.40 करोड़ रुपये की धनराशि का निवेश किया है।

उपर्युक्त उपायों के अलावा श्रीलंका जैसे देशों से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से नारियल के किसानों की रक्षा करने के लिए विशुष्क (डैसिकेटिड) नारियल का आयात शुल्क 30% से बढ़ाकर 60.2% कर दिया गया है। दक्षिण एशिया विदेश व्यापार समझौते में नारियल उत्पादों को संवेद्य सूची में डाला गया है और इस प्रकार आयात शुल्कों की कमी से इनकी रक्षा की जाती है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि बोर्ड लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन के कृषि विभाग के जरिए लक्षद्वीप में उपर्युक्त स्कीमों का क्रियान्वयन कर रहा है।

लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र में उच्च मूल्य कृषि नामक नई स्कीम के अधीन दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। परियोजना की लागत के 50% तक राजसहायता के वर्धित पैमाने के साथ नारियल विकास बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और राष्ट्रीय बागवानी मिशन की चल रही स्कीमों के अधीन इस स्कीम का वित्तपोषण किया जाता है।

घटिया गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की खरीद

1594. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित औसत गुणवत्ता (एफ०एक्यू०) मानदण्ड यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं कि केवल अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न ही सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे जाएं;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्यान्नों की खरीद में उक्त मानदंडों का बेझिझक उल्लंघन किया गया है/किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो एफ०एक्यू० मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कितने अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या घटिया गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लोगों द्वारा खरीद बहुत कम रही है; और

(ङ) यदि हां, तो एफ०एक्यू० मानदंडों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां। सरकार द्वारा अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की वसूली करने के लिए उचित औसत किस्म के मानदण्ड निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं। खाद्यान्नों की वसूली के दौरान विहित विनिर्दिष्टियों का कड़ाई से पालन किया जाता है। तथापि, विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान इक्का-दुक्का मामलों में खाद्यान्नों की वसूल की गई मात्रा में से कुछ मात्रा ऐसी पाई जाती है जो किसी वसूली मौसम विशेष के लिए विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं होती है। ऐसे मामलों में स्टाक को बदलना आदि जैसे उपचारात्मक उपाय तत्काल किए जाते हैं। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए अधिकारियों के प्रति तत्काल कड़ा रवैया अपनाया जाता है और उनके खिलाफ तत्परता से उचित अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य अनियमितताओं सहित खराब गुणवत्ता के खाद्यान्नों की वसूली के लिए जिम्मेदार पाए गए भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं—

क्र०सं०	लगाया गया दंड	2003	2004	2005	जून 2006 तक
1.	बर्खास्तगी/नौकरी से हटाना/अनिवार्य सेवा निवृत्ति	56	37	44	34
2.	पद में कमी	66	39	30	02
3.	समय वेतनमान में कमी	420	361	313	130
4.	वेतन वृद्धि रोकना	146	168	118	83
5.	भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि की वेतन से रिकवरी	964	1346	886	515
6.	प्रोन्नति रोकना	12	06	05	02
7.	निंदा	427	489	307	132
	जोड़	2091	2446	1703	898
8.	चेतावनी/दोषमुक्त करना/मामला बंद करना	375	412	248	103
	सकल जोड़	2466	2858	1951	1001

इसके अलावा केन्द्रीय जांच ब्यूरो में भी श्रेणी-I/II/III के 83 अधिकारियों/कर्मचारियों और पंजाब के 330 चावल मिल मालिकों के खिलाफ खरीफ 2004-05 में खराब गुणवत्ता के चावल की वसूली करने के लिए जनवरी, 2006 में 3 मामले दर्ज किए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पुशर बांध परियोजना II

1595. **श्री हरिभाऊ राठौड़ :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र जलापूर्ति तथा जल मल व्ययन परियोजना चरण II पुशर बांध परियोजना के लिए तैयार की गयी कोई पुनरीक्षित पर्यावरण रिपोर्ट प्राप्त की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निजी क्षेत्र द्वारा रेडियो स्टेशन

1596. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रसारण क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश के बाद प्रसार भारती के अंतर्गत रेडियो स्टेशनों के अस्तित्व का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितनी निजी कंपनियों को अपने रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति दी गयी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि आकाशवाणी की श्रोतागण अनुसंधान इकाइयां वार्षिक आधार पर विभिन्न रेडियो चैनलों हेतु रेडिया कार्यक्रम श्रोतागण संख्या आयोजित करता है। आकाशवाणी नेटवर्क में 358 ट्रांसमीटरों के साथ 223 स्टेशन शामिल हैं और आबादी वार 99.13% (देश का) तथा क्षेत्रवार 91.42% भाग को कवर करते हैं। निजी प्रसारकों के प्रवेश ने आकाशवाणी की श्रोतागण संख्या पर बेहद मामूली प्रभाव डाला है क्योंकि मौजूदा निजी रेडियो चैनल देश के 3.3% क्षेत्र और 9.3% आबादी को कवर करते हैं।

(ग) अभी तक 42 निजी कंपनियों को अपने एफ०एम० रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

चीनी के कोटे की बहाली

1597. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कार्डधारकों को वितरित करने के लिए चीनी के मासिक आवंटन को बहाल करने का मामला उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अधिकृत चीनी मिलें राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संवितरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत मासिक चीनी आवंटन की आपूर्ति नहीं करती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उनका 100% मासिक लेवी चीनी कोटा आवंटित करने का अनुरोध किया गया था जो 13946.00 मीटरी टन है। राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि चूंकि लेवी प्रतिशतता घटाकर घरेलू उत्पादन का 10% कर दी गई है, अत: लेवी चीनी के आवंटन के लिए चीनी की उपलब्धता घरेलू उत्पादन के स्तर पर निर्भर करते हुए घटती-बढ़ती रहती है। अत: प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को लेवी कोटे के अनुसार लेवी चीनी की आपूर्ति करना संभव नहीं रहा है। महाराष्ट्र सरकार को प्रत्येक मास 8000 मीटरी टन लेवी चीनी नियमित रूप से रिलीज की जा रही है।

(ग) और (घ) जिन चीनी फैक्ट्रियों को मासिक लेवी आवंटन आदेश जारी किए जाते हैं, वे सामान्यतया सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित करने के लिए आवंटन आदेशों के अनुसार लेवी चीनी की आपूर्ति करती हैं। जब कभी कोई चीनी फैक्ट्री लेवी चीनी की आपूर्ति करने में विफल रहती है और यह मामला विभाग के ध्यान में लाया जाता है तो ऐसी चीनी फैक्ट्री के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई आरम्भ की जाती है।

गेहूं और दालों का उत्पादन

1598. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री सुब्रत बोस :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार और वर्षवार गेहूं और दालों के लिए क्या उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इसमें अभी तक कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई है; और

(ग) राज्यवार कुल कितनी भूमि पर गेहूं और दालों की खेती होती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) उत्पादन लक्ष्य वार्षिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2002-03 से 2005-06 के लिए गेहूं और दलहन की खेती के अधीन लक्ष्यों, उपलब्धियों और क्षेत्र के राज्यवार ब्यौरे विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

गेहूं का राज्यवार लक्ष्य, उपलब्धि और क्षेत्र

क्षेत्र: ('000 हैक्टेयर), उत्पादन: ('000 टन)

राज्य	2002-03			2003-04			2004-05			2005-06*		
	उत्पादन		क्षेत्र	उत्पादन		क्षेत्र	उत्पादन		क्षेत्र	उत्पादन		क्षेत्र
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	10.0	14.0	11.0	10.0	7.0	12.0	10.0	5.0	9.0	उपलब्ध नहीं	7.0	11.0
अरूणाचल प्रदेश	6.0	6.3	4.1	6.0	6.3	4.2	7.0	8.7	4.3	-वही-	#	#
असम	120.0	78.0	69.0	120.0	73.0	70.0	110.0	68.1	63.9	-वही-	71.0	68.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बिहार	4800.0	4040.6	2130.9	4800.0	3688.9	2076.8	5450.0	3263.4	2027.6	-वही-	3660.0	2038.0
छत्तीसगढ़	100.0	98.6	92.8	100.0	108.6	106.1	110.0	82.4	96.6	-वही-	91.0	102.0
गुजरात	1550.0	856.6	435.6	1550.0	2036.5	759.5	1600.0	1805.5	727.4	-वही-	2473.0	916.0
हरियाणा	9600.0	9188.0	2267.0	9600.0	9114.0	2315.0	9700.0	9058.0	2322.0	-वही-	8878.0	2308.0
हिमाचल प्रदेश	600.0	495.6	359.4	600.0	498.0	361.0	650.0	684.0	362.0	-वही-	679.0	363.0
जम्मू एवं कश्मीर	475.0	401.9	244.2	475.0	459.4	254.7	440.0	474.4	248.4	-वही-	444.0	248.0
झारखण्ड	100.0	104.0	64.0	100.0	118.0	75.0	127.0	150.0	63.0	-वही-	84.0	58.0
कर्नाटक	225.0	147.7	246.9	225.0	96.2	232.0	250.0	179.0	242.0	-वही-	145.0	212.0
मध्य प्रदेश	8800.0	4923.4	3381.6	8800.0	7364.6	4091.1	9100.0	7176.6	4136.2	-वही-	5958.0	3693.0
महाराष्ट्र	1450.0	984.0	760.0	1450.0	778.0	665.0	1200.0	1016.0	756.0	-वही-	1452.0	1053.0
मेघालय	7.0	4.7	2.7	7.0	1.5	0.9	7.0	1.6	0.9	-वही-	#	#
नागालैंड	13.0	17.0	8.0	13.0	20.0	10.0	17.0	13.0	8.2	-वही-	#	#
उड़ीसा	10.0	5.0	4.6	10.0	7.5	5.1	12.0	5.0	4.0	-वही-	5.0	3.0
पंजाब	15500.0	14175.0	3375.0	15500.0	14489.0	3444.0	16000.0	14698.0	3482.0	-वही-	14493.0	3468.0
राजस्थान	6750.0	4878.0	1800.7	6750.0	5875.8	2103.0	6600.0	5706.6	2010.1	-वही-	5865.0	2124.0
सिक्किम	12.0	8.9	6.3	12.0	8.1	5.7	12.0	8.3	5.7	-वही-	#	#
तमिलनाडु		0.0	0.0	0.0			0.0			-वही-	#	#
त्रिपुरा	3.0	1.8	0.9	3.0	5.1	1.2	3.0	2.8	1.1	-वही-	#	#
उत्तर प्रदेश	26080.0	23612.4	9094.0	26080.0	25566.7	9150.1	26000.0	22513.9	8999.8	-वही-	23574.0	9164.0
उत्तरांचल	900.0	750.0	411.0	900.0	745.0	397.0	800.0	803.0	394.0	-वही-	645.0	402.0
पश्चिम बंगाल	850.0	887.4	405.4	850.0	985.7	425.7	1200.0	841.5	400.1	-वही-	838.0	367.0
दादरा एवं नगर हवेली	1.0	1.4	0.7	1.0	1.0	0.5	1.0	1.1	0.6	-वही-	#	#
दिल्ली	30.0	79.7	19.9	30.0	102.3	29.1	90.0	71.0	18.0	-वही-	#	#
अन्य		एन०ए०	एन०ए०		एन०ए०	एन०ए०	0.0	एन०ए०	एन०ए०	-वही-	119.0	49.0
समस्त भारत	78000.0	65760.8	25195.7	78000.0	72156.2	26594.7	79500.0	68636.9	26382.9	75530.0	69481.0	26647.0

नोट : वर्ष 2005-06 के लिए राज्यवार लक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

एन०ए० : लागू नहीं।

: अन्य में शामिल।

विवरण-II

दलहनों का राज्यवार लक्ष्य, उपलब्धि और क्षेत्र

क्षेत्र: ('000 हैक्टेयर), उत्पादन: ('000 टन)

राज्य	2002-03			2003-04			2004-05			2005-06*		
	उत्पादन		क्षेत्र	उत्पादन		क्षेत्र	उत्पादन		क्षेत्र	उत्पादन		क्षेत्र
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	730.0	1061.6	2099.9	730.0	1239.0	2185.0	770.0	1019.0	1803.8	1300.00	1377.0	1782.0
अरूणाचल प्रदेश	6.0	7.7	7.3	6.0	7.4	6.8	6.0	6.8	6.5	9.0	#	#
असम	60.0	60.0	111.0	60.0	64.0	115.0	60.0	61.4	107.6	66.0	35.0	62.0
बिहार	600.0	560.9	697.8	600.0	562.6	691.3	600.0	466.9	657.9	730.0	482.0	6550
छत्तीसगढ़	465.0	365.7	781.8	465.0	580.7	955.1	465.0	367.8	932.2	480.0	452.0	944.0
गोआ	10.0	7.5	9.4	10.0	9.2	9.8	10.0	9.4	10.4	12.0	#	#
गुजरात	555.0	327.2	697.7	605.0	622.4	832.6	620.0	479.3	710.2	510.0	580.0	807.0
हरियाणा	505.0	82.9	126.6	505.0	143.1	199.0	505.0	146.0	184.2	270.0	128.0	206.0
हिमाचल प्रदेश	14.0	16.7	33.6	14.0	9.0	29.3	14.0	18.1	32.3	25.0	10.0	29.0
जम्मू एवं कश्मीर	24.0	14.0	28.8	24.0	13.3	27.6	24.0	15.1	30.7	30.0	14.0	27.0
झारखण्ड	240.0	133.5	165.7	240.0	135.0	266.0	240.0	160.0	273.0	165.0	167.0	296.0
कर्नाटक	750.0	693.6	2060.6	750.0	569.2	1874.3	780.0	792.0	2106.0	1130.0	869.0	1922.0
केरल	30.0	6.8	8.8	30.0	5.0	6.0	30.0	2.9	3.4	20.0	2.0	1.0
मध्य प्रदेश	2900.0	2375.5	4137.5	3000.0	3488.0	4585.4	3135.0	3429.2	4519.7	3450.0	3230.0	4279.0
महाराष्ट्र	2150.0	2058.1	3569.8	2150.0	1960.0	3446.1	2250.0	1664.0	3384.0	2275.0	1802.0	3390.0
मणिपुर	12.0	2.6	5.4	12.0	3.2	6.3	12.0	3.0	7.9	5.0	#	#
मेघालय	3.0	3.3	4.6	3.0	3.5	4.7	3.0	3.6	2.6	5.0	#	#
मिजोरम	10.0	5.0	4.6	10.0	4.5	5.2	10.0	4.8	3.7	6.0	#	#
नागालैंड	12.0	28.0	30.0	12.0	33.5	33.5	12.0	25.2	31.6	36.0	#	#
उड़ीसा	600.0	194.4	548.7	700.0	272.7	714.8	710.0	249.6	642.5	380.0	297.0	724.0
पंजाब	95.0	33.9	43.3	95.0	39.4	47.9	95.0	31.7	39.6	60.0	27.0	35.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
राजस्थान	1750.0	484.5	1802.9	1750.0	2278.4	3860.9	1795.0	1337.4	3571.1	1550.0	844.0	3409.0
सिक्किम	10.0	6.6	7.1	10.0	6.8	7.1	10.0	6.6	6.9	6.0	#	#
तमिलनाडु	355.0	182.2	527.4	355.0	200.8	537.0	355.0	245.6	599.3	470.0	278.0	705.0
त्रिपुरा	6.0	5.5	8.8	6.0	5.2	8.4	6.0	5.5	8.9	6.0	#	#
उत्तर प्रदेश	2300.0	2202.0	2677.7	2450.0	2400.3	2698.4	2575.0	2375.0	2803.7	2460.0	2206.0	2742.0
उत्तरांचल	25.0	29.1	46.6	25.0	29.0	42.0	25.0	28.0	45.0	32.0	36.0	61.0
पश्चिम बंगाल	170.0	167.6	241.3	170.0	211.7	251.9	170.0	167.1	225.7	200.0	204.0	272.0
ए एवं एन आईलैंड	4.0	0.6	1.3	4.0	0.4	0.7	4.0	0.4	0.7	3.0	#	#
दादरा एवं नगर हवेली	2.0	6.0	6.5	2.0	5.1	6.0	2.0	5.4	6.5	5.0	#	#
दिल्ली	1.0	0.3	0.4	1.0	0.8	0.1	1.0	0.3	0.3	2.0	#	#
दमन एवं द्वीव	2.0	1.0	1.3	2.0	1.1	1.3	2.0	1.2	1.3	1.0	#	#
पांडिचेरी	4.0	0.7	2.0	4.0	0.9	2.6	4.0	1.2	3.8	1.0	#	#
अन्य		एन०ए०	एन०ए०		एन०ए०	एन०ए०		एन०ए०	एन०ए०	0.0	72.0	83.0
समस्त भारत	14400.00	11125.0	20496.2	14800.0	14905.2	23458.1	15300.0	13129.5	22763.0	15700.0	13112.0	22431.0

एन०ए० : लागू नहीं।

: अन्य में शामिल।

[हिन्दी]

पशुपालन के विकास हेतु लंबित प्रस्ताव

1599. श्री ब्रजेश पाठक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास इस समय किन-किन राज्यों के पशुपालन विकास संबंधी प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ख) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) पशुपालन विकास के लिए असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मिजोरम, उड़ीसा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, नागालैंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता, धनराशि की उपलब्धता तथा संबंधित राज्यों को विगत में जारी धनराशि के उपयोग के आधार पर धनराशि जारी की जाएगी।

गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना

1600. श्री हंसराज जी० अहीर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना हेतु सहायता प्रदान करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को क्या सहायता प्रदान की गई है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) भारत सरकार राज्य सरकारों को ऐसी निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

के आधार पर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कर रही है, जो निर्माण के अन्तिम चरण में हैं। गोसीखुर्द परियोजना ए०आई०बी०पी० में 1996-97 से शामिल है और 2005-2006 तक महाराष्ट्र सरकार को 219.1957 करोड़ रुपए ऋण/अनुदान के रूप में जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2006-07 के लिए अनुदान जारी करने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

बाजार जोखिम स्थिरीकरण कोष

1601. श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को कीमत के उतार-चढ़ाव से बचाने हेतु केन्द्र, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से एक बाजार जोखिम स्थिरकरण कोष की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय किसान आयोग ने 13 अप्रैल, 2006 को जारी की गई ''किसान राष्ट्रीय नीति मसौदा'' शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि मूल्यों में खतरनाक स्तर तक उतार-चढ़ावों की अवधियों के दौरान किसानों को संरक्षण देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों और साथ ही वित्तीय संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से मण्डी जोखिम स्थिरीकरण कोष की स्थापना की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय कृषक आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट अक्तूबर, 2006 में प्रस्तुत करनी है। आयोग की अंतिम रिपोर्ट की जांच के पश्चात ही ऐसा कोष गठित करने पर विचार करने की बात होगी।

फ्लाईऐश का प्रयोग

1602. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकानों के निर्माण में फलाईऐश के प्रयोग से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है/किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भाभा एटामिक अनुसंधान केन्द्र द्वारा की गई जांच से यह पुष्टि हो गई है कि फ्लाईऐश ईंटों से बनाए गए कमरों में राडोन की सान्द्रता एटामिक एनर्जी विनियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित 1000 बीक्यूरील प्रति वर्ग मीटर से बहुत कम है। इसके अतिरिक्त एटामिक एनर्जी विनियामक बोर्ड ने फ्लाईऐश की निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की है।

[हिन्दी]

परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति देना

1603. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को 1 नवम्बर, 2000 के बाद की विकासात्मक परियोजनाओं हेतु पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान करने के लिए भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ में कई उद्योग अपेक्षित पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के बिना चल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) छत्तीसगढ़ सरकार से पर्यावरणीय मंजूरी के लिए 1 नवम्बर, 2000 के बाद प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार की कोई परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी के बिना नहीं चल रही है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

छत्तीसगढ़ सरकार की 1 नवम्बर, 2000 के बाद प्रस्तुत प्रस्तावों का विवरण और मंजूरी के लिए उनकी वर्तमान स्थिति नीचे अनुबंध में दी गई है

क्रम सं०	परियोजना का नाम	परियोजना स्थिति
1.	मैसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड, कोरबा छत्तीसगढ़ की कोरबा (पूर्व) में 2x250 मैगावाट थर्मल पवार प्लांट	पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई
2.	मैसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड, कोरबा छत्तीसगढ़ की कोरबा (पश्चिम) में 2x300 मैगावाट थर्मल पवार प्लांट	पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई
3.	मैसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डिवेलपमेंट कारपोरेशन, जिला सरगुजा में बरिमा I बाक्साइट खनन परियोजना	पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई
4.	मैसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डिवेलपमेंट कारपोरेशन, जिला सरगुजा में बरिमा III बाक्साइट खनन परियोजना	पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई
5.	मैसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डिवेलपमेंट कारपोरेशन, जिला सरजुना में बरिमा II बाक्साइट खनन परियोजना	पर्यावरणीय मंजूरी अपेक्षित नहीं है क्योंकि खानों से उत्पादन पर प्रतिबंध है।

[अनुवाद]

जी०एम० बीजों की कीमत

1604. श्री कुलदीप बिश्नोई :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बीज कंपनियों द्वारा बीटी कॉटन सहित अनुवांशिकीय रूप से संवर्धित फसल बीजों की अत्यधिक कीमत वसूली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इनकी कीमतों को विनियमित करने हेतु कोई तंत्र विकसित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों को जी०एम० बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) बी०टी० बीज कम्पनियों द्वारा प्रभारित अत्यधिक विशेषक मूल्य के बारे में आन्ध्र प्रदेश से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धति आयोग (एम०आर०टी०पी०) के समक्ष कार्यवाही शुरू की है। एम०आर०टी०पी० आयोग ने अंतरिम आदेश के जरिए बीज कम्पनियों को निदेश दिया है कि वे बी०टी० कपास बीजों के प्रति 450 ग्राम के लिए 120 रुपये का विशेषक मूल्य प्रभारित न करे। कम्पनी को आगे यह भी निदेश दिया गया कि चीन जैसे देश में प्रभारित किए जा रहे विशेषक मूल्य पर विचार करते हुए पुनः विशेषक मूल्य निर्धारित करे। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन जेनेटिक इंजीनियरिंग अपरूवल कमिटी ने बी०टी० प्रौद्योगिकी के साथ कपास के 62 संकरों की निर्मुक्ति की है जिसमें मोनसांटों के अतिरिक्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी आधारित बी०टी० कपास संकर और चीन से आयातित बी०टी० प्रौद्योगिकी शामिल है। यह आशा की जाती है कि यह बीज कम्पनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा तथा कपास बीजों के मूल्यों को नीचे लाएगा। साथ ही बी०टी० कपास बीजों की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।

अधिसूचित वन क्षेत्र

1605. श्री एम० राजा मोहन रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य में कोई अधिसूचित वन क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में उक्त वन क्षेत्र के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश में अधिसूचित वन क्षेत्र है।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(i)	आरक्षित वन	50,479 वर्ग कि०मी० अधिसूचित क्षेत्र
(ii)	सुरक्षित वन	12,365 वर्ग कि०मी० अधिसूचित क्षेत्र
(i)	अवर्गीकृत वन	977 वर्ग कि०मी० अधिसूचित क्षेत्र
	राज्य कुल वन	63,821 वर्ग कि०मी०

(ग) आन्ध्र प्रदेश में वन क्षेत्रों में संरक्षण और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप किए जा रहे हैं।

(i) किसी प्रकार के अतिक्रमण अथवा विनाश और अवैध शिकार के विरोध में वन विभाग के उड़न-दस्ता दलों द्वारा वनों में गश्त लगाई जाती है।

(ii) जन भागीदारी – संयुक्त वन प्रबंधन और सामुदायिक वन प्रबंधन के माध्यम से वनों प्रबंधन किया जाता है।

(iii) वनों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/राज्य क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत दावानल निवारण एवं नियंत्रण, उन्नत गतिशील संचार व्यवस्था, अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना, सर्वेक्षण और सीमांकन आदि जैसे कुछ कार्य प्रारम्भ किए गए हैं।

उत्पादन लागत का आकलन

1606. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में गेहूं, धान, गन्ने और कपास की उत्पादन लागत का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त उत्पादों की औसत उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन-किन राज्यों में उक्त उत्पादों की उत्पादन लागत अधिकतम और न्यूनतम थी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) ''भारत में मुख्य फसलों की खेती की लागत के अध्ययन हेतु व्यापक स्कीम'' के क्रियान्वयन के जरिए सरकार समय-समय पर विभिन्न मुख्य फसलों, जिसमें गेहूं, धान, गन्ना और कपास शामिल है, की उत्पादन लागत का आकलन करती है। वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान भारत के मुख्य राज्यों में उनकी लागतों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) खेती की लागत के अध्ययन के अनुसार 2001-02 से 2003-04 की अवधि के दौरान मुख्य राज्यों में गेहूं, धान, गन्ना और कपास के उत्पादन की अधिकतम और न्यूनतम लागत इस प्रकार है :–

फसलों के नाम	राज्य	
	उत्पादन की अधिकतम लागत	उत्पादन की न्यूनतम लागत
गेहूं	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश
धान	पश्चिम बंगाल	पंजाब
गन्ना	महाराष्ट्र	कर्नाटक
कपास	महाराष्ट्र	गुजरात

विवरण

मुख्य राज्यों में गेहूं, धान, गन्ना और कपास की उत्पादन लागत

(रु०/क्विंटल)

फसलों के नाम	राज्यों के नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
गेहूं	उत्तर प्रदेश	454.65	507.65	482.78
	पंजाब	455.61	493.80	504.24
	हरियाणा	475.97	477.81	506.72
	मध्य प्रदेश	590.81	654.13	568.11
	राजस्थान	464.62	482.15	499.37
धान	पश्चिम बंगाल	499.67	549.06	545.77
	उत्तर प्रदेश	447.37	528.88	440.56
	पंजाब	392.91	498.12	442.56
	आन्ध्र प्रदेश	538.35	543.71	488.83
	उड़ीसा	433.05	539.53	468.35

1	2	3	4	5
गन्ना	उत्तर प्रदेश	64.36	61.49	55.64
	महाराष्ट्र	63.44	70.12	77.90
	तमिलनाडु	57.52	66.34	63.71
	कर्नाटक	50.76	53.07	66.46
	आंध्र प्रदेश	73.55	71.68	65.24
कपास	गुजरात	2282.46	1954.30	1566.88
	महाराष्ट्र	2204.61	2365.52	2152.45
	आन्ध्र प्रदेश	1744.76	1617.76	1720.17
	पंजाब	2621.62	2447.74	2140.28

नोट: उपर्युक्त दर्शाई गई उत्पादन लागत वह उत्पादन लागत (सी2) है जिसमें पट्टे पर ली गई भूमि के लिए दिया गया किराया ओर पारिवारिक श्रम की मजदूरी का आकलित मूल्य, स्वाधिकृत भूमि का किराया मूल्य तथा निर्धारित पूंजी पर ब्याज सहित नकद और वस्तु में सभी खर्च शामिल है।

[हिन्दी]

बीड़ी कर्मकारों को सुविधाएं

1607. श्री फुरकान अंसारी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में कार्यरत लाखों बीड़ी कर्मकार मूलभूत सुविधाओं से वंचित है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें उचित आवास, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल आपूर्ति और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) और (ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय बीड़ी कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में कल्याण योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ अस्पताल और औषधालय चलाना, स्कूल/कालेज जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्तियां, मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता, बीड़ी/छोटी सर्जरी की लागत की प्रतिपूर्ति इत्यादि शामिल है। बड़ी कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में 16 स्थिर-सह-सचल चिकित्सा इकाईयां और धुलियान, जिला मुर्शिदाबाद में एक 50 बिस्तरों वाला केन्द्रीय अस्पताल स्थित है। करमा क्षेत्र में, बिहार और झारखंड राज्य के विभिन्न भागों में 21 औषधालय और एक 100 बिस्तरों वाला साधारण अस्पताल तथा एक 50 बिस्तरों वाला टी०बी० अस्पताल चल रहे हैं। ह्रदय, गुर्दा, कैंसर रोगों जैसे विशेषीकृत उपचार के लिए रोगियों को मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता वाले अस्पतालों में भेजा जाता है और कतिपय सीमा तक उपचार की लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है। उपर्युक्त कल्याण निधि के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी कामगारों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या और किया गया व्यय निम्नवत है :

(बिहार और झारखंड राज्य)

(व्यय लाख रुपयों में)

		2003-04	2004-05	2005-06
स्वास्थ्य	व्यय	285.30	345.54	391.24
	लाभार्थी	248088	341500	362852
शिक्षा	व्यय	59.76	124.17	134.84
	लाभार्थी	7837	20915	22484
आवास	व्यय	6.71	9.98	3.31

(पश्चिम बंगाल)

(व्यय लाख रुपयों में)

		2003-04	2004-05	2005-06
स्वास्थ्य	व्यय	66.35	94.72	159.48
	लाभार्थी	398696	442977	4980.82
शिक्षा	व्यय	382.10	451.48	500.67
	लाभार्थी	44196	52862	57878
आवास	व्यय	73.68	99.87	119.27

[अनुवाद]

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत दिल के मरीजों के लिए विशेष अस्पताल

1608. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत दिल के मरीजों के लिए विशेष अस्पताल बनाने का कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय का उन्नयन

1609. श्री के०सी० पल्लानी शामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय को उन्नत करने की कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ और कृषि क्षेत्र की अन्य केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं के लिए धनराशि मंजूर की है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के लिए अभी तक मंजूरी की गई धनराशि का योजनावार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कृषि शिक्षा का विकास व सुदृढ़ीकरण नामक स्कीम और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) के अंतर्गत अन्य स्कीमों के लिए तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय को स्वीकृत धनराशि का विवरण संलग्न है।

विवरण

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय को पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित की गई राशि

क्रम सं०	स्कीम का नाम	पिछले 3 वर्ष के दौरान	2006-2007
1	2	3	4
1.	कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं विकास	870.50	471.50
2.	ग्रामीण जागरूकता कार्यानुभव	18.00	8.00
3.	अग्रत अध्ययन केन्द्र	64.46	25.50
4.	कृषि मौसम विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	34.48	11.62
5.	खरपतवार नियंत्रण पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	50.58	12.30
6.	फसल प्रणाली अनुसंधान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	108.52	42.64
7.	जल प्रबंधन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधार परियोजना	131.29	52.08
8.	शुष्क भूमि कृषि पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	96.53	35.72
9.	लवणीय जल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	51.63	20.00
10.	भूजल उपयोग पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	33.38	22.00
11.	जैविक फार्मिंग के नेटवर्क पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	17.97	3.82
12.	जलवायु परिवर्तन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	28.71	11.92

1	2	3	4
13.	मृदा परीक्षण फसल अनुक्रिया पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	44.86	22.20
14.	सूक्ष्म गौण पोषण पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	63.62	23.36
15.	दीर्घावधि उर्वरक अनुप्रयोगों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	28.85	9.26
16.	जैव-उर्वरक पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	29.79	11.85
17.	उपोष्ण फल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	96.53	21.01
18.	उप-उपोष्ण पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	22.96	6.51
19.	शुष्क क्षेत्र फल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	48.56	9.22
20.	मसालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	26.98	10.30
21.	पान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	18.68	12.09
22.	काजू पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	22.66	12.98
23.	ताड़ पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	121.26	52.22
24.	खुम्बी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	14.64	13.40
25.	कन्दीय फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	34.75	13.36
26.	सब्जी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	67.64	15.27
27.	पुष्प विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	66.45	15.08
28.	फार्म उपकरण एवं मशीनरी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	172.56	62.3
29.	ऊर्जा के स्रोतों का पुनर्नवीकरण पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	104.34	46.92
30.	एर्गोनोमिक्स एवं कृषि सुरक्षा पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	44.73	19.52
31.	सस्योत्तर प्रौद्योगिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	144.16	19.52
32.	बाजरा अनाज पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	30	10.47
33.	छोटे अनाज पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	51.17	16.83
34.	चावल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	196.06	76.15
35.	मक्का पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	27.27	9.35
36.	चारा फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	64.83	23.67
37.	ज्वार पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	76.94	27.49
38.	अल्प दोहित फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	25.59	9.80
39.	गोलकृमि पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	31.95	13.19
40.	नाशीजीवनाशी अवशिष्टों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	26.03	0.00

1	2	3	4
41.	एक्रोलोजी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	50.57	12.17
42.	जैविक नियंत्रण पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	37.56	8.13
43.	गन्ने पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	29.55	9.05
44.	पटसन एवं संबद्ध रेशों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	17.94	6.02
45.	कपास पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	87.60	30.26
46.	सूरजमुखी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	62.10	16.28
47.	अरण्डी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	40.60	11.43
48.	तिल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	55.72	20.32
49.	सोयाबीन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	30.47	12.07
50.	मूंगफली पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	87.50	26.93
51.	एलियारनगर पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	37.15	11.65
52.	मुलार्प पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	116.48	29.74
53.	अरहर पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	121.17	38.40
54.	प्रजनक बीज उत्पादन पर राष्ट्रीय बीज परियोजना	35.21	13.92
55.	बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान पर राष्ट्रीय बीज परियोजना	47.99	14.41
56.	सब्जी पर राष्ट्रीय बीज परियोजना	24.75	10.04
57.	कृषि फसलों और मात्स्यिकी में बीज उत्पादन	384.25	220.75
58.	तदर्थ अनुसंधान परियोजनाएं	60.75	18.00
59.	कृषि विज्ञान केन्द्र	1276.05	712.85
60.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजनाएं	1750.00	0.00
	कुल	7563.32	2564.80

राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना

1610. श्री तुकाराम गंगाधर गडाख : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी कृतिक बल की सिफारिश के अनुसार एक राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अधिसूचना कब तक जारी किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) प्राधिकरण को प्रभावी निकाय बनाने के लिए किन-किन मंत्रालयों में समन्वय होना आवश्यक है;

(घ) प्राधिकरण के गठन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) मामले में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) कृषि एवं सहकारिता विभाग ने कृषि में जैव प्रौद्योगिकी

के अनुप्रयोग पर कार्य बल की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण (एन०बी०आर०ए०) की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है जिस पर सरकार विचार कर रही है। इस प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रख्यात जैव-प्रौद्योगविज्ञ द्वारा किया जाना प्रस्तावित है तथा इसमें संबद्ध मंत्रालयों जैसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय आदि के प्रतिनिधि होंगे। विषय वस्तु विशेषज्ञ तथा गैर-सरकारी संगठनों को भी प्रस्तावित एनबीआरए में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

शापिंग मॉलों को पर्यावरणीय मंजूरी

1611. **श्री रघुनाथ झा :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम ने) से वसंत कुंज शापिंग मॉलों को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के मामले में जन-सुनवाई पूरी कर ली है;

(ख) क्या रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन (आर०डब्ल्यू०ए०) एवं स्थानीय निवासी बसंत कुंज शापिंग मॉलों का विरोध कर रहे हैं;

(ग) क्या उक्त मॉलों का निर्माण फनल एरिया में किया जा रहा है; और

(घ) इस मामले में उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) 19-20 जून 2006 को हुई जन सुनवाई में कई रैजीडैण्ट वैलफेयर एसोसियेशनों के प्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों ने वसंतकुंज शापिंग माल्स के निर्माण के विरूद्ध अपने विशेषाधिकारों को प्रकट किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अंतर्गत जन सुनवाई करने वाला पैनल बिना किसी निष्कर्ष अथवा सिफारिश के कार्रवाई को रिकार्ड करने और विनियामक प्राधिकरण अर्थात पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजने के लिए प्राधिकृत है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इस संबंध में उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम दिल्ली) द्वारा आयोजित जनसुनवाई की कार्रवाई बिना उनकी किसी विशेष सिफारिश के प्राप्त हुई है।

माल-भाड़े में वृद्धि

1612. **श्री बालासाहिब विखे पाटील :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों पर लगने वाले माल-भाड़े में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्धन किसानों की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) यूरिया के सम्बन्ध में उत्पादक इकाइयों से ब्लॉक मुख्यालय तक यूरिया के परिवहन हेतु राजसहायता का भुगतान, समेकित भाड़े के रूप में किया जाता है, जिसमें प्राथमिक भाड़ा और गौण भाड़ा शामिल होता है। प्राथमिक भाड़ा संयंत्र द्वार से माल गोदामों/क्षेत्रीय गोदामों तक तथा गौण भाड़ा माल गोदामों/क्षेत्रीय गोदामों में ब्लॉक मुख्यालय तक यूरिया के परिवहन के लिए प्रदान किया जाता है। यूरिया इकाइयों हेतु नयी मूल्य-निर्धारण योजना के नीतिगत प्रावधानों के अन्तर्गत रेल भाड़ा संशोधन और सड़क घटक के लिए डीजल के थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक वृद्धि/कमी के कारण प्राथमिक भाड़ा दरों में संशोधन किए जाने का प्रावधान है।

नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पी० और के०) उर्वरकों के सम्बन्ध में निर्धारित मानक रियायत योजना में सम्मिलित विभिन्न पी० और के० उर्वरकों हेतु खण्ड स्तर तक परिवहन भाड़े का भुगतान मानक सुपुर्दगी मूल्य के रूप में किया जाता है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पी० और के० उर्वरकों के उत्पादनकर्ताओं/आयातकों के साथ मिलकर हाल ही में रेल/सड़क भाड़ा में हुई वृद्धि के कारण भाड़ा घटक में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन दिया है। सरकार रेल भाड़े में हुई वृद्धि के कारण पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए पी० और के० उर्वरकों के मानक सुपुर्दगी मूल्य में वृद्धि करने के संबंध में इस मुद्दे की जांच कर रही है।

चूंकि किसानों को यूरिया तथा पी० और के० उर्वरक सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एम०आर०पी०) अथवा निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्यों पर उपलब्ध कराए जाते हैं, इसलिए भाड़े में संशोधन करने का किसानों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आन्ध्र प्रदेश में मरुस्थलीकरण

1613. **श्री जी०वी० हर्ष कुमार :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कोई क्रियाविधि लागू की है/करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन०ए०पी०) स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य अवक्रमित वनों और उनके आसपास की भूमियों का पुनरुद्भव करना है। अतः यह स्कीम मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक है। यह स्कीम वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफ०डी०ए०) द्वारा और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे०एफ०एम०सी०) द्वारा द्वि-स्तरीय विकेन्द्रीकृत मेकेनिज्म के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार 23, 750 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से कुल 9.24 लाख हैक्टेयर परियोजना क्षेत्र का उपचार करने के लिए देश में 715 वन विकास अभिकरण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। 31 मार्च, 2006 को आन्ध्र प्रदेश में 1455 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से 47,400 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार करने के लिए 32 वन विकास अभिकरण परियोजनाएं अनुमोदित की गई है।

[हिन्दी]

अनुच्छेद 21क को लागू करना

1614. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21क को लागू करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय में कोई याचिका दायर की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने उक्त अनुच्छेद को लागू करने हेतु कुछ राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) और (ख) जी, हां। एक गैर-सरकारी संगठन ने संवैधानिक कानून की घोषणा करने की मांग करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी कि संविधान का अनुच्छेद 21-क सभी प्रकार के बाल श्रम को पूरी तरह से प्रतिषिद्ध करता है।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को इस मामले में अपने जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए हैं।

(घ) संघ सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक शपथपत्र दाखिल किया है। सरकार सभी प्रकार के बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए वचनबद्ध है। जिसका आरम्भ जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रियाओं में काम करने वाले बच्चों से किया जा रहा है।

[अनुवाद]

बर्ड फ्लू के लिए टीकों की उपलब्धता

1615. श्री तथागत सत्पथी :
श्री के०सी० सिंह 'बाबा' :
श्री के०सी० पल्लानी शामी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल स्थित भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान की 'हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैबोरेटरी' ने बर्ड फ्लू के लिए टीका विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त टीके का आयात किया था;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा सस्ते दामों पर नए टीके की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पशु पालन, डेरी एवं मात्स्यिकी विभाग ने वर्ष 2005-06 के दौरान 56.70 लाख रु० के एवियन इनफ्लूंजा वैक्सीनों का आयात किया है। वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान कोई वैक्सीन नहीं खरीदा गया।

(घ) देसी वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास प्रारम्भ किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

प्रसार भारती को वित्तीय सहायता

1616. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
डा० चिन्ता मोहन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रसार भारती को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु टी०वी० सेटों की खरीद पर उपकर लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त संग्रहण से प्रसार भारती को वार्षिक वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) प्रसार भारती के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने हेतु इसकी व्यवहार्य पूंजीगत और वित्तीय अवसरंचना के बारे में सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2005 का सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने उपलब्ध पुनःसंरचना संबंधी विकल्पों पर विचार-विमर्श किया है तथा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निर्माण के समय सभी टेलीविजन सेटों पर 5%/10% की यथामूल्य दर से आबकारी विभाग के जरिए वसूले जाने वाले लाइसेंस शुल्क की शुरूआत करने हेतु सुझाव भी शामिल है। इस समय यह रिपोर्ट प्रसार भारती के कार्यकरण से संबंधित विभिन्न विकल्पों की जांच करने हेतु सरकार द्वारा गठित मंत्री-समूह (जी०ओ०एम०) के समक्ष है। लाइसेंस शुल्क के मुद्दे सहित प्रसार भारती को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना मंत्री-समूह के निर्णय पर निर्भर करेगा।

वाहन प्रदूषण

1617. श्री रामदास आठवले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने वाहनों से उत्सर्जित होने वाले धुएं को रोकने/सीमित करने हेतु 29 अप्रैल, 1999 को कोई दिशानिर्देश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्न का उत्पादन

1618. श्री एम० अंजनकुमार यादव :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना है;

(ख) क्या अन्य समान परिस्थितियों वाले देशों की तुलना में उत्पादन कम है जबकि उत्पादन की लागत अधीक है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) 15 जुलाई, 2006 को निर्मुक्त चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2005-06 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 208.3 मिलियन मी० टन आंका गया है।

(ख) निम्नलिखित सारणी वर्ष 2004-05 में निकट के विकासशील देशों में अनाज एवं दलहन की उत्पादन दर (उत्पादकता) प्रदर्शित करती है :—

देश	उत्पादकता (किग्रा०/हैक्टे०)	
	अनाज	दलहन
1	2	3
भारत	2367	612
चीन	5171	1887
इंडोनेशिया	4312	940
थाइलैंड	2723	860
बंगलादेश	3551	792

1	2	3
पाकिस्तान	2563	756
श्रीलंका	3438	911
म्यांमार	3689	951
संसार	3263	843

स्रोत–एफ०ए०ओ० वेबसाइट

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि भारत में अनाज एवं दलहन की उत्पादकता सारणी में दर्शाए गए देशों से सबसे कम है। उत्पादन की देशवार की तुलनीय लागत उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) किसी देश में उत्पादकता अन्य देशों के साथ-साथ वर्षा, मृदा का स्वरूप, तापमान, उर्वरक उपयोग, गुणवत्ता बीज और उपयोग प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है। विशिष्ट फसल आधारित प्रणालियों के अधीन अनाज और दलहन की समग्र उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में देश में बृहत कृषि प्रबंधन स्कीम के अधीन चावल, गेहूं, मोटे अनाज में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। सरकार भी उनके उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल, 2004 से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अर्थात ''समेकित दलहन तिलहन, आयलपाम और मक्का सकीम क्रियान्वित कर रही हैं।

[अनुवाद]

खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा

1619. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी भी देश प्रमुख पोषाहार समस्याओं से जूझ रहा है जिससे गंभीर भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जनजातीय, पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों हेतु घरेलू खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खाद्य पदार्थों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता को सुनिश्चित करने और विशेषकर उपरोक्त क्षेत्रों में स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) यद्यपि पिछले पांच दशकों में पोषाहार परिदृश्य में काफी सुधार आया है, तथापि देश में कुपोषण/अल्पपोषण व्यापक रूप से विद्यमान है। बच्चों में चिरकालिक अल्पपोषण, विशेष रूप से उच्च जोखिम समूहों अर्थात् शिशुओं, प्री-स्कूल बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तन्यदा महिलाओं में रक्तल्पता और विटामिन ए और आयोडीन की कमियां अभी भी विद्यमान हैं। तथापि कुपोषण के कारण किसी भुखमरी की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पोषाहार मानिटरिंग ब्यूरो ने वर्ष 1998-99 में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में समेकित जनजातीय विकास परियोजना में बसी हुई जनजातीय आबादी के आहार और पोषाहार पर सर्वेक्षण किए हैं।

(ङ) केन्द्रीय सरकार अनाजों की समग्र उपलब्धता बढ़ाने के लिए बृहत् कृषि प्रबंधन के तहत समेकित अनाज विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करती रही है। एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अर्थात समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का (आइसोपाम) स्कीम भी इन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अलग से क्रियान्वित की जा रही है। देश में बागवानी उत्पाद की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी क्रियान्वित किया जा रहा है। जनजातीय, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों को भी संबंधित स्कीमों में शामिल किया गया है।

देश में पोषाहारीय स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय पोषाहार नीति और पोषाहार हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में डेयरी विकास

1620. डा० राम लखन सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाले और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने और गहन डेयरी विकास कार्यक्रम हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) "गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण" और सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आई०डी०डी०पी०) नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का योजनावार ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

राज्य सरकार से प्राप्त 14 प्रस्तावों में से इस विभाग ने बेतूल, धार, ग्वालियर, भिंड, दतिया, मुरैना, बालाघाट, मांडसौर, देवास, रतलाम, भोपाल, सेहोर तथा शाजापुर जिलों में तीन वर्ष की अवधि में क्रियान्वित किए जाने के लिए वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान 637.49 लाख रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी और 166.74 लाख रुपए की संगठनात्मक हिस्सेदारी के साथ 804.23 लाख रुपए की कुल लागत से भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन दुग्ध संघों के लिए चार परियोजनाएं स्वीकृत की। राज्य सरकार को वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान क्रमशः 61.67 लाख रुपए और 193.98 लाख रुपए की राशि केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में जारी की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड ने बताया है कि इसमें से 56.54 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इस संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र की अभी भी प्रतीक्षा है।

मुरैना, छिंदवाड़ा, बेतुल, सेहोर, शाजापुर, नर्सिंगढ़, राजगढ़, सिवोनी, इंदौर और मांडसौर जिलों को शामिल करते हुए भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और उज्जैन के जिला संघों के लिए 3232.57 लाख रुपए की कुल अनुमानित लागत से तैयार राज्य सरकार से जुलाई, 2006 के अंत में प्राप्त शेष दस प्रस्तावों की पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में जांच पड़ताल की गई है तथा राज्य सरकार से कहा गया है कि वह कुछ अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराए तथा नए प्रस्तावों पर विचार करने से पहले वास्तविक और वित्तीय संदर्भ में चल रही परियोजनाओं को भी पूरा करे।

2. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आई०डी०डी०पी०)

मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त 8 प्रस्तावों में से गुना, नरसिंगपुर, छतरपुर, खड़गांव, सतना, रीवा, झबुआ, बालाघाट और छिंदवाड़ा के राज्यों को शामिल करते हुए 1743.38 लाख रुपए के कुल परिव्यय से पांच प्रस्ताव अनुमोदित कर लिए गए हैं और भारत सरकार द्वारा 31.3.06 तक 1338.53 लाख रुपए पहले ही जारी कर दिए गए हैं जिसमें से 439.34 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार के पास खर्च न की गई के रूप में पड़ी हुई है। शेष राशि राज्य सरकार से पहले जारी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा परियोजनाओं को वास्तविक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी। जहां तक निमूच, हारदा बदवानी, सिओपुर, खांडवा, बरहनपुर, विदिशा और रायसेम जिलों को शामिल करते हुए शेष तीन प्रस्तावों का संबंध है, राज्य सरकार से कहा गया है कि वह समयबद्ध कार्य योजना तैयार करके पहले स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करे तथा कोई नई परियोजना हाथ में लेने से पहले इन परियोजनाओं के संबंध में की गई उपलब्धियों की रिपोर्ट दे।

रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर ऑफ इंडिया से पंजीकृत शीर्षक

1621. **श्री संजय धोत्रे :**
श्री जी० करूणाकर रेड्डी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर ऑफ इंडिया से पंजीकृत दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक इत्यादि शीर्षकों की संख्या श्रेणी-वार और राज्य-वार कितनी है;

(ख) क्या वर्तमान में ये सभी शीर्षक परिचालन में हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन शीर्षकों को गोपनीय रखा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) दिनांक 28.7.2006 तक भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय के पास 62,851 शीर्षक पंजीकृत किए गए हैं। एक विस्तुत विवरण संलग्न है। भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय इन शीर्षकों के प्रकाशन की स्थिति से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है।

(ग) भारत के समाचापत्रों के पंजीयक का कार्यालय में पंजीकृत शीर्षकों का ब्यौरा इसकी वेबसाइट www.rni.nic.in पर उपलबध है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिनांक 28 जुलाई, 2006 तक भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय में पंजीकृत शीर्षक
(राज्य/संघ शासित क्षेत्र और आवधिकता-वार)

राज्य	दैनिक	त्रि/द्वि-साप्ताहिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	तिमाही	द्वि-मासिक अर्धवार्षिक	वार्षिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	0	20	16	13	2	2	0	58
आन्ध्र प्रदेश	489	8	717	467	1164	134	123	45	3147
अरूणाचल प्रदेश	4	1	4	0	2	2	0	0	13
असम	577	11	191	69	111	27	25	12	503
बिहार	378	33	655	161	247	69	39	3	1585
चंडीगढ़	46	1	86	33	170	43	29	5	413
छत्तीसगढ़	109	1	218	29	58	16	11	7	449
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	1	1	0	0	0	0	2
दमन एवं दीव	1	0	1	2	0	0	0	1	5
दिल्ली	467	54	1545	1165	3635	949	676	138	2629
गोवा	15	0	17	14	35	10	6	2	99
गुजरात	264	12	1335	288	706	91	135	16	2847
हरियाणा	154	9	419	225	277	61	33	11	1189
हिमाचल प्रदेश	14	0	69	29	58	29	9	5	213
जम्मू एवं कश्मीर	110	4	252	51	48	11	14	4	494
झारखंड	47	0	64	26	71	15	4	1	228
कर्नाटक	589	12	671	488	1181	155	128	34	3258
केरल	242	8	220	214	1125	144	123	35	2111
लक्षद्वीप	0	0	1	2	1	1	0	0	5
मध्य प्रदेश	554	8	2483	210	780	141	138	32	4346
महाराष्ट्र	824	47	2529	638	1984	573	416	267	7278
मणिपुर	55	3	17	12	42	9	11	5	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मेघालय	5	4	33	7	17	5	4	1	76
मिजोरम	44	14	36	7	24	6	5	0	136
नागालैंड	5	0	9	1	1	2	0	1	19
उड़ीसा	135	4	234	134	381	165	59	21	1133
पांडिचेरी	8	1	10	4	31	18	8	1	81
पंजाब	145	13	488	176	414	57	59	11	1363
राजस्थान	483	22	1156	1464	569	142	117	32	3985
सिक्किम	1	2	27	1	1	2	3	1	38
तमिलनाडु	412	53	528	395	1793	196	207	37	3621
त्रिपुरा	24	2	59	9	13	3	1	1	112
उत्तरांचल	196	7	542	106	145	43	38	15	1092
उत्तर प्रदेश	1142	24	5423	1054	1648	460	201	74	10026
पश्चिम बंगाल	196	11	800	767	1193	762	361	53	4143
कुल	7220	369	20860	8265	17938	4343	2985	871	62851

[अनुवाद]

सेवाओं का द्विशाखन

1622. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण और वन मंत्रालय का द्विशाखन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में उपरोक्त प्रस्ताव किस चरण में है; और

(घ) नई योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को समायोजित करने हेतु किस कार्यविधि का प्रस्ताव किया गया है/विकसित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। बाघ कार्य बल की सिफारिशों की अनुवर्ती कार्यवाही के अनुसरण में दो पृथक विभागों, अर्थात् पर्यावरण विभाग तथा वन और वन्य जीव विभाग, की स्थापना का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

फसलों की क्षति होने पर सहायता

1623. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ और भारी वर्षा के कारण फसलों की क्षति होने पर किसानों को राहत कोषों से सहायता उपलब्ध कराने संबंधी विद्यमान मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : गृह मंत्रालय प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत कोषों, यथा आपदा राहत कोष (सी०आर०एफ०) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन०सी०सी०एफ०) से सहायता के लिए अत्यधिक वर्षा व बाढ़ और साथ ही इसके लिए व्यय के प्रतिमानों से संबंधित मामलों की देखभाल करता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की हानि के लिए राहत कोष से सहायता हेतु व्यय के मौजूदा प्रतिमानों के अनुसार आदान राजसहायता के रूप में सहायता छोटे व सीमान्त किसानों को

50% या इससे अधिक फसल हानि होने पर वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए 1000 रु० प्रति हैक्टे०, सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए 2500 रु० प्रति हैक्टे० तथा वार्षिक फसलों के लिए 4000 रु० प्रति हैक्टे० की दर पर स्वीकार्य है। लगातार दूसरे वर्ष (या आगामी वर्ष) गम्भीर आपदा घटित होने की स्थिति में उक्त दरों पर अन्य किसानों को भी आदान राजसहायता के लिए सहायता इस शर्त पर स्वीकार्य है कि सब्सिडी केवल 2 हैक्टे० के लिए, जोत के आकार पर ध्यान न देते हुए, प्रति हैक्टे० की उचित दर पर दी जाएगी।

[अनुवाद]

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्ति

1624. श्री जोवाकिम बखला :
श्री रनेन बर्मन :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत रोजगार कार्यालयों की राज्य-वार कुल संख्या क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कार्यालय में व्यवसायों के नाम और उनके अंतर्गत अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के व्यक्तियों सहित पंजीकृत कुल व्यक्तियों का श्रेणी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इससे रोजगार कार्यालय-वार और राज्य-वार लाभान्वित व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) और (ग) वर्तमान में रोजगार कार्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा तथा वर्ष 2003, 2004 एवं 2005 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए नियोजनों की संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) 31 दिसम्बर 2002, 2003 तथा 2004 की स्थिति के अनुसार देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर राज्य-वार तथा श्रेणी-वार रोजगार चाहनेवाले, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या विवरण-II में दी गई है।

यह अनुमान है कि कुल रोजगार चाहने वालों में से लगभग 72.5% सामान्य अर्हताओं वाले, 10.7% उत्पादन संबंधी अनुभव वाले, 8.7% व्यावसायिक, तकनीकी तथा संबद्ध अनुभव वाले तथा 6.5% लिपिकीय अनुभव वाले थे।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	31.12.2005 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालय (वास्तविक संख्या में)	निम्न वर्षों के दौरान किए गए नियोजनों की संख्या (हजार में)		
			2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	31	3.7	2.4	1.7
2.	अरूणाचल प्रदेश	10	●	0.4	●
3.	असम	52	0.6	0.2	0.4
4.	बिहार	37	0.6	0.1	●
5.	छत्तीसगढ़	18	1.6	0.9	2.2
6.	दिल्ली	14	0.4	0.3	0.1
7.	गोवा	1	0.3	0.2	0.3
8.	गुजरात	42	64.9	64.9	92.9
9.	हरियाणा	61	4.3	3.4	3.5
10.	हिमाचल प्रदेश	15	1.3	1.0	1.7
11.	जम्मू व कश्मीर	14	●	0.3	●

1	2	3	4	5	6
12.	झारखण्ड	33	8.6	2.8	2.7
13.	कर्नाटक	40	2.9	1.6	1.7
14.	केरल	86	7.3	7.5	9.7
15.	मध्य प्रदेश	58	1.9	1.6	1.7
16.	महाराष्ट्र	46	14.0	12.8	15.0
17.	मणिपुर	11	●	—	0.3
18.	मेघालय	11	●	●	●
19.	मिजोरम	3	0.3	●	—
20.	नागालैण्ड	7	0.2	●	●
21.	उड़ीसा	40	1.8	2.4	2.0
22.	पंजाब	46	3.2	2.7	2.1
23.	राजस्थान	42	2.3	3.4	7.7
24.	सिक्किम*				
25.	तमिलनाडु	34	18.9	13.2	15.3
26.	त्रिपुरा	5	0.7	0.3	0.2
27.	उत्तरांचल	23	1.8	2.4	2.1
28.	उत्तर प्रदेश	84	2.6	1.7	1.6
29.	पश्चिम बंगाल	75	9.3	10.1	7.3
संघ शासित प्रदेश					
30.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1	0.4	0.4	0.1
31.	चण्डीगढ़	2	0.5	0.3	0.2
32.	दादरा व नगर हवेली	1	—	●	—
33.	दमन व दीव	2	●	●	●
34.	लक्षद्वीप	1	0.1	●	—
35.	पाण्डिचेरी	1	0.4	0.3	0.7
	योग	947	154.9	137.7	173.2

टिप्पणी—● आंकड़ें 50 से कम।

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं

विवरण-II

वर्ष 2002, 2003, 2004 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के रोजगार चाहने वाले आवेदकों की संख्या

(हजार में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2003			2003			2004		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	601.6	166.6	975.4	600.2	151.8	934.2	566.8	152.9	916.8
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.4	12.7	0.2	0.3	11.9	0.2	0.9	12.1	0.2
3.	असम	98.1	179.5	213.2	102.0	177.1	210.8	102.8	192.5	227.6
4.	बिहार	237.5	23.4	483.9	238.0	21.0	548.9	209.2	17.6	522.1
5.	छत्तीसगढ़	85.1	141.5	117.1	98.2	166.4	125.0	103.4	178.5	127.5
6.	दिल्ली	158.9	24.6	24.6	169.7	25.7	29.7	89.6	9.2	18.4
7.	गोवा	2.5	—	7.9	2.4	0.3	7.8	2.4	1.0	8.1
8.	गुजरात	185.4	107.2	10.3	184.4	124.0	11.5	175.6	112.2	18.7
9.	हरियाणा	149.2	1.4	16.5	153.6	●	20.0	158.6	●	22.9
10.	हिमाचल प्रदेश	176.8	24.8	46.3	179.8	26.3	42.2	177.3	23.2	43.5
11.	जम्मू व कश्मीर	5.5	2.2	1.1	5.1	2.1	1.2	5.7	2.2	1.3
12.	झारखण्ड	152.7	217.6	263.1	173.9	273.3	279.1	197.0	256.9	306.2
13.	कर्नाटक	306.3	72.7	41.9	293.7	68.8	44.0	269.8	63.6	46.7
14.	केरल	496.6	30.2	1565.8	506.9	29.2	1640.3	528.0	30.9	1644.8
15.	मध्य प्रदेश	285.9	179.0	214.7	305.5	393.4	240.8	307.6	289.1	249.8
16.	महाराष्ट्र	656.5	162.5	788.7	680.3	168.2	804.6	693.5	166.9	802.7
17.	मणिपुर	6.2	99.8	0.7	6.4	130.7	0.3	6.6	134.9	0.4
18.	मेघालय	0.1	29.3	0.2	0.1	27.6	0.1	0.1	28.6	0.2
19.	मिजोरम	—	44.8	—	●	36.3	—	—	41.5	—
20.	नागालैण्ड	0.2	34.4	●	0.2	41.9	●	0.2	43.3	—
21.	उड़ीसा	122.8	86.0	53.6	126.6	90.1	56.7	160.4	106.9	70.5
22.	पंजाब	156.2		5.8	148.3	—	8.4	146.8	—	6.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	राजस्थान	120.0	66.5	91.4	147.2	90.1	128.0	139.3	91.8	166.4
24.	सिक्किम*									
25.	तमिलनाडु	1103.7	13.7	2497.7	1148.4	13.8	2534.7	1074.1	13.8	2424.4
26.	त्रिपुरा	60.1	60.3	9.8	62.5	62.4	10.5	64.7	65.4	11.9
27.	उत्तरांचल	52.8	9.4	18.0	47.9	10.2	19.6	48.6	9.2	20.6
28.	उत्तर प्रदेश	389.9	5.0	285.4	431.9	5.5	345.3	412.6	5.0	351.6
29.	पश्चिम बंगाल	723.1	142.5	141.5	779.7	154.2	158.2	796.5	160.2	167.9
	संघ शासित प्रदेश									
30.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	0.7	—	—	—	—	—	0.7	1.0
31.	चण्डीगढ़	0.6	0.6	1.1	16.3	0.1	1.2	14.4	0.1	—
32.	दादरा व नगर हवेली	0.2	0.9	—	0.2	0.9	—	0.2	0.9	—
33.	दमन व दीव	0.6	0.6	—	0.2	@	—	0.6	0.6	—
34.	लक्षद्वीप	—	6.4	—	—	6.4	—	—	6.4	—
35.	पाण्डिचेरी	15.3	0.1	29.3	18.0	0.1	28.8	16.8	0.1	26.6
	योग	6351.0	1946.8	7905.1	6627.9	2309.9	8231.9	6470.0	2218	8205.3

टिप्पणी—@आंकड़ें 50 से कम।

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

पारद का उपयोग

1625. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश विकसित देशों ने पारद के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है जो कि वैज्ञानिक रूप से खतरनाक प्रकृति के अत्यधिक विषैले पदार्थों से युक्त माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत पांच वर्षों के दौरान भारत में पारद का आयात दुगुने से अधिक हो गया है और भारत पारे का सर्वाधिक उपयोगकर्त्ता देश बन गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मुक्त रूप से खरीद-बिक्री किए जाने वाले एवं घरों में पूजा के लिए प्रतिष्ठापित किए जाने वाले पारद शिवलिंगों में पारद का वजन 30 प्रतिशत से अधिक होता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत का विचार इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने और देश में पारद की खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए कदम उठाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वर्ष 2003-04 से पारे के आयात में गिरावट का रूख देखा गया है।

(घ) पारद शिवलिंग में पारे की मात्रा का कोई निर्णायक आकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ङ) से (छ) इस मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि पारद शिवलिंग की वजह से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों पर निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

कृषि सर्वेक्षण

1626. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवार्षिक कृषि सर्वेक्षण समय पर किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पिछला सर्वेक्षण कब कराया गया था; और

(ग) सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं और सरकार ने इन निष्कर्षों को अपने कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए किस प्रकार प्रयास किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) भारत सरकार पूरे देश में पंचवार्षिक कृषि संगणना करती है। पिछली कृषि संगणना संदर्भ वर्ष 2000-01 में की गई। संगणना के परिणामों का उपयोग कृषि क्षेत्र में विकासात्मक कार्यक्रमों के अभिकल्पन और क्रियान्वयन में उपयुक्त रूप से किया जाता है।

डी०टी०एच० सेवा

1627. **श्री उदय सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन की डायरेक्ट-टू-होम (डी०टी०एच०) सेवा और देर से आरम्भ होगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार डी०टी०एच० सेवा की शुरूआत के माध्यम से देश में केबल प्रचालकों के एकाधिकार को खत्म करने का है; और

(घ) यदि हां, तो किन शहरों में डी०टी०एच० आरम्भ किया जाएगा और इसके कब तक कार्यात्मक होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। इसका उद्देश्य स्थलीय प्रसारण द्वारा कवर न किए गए क्षेत्रों को कवर करना है।

(घ) दूरदर्शन की डी०डी० डायरेक्ट. डी०टी०एच० सेवा 16 दिसंबर 2004 को शुरू की गई थी। यह 34 चैनलों वाली एक फ्री-टु-एयर सेवा है जिन्हें लघु आकार की डिश अभिग्रहण इकाई की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है और इसके सिगनल पूरे भारत में (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर) उपलब्ध हैं।

तमिलनाडु में नहर सिंचाई व्यवस्था का पुनरूद्धार

1628. **श्री के०सी० पल्लानी शामी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तमिलनाडु में नहर सिंचाई प्रणाली की पुनः बहाली तथा पुनरूद्धार हेतु तमिलनाडु राज्य सरकार को कोई सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) राज्य में सिंचाई प्रणाली को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) सरकार ने 2004-05 में कृषि में सीधे जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और जीर्णोद्धार का एक कार्यक्रम शुरू किया। भारत सरकार ने उक्त कार्यक्रम के अधीन तमिलनाडु सरकार को नीचे तालिका में दिए गए ब्यौरों के अनुसार सहायता प्रदान की है।

क्र० सं०	जिले का नाम	जल निकायों की सं०	अनुमानित लागत रु० करोड़ में	अतिरिक्त क्षमता (हेक्टे० में)	केन्द्र का हिस्सा करोड़ रु० में
1.	शिवगंगाई	8	1.222	153.23	0.458
2.	विलुपुरम	38	9.372	1178.15	3.5145

भारत सरकार ने निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में राज्य सरकारों की मदद करने के लिए 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) शुरू किया था। तमिलनाडु

सरकार को जल संसाधन समेकन परियोजना नामक एक परियोजना के लिए अभी तक 20.00 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है।

नदियों में प्रदूषण

1629. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदियों में प्रदूषण के स्तर में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की योजना प्रदूषण उपशमन योजनाओं के लिए उन और नदियों को शामिल करने की है जो वर्तमान में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (घ) यद्यपि नदियों के किनारों पर स्थित नगरों/शहरों में लगातार बढ़ती आबादी द्वारा उत्पन्न प्रदूषण भार से जल की गुणता पर प्रभाव पड़ता है फिर भी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शुरू किए गए विभिन्न प्रदूषण उपशमन कार्यों से नदियों का प्रदूषण स्तर कम हो रहा है। गंगा कार्य योजना चरण-I (1985-2000) के कार्यों के पूरा होने और पिछले वर्षों में गंगा नदी के प्रदूषण भार में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के बावजूद गंगा कार्य योजना चरण-II (1995 से आगे) के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं से इसकी जल गुणता में गंगा कार्य योजना से पहले ही गुणवत्ता में मुख्य स्थानों पर सुधार हुआ है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत नदियों की प्रदूषण उपशमन की स्कीमें इस समय देश की 34 नदियों के किनारे 20 राज्यों में फैले 160 शहरों में कार्यान्वयनाधीन है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत समय-समय पर अधिक नदियों को शामिल करना ग्यारहवीं योजना में निधि की उपलब्धता, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की व्यवहार्यता एवं राज्य सरकारों की कुल परियोजना लागत के 30% की समान हिस्सेदारी प्रदान करने की वचनबद्धता पर निर्भर करेगा।

पश्चिम बंगाल में मत्स्य-उद्योग का विकास

1630. श्री हितेन बर्मन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य-उद्योग के विकास के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने 2000 हैक्टेयर जल क्षेत्र तथा सजावटी मछलियों की 185 यूनिटों और झोरा मात्स्यिकी के तहत 150 यूनिटों के विकास के लिए 2006-07 में 383.72 लाख रुपए की कुल लागत की केन्द्रीय सहायता मांगी थी। राज्य में स्थापित मत्स्य किसान विकास एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार इस प्रस्ताव की जांच की गई है। योजना के विचारणीय विषयों के अनुसार, पहले जारी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट, राज्य के समान हिस्सेदारी की उपलब्धता, लेखा परीक्षित विवरण आदि अनिवार्य है और तद्नुसार राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

नई फसल प्रभेदों के अनुसंधान एवं विकास के लिए आबंटन

1631. श्री के०एस० राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान उच्च उत्पादकता वाली फसल प्रभेदों के अनुसंधान और विकास के लिए कितनी निधियां आबंटित की गईं;

(ख) कृषि क्षेत्र में सतत वृद्धि प्राप्त करने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जैव-प्रौद्योगिकी के लिए विशेष उद्यम निधि की स्थापना करने तथा जैव-प्रौद्योगिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त विनियामक ढांचा विकसित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) पिछले पांच वर्षों (2001-2002 से 2005-2006 तक) के दौरान उच्च उपजशील किस्मों सहित फसलों के अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए आबंटित निधियां निम्न प्रकार से हैं :—

(i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद — 1077.33 करोड़ रुपये

(ii) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग — लगभग 60 करोड़ रुपये

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी-निजी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों में जैव-प्रौद्योगिकी की अनेक स्कीमें चल रही हैं नामत: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी०एस०टी०) की होम ग्रोन टेक्नोलॉजी (एच०जी०टी०) इन इन्फॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड एसेस्मेंट काउंसिल (टी०आई०एफ०ए०सी०), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी०एस०आई०आर०) ने न्यू मिलेनियम इण्डियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव (एन०एम०आई०टी०एल०आई०) तथा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग में स्माल बिजनिस इन्नोवेशन एण्ड रिसर्च इनिशिएटिव (एस०बी०आई०आर०आई०)।

द स्माल बिजनिस इन्नोवेशन एण्ड रिसर्च इनिशिएटिव (एस०बी०आई०आर०आई०) अपने स्वदेशी उत्पादों और अनुसंधान एवं विकास (आर० एण्ड डी०) कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा निजी औद्योगिक यूनिटों को सहायता दे रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैव-कारक (बायोएजेन्ट) संवर्धनों की उपलब्धता के लिए निजी क्षेत्र को सहायता दे रही है। निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पराजीनी सामग्री का सरकारी संस्थानों विशेषकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचित किया है कि जैव-प्रौद्योगिकी के लिए विशेष उद्यम पूंजीगत निधि की स्थापना करने हेतु जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के विचारार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है। कृषि क्षेत्र के लिए विनियामक (रेग्यूलेटरी) ढांचे का हार्मोनाइजेशन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

चावल की उत्पादकता

1632. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2003 से चावल की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में चावल की उत्पादकता में वृद्धि के लक्ष्य वाली वृहत् प्रबंधन योजना की विफलता के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) वर्ष 2002-03 से 2005-06 के लिए चावल का प्रति हैक्टेयर उत्पादन (उपज) निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है

वर्ष	चावल की उपज (कि०ग्रा०/हैक्टेयर)
2002-03	1744
2003-04	2078
2004-05	1984
2005-06	2093

*चौथा अग्रिम अनुमान

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि चावल की उपज में उतार-चढ़ाव आता रहा है। यह वर्ष 2002-03 तथा 2004-05 में कम था। वर्ष 2002-03 सूखा प्रभावित था और वर्ष 2004-05 में वर्षा सामान्य से 13 प्रतिशत कम हुई जिसके कारण उपज में कमी आई।

(ग) देश में विशिष्ट फसल प्रणाली के अधीन चावल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए वृहत् कृषि प्रबंधन स्कीम के अधीन समेकित अनाज विकास कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में अक्तूबर 2000 से क्रियान्वित किया जा रहा है। यह तथ्य कि पूरे भारत में चावल की उपज वर्ष 2000-01 के 1901 कि०ग्रा०/हैक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 2078 कि०ग्रा०/हैक्टेयर हो गई और वर्ष 2005-06 में 2093 कि०ग्रा०/हैक्टेयर पर स्थिर है जो यह दर्शाता है कि यह स्कीम विफल नहीं हुई है और इसके अनुकूल परिणाम मिल रहे हैं।

कृषि आय में वृद्धि

1633. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरा का उत्पादन करने वाले राज्यों और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इनकी राज्यवार उत्पादित मात्रा क्या है;

(ख) क्या उक्त फसलों से प्रति हैक्टेयर निवल आय में कोई सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा किस हद तक हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरा उत्पादक राज्य और पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित राज्यवार मात्रा विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) और (ग) तीन वर्षों हेतु मुख्य राज्यों में चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरा की प्रति हैक्टेयर व्यय की तुलना में सकल आय नीचे दर्शाई गई है :

(रुपए/हैक्टेयर)

फसल	राज्य	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
गेहूं	हरियाणा	18583.00	18212.79	18729.93
	पंजाब	19944..64	18803.72	16714.6
	उत्तर प्रदेश	11602.47	11201.68	11494.94
धान/चावल	आन्ध्र प्रदेश	12447.50	11841.90	16918.73
	हरियाणा	17716.31	16354.62	14797.29
	पंजाब	18350.95	21135.61	16293.65
	पश्चिम बंगाल	6672.73	7137.45	5736.83
ज्वार	कर्नाटक	1213.68	833.21	777.85
	महाराष्ट्र	2591.69	1856.05	5735.29
बाजरा	गुजरात	1826.14	5527.89	2787.58
	उत्तर प्रदेश	5039.80	5527.89	4792.93

नोट: सकल आय उत्पादन के सकल मूल्य और खेती की लागत के बीच अंतर है (सभी खर्च पट्टे पर ली गई भूमि हेतु भुगतान किए गए किराए सहित नकद एवं वस्तु में — ए2 लागत)

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2001-02 से 2002-03 जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान सकल आय में मिली जुली प्रवृत्ति देखी गई है।

विवरण

राज्य/स०शा०क्षेत्र	चावल			गेहूं			ज्वार			बाजरा		
	2003-04	2004-05	2005-06*	2003-04	2004-05	2005-06*	2003-04	2004-05	2005-06*	2003-04	2004-05	2005-06*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	8953.0	9601.0	11692.0	7.0	5.0	7.0	742.0	516.0	562.0	148.0	81.0	86.0
अरूणाचल प्रदेश	154.6	135.0	#	6.3	8.7	#						
असम	3888.0	3470.7	3430.0	73.0	68.1	71.0						
बिहार	5447.8	2472.2	3417.0	3688.9	3263.4	3660.0	1.5	3.8	6.0	1.6	1.3	5.0
छत्तीसगढ़	5567.6	4383.3	5012.0	108.6	82.4	91.0	7.6	4.4	6.0			
गोवा	170.7	145.2	#									
गुजरात	1277.0	1238.2	1331.0	2036.5	1805.5	2473.0	173.6	207.5	171.0	1599.9	1084.7	1066.0
हरियाणा	2790.0	3023.2	3210.0	9114.0	9058.0	8878.0	26.0	26.0	24.0	1006.0	749.0	679.0
हिमाचल प्रदेश	120.6	122.0	109.0	498.0	684.0	679.0				0.2	0.2	
जम्मू एवं कश्मीर	504.2	492.2	518.0	459.4	474.4	444.0	एन.आर.	3.6		10.0	9.6	8.0
झारखण्ड	2310.3	1657.0	1558.0	118.0	150.0	84.0	2.0	1.7		3.0	2.0	
कर्नाटक	2550.3	3547.0	4351.0	96.2	179.0	145.0	781.1	1435.0	1454.0	191.5	267.0	412.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
केरल	570.0	667.1	635.0				1.1	0.3				
मध्य प्रदेश	1750.3	1169.0	1656.0	7364.6	7176.6	5958.0	954.5	630.6	628.0	284.0	241.5	725.0
महाराष्ट्र	2835.0	2164.0	2433.0	778.0	1016.0	1452.0	2888.0	3624.0	4342.0	896.0	1126.0	1143.0
मणिपुर	381.2	435.9	#									
मेघालय	200.7	193.7	#	1.5	1.6	#						
मिजोरम	114.6	104.1	#									
नागालैंड	248.0	259.8	#	20.0	13.0	#	5.0	4.0	#	5.0	4.0	
उड़ीसा	6733.7	6466.0	6753.0	7.5	5.0	5.0	6.4	5.5	6.0	1.7	1.6	2.0
पंजाब	9656.0	10437.0	10193.0	14489.0	14698.0	14493.0				8.0	7.0	5.0
राजस्थान	164.8	150.4	153.0	5875.8	5706.6	5865.0	527.4	265.9	170.0	6657.0	3002.2	2159.0
सिक्किम	21.2	21.6	#	8.1	8.3	#						
तमिलनाडु	3222.8	5062.2	6127.0				246.0	252.1	359.0	172.3	124.3	118.0
त्रिपुरा	516.6	545.1	#	5.1	2.8	#						
उत्तर प्रदेश	13018.8	9555.6	11130.0	25566.7	22513.9	23574.0	313.9	252.3	242.0	1119.9	1223.9	1246.0
उत्तरांचल	569.0	572.0	590.0	745.0	803.0	645.0						
पश्चिम बंगाल	14662.3	14884.8	14864.0	985.7	841.5	838.0	0.6	0.6	1.0	0.2		
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30.9	29.2	#									
दादरा एवं नगर हवेली	22.3	23.4	#	1.0	1.1	#	0.4	0.4	#			
दिल्ली	11.1	14.3	#	102.3	71.0	#	4.1	10.5	#	4.6	5.6	#
दमन एवं द्वीव	3.9	4.0	#									
पांडिचेरी	67.0	65.7	#				0.1	0.1	#	0.4	0.4	#
अन्य	एन.ए.	एन.ए.	1877.0	एन.ए.	एन.ए.	119.0	एन.ए.	एन.ए.	6.0	एन.ए.	एन.ए.	4.0
अखिल भारत	88526.0	83131.7	91039.0	72156.2	68636.9	69481.0	6681.3	7244.3	7977.0	12109.3	7931.3	7658.0

*चौथे अग्रिम अनुमान

#अन्यों में शामिल है

उपलब्ध नहीं है/शामिल नहीं

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्ति

1634. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 2005-06 के दौरान कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में कार्य कर रहे व्यक्तियों की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में उक्त प्रत्येक क्षेत्र में वार्षिक औसत आय अर्जन क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आय में वृद्धि करने विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण जिसके परिणाम उपलब्ध हैं वर्ष 1999-2000 से संबंधित है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर कामगारों का राज्य-वार एवं उद्योग-वार वितरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान 15-59 आयु वर्ग के नियमित/वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाली उद्योग-वार औसत मजदूरी/वेतन आय संलग्न विवरण-II में दी गई है। राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

(घ) सामान्य विकास प्रक्रिया से सृजित हो रहे गुणवत्तात्मक रोजगार के अतिरिक्त, सरकार ने अभी हाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आरंभ की है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हों, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटी-शुदा रोजगार उपलब्ध कराता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों के कामगारों के वेतन/आय में वृद्धि में सहायक होगा।

विवरण-I

व्यापक उद्योग वर्ग आधार पर सामान्यत: कार्य कर रहे व्यक्तियों का प्रतिशत वार वितरण

क्रम सं०	राज्यों के नाम	ग्रामीण			शहरी		
		कृषि	उद्योग	सेवाएं	कृषि	उद्योग	सेवाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	78.8	6.4	14.8	9.5	20.2	70.2
2.	अरूणाचल प्रदेश	83.4	2.8	13.7	8.7	0.4	90.9
3.	असम	67.7	4.3	28.1	6.0	7.7	86.3
4.	बिहार	80.6	6.6	12.8	10.9	22.2	67.0
5.	गोवा	28.7	17.2	54.1	1.8	16.5	81.8
6.	गुजरात	79.8	7.3	12.9	9.4	25.1	65.4
7.	हरियाणा	68.5	7.7	23.7	9.1	22.5	68.4
8.	हिमाचल प्रदेश	73.6	4.0	22.4	11.0	8.0	81.0
9.	जम्मू व कश्मीर	76.3	4.2	19.4	13.2	8.4	78.5
10.	कर्नाटक	82.1	6.2	11.7	10.8	24.1	65.0
11.	केरल	48.3	14.3	37.6	9.5	20.5	70.0

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	87.1	4.4	8.5	15.4	20.0	64.6
13.	महाराष्ट्र	82.6	5.0	12.3	5.7	23.7	70.7
14.	मणिपुर	75.3	8.0	16.7	28.3	11.4	60.1
15.	मेघालय	86.5	1.4	12.1	1.3	3.8	94.9
16.	मिजोरम	85.5	1.3	13.3	30.3	5.3	64.4
17.	नागालैण्ड	79.7	0.7	19.6	8.4	6.2	85.4
18.	उड़ीसा	78.2	8.6	13.2	13.0	21.0	66.0
19.	पंजाब	72.6	5.9	21.5	8.7	22.5	68.9
20.	राजस्थान	77.7	5.7	16.6	12.9	20.4	63.7
21.	सिक्किम'	60.8	3.3	35.9	2.1	9.0	88.9
22.	तमिलनाडु	67.9	14.4	17.7	8.9	28.6	62.5
23.	त्रिपुरा	45.7	4.0	50.3	2.7	3.7	93.6
24.	उत्तर प्रदेश	76.2	7.9	15.8	9.0	25.5	65.6
25.	पश्चिम बंगाल	63.6	16.9	19.5	3.0	26.5	70.4
(ख)	संघ शासित प्रदेश						
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	65.0	3.5	31.6	15.3	12.2	72.4
27.	चण्डीगढ़	66.1	10.2	23.8	1.6	17.7	80.6
28.	दादरा व नगर हवेली	55.2	19.8	25.0	8.1	54.1	37.8
29.	दमन व दीव	34.2	42.3	23.5	11.9	15.0	73.1
30.	दिल्ली	7.5	26.0	66.4	1.7	24.4	74.0
31.	लक्षद्वीप	53.6	3.4	43.0	24.5	4.6	70.8
32.	पाण्डिचेरी	59.9	13.8	26.4	5.4	33.2	61.4
	योग	76.3	7.9	15.9	8.8	23.5	67.9

टिप्पणी :— 1. उद्योग में खनन व उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति एवं निर्माण शामिल हैं।

2. सेवाओं में व्यापार, होटल तथा रेस्तरां, परिवहन, वित्तीय सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा तथा संचार सेवाएं शामिल है।

विवरण-II

कार्य क्षेत्र (उद्योग) द्वारा 15 से 59 आयु वर्ग के नियमित मजदूरी/वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाली औसतन मजदूरी/वेतन आय (0.00 रुपये)

उद्योग वर्ग/समूह	एन०आई०सी० कोड	प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाली औसतन मजदूरी/वेतन आय	
		ग्रामीण	शहरी
कृषि	(01-05)	65.88	137.90
खनन एवं उत्खनन	(10-14)	140.16	257.16
विनिर्माण	(15-27)	77.66	96.58
विनिर्माण	(23-37)	96.41	165.40
विद्युत, गैस, जल	(40-41)	197.54	246.86
निर्माण	(45)	104.66	133.59
व्यापार	(50-55)	64.90	100.27
परिवहन एवं भंडारण इत्यादि	(60-64)	112.29	162.04
सेवाएं	(65-74)	155.69	263.87
सेवाएं	(75-93)	177.18	206.43
नियोजित व्यक्तियों वाले प्राइवेट हाऊस होल्ड	(95)	49.25	49.38
अन्य	(99)	320.00	998.61

एन०आई०सी०-राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण।

बाढ़ नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय नीति

1635. श्री मोहन रावले : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाढ़ नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो बाढ़ों द्वारा निरंतर प्रभावित होने वाले जान-माल को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण संबंधी स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर राज्य योजना निधि से की जाती है तो उन्हें योजना आयोग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा नदी के किनारों पर रह रहे लोगों के जान और माल की बाढ़ से सुरक्षा करने के लिए तटबंधों, कटावरोधी कार्यों, उठाए गए प्लेटफार्मों के निर्माण के रूप में सुरक्षा उपाय का निर्माण कराया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय जल आयोग देश में मुख्य नदियों पर स्थित 173 केन्द्रों में बाढ़ पुर्वानुमान जारी करने के लिए उत्तरदायी है जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ के दौरान लोगों को बाढ़ प्रवण क्षेत्रों से हटाकर के सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाता है।

एफ०एम० चैनल

1636. श्री जी०एम० सिद्धेश्वर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में काम कर रहे एफ०एम० चैनल की संख्या क्या है;

(ख) इन एफ०एम० चैनलों के माध्यमं से सरकार द्वारा राज्य-वार कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) नए एफ०एम० चैनलों को शुरू करने हेतु सरकार के पास लंबित प्रस्तावों की संख्या क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) आकाशवाणी के एफ०एन० रेनबो और एफ०एम० गोल्ड नामक दो एफ०एम० चैनल कार्यशील है। 16 स्टेशन एफ०एम० रेनबो चैनल के कार्यक्रम और चार स्टेशन एफ०एम० गोल्ड के कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 70 स्थानीय रेडियो स्टेशन, 16 गैर-स्थानीय रेडियो स्टेशन, 25 विविध भारती और 30 रिले केंद्र एफ०एम० ट्रांसमीटरों पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। इस प्रकार कुल 161 ट्रांसमीटर एफ०एम० मोड़ में कार्यशील हैं। देश में निजी क्षेत्र में 27 निजी एफ०एम० चैनल कार्यशील हैं। सरकारी और निजी एफ०एम० स्टेशनों द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) आकाशवाणी के 16 एफ०एम० ट्रांसमीटरों के प्रस्ताव लंबित हैं जबकि 239 निजी एफ०एम० चैनलों के लिए आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं। इसमें से 237 एफ०एम० चैनलों को अगले वित्त वर्ष के अंत तक चालू कर दिए जाने की आशा है।

विवरण-I

वर्ष 2005-06 के दौरान आकाशवाणी के एफ०एम० स्टेशनों से राज्यवार राजस्व

		राशि (करोड़ रु० में)
1.	आंध्र प्रदेश	1.3388
2.	असम	0.2525
3.	बिहार	1.3212
4.	छत्तीसगढ़	0.1689
5.	दिल्ली	1.2243
6.	गोवा	0.112
7.	गुजरात	0.9888
8.	हरियाणा	0.1509
9.	हिमाचल प्रदेश	0.0254
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0.2371
11.	झारखंड	1.8637
12.	कर्नाटक	2.3399
13.	केरल	2.3695
14.	मध्य प्रदेश	1.8913
15.	महाराष्ट्र	2.0473
16.	मेघालय	0.07
17.	मिजोरम	0.0411
18.	मणिपुर	0.1213
19.	नागालैंड	0
20.	उड़ीसा	0.2966
21.	पंजाब	0.6563
22.	राजस्थान	1.1012
23.	तमिलनाडु	9.2017
24.	त्रिपुरा	0.1938
25.	संघ शासित-दमन	0.0106
26.	संघ शासित-कराईकल	0.4801
27.	संघ शासित-चंडीगढ़	1.5357
28.	संघ शासित-पोर्टब्लेयर	0.2954
29.	उत्तर प्रदेश	2.0515
30.	उत्तरांचल	0
31.	पश्चिम बंगाल	0.8669
	कुल	33.2538

विवरण-II

2 अगस्त, 2006 तक अर्जित राजस्व

क्रम सं०	राज्य	चरण-I के चैनल		चरण-II के चैनल		
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
		चरण-I के अंतर्गत लाइसेंस शुल्क	अंतरण शुल्क	चरण-II के लाइसेंस शुल्क	6 कार्यशील चैनलों के लिए ओ०टी०ई०एफ०	चैनल चलाने के लिए कुल राजस्व
1.	आंध्र प्रदेश	17,362,500	40,046,663	3,554,851	256,000,300	316,964,314
2.	असम	0	0	0	0	0
3.	बिहार	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
4.	चंडीगढ़-संघ शासित	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0
6.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
7.	दिल्ली	458,392,303	666,756,657	11,782,500	0	1136,931,460
8.	गोवा	0	0	0	0	0
9.	गुजरात	100,550,843	87,813,875	0	0	188,364,718
10.	हरियाणा	0	0	0	0	0
11.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
12.	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0	0
13.	झारखंड	0	0	0	0	0
14.	कर्नाटक	317,078,460	141,970,016	19,539,701	216,000,000	694,588,177
15.	केरल	0	0	0	0	0
16.	मध्य प्रदेश	107,585,064	47,506,962	0	0	155,092,026
17.	महाराष्ट्र	1,752,317,451	1,063,366,492	13,200,037	0	2828,883,980
18.	मणिपुर	0	0	0	0	0
19.	मेघालय	0	0	0	0	0
20.	मिजोरम	0	0	0	0	0
21.	उड़ीसा	10,474,000	0	0	0	10,474,000
22.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0
23.	पंजाब	0	0	0	0	0
24.	राजस्थान	0	0	1,221,512	117,000,000	118,221,512
25.	सिक्किम	0	0	0	0	0
26.	तमिलनाडु	481,120,786	236,568,347	697,542	80,000,800	798,387,475
27.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	220,245,319	120,527,500	5,252,063	0	346,024,882
29.	पश्चिम बंगाल	62,505,765	94,244,518	0	0	156,750,283
	कुल	3,527,632,491	2,498,801,030	55,245,206	669,001,100	6,750,682,827

[हिन्दी]

पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों के लिए बांध/कुएं

1637. श्री टेक लाल महतो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंजर भूमि वाले विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों के लाभ के लिए बांधों तथा कुओं का निर्माण करा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्यवार कितने बांधों तथा कुओं का निर्माण किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुओं तथा बांधों के निर्माण के लिए आबंटित तथा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) योजना आयोग कुछ नामित पहाड़ी क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना से पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच०ए०डी०पी०) तथा पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू०जी०डी०पी०) कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों के तहत राज्यों को संविदा पनधारा आधार पर समेकित विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनके प्रयासों में मदद करने की दृष्टि से 90:10 (90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण) के अनुपात में विशेष केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत रोक बांधों (चैक डैम्स), कुओं तथा तालाबों का निर्माण किया जाता है। पिछले तीन वर्षों (2003-06) के दौरान निर्मुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता (एस०सी०ए०) का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
एच०ए०डी०पी०				
1.	असम	50.66	51.11	46.00
2.	तमिल नाडु	22.10	22.10	19.89
3.	पश्चिम बंगाल	22.33	22.33	20.10
	कुल	95.09	95.54	85.99
डब्ल्यू०जी०डी०पी०				
1.	महाराष्ट्र	20.86	21.06	18.95
2.	कर्नाटक	15.57	15.57	14.01
3.	केरल	13.13	13.13	11.82
4.	तमिलनाडु	10.99	10.99	9.86
5.	गोवा	2.86	2.93	2.89
	कुल	63.41	63.68	57.63

इसके अतिरिक्त बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम को शामिल करते हुए पूर्वी भारत में फसलोत्पादन बढ़ाने के लिए खेत पर जल प्रबंध नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कृषि मंत्रालय द्वारा मार्च 2002 में शुरू की गई थी।

इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को पम्प सेटों सहित उथले नलकूपों के निर्माण, खुदाई वाले कुओं के निर्माण, लो लिफ्ट इरीगेशन प्वाइंट्स तथा पंपसेटों के वितरण के लिए सहायता मुहैया कराई गई थी। इस स्कीम का वित्त पोषण पैटर्न 20 प्रतिशत अंशदान किसानों से, 50 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में तथा शेष 30 प्रतिशत केन्द्रीय राजसहायता के रूप में था। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई गई निधियां इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	असम	3.00	4.38	1.00
2.	बिहार	11.18	5.40	0.50
3.	झारखण्ड	4.04	4.32	2.00
4.	छत्तीसगढ़	3.29	4.12	5.00
5.	उड़ीसा	6.60	3.05	1.00
6.	उत्तर प्रदेश	40.22	17.95	12.50
7.	पश्चिम बंगाल	4.67	4.41	1.50

1	2	3	4	5
8.	अरूणाचल प्रदेश	3.00	2.48	0.20
9.	मणिपुर	3.00	2.50	1.00
10.	मिजोरम	3.00	1.39	0.30
	कुल	82.00	50.00	25.00

योजना आयोग के निदेश के अनुसार इस स्कीम को 01.04.2006 से रोक दिया गया है।

कृषि हेतु आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

1638. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि हेतु आवश्यक वस्तुओं के मूल्य दोगुने हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन कृषि हेतु आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण/मूल्य कम करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) किसानों को उनके उत्पाद के लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) कृषि आदानों के मूल्य में वृद्धि, जैसा कि अंतःवर्ती (इंटरमीडिएट) आदान खपत के लिए किसानों द्वारा प्रदत्त मूल्य सूचकांक से स्पष्ट हुआ है, नीचे दर्शाई गई है :

(आधार वर्ष : 1991=100)

वर्ष	सूचकांक
2002-03	253.2
2003-04	259.1
2004-05	272.1*

*अनंतिम

आदानों के मूल्य को नियंत्रित/कम करने के लिए किए गए मुख्य उपायों में शामिल हैं – कृषि यंत्रीकरण हेतु राजसहायता देने का प्रावधान, बृहत् कृषि प्रबंधन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन बीजों का उत्पादन और वितरण; बीज ग्राम कार्यक्रम के अधीन आधारी बीज की लागत पर 50 प्रतिशत राजसहायता; बीज वितरण राजसहायता; केवल एक वर्ष पहले 9 से 12 प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक की तुलना में 7 प्रतिशत की दर पर किसानों के लिए ऋणों पर ब्याज दर में कमी।

(घ) कृषि जिंसों हेतु सरकार की मूल्य नीति में उत्पादकों के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करना लक्षित है। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा साथ में अन्य संगत कारकों पर विचार करने के बाद मुख्य कृषि जिंसों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है और सार्वजनिक एवं सहकारी एजेंसियों के जरिए खरीफ कार्य करती है।

[अनुवाद]

केरल में ग्राम अनाज बैंक

1639. श्री पी० राजेन्द्रन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों को 'ग्राम अनाज बैंक योजना' में शामिल किया गया है; और

(ख) देश में राज्यवार विशेषकर केरल में कितने अनाज बैंक शुरू किए जा चुके हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से फरवरी, 2006 में ग्रामीण अनाज बैंकों की स्थापना करने के लिए अपने प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। हरियाणा, मिजोरम, गोवा, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों की इस योजना में रूचि नहीं है।

(ख) इस योजना के जनजातीय कार्य मंत्रालय से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में अंतरित होने के पश्चात् संशोधित योजना को फरवरी, 2006 में अनुमोदित किया गया था और तब से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, मेघालय, उत्तर प्रदेश, असम और सिक्किम में वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान 3962 ग्रामीण अनाज बैंकों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है जिसे संलग्न विवरण में देखा जा सकता है। केरल सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

ग्रामीण अनाज बैंक योजना

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान स्थापित किए जाने वाले अनाज बैंकों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	स्वीकृत बैंकों की संख्या
	2005-06	
1.	आंध्र प्रदेश	1214
2.	उड़ीसा	240
3.	छत्तीसगढ़	262
4.	मध्य प्रदेश	926
5.	झारखंड	583
6.	त्रिपुरा	13
7.	मेघालय	44
	जोड़	3282
	2006-07	
1.	उत्तर प्रदेश	500
2.	असम	100
3.	सिक्किम	80
	जोड़	680

[अनुवाद]

डाई आमोनियम फास्फेट तथा यूरिया के मूल्य

1640. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून तथा जुलाई महीनों के दौरान डाई-अमोनियम फास्फेट (डैप) और यूरिया के मूल्य बढ़ गए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या उर्वरकों की कालाबाजारी के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष हेतु तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उर्वरकों के मूल्य कम करने तथा उनकी कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ङ) डी०ए०पी० और यूरिया के अधिकतम खुदरा मूल्यों में दिनांक 12.3.2003 के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यूरिया का वर्तमान अधिकतम खुदरा मूल्य 4830 रुपए प्रति मी० टन और डी०ए०पी० का निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य 9350 रुपए प्रति मी०टन है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 21 के तहत सभी प्रकार के उर्वरकों के बैगों पर अधिकतम खुदरा मूल्य मुद्रित करना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति बैग पर छपे मूल्य से अधिक मूल्य वसूल नहीं सकता है। उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफ०सी०ओ०) के अनिवार्य उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफ०सी०ओ०) और आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई०सी०ए०) के उपबंधों के तहत प्रशासनिक/दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। राज्य सरकारें प्रवर्तन अभिकरण हैं और किसी भी प्रकार के कदाचार में लिप्त उल्लंघनकर्ता के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने के संबंध में राज्य सरकारों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं।

[अनुवाद]

भूख-विरोधी राष्ट्रीय गठबंधन

1641. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अन्नासाहेब पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भूख-विरोधी राष्ट्रीय गठबंधन (एन०ए०ए०एच०) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके घटक कौन-कौन हैं तथा इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) भूख-विरोधी राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा संबंधी उपायों तथा भूख संबंधी मानचित्रण के बारे में क्या सुझाव दिए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) भुखमरी के खिलाफ राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों के नाम बताने वाला विवरण संलग्न है। इस संगठन के उद्देश्य राजनैतिक इच्छा, तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय संसाधनों को जुटाना है ताकि देश में भुखमरी को कम किया जा सके।

(ग) और (घ) भुखमरी के खिलाफ राष्ट्रीय संगठन की अब तक दो बैठकें हुई हैं। ये बैठकें खोज करने के स्वरूप की थी। एम०एस०एस०आर०एफ० और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हंगर मैंपिंग के संबंध में अवधारणा कागजा तैयार करने के लिए इच्छा जताई है और यह भी निर्णय लिया गया था कि भुखमरी के खिलाफ राष्ट्रीय संगठन की तर्ज पर भुखमरी के खिलाफ राज्य स्तरीय संगठन सृजित किया जाए। सरकार ने देश में आबादी के पोषाहार और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। अर्थात पोषाहार शिक्षा देना, 1993 में राष्ट्रीय पोषाहार नीति अपनाना और पोषाहार के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (1998), अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम और विशिष्ट माइक्रोन्यूट्रीएंट कमी के विकारों की रोकथाम के कार्यक्रम।

विवरण

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) में भुखमरी के खिलाफ राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों की सूची

क्र० सं०	सदस्यों का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	अध्यक्ष
2.	वित्त सचिव	सदस्य
3.	सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग	सदस्य
4.	सचिव, कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग	सदस्य
5.	सचिव, परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
6.	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
7.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
8.	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
9.	सचिव, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य
10.	योजना आयोग से एक प्रतिनिधि	सदस्य
11.	महा निदेशक, राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र	सदस्य
12.	विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि और देश के निदेशक	सदस्य
13.	कृषि खाद्य संगठन के भारतीय प्रतिनिधि	सदस्य
14.	निदेशक, एम०एस० स्वामीनाथन, रिसर्च फाउन्डेशन, चेन्नई	सदस्य
15.	सेवा अहमदाबाद	सदस्य
16.	माइक्रो न्यूट्रिएंट इनिसिएटिव नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
17.	संयुक्त सचिव (आई०सी०), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	सदस्य सचिव

कृषि विकास में क्षेत्रीय असमानताएं

1642. श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विकास के क्षेत्र में पिछड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानताओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) निम्नलिखित तालिका में आंकड़े अन्य क्षेत्रों की तुलना में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के मुख्य राज्यों में खाद्यान्न और तिलहन की सामान्य (वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक 5 वर्षों का औसत) उत्पादकता और उत्पादन को दर्शाते हैं :

राज्य	उत्पादकता (कि०ग्रा०/हैक्टेयर)	उत्पादन ('000 टन)
1	2	3
खाद्यान्न		
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार	1650	11633.0
पश्चिम बंगाल	2326	15346.7

1	2	3
उत्तर पूर्वी क्षेत्र		
असम	1443	4032.3
त्रिपुरा	2183	554.9
उत्तरी क्षेत्र		
पंजाब	3972	24726.7
उत्तर प्रदेश	2135	42642.0
पश्चिम क्षेत्र		
महाराष्ट्र	861	11157.5
राजस्थान	1045	12050.1
तिलहन		
पूर्वी क्षेत्र		
उड़ीसा	440	133.4
पश्चिम बंगाल	880	519.9
उत्तर-पूर्वी		
असम	501	154.0
नागालैण्ड	1082	53.4
उत्तरी क्षेत्र		
हरियाणा	1369	737.3
उत्तर प्रदेश	818	1050.5
पश्चिम क्षेत्र		
गुजरात	1016	2875.7
राजस्थान	951	2863.5

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है खाद्यान्नों के मामले में, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की उत्पादकता उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों से पिछड़ नहीं रही है। तथापि, तिलहनों के मामले में यह प्रवृत्ति मिली-जुली है। उत्पादकता तथा उत्पादन अन्य बातों के साथ-साथ जिन पर निर्भर करता है वे हैं — वर्षा, तापमान, मृदा की प्रकृति, उर्वरकों का उपयोग, गुणवत्ताप्रद बीज, उपयुक्त प्रौद्योगिकी और किसानों की प्रबंधकीय कुशलता जो कि क्षेत्र दर क्षेत्र भिन्न होते हैं।

(ग) किसानों की उत्पादकता, उत्पादन और आय को बढ़ाने के लिए उनके लिए उपयुक्त उत्पादन व संरक्षण प्रौद्योगिकी के विकास पर सरकार का मुख्य जोर रहा है। इसके लिए देश के अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में किसानों द्वारा सामाना की गई विशिष्ट समस्याओं और जरूरत को देखते हुए स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करने की दृष्टि से सभी फसल सुधार कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, पौध रोपण की इष्टतम अवधि, बीज दर, उपयुक्त पादप संख्या, खरपतवार नियंत्रण, समेकित कीट प्रबंधन और इण्टर कल्चरिंग के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का मानकीकरण किया गया है और किसानों द्वारा अपनाए जाने हेतु इसे किसानों को उपलब्ध कराया गया है।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड

1643. श्री वसुभाई धानाभाई बारड : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की हाल ही में एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किस कार्य-सूची पर चर्चा हुई तथा क्या-क्या निर्णय लिए गए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की तीसरी बैठक 19 जून, 2006 को आयोजित हुई थी। महत्वपूर्ण कार्यसूची की मदें संलग्न विवरण में दी गई हैं। बैठक में हुई चर्चा के समरी रिकॉर्ड को अभी औपचारिक अनुमति दी जानी है।

विवरण

1. मोरों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई
2. शेरों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई
3. भारत की लाल जंगली मुर्गियों का संरक्षण
4. महत्वपूर्ण नम भूमियों का संरक्षण
5. सेना कार्मिकों को कानूनी शक्तियां देना
6. पारिस्थितिकीय कार्यबल गठित करना
7. जागरूकता के लिए निधियां

[हिन्दी]

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का पुनर्गठन

1644. श्री रामदास आठवले :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आई०डी०पी०एल०) के पुनर्गठन हेतु तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सिफारिशों के बारे में क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्डिक) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। आई०डी०पी०एल० से पुनर्वास योजना का प्रारूप सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

विवरण

समिति की सिफारिशें मोटे तौर पर निम्न प्रकार से हैं :

1. गुड़गांव, ऋषिकेश एवं चैन्नई में फार्मूलेशन कार्यकलाप जारी रखी जाएं। हैदराबाद यूनिट में फार्मूलेशन कार्यकलाप पुन: प्रारम्भ किए जाने हैं।

2. इन सभी इकाइयों के प्लांट एवं मशीनरी एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं को अनुसूची – एम की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्नत करने की जरूरत है।

3. हैदराबाद एवं ऋषिकेश में बल्क औषध का उत्पादन पुनर्जीवन के तीन साल बाद शुरू किया जाना है। इसलिए जी०एम०पी० जरूरतों को पूरा करने के लिए मशीनरी के उन्नयन/प्रतिस्थापन का कार्य तत्काल शुरू करने की आवश्यकता है।

4. बल्क औषध उत्पादन प्रारंभिक स्तर से एक स्तर पूर्व से शुरू होगा। आई०डी०पी०एल० प्रबंधन बाजार परिस्थितियों एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के आधार पर, सही समय पर मूल स्तर से उत्पादन प्रारंभ करने का निर्णय ले।

5. उपरोक्त अवधारणा के आधार पर, अनुमानित क्षमता उपयोग, लाभप्रदता एवं नकद सृजन उस स्तर पर आंकी गई है जहां पूरी कंपनी के लिए वित्तीय स्वाबलम्बन सुनिश्चित हो सकेगा। अनुमानित उत्पादन के शुरू होने के 5वें वर्ष में पुनर्भुगतान होगा।

6. आई०डी०पी०एल० फार्मूलेशन एवं बल्क औषधों के ठेके पर निर्माण/तृतीय पक्ष निर्माण की संभावनाओं का भी पता लगाए जिससे कि कंपनी के संसाधनों में वृद्धि होगी।

7. अतिरिक्त खाली भूमि एवं अन्य अतिरिक्त आधारभूत संरचनाएं जैसे रिक्त आवास, गेस्ट हाउस आदि जिनका निकट भविष्य में उपयोग नहीं होगा, उन्हें लीज पर दिया जाए जिससे कि संसाधनों में वृद्धि होगी।

8. उपर्युक्त रीति से, बल्क औषध एवं फार्मूलेशन प्रभाग के संबंध में प्लांट एवं मशीनरी तथा आधारभूत संरचना को उन्नत बनाने के लिए 151 करोड़ रुपये की कुल निधि की आवश्यकता होगी।

9. दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां बी०डी०ओ०सी०एल० एवं आई०डी०पी०एल० (टी०एन०) को आदाता कंपनी में पुन: विलय किया जाए क्योंकि ये कंपनियां वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से मूल कंपनी से स्वतंत्र नहीं है। उनका स्वयं का कोई विपणन तंत्र नहीं है और उनके उत्पाद मुख्य रूप से मूल कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

10. उत्पाद की लागत को कम करने के लिए अंतर्वर्तियों के आयात द्वारा बल्क औषधों के उत्पादन की प्रौद्योगिकी के उन्नयन की आवश्यकता होगी।

11. नवीनतम औषधों के नए फार्मूलेशन विकसित करने के लिए फार्मूलेशन विकास सुविधाओं को पुनर्गठित करना होगा।

12. नए औषधों के लिए प्रौद्योगिकी/सहयोग प्राप्त करना होगा।

13. भविष्य में उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकियों की पहचान करनी होगी।

14. कार्य योजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर एक पृथक टास्क फोर्स के माध्यम से निगरानी रखी जाए।

[अनुवाद]

वन भूमि का अन्यत्र उपयोग

1645. श्री एम० राजामोहन रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु घने/उपांत (फ्रिंज) वनों के अन्यत्र उपयोग से वन्यजीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या एहतियाती उपाय किए जाने का प्रस्ताव है/किए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जैव-विविधता समृद्ध वन भूमि का औद्योगिक और व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु अन्यत्र उपयोग से वन्य जीव पर प्रभाव पड़ रहा है।

(ख) वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजनों से अन्यत्र उपयोग से वन्यजीव और उनके पर्यावास पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) वन्यजीवों से समृद्ध वन भूमि का औद्योगिक और व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु अन्यत्र उपयोग के लिए अनुमति केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही दी जाती है।

(2) ऐसे अन्यत्र उपयोग से वन्यजीव और उनके पर्यावास पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन संबंधित राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा किया जाता है। प्रस्तावों का परीक्षण करते समय मुख्य वन्यजीव वार्डन की सिफारिशों पर पूरा सोच-विचार किया जाता है।

(3) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु अन्यत्र उपयोग के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से संबद्ध स्थाई समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ऐसे अन्यत्र उपयोग हेतु संस्तुति से पूर्व, जहां कहीं भी आवश्यक हो, स्थल निरीक्षण किया जाता है।

(4) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से भूमि के अन्यत्र उपयोग के सभी मामलों की दशा में, माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है।

[हिन्दी]

ठेका मजदूरों की दुर्दशा

1646. श्री एम० अंजनकुमार यादव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेका मजदूरों की दशा दयनीय है तथा उनसे स्थायी कर्मचारियों का कार्य कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो स्थायी कर्मचारियों तथा ठेका मजदूरों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की प्रकृति में भारी अंतर के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 ठेका श्रमिकों की सेवा शर्तों में सुधार लाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। इस संबंध में प्राप्त विशिष्ट शिकायतों का निपटान इस कानून के उपबंधों के अनुसार किया जाता है।

(ख) और (ग) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियमावली, 1971 के नियम 25 (2)(फ)(क) के अंतर्गत ठेकेदारों को जारी किए जाने वाले लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुसार, ऐसे ठेका श्रमिक जो किसी प्रतिष्ठान में नियमित कर्मचारियों के अनुसार वही अथवा समान प्रकृति का कार्य निष्पादित करते हैं, उनके लिए नियमित कर्मचारियों के समान ही मजदूरी दर, अवकाश, कार्य के घंटे और अन्य सेवा शर्तें निर्धारित की जानी होती हैं। इस संबंध में विवादों को उक्त नियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष निपटान करने के लिए उठाया जा सकता है। इसके अलावा, केन्द्रीय क्षेत्र में निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण भी किए जाते हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है, उक्त नियम के उल्लंघन के लिए अभियोजन भी चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी हेतु योजना

1647. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री पंकज चौधरी :
श्री गुंडलूर निजामुद्दीन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की कोई योजना है, जिससे कि वे स्वयं बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन कर सकें;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीज उत्पादन तथा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के प्रभावी हस्तांतरण के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या बड़ी संख्या में किसानों की आत्महत्या के मद्देनजर सरकार ने कभी उक्त कार्यक्रम का मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(च) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) श्रीमन्, देश में किसानों को बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान बीज ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि फसल उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को बेहतर गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन करने तथा खेत पर बचाए गए बीजों के स्टॉक को सुधारने में समर्थ बनाया जा सके।

(ख) से (च) बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है :—

(i) आधा एकड़ प्रति किसान तक किसानों द्वारा प्रयुक्त आधारी बीज की लागत पर 50% राजसहायता।

(ii) भूमि तैयार करने से लेकर कटाई ओर कटाई पश्चात् प्रसंस्करण तक बीज उत्पादन प्रौद्योगिकियों में 50-150 किसानों के प्रति समूह 15,000 रुपए की दर पर कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों का प्रशिक्षण।

(iii) 10 क्विंटल और 20 क्विंट क्षमता के पात्रों हेतु छोटे और सीमांत किसानों के लिए 25% की दर पर और अ०जा०/अ०ज०जा० किसानों के लिए 33% की दर पर बीज भण्डारण पात्रों की खरीद के लिए सहायता।

बीज ग्राम कार्यक्रम का मुख्य आशय क्रियान्वयक एजेंसियों के मार्गदर्शन और सहायता के अधीन अपनी भूमियों में गुणवत्ता बीज के उत्पादन हेतु किसानों को सशक्त बनाना है। इसे कई राज्यों से सकारात्मक अनुक्रिया प्राप्त हुई है। वर्ष 2005-06 के दौरान विभिन्न राज्यों/क्रियान्वयक एजेंसियों को 1476.99 लाख रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई और वर्तमान वर्ष के लिए कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 1349.49 लाख रुपए का आवंटन उपलब्ध है।

वर्ष 2005-06 के दौरान बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने विभिन्न फसलों के क्रमशः 172000, 2920 और 24000 क्विंटल बीजों का उत्पादन किया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में मुर्गीपालन को सुदृढ़ बनाना

1648. डा० राम लखन सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य में विशेषकर ग्वालियर तथा जबलपुर में मुर्गीपालन को सुदृढ़ बनाने के लिए 170 लाख रुपए की लागत का एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने तथा धनराशि जारी करने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें ग्वालियर तथा जबलपुर स्थित इसके फार्मों को सुदृढ़ करने के लिए "राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 170.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मांगी गई है। वर्ष 2001-02 से 2004-05 की अवधि के दौरान पांच कुक्कुट फार्मों के मामले में राज्य को जारी 213.73 लाख रुपए की राशि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही उक्त प्रस्तावों पर कार्रवाई करना संभव हो पाएगा।

[अनुवाद]

अनुसंधान कार्य हेतु धनराशि

1649. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि क्षेत्र में विशेषकर गन्ने, गेहूं तथा विभिन्न प्रकार के फलों से संबंधित देश में किए गए अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य खाद्यान्नों के लिए भी कोई नया अनुसंधान कार्य शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विभिन्न राज्यों में कृषि उत्पादन

बढ़ाने के लिए फसलों में सुधार, पशु और मत्स्य आनुवंशिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधन प्रबंध, रोग निदानों और फसलों, पशुधन और मात्स्यिकी में सुधार, विकास और सुधरी कृषि मशीनरी के उपयोग, सस्योत्तर प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास के माध्यम से अनुसंधान क्रियाकलापों को चला रहा है। निधियों का आबंटन संस्थानवार और परियोजनावार किया जाता है न कि राज्यवार। गन्ना, गेहूं और विभिन्न फलों की फसलों में, मुख्य ध्यान विशिष्ट गुणों वाली सुधरी किस्मों/संकरों के और उचित उत्पादन संरक्षण और सस्योत्तर प्रौद्योगिकियों के विकास पर अनुसंधान प्रयासों को केन्द्रित किया गया है जिसमें योजना निधियों के तहत वर्ष 2005-06 के दौरान अनुमानित खर्च गन्ने पर 721.00 लाख रुपये, गेहूं पर 620.00 लाख रुपये तथा विभिन्न फलों वाली फसलों पर 2483.00 लाख रुपये है।

(ख) और (ग) अन्य खाद्यान्नों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए सुधरी किस्मों/संकरों, उत्पादन, संरक्षण और अन्य प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु अनुसंधान कार्य पहले से ही चल रहे हैं। इनमें मोटे अनाज, गौण अनाज, दलहनें आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

खरीद के संबंध में बोनस का भुगतान

1650. श्री हंसराज जी० अहीर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यूनतम समर्थ मूल्य (एस०एस०पी०) के भुगतान के अतिरिक्त बोनस मूल्य का भुगतान करने के पश्चात् किसानों से गेहूं खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार धान और कृषि जिंसों की खरीद पर भी किसानों को बोनस देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, हां। समूचे रबी विपणन मौसम 2006-07 के लिए दिनांक 21.4.2006 को गेहूं के 650 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर 50 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस देने की घोषणा की गई थी।

(ग) से (ङ) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दर पर खाद्यान्न खरीदने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न आधारित अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित मात्रा में खाद्यान्नों की खरीदारी की जा सके।

बोकारो इस्पात संयंत्र हेतु अर्जित भूमि

1651. श्री ब्रजेश पाठक : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए अर्जित कुल भूमि और इसमें से गैर-सरकारी संगठनों और शिक्षा संस्थानों को हस्तांतरित किए गए क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पट्टा आधार पर लाभार्थियों को भूमि का आबंटन यिका गया है;

(ग) यदि हां, तो पट्टे की अवधि सहित वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भूमि के आबंटन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ङ) क्या भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) बोकारो इस्पात संयंत्र (बी०एस०एल०)/स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० (सेल) ने 31,287 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है जिसमें से 21.278 एकड़ और 217.419 एकड़ भूमि (कुल 238.427 एकड़ भूमि) गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों को आबंटित की गई है।

(ख) से (घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान पट्टे के आधार पर दिनांक 22.12.2003 से 33 वर्षों के लिए 133 वर्ग मीटर का केवल एक प्लॉट उन विस्थापित व्यक्तियों, जिनके नाम बी०एस०एल० में रोजगार देने के लिए झारखंड सरकार द्वारा भेजे गए थे, के लिए ही विशेष रूप से विज्ञापित योजना के तहत श्री सर्फुद्दीन अंसारी को आबंटित किया गया है।

(ङ) जी, नहीं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

वन्यजीव अभ्यारण्यों की सुरक्षा

1652. **श्री जी०वी० हर्ष कुमार :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वन्यजीव अभ्यारण्यों की सुरक्षा हेतु एक विशेष पारिस्थितिकीय कार्यबल का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय का विचार वन सम्पदा की सुरक्षा और संरक्षण हेतु जागरूकता कार्यक्रमों को चलाने और पारिस्थितिकीय परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कुछेक संगठनों को वित्तपोषित करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे संगठनों को वित्तपोषित करने के क्या मापदंड बनाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित "ग्रीनिंग इण्डिया स्कीम" के अंतर्गत अच्छे किस्म की रोपण सामग्री और वृक्ष रोपण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए केंद्रीय वन विकास अभिकरणों के माध्यम से राज्य वन विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, वन्यजीव प्रबंधन एवं संरक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं हेतु अनुसंधान के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाली वैज्ञानिक संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। चयन के लिए संगठन की विश्वसनीयता, विगत अनुभव, मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप विशेषज्ञता जैसे कुछ मानदण्ड अपनाए जाते हैं।

जापानी भेषज कंपनियों द्वारा विनिर्माण इकाई की स्थापना

1653. **श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की भेषज कंपनियों ने भारतीय भेषज क्षेत्र विशेषकर संविदागत विनिर्माण सहयोगात्मक अनुसंधान और औषधियों के विपणन के संबंध में रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कंपनियां आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर में अपनी विनिर्माण इकाई की स्थापना कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय भेषज क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) औषध महानियंत्रक (भारत) कार्यालय में जापान की एक औषध कंपनी मेसर्स एसाई कं० लि० से देश में अपनी औषधों का विपणन करने संबंधी आवेदन प्राप्त हुआ है। भारतीय कंपनी एसाई फार्मास्युटिकल्स इंडिया प्रा०लि० के नाम से है और यह एसाई कं० लि०, जापान की 100% सहायक कंपनी है। भारत में यह कंपनी अक्टूबर, 2004 में निगमित की गई थी। मेसर्स एसाई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, फर्म अगले दो वर्षों में इन्दौर या विशाखापट्टनम में अपनी निर्माण इकाई स्थापित करने वाली है।

(ङ) सरकार, समय-समय पर घोषित औषध नीतियों/औद्योगिक नीतियों के माध्यम से औषध क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करती रही है। औषध क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत्य है।

उड़ीसा में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

1654. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान शुरू किए गए कार्यकलापों और इस कार्यक्रम के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक कितनी सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गई हैं और इसमें कितनी हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया है; और

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन सी नई परियोजनाओं को शामिल किया गया है और कौन-कौन सी परियोजनाओं को शामिल नहीं किया गया है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2004-05 और 2005-06 में सृजित सिंचाई क्षमता और माइक्रो स्तरीय अवसंरचना विकास तथा कुशल खेत जल प्रबंधन के माध्यम से प्रयुक्त क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के उद्देश्य

से राज्य द्वारा (i) सर्वेक्षण, आयोजना और डिजाइन (ii) खेत चैनलों का निर्माण; (iii) खेत, मध्यवर्ती और संपर्क नालियों का निर्माण; (iv) फसल प्रदर्शन; (v) जल भराव क्षेत्रों का सुधार; और (vi) किसानों तथा कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण जैसे कार्यकलाप शुरू किए गए थे।

(ग) कब तक, 79390 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए वर्ष 2003-04 में कमान क्षेत्र विकास कार्यकलापों के पूरा होने के बाद कार्यक्रम से चार परियोजनाएं हटा दी गई थीं।

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान नई परियोजनाओं को शामिल करने तथा परियोजनाओं को शामिल न करने के वास्ते राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सेल द्वारा रेल की पटरियों की आपूर्ति

1655. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) द्वारा रेलवे को भारी मात्रा में आपूर्ति की गई रेल पटरियों में दरार पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो सेल द्वारा रेलवे को की गई वार्षिक आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को आपूर्ति की गई रेल पटरियों में त्रुटि के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सेबों का उत्पादन

1656. श्री जी०एम० सिद्देश्वर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सेबों का वार्षिक उत्पादन कितना हुआ है;

(ख) क्या सरकार के पास देश में सेबों के उत्पादन को व्यापक रूप से बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए किन क्षेत्रों/स्थानों की पहचान की गई है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) देश में सेब का वार्षिक उत्पादन 17.39 लाख मी० टन है। सेब उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	राज्य	उत्पादन (लाख मी० टन में)
1.	अरूणाचल प्रदेश	0.095
2.	हिमाचल प्रदेश	5.276
3.	जम्मू व कश्मीर	10.933
4.	उत्तरांचल	1.085
5.	अन्य	0.001
	कुल	17.390

(ख) से (घ) देश में सेब उत्पादक राज्यों में सेब सहित बागवानी फसलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिये कृषि मंत्रालय 2001-02 से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन" क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम को वर्ष 2003-04 के दौरान जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल नामक तीन अन्य समीपवर्ती पर्वतीय राज्यों में भी लागू किया गया।

इस स्कीम को एक मिशन मोड के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें उत्पादन व उत्पादकता, फसलोंपरांत प्रबंधन, विपणन व प्रसंस्करण जैसे बागवानी विकास से जुड़े हुये मुद्दों पर एक आद्योपान्त प्रणाली के तहत ध्यान दिया जाता है। इस स्कीम को बागवानी फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टि से विभेदित कार्यनीतियों के अनुसार समूहन प्रणाली के आधार पर क्रियान्वित किया जाता है।

प्रदूषण फैलाने वाले पेंट

1657. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेंटों में सीसे का प्रयोग करने के लिए कोई मानदंड/सीमाएं निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में ऐसी सीमाओं के उल्लंघन की जानकारी ध्यान में आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) उपभोक्ता कार्य विभाग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो ने पेंटों के लिए अनेक मानक निर्धारित किए हैं जिसमें लीड मात्रा की सीमा निर्धारित की गई है। मानकों में विभिन्न प्रकार के पेंटों में लीड मात्रा <0.03% से <1.0% निर्धारित की गई है।

(ग) से (ङ) भारतीय मानक संस्थान का प्रमाणीकरण स्वैच्छिक स्वरूप का है। बी०आई०एस० लाइसेंसियों से लिए गए पेंट के नमूने और बी०आई०एस० द्वारा किए गए परीक्षणों में लीड के किसी मानक/सीमा उल्लंघन नहीं पाया गया है।

क्षेत्रीय खाद्य बैंक

1658. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सार्क फूड सिक्योरिटी रिजर्व बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्रीय खाद्य बैंक की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और उसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या क्षेत्रीय खाद्य बैंक की स्थापना के लिए कार्यविधियां बनाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं और क्षेत्रीय खाद्य बैंक को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुए 12वें सार्क सम्मेलन ने एक क्षेत्रीय खाद्यान्न बैंक स्थापित करने की संस्तुति की थी ताकि ऐसे तंत्र का पूर्ण उपयोग किया जा सके। यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा सार्क फूड सिक्योरिटी रिजर्व के स्थान पर सार्क फूड सिक्योरिटी बैंक बनाया जाए।

(ख) से (ङ) भारत द्वारा तैयार किए गए सार्क फूड सिक्योरिटी रिजर्व बैंक संबंधी अवधारणा कागज पर अक्तूबर, 2004 में ढाका में हुई सार्क फूड सिक्योरिटी रिजर्व बोर्ड की दसवीं बैठक के दौरान विचार किया गया था और इसे सदस्य देशों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर संशोधित किया गया था। नवम्बर, 2005 में ढाका में हुए 13वें सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि पहले से ही मौजूद सार्क फूड सिक्योरिटी रिजर्व बोर्ड भारत द्वारा तैयार संशोधित अवधारणा कागज पर विचार करने के लिए शीघ्र बैठक करे। इसके बाद क्षेत्रीय खाद्यान्न बैंक की स्थापना करने के लिए एक करार पर विचार करने हेतु एक अंतर-सरकार विशेषज्ञ स्तरीय बैठक आयोजित की जाए। इसके बाद इसे सार्क फूड/कृषि मंत्रियों की बैठक में विचार करने हेतु प्रस्तुत किया जाए। भारत ने सार्क फूड सिक्योरिटी रिजर्व बोर्ड की 11वीं बैठक आयोजित करने की पेशकश की है और इसकी तारीखों की अभी घोषणा की जानी है।

सार्क फूड सिक्योरिटी रिजर्व बैंक के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :—

(i) क्षेत्रीय खाद्यान्न सुरक्षा रिजर्व के रूप में कार्य करना;

(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रयासों को क्षेत्रीय समर्थन प्रदान करना;

(iii) कृषि व्यापार की सुविधा करने के उपायों में सुधार करना; और

(iv) अंतर्राष्ट्र प्रतिभागिता को प्रोत्साहन देना।

उत्पाद को रोगमुक्त के लिए यह बैंक सीमा पार की बीमारियों, पर्यावरण प्रबंधन और प्रत्येक प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादकता में सतत सुधार करने से संबंधि मुद्दों पर देशों में सहयोग स्थापित करायेगा।

[हिन्दी]

दुधारू मवेशियों की उन्नत नस्लों का विकास

1659. श्री एम० अंजनकुमार यादव :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन संस्थानों ने दुधारू मवेशियों की उन्नत नस्लें विकसित की हैं; और

(ख) उक्त मवेशी कौन-कौन से हैं और उनकी दूध देने की क्षमता कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, गोपशु परियोजना

निदेशालय, मेरठ ने मिलिट्र फार्मों तथा केरल पशुधन विकास बोर्ड के सहयोग से मवेशी की उन्नत क्रासब्रीड नस्लें विकसित की हैं।

(ख) मवेशी की क्रासब्रीड नस्लों के नाम कारण स्विस, करण फ्राईज, फ्रीजवाल तथा सुनन्दिनी है। उपरोक्त नस्लों के दुग्धकाल में उत्पादन निम्नलिखित है :

नस्ल	दुग्ध उत्पादन क्षमता
करण स्विस	
(i) औसत दुग्ध उत्पादन (कि०ग्रा०/305 दिन)	3316 कि०ग्रा०
(ii) रिकार्ड किया गया अधिकतम दुग्धकाल व दुग्ध उत्पादन (कि०ग्रा०/356 दिन)	8239 कि०ग्रा०
करण फ्राईज	
(i) औसत दुग्ध उत्पादन (कि०ग्रा०/305 दिन)	3393 कि०ग्रा०
(ii) रिकार्ड किया गया अधिकतम दुग्धकाल व दुग्ध उत्पादन (कि०ग्रा०/305 दिन)	8338 कि०ग्रा०
फ्रीजवाल	
(i) औसत दुग्ध उत्पादन (कि०ग्रा०/300 दिन)	3072 कि०ग्रा०
(ii) रिकार्ड किया गया अधिकतम दुग्धकाल व दुग्ध उत्पादन (कि०ग्रा०/315 दिन)	3398 कि०ग्रा०
सुनन्दिनी	
(i) औसत दुग्ध उत्पादन (कि०ग्रा०/305 दिन)	3265 कि०ग्रा०
(ii) रिकार्ड किया गया अधिकतम दुग्धकाल व दुग्ध उत्पादन (कि०ग्रा०)	5837 कि०ग्रा०

[अनुवाद]

बी०टी० कपास जारी करना

1660. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बी०टी० कपास की विभिन्न किस्मों को वाणिज्यिक रूप से जारी करने से पहले कभी कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सरकार ने मिट्टी उर्वरता पर इसके प्रभाव के संबंध में भी कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मानव के स्वास्थ्य पर इसके लाभ और इसके कुप्रभाव के बारे में किसानों को शिक्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुवांशिक परिचालन संबंधी समीक्षा समिति (रिव्यू कमेटी ऑफ जेनेटिक मैनुपुलेशन (आर०सी०जी०एम०)) द्वारा अनुमोदित प्रोटोकाल के अनुसार, बी०टी० कॉटन संकरों का उनके वाणिज्यिक खेती के लिए निर्गत किए जाने से पहले विभिन्न पर्यावरणीय सुरक्षा आकलन किया जाता है। अनुमोदित प्रोटोकॉल में शामिल हैं — बी०टी० कॉटन के पराग बहिर्गमन/आउट क्रॉसिंग, उद्यमशीलता और क्षीणता से संबंधित अध्ययन, गैर-लक्ष्य अवयवों पर प्रभाव, मृदा में बी०टी० जीन के संचयन का जोखिम आकलन, सॉयल माइक्रो फ्लोर में बी०टी० जीन का प्रभाव, खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन, "टर्मिनेटर जीन" की अनुपस्थिति की पुष्टि और बेसलाईन अतिसंवेदनशील अध्ययन।

(ग) और (घ) मृदा में बी०टी० जीन के संचयन के संभावित जोखिम और सॉयल माईक्रो-फ्लोरा पर बी०टी० प्रोटीन के प्रभाव का आकलन करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित अध्ययनों से पता चलता है कि मृदा नमूनों में बी०टी० प्रोटीन का पता नहीं चला था और मृदा सूक्ष्म जीवाणु जनसंख्या पर कोई खास प्रभाव नहीं था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रयोगों ने संकेत किया है कि पर्यावरण, गैर-लक्ष्य अवयवों, सॉयल माईक्रो-फ्लोरा, पशु और मानव स्वास्थ्य पर बी०टी० कपास का कोई हानिकारण प्रभाव नहीं है।

(ङ) बी०टी० कपास खेती से जुड़े मुद्दों के बारे में बी०टी० कपास उत्पादक राज्यों में कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित लोक जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में चरागाह विकास

1661. **डा० राम लखन सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में चरागाह विकास को बढ़ावा देने के लिए चरागाह विकास योजना से संबंधित एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की जा रही है तथा धनराशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव में 391.28 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 530 हैक्टेयर भूमि में चारागाह विकास की व्यवस्था है।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, इससे पहले कि विभाग उनके नए प्रस्ताव पर विचार करे राज्य सरकार को 2004-05 तक पहले जारी केन्द्रीय अनुदान का उपयोग करना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह नए प्रस्ताव पर विचार करने से पहले 1992-93 में जारी तथा बिना उपयोग के पड़े 40 लाख रुपए का केन्द्रीय अनुदान वापिस करे।

[अनुवाद]

रोजगार कार्यालय

1662. श्री बालासाहिब विखे पाटील :
श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती के कारण रोजगार कार्यालय अपनी सार्थकता खो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रोजगार कार्यालयों के माध्यम से "ग" और "घ" श्रेणियों के लिए कार्यकुशल कर्मचारियों की भर्ती करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से "ग" और "घ" श्रेणियों की राज्य-वार कितनी भर्ती की गई; और

(घ) इन रोजगार कार्यालयों के कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए इनको पुनर्गठित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्रतियोगी परीक्षाएं केवल केन्द्र/राज्य सरकारों के पदों की कुछेक श्रेणियों में भर्ती हेतु आयोजित की जाती हैं। कुशल ग एवं घ श्रेणियों सहित जिन अन्य सभी श्रेणियों हेतु रिक्ति अधिसूचना प्राप्त होती है, उनके लिए चालू रजिस्टर से रोजगार चलाने वालों को विचारार्थ नामित किया जाता है।

(ग) विगत तीन वर्षों में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किया गया नियोजन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) रोजगार चाहने वालों तथा नियोक्ताओं दोनों को ही बेहतर एवं कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा रोजगार कार्यालयों का धीरे-धीरे कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

विवरण

(हजार में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	31.12.2005 को रोजगार कार्यालय (वास्तविक संख्या में)	निम्न वर्षों के दौरान किए गए नियोजन की संख्या		
			2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	31	3.7	2.4	1.7
2.	अरूणाचल प्रदेश	10	●	0.4	●
3.	असम	52	0.6	0.2	0.4
4.	बिहार	37	0.6	0.1	●
5.	छत्तीसगढ़	18	1.6	0.9	2.2
6.	दिल्ली	14	0.4	0.3	0.1

1	2	3	4	5	6
7.	गोवा	1	0.3	0.2	0.3
8.	गुजरात	42	64.9	64.9	92.9
9.	हरियाणा	61	4.3	3.4	3.5
10.	हिमाचल प्रदेश	15	1.3	1.0	1.7
11.	जम्मू व कश्मीर	14	●	0.3	●
12.	झारखण्ड	33	8.6	2.8	2.7
13.	कर्नाटक	40	2.9	1.6	1.7
14.	केरल	86	7.3	7.5	9.7
15.	मध्य प्रदेश	58	1.9	1.6	1.7
16.	महाराष्ट्र	46	14.0	12.8	15.0
17.	मणिपुर	11	●	–	0.3
18.	मेघालय	11	●	●	●
19.	मिजोरम	3	0.3	●	–
20.	नागालैण्ड	7	0.2	●	●
21.	उड़ीसा	40	1.8	2.4	2.0
22.	पंजाब	46	3.2	2.7	2.1
23.	राजस्थान	42	2.3	3.4	7.7
24.	सिक्किम*				
25.	तमिलनाडु	34	18.9	13.2	15.3
26.	त्रिपुरा	5	0.7	0.3	0.2
27.	उत्तरांचल	23	1.8	2.4	2.1
28.	उत्तर प्रदेश	84	2.6	1.7	1.6
29.	पश्चिम बंगाल	75	9.3	10.1	7.3
(ख)	संघ शासित प्रदेश				
30.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1	0.4	0.4	0.1
31.	चण्डीगढ़	2	0.5	0.3	0.2

1	2	3	4	5	6
32.	दादर व नगर हवेली	1	–	@	–
33.	दमन व दीव	2	@	@	@
34.	लक्षद्वीप	1	0.1	@	–
35.	पाण्डिचेरी	1	0.4	0.3	0.7
	सकल योग	947	154.9	137.7	173.2

टिप्पणी—@आंकड़ें पचास से कम।

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं

[हिन्दी]

पर्यावरणीय मंजूरी हेतु दिशा-निर्देश

1663. श्री हंसराज जी० अहीर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए खनन क्षेत्रों को पट्टे पर देने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी हेतु कितने मामले लंबित हैं;

(ख) इन मामलों के लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में मंजूरी देने हेतु कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के संबंध में 5 हैक्टेयर से अधिक पट्टा क्षेत्र वाले मुख्य खनिजों के खनन के तीन सौ पचपन प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास लंबित हैं।

(ख) प्रस्तावों के लंबित होने के कारणों में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और प्रस्तावों के साथ अपर्याप्त सूचना/आंकड़े प्राप्त होना शामिल है।

(ग) जी, हां।

(घ) समय-समय पर यथासंशोधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 में मार्गनिर्देश और अपेक्षित दस्तावेजों के साथ निर्धारित फार्मेट में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया, जनसुनवाई और इस उद्देश्य के लिए गठित बहुविषयी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

(ङ) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना में परियोजना के मूल्यांकन के लिए अपेक्षित सूचना प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन और उस पर निर्णय सूचित करने की समय सीमा 30 दिन निर्धारित की है।

चारे की कमी

1664. श्री ब्रजेश पाठक :
श्री कुलदीप बिश्नोई :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों विशेषकर सूखा प्रभावित राज्यों में चारे की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में हरे और सूखे चारे की कमी के कारण दूध का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में प्रति पशु कितना चारा उपलब्ध है;

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चारे की मांग और आपूर्ति के बीच कितनी कमी दर्ज की गई; और

(च) देश में इस कमी को पूरा करने तथा हरे और सूखे चारे के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दुग्ध उत्पादन चारे की कमी के कारण प्रभावित है। देश में प्रति दुधारू पशु प्रतिदिन औसतन 7.5 किलोग्राम चारा उपलब्ध है।

(ङ) और (च) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान हरे चारे की लगभग 62% तथा सूखे चारे की 22% कमी है। भारत सरकार सकल चारा उत्पादन को बढ़ाने तथा मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है :—

(1) सात क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्रों के साथ केन्द्रीय चारा विकास संगठन तथा उच्च पैदावार वाली चारा बीज नस्लों के उत्पादन, प्रशिक्षण तथा चारा उत्पादन के संबंध में प्रदर्शन के लिए एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म तथा चारा बीज मिनिकिटों के वितरण के लिए केन्द्रीय मिनिकिट प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(2) चार घटकों अर्थात् चारा ब्लॉक बनाने वाली यूनिट की स्थापना (25% केन्द्रीय राजसहायता), घास रिजर्व सहित चारागाह विकास (100% केन्द्रीय अनुदान), चारा बीज उत्पादन (चारा बीजों की खरीद पर 75% केन्द्रीय अनुदान) तथा बायो टेक्नोलॉजी अनुसंधान परियोजनाएं (100% केन्द्रीय अनुदान) सहित एक नई केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना।

राज्यों को चारा विकास के लिए उनके प्रयासों की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

समान कार्य के लिए समान वेतन

1665. श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री भाल चन्द्र यादव :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं और बच्चों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को लागू न किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन के संबंध में कोई निर्देश दिया है; और

(च) यदि हां, तो उक्त निर्देश को लागू कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) से (घ) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में पुरूषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के प्रवर्तन का दायित्व केन्द्रीय क्षेत्र में मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) पर जबकि राज्य क्षेत्र में अधिनियम के प्रवर्तन का दायित्व संबंधी राज्य सरकार पर है। केन्द्र सरकार को समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अनुपालन न होने के संबंध में अभी तक कोई नोटिस या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) उच्चतम न्यायालय ने हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड बनाम कर्मकार (ए०आई०आर० 1967 एस०सी०सी० 1948) के मामले में व्यवस्था दी थी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लेख है कि राज्य अपनी नीति पुरूषों एवं महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन सुनिश्चित करने की ओर निर्देशित करेगा तथा संविधान का अनुच्छेद 43 राज्य को किसी उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन या किसी अन्य तरीके से, जीवन का एक मर्यादित स्तर और प्रमुख तथा सांस्कृतिक सामाजिक अवसरों का पूर्ण आनन्द निश्चित करते हुए सभी कामगारों, कृषि, औद्योगिक या अन्य के लिए कार्य, निर्वाह मजदूरी, कार्य की दशाएं सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करने का आदेश देता है।

तदुपरान्त, कई निर्णय आते रहे हैं जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ, व्यवस्था दी थी कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अंतर्गत उल्लिखित समानता के अधिकार का एक पहलु है। बाद में, एक अन्य निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू किया जाना जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 39 में उल्लिखित है, सेवा की शर्तों इत्यादि पर निर्भर करता है। इस प्रकार, इस सिद्धांत के लागू किए जाने के लिए धारित किया गया पद एक जैसा होना चाहिए।

(च) केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन को नियमित रूप से मॉनीटर कर रही है। केन्द्र सरकार द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के प्रभावी ढंग से प्रवर्तन हेतु समय-समय पर राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए जाते हैं।

संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन

1666. श्री जी०वी० हर्ष कुमार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन को प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वनों के काफी भीतर रह रहे व्यक्तियों को स्वेच्छा से सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर रहने हेतु प्रोत्साहित कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन सरकार की प्राथमिकता है।

(ख) और (ग) वन्यजीव संरक्षण के हित में सरकार संरक्षित क्षेत्रों के कोर क्षेत्रों में रह रहे लोगों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वैच्छिक पुन: स्थापना का बढ़ावा देती है। विस्थापित परिवारों के पुन: स्थापन के लिए 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास' और 'बाघ परियोजना' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्मिकों को प्रशिक्षण

1667. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में रत कार्मिकों के कौशल के विकास और उन्नयन हेतु प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना चलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को कोई वित्तीय और वास्तविक सहायता प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को इस प्रकार प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरा इससे राज्यवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार "प्रशिक्षण, अनुसंधान और मॉनीटरिंग" के लिए केन्द्रीय योजना स्कीमों के अधीन राज्य सरकारों को निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(i) प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें 20 प्रतिभागी से कम न हों और जिसकी अवधि 5 दिवस हो, आयोजित करने के लिए 50,000 रुपए से अधिक नहीं;

(ii) सेमिनार, कार्यशालाएं और राष्ट्रीय स्तर के भाषण आदि आयोजित करने के लिए; और

(iii) एन०आई०सी० नेटवर्क के साथ जिला खाद्य और नागरिक आपूर्ति कार्यालय और राज्य नागरिक आपूर्ति निदेशालय के बीच प्रभावी संपर्क स्थापित करनेके लिए सहायक उपकरणों के साथ कम्प्यूटर की खरीदार करने के लिए सभी को एकमुश्त सहायता, जो 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों तथा राज्य नागरिक पूर्ति निगम जैसी राज्य एजेंसियों, उपभोक्ता सहकारी समितियों आदि में विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्तियों के प्रबंध में सुधार हो सके। हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और सतर्कता समितियों के सदस्यों को भी प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रदान की गई सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई राशि	प्रयोजन	प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	2003-04	तमिलनाडु	75,00/-रुपये	मई, 2003 में आयोजित 3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु शेष भुगतान के लिए	—

1	2	3	4	5	6
2.	2003-04	दादरा व नगर हवेली	82,800/-रुपये	उपकरण सहित कम्प्यूटर की खरीद के लिए	—
3.	2003-04	मिजोरम	90,000/-रुपये	दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	55
4.	2003-04	पश्चिम बंगाल	45,000/-रुपये	एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	23
			67,000/-रुपये	सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर सेमिनार आयोजित करने के लिए	67
5.	2003-04	राजस्थान	5718/-रुपये	एक कम्प्यूटर की खरीद हेतु शेष भुगतान के लिए	—
6.	2003-04	लक्षद्वीप	1,01.982/-रुपये	उपकरण सहित एक कम्प्यूटर की खरीद के लिए	—

क्र० सं०	वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई राशि	प्रयोजन	प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या
1.	2004-05	बिहार	4,50,000/-रुपये	10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	200
2.	2004-05	गुजरात	45,000/-रुपये	एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	20
3.	2004-05	मिजोरम	10,000/-रुपये	2003-04 में आयोजित 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु शेष भुगतान के लिए	
4.	2004-05	पश्चिम बंगाल	45,000/-रुपये	एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	60
			5,000/-रुपये	2003-04 में आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु शेष भुगतान के लिए	—
			5,849/-रुपये	2003-04 में एक सेमीनार हेतु शेष भुगान के लिए	—

क्र० सं०	वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र .15ण्नाम	जारी की गई राशि	प्रयोजन	प्रशिक्षित कार्मिकोंण्ठ की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	2005-06	राजस्थान	3,0चये	ए14ण्कम्प्यूटर की खरीद के लिए	—
			38,250/रुपये	एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	17
2.	2005-06	आंध्र प्रदेश	5,40,000/रुपये	12 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	324
3.	2005-06	मिजोरम	2,00,000/रुपये	4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	350
4.	2005-06	हरियाणा	1,35,000/रुपये	3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	71
5.	2005-06	नागालैण्ड	1,35,000/रुपये	एक कम्प्यूटर की खरीद के लिए	—
			27,000/रुपये	एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	12*

1	2	3	4	5	6
6.	2005-06	पंजाब	44,500/रुपये	एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	20*
7.	2005-06	पश्चिम बंगाल	1,35,000/रुपये	3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	75*
			5,000/रुपये	एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु शेष भुगतान के लिए	
8.	2005-06	सिक्किम	1,80,000/रुपये	4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	120*
9.	2005-06	तमिलनाडु	11,50,000/रुपये	सार्वजनिक वितरण प्रणाली में संलग्न राज्य सरकारों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	853*
10.	2005-06	बिहार	50,000/रुपये	पूर्व के प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु शेष भुगतान के लिए	—
11.	2005-06	गुजरात	11,25,000/रुपये	ग्राम/नगर सतर्कता समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	9375*

*ये आंकड़े राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित है।

सहकारी क्षेत्र से ऋण

1668. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लगभग 40 प्रतिशत ऋण सहकारी क्षेत्र से आता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त ऋण का कितना प्रतिशत हिस्सा किसानों को आसान शर्तों पर ऋण के रूप में प्रदान किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) कृषि के लिए कुल ऋण प्रवाह में सहकारी क्षेत्र का शेयर (01 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 की अवधि के दौरान) 23.66% है। ऋण प्रवाह का अभिकरण-वार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

अभिकरण	धनराशि	% शेयर
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक	89,626.00 करोड़ रु०	(59.91%)
(ii) निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक	16,525.39 करोड़ रु०	(10.49%)
(iii) सहकारी बैंक	37,252.02 करोड़ रु०	(23.66%)
(iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	14,076.16 करोड़ रु०	(8.94%)
कुल	1,57,479.57 करोड़ रु०	

(ग) 01 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 की अवधि के दौरान सहकारी क्षेत्रों से कृषि के लिए कुल ऋण प्रवाह का 88% फसल ऋण है। सरकार ने खरीफ 2006-07 से प्रभावी 7% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये के मूलधन तक फसल ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है।

ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली हेतु कृतक बल

1669. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के मौजूदा ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली का अध्ययन करने के लिए किसी कृतक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृतक बल ने सिफारिशें की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सिफारिशें देने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने सहकारी ऋण ढांचे के पुनरूद्धार के उपाय सुझाने के लिए प्रो० ए० वैद्यनाथन की अध्यक्षता में अगस्त, 2004 में एक कृतक बल का गठन किया। कृतक बल ने अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के संबंध में फरवरी, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कृतक बल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(i) संचित हानियों को समाप्त करने और उनके पूंजी आधार को मजबूत बनाने के लिए 14,839 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता। सहायता में केन्द्र, राज्य सरकार तथा सहकारी ऋण संस्थाओं के संभावित अंश के क्रमश: 53%, 31% और 16% होने का अनुमान लगाया गया है।

(ii) लोकतांत्रिक, सदस्य अनुकुल, स्वायत्त और आत्मनिर्भर संस्थाएं बनाने के लिए संस्थागत पुन: संरचना।

(iii) सहकारी ऋण ढांचे को विनियमित करने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) को समर्थ बनाने के लिए कानूनी ढांचे में मूलभूत परिवर्तन।

(iv) सभी स्थानों (टीयर्स) में तथा सभी स्तरों पर कार्मिकों में गुणवत्तापरक सुधार।

(v) भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अधीन अपनी विनियामक शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विधायी संशोधन करना।

(vi) राज्य सरकारों को पुनरूद्धार पैकेज में भाग लेने के लिए औपचारिक रूप से सहमत होना चाहिए। स्कीम को राज्य सरकारों के लिए दो वर्षों की अवधि के लिए खुला रखा जाना चाहिए ताकि वे भागीदारी पर निर्णय ले सकें। निधियों की निर्मुक्ति को पुनरूद्धार पैकेज के वास्तविक रूप से कार्यान्वयन में राज्य सरकार की प्रगति के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

(vii) चूंकि विधायी संशोधन में समय लग सकता है इसलिए इसी बीच में राज्य सरकारों को इन बैंकों के वित्तीय प्रबंधन में सीधे अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने को बंद करने पर सहमत होकर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उपयुक्त समझौता ज्ञापन से जुड़ जाना चाहिए।

(viii) जहां तक विनियामक मानदण्डों का संबंध है सभी सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के समान बनाया जाना चाहिए।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विश्व खाद्य कार्यक्रम हेतु खाद्यान्न

1670. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**

श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विश्व खाद्य कार्यक्रम के रूप में देश में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए खाद्यान्न आवंटित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार किन-किन एजेंसियों को खाद्यान्न आवंटित किए गए और इनकी दरें क्या हैं; और

(ग) उक्त योजनाओं से देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को कितना लाभ हुआ है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम की परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए उन्हें खाद्यान्न आवंटित किए गए हैं। गेहूं और चावल का आवंटन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्यों अर्थात् क्रमश: 415 रुपए और 565 रुपए प्रति क्विंटल पर किया गया है।

पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान किया गया आवंटन निम्नानुसार है :—

(आंकड़े टन में)

वर्ष	आवंटन	
	गेहूं	चावल
2004-05	70,000	10,000
2005-06	70,000	10,000
2006-07	70,000	10,000

विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा वास्तव में उठान/उपयोग की गई मात्राओं के राज्यवार ब्यौरे बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आवंटित खाद्यान्नों का उपयोग उनके द्वारा मुख्यत: आदिवासी क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को वितरण करने के लिए किया जाता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की गतिविधियां अधिकांशत: राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के 8 राज्यों में खाद्य असुरक्षा के मामले में अधिक संवेदनशील महिलाओं एवं बच्चों तथा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की ओर लक्षित होती है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम को मुख्य गतिविधियां भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास योजना, शिक्षा के लिए खाद्यान्न और काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए समर्थन प्रदान करती हैं।

एकीकृत बाल विकास योजना के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के समर्थन के अधीन पौषणिक/पुष्ट मिश्रित खाद्य पदार्थों के वितरण के जरिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्रों और बच्चों की विशिष्ट पोषाहार आवश्यकताओं को कवर किया गया था।

शिक्षा के लिए खाद्यान्न की गतिविधि में आदिवासी जिलों के बच्चों को पुष्ट बिस्किट प्रदान किए गए थे, जिसमें यह सुनिचित किया गया था कि बालिकाएं विद्यालय में उपस्थित हो सकें; और इसकी सहायता ने आदिवासी विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पुष्ट बिस्किट का पौषणिक मध्य-प्रात: अल्पाहार प्रदान करके मध्याह्न भोजन योजना के पूरक का काम किया।

काम के बदले अनाज की गतिविधि में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक परिसम्पत्ति सृजित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जिससे महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से लाभ हुआ, जिससे आदिवासी समुदायों में भूखग्रस्त गरीब लोग परिसम्पत्तियों का सृजन और परिरक्षण कर सके और इससे उनके आय अर्जन के अवसर बढ़े, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और उनके जीवन-यापन के आधार में सुधार हुआ।

विवरण

पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा किए गए खाद्यान्नों के उठान/उपयोग के राज्यवार ब्यौरे बताने वाला विवरण

आंकड़े टन में

राज्य	2004-05		2005-06		2006-07*	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
छत्तीसगढ़	4,846	300	6,289	500	653	340
गुजरात	1,205	300	1,788	100	248	6
झारखंड	—	4,656	400	3,220	—	1,710
मध्य प्रदेश	18,715	—	8,587	—	909	—
उड़ीसा	6,656	4,938	19,107	3,354	1,329	2,950
राजस्थान	8,272	—	10,033	—	971	—
तमिलनाडु	59	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	2,200	—	6509	—	640	—
उत्तरांचल	8,902	—	11,721	—	2,206	—
जोड़	50,855	10,194	58,575	7,174	6,956	5,006

*जुलाई, 2006 तक

[हिन्दी]

कृषि वानिकी एवं फल उत्पादन इकाइयों को बढ़ावा

1671. श्री बृजेश पाठक :
श्री जोवाकिम बखला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल, झारखंड और अन्य राज्यों को पिछड़े क्षेत्रों में कृषि वानिकी एवं फल उत्पादन इकाइयों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल और झारखंड समेत देश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन०एच०एम०) संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शीदाबाद, नादिया, हुगली, पुरूलिया, बन्कुरा, उत्तरी 24 परगना, दार्जिलिंग, जलपाइगुड़ी, पश्चिम मिदनापुर और पुरूविल्ला तथा झारखंड के पलामू, चतरा, लातेहर, दुम्का, देवघर, रांची, लोहारगढ़, हजारीबाग, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूमि जिले कवर हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान पश्चिम बंगाल को 40.35 करोड़ रु० और झारखंड के लिए 30.30 करोड़ रु० निर्मुक्त किए गए हैं। अन्य राज्यों को वर्ष 2005-06 के दौरान एन०एच०एम० के अंतर्गत कुल 559.35 करोड़ रु० जारी किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, अवक्रमित वन भूमियों के पुनरूद्धार के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एक राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन०ए०पी०) कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, एन्ट्री प्वाइंट के रूप में गैर-वन भूमि पर कृषि-वानिकी का संवर्धन कार्य चलाया जाता है। यह स्कीम वन प्रभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफ०डी०ए०) तथा ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे०एफ०एम०सी०) के द्विस्तरीय विकेन्द्रीकृत तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 23,750 जे०एफ०एम०सी० के माध्यम से 9.24 लाख हैक्टेयर के परियोजना क्षेत्र को कवर करने के लिए 28 राज्यों की 715 एफ०डी०ए० परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

भारत सरकार भी विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिनके नाम हैं —

(i) वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए०), (ii) नदी घाटी परियोजना एवं बाढ़ प्रवण नदी (आर०वी०पी० व एफ०पी०आर०) के आवाह क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण, (iii) क्षारीय मृदा सुधार (आर०ए०एस०), (iv) झूम खेती वाले क्षेत्र में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यू०डी०पी०एस०सी०ए०), (v) विदेशी सहायतित परियोजनाएं (ई०ए०पी०), (vi) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०), (vii) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) तथा (viii) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०) जिसमें कृषि वानिकी को क्रियाकलापों में से एक क्रियाकलाप के रूप में अपनाया जाता है।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संबंध में समिति का गठन

1672. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संबंध में किसी अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या मत्स्यन संघों को इस समिति में सम्मिलित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके गठन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (घ) जी, हां। केन्द्र सरकार ने समुद्री मात्स्यिकी पर एक अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य भारत में समुद्री मात्स्यिकी के विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें देना है।

अंतरमंत्रालयी समिति होने के कारण, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग तथा संस्थान समिति के सदस्य हैं। तथापि, जब भी आवश्यकता महसूस होती है, समिति गहरा समुद्र मत्स्यन उद्योग तथा संघों के प्रतिनिधियों की बात सुनती है। समिति का गठन तथा इसके विचारार्थ विषय विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) स्थायी समिति होने के नाते, यह जब भी आवश्यक हो अपनी बैठक आयोजित करती है तथा उसके सम्मुख उठाए गए मुद्दों पर अपनी सिफारिश देती है।

विवरण

विषय : समुद्री मात्स्यिकी से संबंधित अंतर-मंत्रालयी शक्ति प्राप्त समिति के गठन के संबंध में

आर्थिक मामलों में संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन से भारत में समुद्री मात्स्यिकी के विकास के संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सिफारिश देने के लिए समुद्री मात्स्यिकी पर एक शक्ति प्राप्त समिति के गठन करने का निर्णय लिया गया है।

2. समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

1.	सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग	अध्यक्ष
2.	सलाहकार (कृषि), योजना आयोग	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव,. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, (नेवी), रक्षा मंत्रालय	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव, जहाजरानी मंत्रालय	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव, संचार मंत्रालय	सदस्य
9.	संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग	सदस्य
10.	संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	सदस्य
11.	संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
12.	महानिदेशक, विदेश व्यापार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
13.	महानिदेशक, तटरक्षक या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
14.	महानिदेशक, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई	सदस्य

15.	महानिदेशक, जहाजरानी या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
16.	अध्यक्ष, एम०पी०ई०डी०ए०, कोचीन	सदस्य
17.	मात्स्यिकी विकास आयुक्त, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग	सदस्य-सचिव

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :—

(1) अनुमानित पत्र जारी करने के लिए गहरे समुद्र के मत्स्यन जलयानों के निर्माण/आयात के जरिए खरीद द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए भारतीय उद्यमियों के प्रस्तावों पर विचार करना;

(2) संयुक्त उद्यम, पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचा तथा क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए मानक निर्धारित करना; तथा

(3) जब भी इसके पास भेजा जाए, विस्तृत समुद्री मत्स्यन नीति के किसी अन्य पहलुओं के क्रियान्वयन पर सरकार को सलाह देना।

4. समिति जब भी आवश्यक होगा, परन्तु छः माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगी। सदस्यों के टी०ए०/डी०ए०, यदि कोई हो, उनके संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा वाहन किया जाएगा।

हस्ता०/-
(पी०के० पट्टनायक)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फिल्मों का प्रमाणन

1673. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मों का प्रमाणन कराने के लिए सेंसर बोर्ड में दलाल सक्रिय हैं, जैसा कि दिनांक 26 जुलाई, 2006 के "हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन दलालों की गतिविधियों पर कोई अंकुश लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सेंसर बोर्ड के कार्यालय से पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं। फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी है और यह केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी०बी०एफ०सी०) की जांच समिति (ई०सी०) अथवा समीक्षा समिति (आर०सी०) के सामूहिक निर्णय पर आधारित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। फिल्म प्रमाणन हेतु एक प्रभावी प्रणाली विद्यमान है। जांच समिति प्रस्ताव/फिल्म की जांच करती है और अपनी सिफारिशें देती है तथा कोई शिकायत होने पर आवेदक समीक्षा समिति में जांच समिति के निर्णय की समीक्षा करने की मांग कर सकता है। इसके अतिरिक्त, फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण भी है जिससे आगे कोई और शिकायत होने की स्थिति में संपर्क किया जा सकता है।

नेशनल रेन फेड एरिया अथारिटी

1674. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री किसनभाई वी० पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक नेशनल रेन फेड एरिया अथारिटी की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अथारिटी की संरचना तथा विचारार्थ विषय क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मंत्रिमण्डल ने इस प्राधिकरण की संरचना, उद्देश्यों और कार्यों को अंतिम रूप देने के लिए इस विषय को मंत्रियों के समूह के पास भेजा है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) न्यायमूर्ति आर०एम० पाठक जांच प्राधिकरण के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उस पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 4596/2006]

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : महोदय, श्री के० चन्द्रशेखर राव की ओर से मैं प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 14 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 1596(अ) जो 14 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसमें उल्लिखित अधिकारियों को निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 4597/2006]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : महोदय, मैं श्री तस्लीमुद्दीन की ओर से बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) संशोधन नियम 2006 जो 17 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा०का०नि० 425(अ०) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 4598/2006]

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा की शुक्रवार 28 जुलाई, 2006 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है :—

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में सर्वश्री मनोज भट्टाचार्य, राम नाथ कोविंद और के० राम मोहन राव द्वारा 2 अप्रैल, 2006 को सेवानिवृत्ति होने और श्री सैफुद्दीन सोज द्वारा 29 जनवरी, 2006 से समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर राज्य सभा के चार सदस्यों का चुनाव करे और यह प्रस्ताव करती है कि इन रिक्तियों को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति में से एकल अंतरण मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुपालन में सभा के सदस्यों में से चार सदस्यों का चुनाव किया जाए।"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित हुए :—

1. डा० अभिषेक मनु सिंघवी
2. श्री अरूण जेटली
3. श्री चित्तब्रत मजूमदार
4. श्री पी०जी० नारायणन।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01½ बजे

लोक लेखा समिति

28वां और 30वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2006-2007) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) "भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक में नियंत्रण प्रणालियां" के बारे में 28वां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

(2) "एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस से गारंटी शुल्क की वसूली न होना" के बारे में 30वां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग) : महोदय, मैं 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एन०एम०एफ०डी०सी०) के माध्यम से अनुसूचित जाति की महिलाओं का आर्थिक उन्नयन विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (चौदहवी लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2005-06) का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2005-2006) के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी)** : महोदय, मैं लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश 73क देखिए लोक सभा बुलेटिन भाग-2, दिनांक 7 सितम्बर, 2004 के अनुपालन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बद्ध विस्तृत अनुदानों की मांग, 2005-06 से सम्बन्धित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी संसदीय समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की बैठक वर्ष 2005-06 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करने हेतु 30 मार्च, 2005 को आयोजित हुई थी। दिनांक 21.4.2005 को लोकसभा को प्रस्तुत 18वे प्रतिवेदन में 25 सिफारिशें अन्तर्विष्ट हैं। मंत्रालय ने 18.08.2005 को प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की टिप्पणी उपलब्ध कराई थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही का समिति ने विश्लेषण किया और छः सिफारिशों पर सरकार के जबावों को स्वीकार नहीं किया और 20.12.2005 को लोकसभा को प्रस्तुत अपने 23वे प्रतिवेदन में अपने दृष्टिकोण को पुनः दोहराया।

इन छः सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणियां समिति को पहले ही उपलब्ध करा दी गई हैं। की गई कार्यवाही संबंधी उपर्युक्त टिप्पणियों के माध्यम से समिति को सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत करा दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट विशेष सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्यवाही का एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 4599/2006

अध्यक्ष महोदय : मद सं० 9, डा० अंदुमणि रामदास।

(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यहां उपस्थित होना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी अनुपस्थिति से अप्रसन्न हूं, उन्हें यहां उपस्थित होना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मद सं० 16, श्री दासमुंशी।

अपराह्न 12.03 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 28वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 4 अगस्त, 2006 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 28वें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 4 अगस्त, 2006 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 28वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.03½ बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2006-2007

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं वर्ष 2006-2007 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.03¾ बजे

वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वायुयान अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वायुयान अधिनियम में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : रिपोर्ट में बहुत सी गलतियां हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, मुझे बात सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : यह कैसे लीक हुयी, प्रधानमंत्री कार्यालय से लीक हुयी? इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। प्रधानमंत्री जी हाउस में भी नहीं आए। इसके लिए उन्होंने क्षमा नहीं मांगी और जो रिपोर्ट पेश हुयी है, वह पूरी तरह से* और निराधार है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं इसे देख रहा हूं। वह शब्द कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : आप इसके करेंगे, यह ठीक बात है, परंतु यहां पर प्रधानमंत्री जी को आकर बताना चाहिए था कि उनके यहां से रिपोर्ट लीक कैसे हुयी, कब लीक हुयी और कहां से लीक हुयी? जिस तरह से रिपोर्ट और ए०टी०आर० रख दिया गया, वह महत्व का प्रश्न है और सारा देश इस चीज को देख रहा है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने जो प्रश्न उठाया।

[अनुवाद]

मैं स्वयं कह रहा हूं, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं स्वयं यह बात अध्यक्षपीठ में कह चुका हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड 2, दिनांक 7.8.2006 में प्रकाशित।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस मुझे मिल चुका है। यह मेरे विचाराधीन है मैं अपना निर्णय यथाशीघ्र देने का प्रयत्न करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : 'यथाशीघ्र' में तीन दिन बीत गए। यह एक छोटी सी चीज है, दो आदमी हैं, पाठक जी और प्रधानमंत्री जी, दोनों के बीच कोई भी गलत बयान नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। आप इस पर सदन में चर्चा कर सकते हैं। आप मुझे नोटिस दे सकते हैं और मैं आपको इस पर चर्चा की अनुमति दे दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा की अनुमति दूंगा। मैं वचन देता हूं। मैं चर्चा की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : आप तो करेंगे, यह प्रिविलेज का मामला है *(व्यवधान)* उन्हें अवश्य क्षमा मांगनी चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : इस अवधि के दौरान श्री नटवर सिंह कभी मंत्री नहीं रहे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके नेता ऐसा कह चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा आप सबसे अनुरोध है। मैं निश्चित रूप से चर्चा की अनुमति दूंगा। यह आज ही सौंपी गई है। मैं देखूंगा कि कितने नोटिस मिले हैं। मैं चर्चा की अनुमति दूंगा। मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर आपत्ति नहीं करेगी, यदि यह आपत्ति करती भी है तो भी मैं चर्चा की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : वे उच्च राजनयज्ञ हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा कराऊंगा। मुझे प्राप्त नोटिसों को देखना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कह रहे हैं कि जो मुद्दा आप उठाना चाहते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप चर्चा के दौरान यह सब कह पायेंगे और यह अधिक व्यवस्थित तरीके से होगा।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूं कि आप इस विषय पर चर्चा के लिए जितना समय आबंटित करना चाहते हैं, कर सकते हैं, सरकार को इसपर चर्चा करने और इसका उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : इस मामले में डिस्कशन तो अवश्य होगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में पहले ही कह दिया है।

[अनुवाद]

आपको उनकी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं यहां हूं, मैं इसकी अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : इसमें दो मामले सम्मिलित हैं। एक है, उस प्रतिवेदन पर चर्चा *(व्यवधान)* दूसरे, यह मामला लीक कैसे हुआ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके प्रति बहुत सचेत हूं। मुझे इसका पता लगाने के लिए थोड़ा समय दीजिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : महोदय, तीन दिन बीत चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम थोड़े समय का अवकाश लेंगे। उन्हें भी सप्ताहांत में थोड़े समय का अवकाश लेने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे बोलने के लिए कह रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है और सूचना यह है कि जस्टिस पाठक ने इस बात से इंकार किया है कि उनके कार्यालय से यह रिपोर्ट लीक हुई और यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह समाचार पत्र की रिपोर्ट है। हम इसका संज्ञान न लें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : न्यूजपेपर की रिपोर्ट पर तो 11 मेंबर्स पार्लियामेंट से निकाल दिए गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सभा का निर्णय था। आप मेरा उल्लेख क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : वह ठीक बात है। जब अपने हिसाब से जरूरत होती है, हम नियम को परिभाषित कर लेते हैं, यह ठीक बात नहीं है। देश ने इसका कौगनीजैंस ले लिया, आप उसका कौगनीजैंस लें या न लें। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे विशेषाधिकार हनन की सूचना के बारे में आपके निर्णय क्या हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप एक भी उदाहरण नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : प्राइमा-फेसी फिक्स हो चुकी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह भी मेरे विचाराधीन है। यह सूचना 10.00 बजे दी गई थी। मैं कोई कम्प्यूटर नहीं हूं। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, एक विशेषाधिकार हनन का नोटिस हमने भी दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस जरूर दिया होगा, लेकिन हमने अभी उसे देखा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उस विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर आप जो निर्णय देंगे, हम उसे देखेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखने के बाद ही मान्य होगा।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम निवेदन करना चाहते हैं कि आज सुबह जब लीडर्स मीटिंग हो रही थी, उस समय भी और सदन में भी हम सबने, खासकर हमने आपसे निवेदन किया कि मामला बहुत गंभीर है और गंभीर यह है कि जो पाठक रिपोर्ट लीक की गई, जिस पर सदन में पहले भी चर्चा हुई थी और आज भी चर्चा चली, आपने भी आसन से कुछ टिप्पणी की थी। ...*(व्यवधान)* आपको याद ही होगा, उसकी प्रोसीडिंग्स भी है, हम से दोहराना नहीं चाहते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमें पूरा याद है।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : आपकी नज़र में रिपोर्ट लीक होना एक गंभीर सवाल है। चिदम्बरम साहब का बयान भी आया कि उसकी एक ही कॉपी मिली थी, जिसे उन्होंने प्रधान मंत्री जी के यहां भेज दिया। पाठक कमीशन के अध्यक्ष की रिपोर्ट आई कि उनके यहां से रिपोर्ट लीक नहीं हुई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे इस सभा के सदस्य नहीं हैं। यह इस सभा की गरिमा के अनुरूप नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर आधारित है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : इस बात से स्पष्ट होता है कि रिपोर्ट*...

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.08 बजे

(इस समय, श्री धर्मेन्द्र प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस सब को कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दिया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम आपकी बात का आदर करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि उस बारे में बहस होगी और हम सबको बोलने के लिए एलाऊ करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम आपसे थोड़ा सा समर्थन मांगते हैं।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.08 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य — *जारी*

(दो) शीतल पेयों में कीटनाशकों से संदूषण का मुद्दा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 9 लेंगे। डा० अंबुमणि रामदास एक वक्तव्य रखेंगे। पहले आपको सभा से क्षमा मांगनी होगी।

****स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० अंबुमणि रामदास) :** महोदय, सबसे पहले मैं पूरी सभा के समक्ष अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूं कि जब सुबह मेरा नाम पुकारा गया था तो मैं सभा में उपस्थित नहीं था। मैं उस समय सभा में प्रवेश कर ही रहा था। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा पुन: नहीं होगा।

महोदय, मैं आपकी अनुमति से शीतल पेयों में कीटनाशकों से संदूषण के मुद्दे पर एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं . . *(व्यवधान)*

सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट, (सी०एस०ई०), नई दिल्ली ने कार्बनीकृत पेयों में पेस्टीसाइड अवशिष्टों की मौजूदगी पर उनके द्वारा किए गए अध्ययनों के बारे में अपनी वेबसाइट पर, प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 अगस्त को प्रेस रिपोर्ट जारी की है। सी०एस०ई० ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2006 के दौरान उन्होंने 12 राज्यों में कोकाकोला और पैप्सी कम्पनियों के 25 विभिन्न विनिर्माण संयंत्रों से 11 साफ्ट ड्रिंक ब्रांड के 57 नमूनों का विश्लेषण किया। ये नमूने सी०एस०ई० द्वारा सितम्बर, 2005 से मार्च, 2006 के बीच लिए गए। सी०एस०ई० ने अध्ययन में सभी नमूनों में पेस्टीसाइड अवशिष्ट पाए। सी०एस०ई० ने उनके द्वारा जांचे गए और विश्लेषित किए गए शीतलपेय नमूनों में आर्गनो क्लोरिन पेस्टीसाइड (एस०सी०एच० और इसके व्युत्पन्न एवं हेप्टाचलार) तथा गार्गनो फासफोरस पेस्टीसाइड (क्लोफाइरीफौस और मलाथियन) के अवशिष्ट पाए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सी०एस०ई० द्वारा किए गए अध्ययनों तथा 2 अगस्त, 2006 को प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हुई चर्चा पर ध्यान दिया है। सी०एस०ई० ने "साफ्ट ड्रिंक्स हार्ड टुथ II" नामक उक्त अध्ययन की एक प्रति मंत्रालय को 4.8.206 को उपलब्ध कराई है। सी०एस०ई० की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि साफ्ट ड्रिंक्स अथवा "कार्बनीकृत जल" के लिए मानक पहली बार वर्ष 1955 में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अंतर्गत तैयार किए गए थे और बाद में उनमें समय-समय पर संशोधन किया गया है। शीतल पेयों के लिए इन मानकों में व्यवस्था है कि कोर्बोनीकृत जल बनाने में प्रयोग किया जाने वाला जल बोतल बंद पीने के जल के लिए निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इन मानकों में सूक्ष्म जीवविज्ञानीय अपेक्षाओं अधिकतम धातु संदूषक और मिलाई गई चीनी, कैफीन, कृत्रिम मिठास और खाद्य एसिड सहित विभिन्न खाद्य संयोजन की भी व्यवस्था है।

सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट ने वर्ष 2003 में शीतल पेयों मे पेस्टीसाइड अवशिष्टों के बारे में एक अन्य रिपोर्ट प्रकाशित की थी। श्री शरद पवार की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति ने शीतल पेयों में पेस्टीसाइड अवशिष्टों से संबंधित मामले की जांच की थी। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा यह पाया गया कि इन शीतल पेयों में निम्नलिखित अवयव हैं :—

1. कुल मात्रा की 86-92% कोर्बोनीकृत जल

2. कुल मात्रा की 5-10% चीनी

3. कन्सेंट्रेट

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 4600/2006।

4. कन्सेंट्रेट के अलावा अन्य अवयव जिसमें कार्बन डायोक्साइड, एसिड जैसे साइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और मैलिक एसिड शामिल है।

संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 2.179 में सूचित किया है कि निर्माण प्रक्रिया के कारण पेस्टीसाइड अवशिष्ट पर्याप्त रूप से चीनी से नहीं आए हैं। संयुक्त संसदीय समिति की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :–

"2.179 कार्बनीकृत जल के निर्माताओं ने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष पहले ही यह उल्लेख किया है कि उनके पास पीनी का चयन और उसका ट्रीटमेंट करने की एक दोषरहित प्रक्रिया है और यह ट्रीटमेंट इन उत्पादों के लिए अच्छी गुणवत्ता के चीनी शर्बत को सुनिश्चित करने हेतु विश्व भर में समान है। ये कम्पनियां पहले ही हॉट कार्बन ट्रीटमेंट प्रक्रिया से चीनी के शर्बत को शुद्ध कर रही हैं। यह प्रक्रिया अधिकतर पेस्टीसाइड अवशिष्टों का पता लगाने के योग्य स्तर से नीचे अथवा 0.1 पी०पी०बी० स्तरों से नीचे लाने में प्रभावकारी है। समिति का विचार है कि केवल चीनी ही पेस्टीसाइड अवशिष्ट का स्रोत नहीं है।"

जहां तक निर्माताओं द्वारा इन उत्पादों में प्रयोग किए गए कन्सेंट्रेट का संबंध है, निर्माताओं ने बताया कि इन उत्पादों में प्रयोग किए गए कन्सेंट्रेट की गुणवत्ता वही है जिनका विश्वभर में अन्य देशों में प्रयोग किया जाता है और कन्सेंट्रेट के अतिरिक्त इन उत्पादों में प्रयोग किए गए खाद्य संयोजक भी सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश सं० 2.181 में यह संस्तुति की है :–

"... अत: यह समिति सिफारिश करती है कि कार्बनीकृत पेयों के लिए मानकों जो भारतीय स्थितियों के लिए सबसे अधिक अनुकूल हैं, को जन स्वास्थ्य के समग्र परिदृश्य में नियत किए जाने की आवश्यकता है। ये मानक भी काफी कड़े हैं। कारण यह है कि अन्य देशों ने ऐसी सीमाएं नियत नहीं की हैं, हमारे विधि निर्माताओं को ऐसा करने के लिए राजी करना चाहिए विशेषतौर से जब तक हमारी आबादी के असुरक्षित वर्ग जो युवा हैं और बहुत बड़ी राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। अत: समिति के विचार में मीठे वातित जल में पेस्टीसाइड अवशिष्टों से पूर्णरूप से मुक्ति पाना ही बुद्धिमानी है "यदि पता भी लगे तो असुरक्षित" का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।

समिति ने अपनी 2.176 सिफारिश में निम्न सिफारिश की है :–

अत: समिति की विचारित राय हे कि शीतल पेयों के विनिर्माण में प्रयुक्त जल उन नए मानकों के अनुरूप होना चाहिए जिन्हें दिनांक 18.7.2003 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 554(अ) के अंतर्गत पहले से अधिसूचित किया गया है ताकि उपभोक्ता सर्वोत्तम मानकों से वंचित न रह जाएं।"

संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश के अनुपालन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाएं हैं :

1. शीतल पेयों (कार्बनीकृत जल) के मानकों को कार्बनीकृत जल के विनिर्माण में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अधीन बोतलबंद पेय जल हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप जल को प्रयोग करने को अनिवार्य बनाकर संशोधित किया गया है। कार्बनीकृत जल के मानकों में संशोधन दिनांक 15.7.2004 की अधिसूचना जी०एस०आर० 451(अ) के तहत किया गया था जो 12.10.2004 को लागू हुआ था। यह फिर से दोहराया जाता है कि जल शीतल पेय (कार्बनीकृत जल) का 89-92% जल होता है।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पेस्टीसाइड अवशिष्टों के मुद्दे पर केंद्रीय खाद्य मानक समिति (सी०सी०एफ०एस०) को सलाह देने हेत एक राष्ट्र स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की संरचना इस प्रकार है :–

(i) डा० एन०के० गांगुली, महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई०सी०एम०आर०), अध्यक्ष

(ii) डा० एस०के० खन्ना (सेवानिवृत्त), औद्योगिक विषालुता अनुसंधान केन्द्र (आई०टी०आर०सी०), लखनऊ

(iii) डा० एन०पी० अग्निहोत्री (सेवानिवृत्त), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई०ए०आर०आई०), नई दिल्ली

(iv) डा० जी० त्यागराजन, पूर्व-निदेशक, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद

इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :–

(i) कार्बनीकृत पेयों, फलों और वनस्पति जूसों तथा अन्य अंतिम रूप से तैयार उत्पादों में पेस्टीसाइड की एम०आर०एल० के निर्धारण में पेस्टीसाइड अवशिष्ट उप-समिति का मार्गदर्शन करना;

(ii) पेस्टीसाइड अवशिष्ट उप समिति का उन तौर-तरीकों, विषालुता, प्रसंस्करण संबंधी घटक, विश्लेषण-विधि,

[डा० अंबुमणि रामदास]

स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों सहित एम०आर०एल० के निर्धारण के तकनीकी पहलुओं पर मार्गदर्शन करना जिन पर कोडेक्स कार्यकरण सिद्धांतों के अनुसार जोखिम विश्लेषण, जोखिम प्रबंधन और जोखिम संप्रेषण के संबंध में विचार किया जा सके;

(iii) कार्बनीकृत पेयों और अन्य खाद्य वस्तुओं में पेस्टीसाइड की मानीटरिंग पर मार्गदर्शन करना;

(iv) किसी अन्य मामले जिस पर पेस्टीसाइड अवशिष्ट उप समिति, खाद्य मानकों पर केन्द्रीय समिति, स्वास्थ्य विभाग के लिए तकनीकी स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन अपेक्षित हो, पर मार्गदर्शन करना।

3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी गन्ने पर इस्तेमाल हेतु पंजीकृत सभी पेस्टीसाइड के संबंध में अपेक्षित अवशिष्ट डाटा प्रदान करने के लिए कृषि मंत्रालय से अनुरोध किया है ताकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इन पेस्टीसाइड के बारे में अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं (एम०आर०एल०) को अधिसूचित कर सके। अधिकतम अवशिष्ट सीमाएं निर्धारित करने हेतु किए गए समय को कम करने के लिए मेरे मंत्रालय ने अधिकतम अवशिष्ट सीमाएं निर्धारित करने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया है।

4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नमूना लेने और जांच करने की प्रविधि का पता लगाने के लिए सितम्बर, 2005 में चीनी के नमूनों का एक प्रायोगिक अध्ययन शुरू किया। इस अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। देश के सभी क्षेत्रों से खुदरा और थोक विक्रय केन्द्रों तथा चीनी मिलों से एकत्र किए गए चीनी के 200 नमूनों का प्रायोगिक अध्ययन करने का कार्य विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, कोलकाता को सौंपा गया है जो अखिल भारतीय पेस्टीसाइड समन्वित परियोजना का भाग है। इस प्रायोगिक अध्ययन में मोटे तौर पर एकत्र किए गए और जांचे गए नमूनों में पेस्टीसाइड अवशिष्टों की मौजूदगी नहीं पाई गई। विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए डाटा की सरकारी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों जिन्हें राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ समिति द्वारा नामोद्दिष्ट किया गया है, के 2-3 पेस्टीसाइड अवशिष्ट केमिस्टों के एक पीयर ग्रुप द्वारा समीक्षा की जा रही है। इस पीयर रिव्यू प्रक्रिया के शीघ्र ही पूरा होने की आशा है। निष्कर्षों के आधार पर यह भी निर्णय किया गया था कि चीनी के जरिए आने वाले पेस्टीसाइड के अंशों की भी अल्पतम संभावना को पहले से प्राप्त करने हेतु एल०सी०-एम० एस०-एम०एस० जो पेस्टीसाइड की थोड़ी से थोड़ी मात्रा का भी पता लगाने के लिए उपलब्ध अत्यधिक आधुनिक उपकरण है, का इस्तेमाल करते हुए एक व्यापक बहु-केन्द्रीय अध्ययन भी किया जा सकता है। अध्ययन विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, एन०आई०ओ०एच० तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा किए जाएंगे। एन०आई०ओ०एच० और राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अब आवश्यक उपाय कर दिए हैं और एल०सी०-एम० एस०-एम०एस० उपकरण संस्थापित कर दिया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शीतल पेयों (कार्बनीकृत जल) के संदूषण के मुद्दे को अत्यधिक गंभीरता से लेता है और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को बचाने हेतु प्रतिबद्ध है और इसे सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक उपाय करेगा।

अपराह्न 02.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 13, नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगी।

(एक) भारत-बंगलादेश तथा भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर "घुसपैठ को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : पिछले पांच दशकों से भारत बंगलादेश, और पाकिस्तानी सीमा पार से सीधी घुसपैठ का सामना कर रहा है। बाड़ लगाकर, सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए सारे संभव कदम उठा रही है तथा उसने सीमा पर गहन निगरानी के लिए स्कैनर लगाये गये हैं। लेकिन आज की तारीख तक हम घुसपैठ को रोक पाने में सफल नहीं हुए हैं। इसका कारण है कि हम इस समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाये है। स्कैनर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तभी सफल होंगे जब बिजली हो। लेकिन बिजली-कटौती के समय जब वही स्कैनर/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं करते तब घुसपैठ हो जाती है। घुसपैठ को रोकने का बाड़ लगाना एक विकल्प हो सकता है लेकिन पाया गया है कि खराब गुणवत्ता की स्टील तथा लौह बाड़ सीमाओं पर लगाए जा रहे हैं। हाल ही में दिटेलिग्राफ में एक समाचार छपा था कि भारत-बंगलादेश की अंतराष्ट्रीय सीमापर दिल्ली की नजर है। आरोप था कि खराब गुणवत्ता के स्टील तथा लोहे के बाड़ सार्वजनिक उपक्रम — राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा इसके ठेकेदारों के

माध्यम से करीम जिले में भारत-बंगलादेश सीमा पर लगाये जा रहे हैं। यह दु:खद है कि एन०बी०सी०सी० जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अपनी जिम्मेदारियां भूल गई हैं और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। (व्यवधान)

इसलिए, भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि सीमा पर वह सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के लिए उपयुक्त कदम उठाये ताकि बिजली नहीं होने की हालत में घुसपैठ को रोका जा सके और एन०बी०सी०सी० के उन अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध सी०बी०आई० की जांच शुरू की जाए जो इस मामले में लिप्त है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रायापति सांबाशिवा राव उपस्थित नहीं।

(व्यवधान)

(दो) कनकपुरा, कर्नाटक में बोडेसाबारा-डोड्डी के निकट एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा) : महोदय, मेरे कनकपुरा संसदीय चुनाव क्षेत्र में 'सुवर्णमुखी नामक एक छोटी नदी है जो डोडा मुनावडी, कोट्टगालू और तुंगनी पंचायत के 70 से ज्यादा गांवों को एक दूसरे अलग करती है। उनके बीच बेहतर संचार और संपर्क के लिए कनकपुरा विधान सभा चुनाव क्षेत्र के बोडेसाबारा-डोड्डी के नजदीक इस नदी पर एक पुल बनाना वहां की तत्काल आवश्यकता है।

उसी कनकपुरा संसदीय चुनाव क्षेत्र में अकेवती एक छोटी नदी है। जो हल्ली मदाना हल्ली और चिक्क मुडावडी पंचायत के लगभग 50 गांवों को एक दूसरे से अलग करती है। इसलिए डोगडा हल्ली और गानलू के बीच एक पुल के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह मेरे लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करने के लिए पुलों के निर्माण हेतु इन दोनों अनुरोधों को स्वीकार करे।

(व्यवधान)

(तीन) बरक और ब्रह्मपुत्र घाटियों में बार-बार आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए इन घाटियों से निकर्षण – पोतों द्वारा गाद निकाले जाने की आवश्यकता

श्री ललितमोहन शुक्ल बैद्य (करीमगंज) : महोदय, असम के बरक घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी के लोग विनाशकारी बाढ़ के कारण बुरी तरह संकटग्रस्त हैं जिससे सम्पत्ति फसल और यहां तक की मानव जीवन की भी भारी क्षति होती है। बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों को होने वाली परेशानियां बहुत ही ज्यादा है और वर्षों से चली आ रही है। सामान्यत: यद्यपि लोगों को पता होता है कि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर बड़ी राशि जारी की जाती है फिर भी इन कठिनाइयों को कम करने की दिशा में कोई ऐसा प्रत्यक्ष परिणाम नजर नहीं आता। बाढ़ का एक प्रमुख कारण हैं गाद का ज़मा होना, जो कि भारत की नदियों में एक आम बात है और इस समस्या को हल करने के लिए निकर्षण पोत (ड्रेजर) की सहायता से गाद का बाहर निकालना इसका तात्कालिक सामाधान है जो कि सामान्यत: सभी जगह प्रयोग किया जाता है। असम की किसी भी नदी में निकर्षण (ड्रेजर्स) के प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में, वहां की जनता यह नहीं जानती कि क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने असम में भी बाढ़ से प्रभावित नदियों से निकर्षण (ड्रेजिंग) का पहले ही सुझाव दिया है अथवा बाढ़ रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाया है।

इसलिए मैं माननीय जल संसाधन मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे बराक और ब्रह्मपुत्र घाटियों में भारी संख्या में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत दिलाने के लिए इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सी०एच० विजयशंकर
श्री संतोष गंगवार

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वे बोलना चाहते हैं लेकिन आप लोग उन्हें बोलने नहीं देते। यह ठीक बात नहीं है। उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न का नोटिस दिया है लेकिन आप लोग उन्हें बोलने नहीं देते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जुएल ओराम। उनको भी बोलने नहीं देते।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जुएल ओराम, श्री निहाल चंद चौहान, श्री अनन्त नायक, श्री पी० करूणाकरन, श्रीमती पी० सतीदेवी।

वे माननीय सदस्य जिन्होंने नोटिस दिया है और सभा में अनुपस्थित है, यह उचित नहीं है। भविष्य में उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं इस संबंध में एक नोट रखूंगा।

श्री रशीद मसूद।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन सूचना देते हुए मैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया हस्तक्षेप न करें, माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है। आप संसद की अवमानना कर रहे हैं। जब माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं तो आप बीच में हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन नामों को नोट कर लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गणेश प्रसाद सिंह

(चार) बिहार के जहानाबाद जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : बिहार राज्य में जहानाबाद और अरवल दो बुरी तरह से उग्रवाद प्रभावित जिले हैं जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं। इन दोनों जिलों का निर्माण ही उग्रवाद से प्रभावित होने के कारण और उसका पूरी तरह मुकाबला करने के लिए हुआ था। दोनों जिलों में कोई उद्योग-धंधे नहीं हैं, बेरोजगारी का आलम है। ऐसी स्थिति में बेरोजगार नौजवान, बड़ी आसानी से उग्रवादियों द्वारा गुमराह होकर, उग्रवाद की शरण में चले जाते हैं। विगत दो वर्षों से मॉनसून की अच्छी बारिश नहीं होने से दोनों जिलों का एकमात्र धंधा कृषि भी बुरी तरह चौपट हुआ है। इससे ऊपर दोनों जिलों में उग्रवादी घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित ''जहानाबाद जेल ब्रेक'' इसका एक उदाहरण है। बेरोजगार नौजवानों को उग्रवादियों से गुमराह होने से बचाने के लिए दोनों जिलों में युद्ध स्तर पर उद्योग-धंधे लगाए जाने की जरूरत है। इसके लिए दोनों जिलों को उद्योगविहीन जिला घोषित कर विशेष पैकेज के तहत ऐसा किया गया।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि दोनों जिलों को उग्रवादी घटनाओं से बचाने के लिए उद्योगविहीन जिले घोषित करते हुए उद्योग-धंधे लगाने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए।

(पांच) तमिलनाडु में कैथिमलई क्षेत्र के आस-पास अन्वेषित लौह अयस्क का खनन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री डी० वेणुगोपाल** (तिरूपत्तूर) : महोदय, भूगर्भ शास्त्रियों ने तमिलनाडु में तिरूवन्नमलाई के निकट कैथिमलई पर्वत क्षेत्र के आस-पास अच्छी किस्म के लौह अयस्क के भंडारों का पता लगाया है। खनन कार्य आरम्भ करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय सड़क भी बनायी गयी थी। हाल ही में, हम यह देखते हैं कि लौह और इस्पात उद्योग अत्यंत महत्व का अधिक पूंजी आकर्षित करने वाला उद्योग बन गया है। भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में अधिक लौह अयस्क निकाला जाता है। हमें सलेम इस्पात के जैसा अच्छी गुणवत्ता का लौह अयस्क मिलने की सम्भावना है जिसका प्रस्तावित कौथीमलाई पर्वतीय क्षेत्र में विशेष नाम है। इससे औद्योगिक विकास होगा रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के अधिक अवसरों के कारण पिछड़े क्षेत्रों का विकास होगा क्योंकि इस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लौह तथा इस्पात की भारी मांग है।

इसलिए मैं केन्द्रीय इस्पात मंत्री तथा साथ ही खान मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे कौथीमलाई जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, में अच्छी किस्म के लौह अयस्क के खनन का कार्य आरम्भ करायें। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाए।

(छह) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ''काम के बदले अनाज योजना'' का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना जो मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में चल रही है। इस योजना में स्थानीय अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय धन का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। उस योजना के तहत चयनित कोई भी योजना सर-जमीन पर न चल कर सिर्फ पेपर में चल रही है।

अतः मेरा विचार है कि अब तक जो भी धनराशि जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के लिए इस योजना के तहत दी गयी है, उसकी जांच करायी जाए और योजना पूर्ण रूप से सर-जमीन पर लागू हो, इसके लिए भारत सरकार कोई ठोस कार्यवाही करे ताकि ग्रामीण भारत में विकास हो सके।

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटिल — उपस्थित नहीं।

डा० अरूण कुमार शर्मा — उपस्थित नहीं
श्री बालेश्वर यादव — उपस्थित नहीं

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 14 पर विचार करेगी। श्री पी० चिदम्बरम

(व्यवधान)

अपराह्न 2.19 बजे

सरकारी प्रतिभूति विधेयक, 2004

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 14 — श्री पी० चिदम्बरम

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सरकारी प्रतिभूतियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके प्रबंध से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।" *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूति तथा उसके प्रबंधन संबंधी विधान लोक ऋण अधिनियम में दिया गया है। कई वर्षों से लोक ऋण अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में अनेक कठिनाई तथा खामियां प्रकाश में आयी हैं। लोक ऋण अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं में काफी समय लगता था और वर्तमान संदर्भ में कुछ प्रावधान तर्क संगत नहीं रह गए थे। लोक ऋण की मात्रा काफी बढ़ जाने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक एर्जेसी बैंक और सरकारी खजाना बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने में कठिनाई महसूस कर रहा था *(व्यवधान)*

इसलिए यह उचित समझा कि लोक ऋण अधिनियम 1944 के स्थान पर एक नया विधान लाया जाए तथा लोक ऋण अधिनियम 1944 के पूर्ववर्ती अनावश्यक हो चुके भारतीय प्रतिभूति अधिनियम 1920 का निरसन कर दिया जाए। सरकारी प्रतिभूति प्रबंधन से संबंधित सभी पहलुओं की जांच हेतु गठित समिति द्वारा नए विधेयक पर विचार किया गया था *(व्यवधान)*

सरकारी प्रतिभूति विधेयक 21 दिसम्बर, 2004 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था और 23 दिसम्बर 2004 को इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने सहमति जताई कि विधेयक नकद सरकारी प्रतिभूति बाजार के गठन और बेहतर प्रतिभूति सौदों के लिए उचित साबित होगा। *(व्यवधान)*

स्थायी समिति ने पांच संशोधनों की सिफारिश की और सुझाव दिया कि सरकार एक समर्पित निधि के सृजन की सम्भावनाएं तलाशें जिसमें दावे नहीं की गयीं सरकारी प्रतिभूति की राशि रखी जाए तथा खंड 23 को संशोधित करके प्रमाणिक मामलों में प्रोद्भूत राशि को परिपक्व ब्याज के भुगतान में प्रयोग में लाया जाये *(व्यवधान)*

सरकार ने स्थायी समिति की जांच का अध्ययन किया है तथा समिति द्वारा दिए गए पांच संशोधनों की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। जहां तक परिपक्व उपरांत ब्याज के भुगतान तथा इस प्रयोजन हेतु समर्पित निधि का प्रश्न है, यह प्रस्ताव किया गया कि छह वर्ष की सीमा के पश्चात ब्याज के भुगतान हेतु खंड 23 को संशोधित किया जाए। तथापि यह प्रस्ताव किया गया है कि छह वर्ष से अधिक के ब्याज भुगतान के विषय को समर्पित निधि से अलग किया जाए। समर्पित निधि के सृजन का अन्य बातों के साथ-साथ इन आधारों पर भी समर्थन नहीं किया गया (i) 29 निधियों के गठन में प्रशासनिक कठिनाइयां (केन्द्र सरकार तथा 28 राज्य सरकारें) (ii) अदावाकृत राशि का सीमित होना (iii) वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत 20 वर्ष के पश्चात मूल राशि के भुगतान की सुविधा तथा (iv) डीमेट खातों के कारण भविष्य में सीमित जमा की सम्भावना *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सरकारी प्रतिभूतियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके प्रबंध से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

(व्यवधान)

श्री के०एस० राव (एलूरू) : महोदय, मुझे खुशी है कि इस विधेयक को वर्तमान परिदृश्य में लाया गया है जबकि प्रतिभूतियों की लेन-देन में वृद्धि हुई है। *(व्यवधान)* आज लेन-देन की गति-विधियों में वृद्धि के साथ ही लोक ऋण अधिनियम, 1944 अप्रासंगिक हो गया है। *(व्यवधान)* लोक ऋण अधिनियम, 1944 में कई प्रकार की कठोरता और कमियां थी। *(व्यवधान)* यही कारण है कि हम इससे पहले भी माननीय मंत्री से उन सभी कानूनों को समाप्त करने की मांग करते रहे हैं जो आजादी-से पूर्व के हैं और वर्षों पहले जिनको

[श्री के०एस० राव]

बनाया गया था तथा आज देश की आवश्यकताओं के लिए अप्रासंगिक हो गये हैं। ...(व्यवधान) हमें अवश्यक ही ऐसे कानून लाने चाहिए जो वर्तमान आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक हो जब उच्च स्तरीय संव्यवहारो में कई गुणा वृद्धि हो गई है। ...(व्यवधान) इसमें तत्काल संशोधन की जरूरत है।

उदाहरण के लिए माता-पिता द्वारा धारित प्रतिभूतियों के संबंध में उत्तराधिकारियों द्वारा दावा की गई राशि की शीघ्र प्राप्ति अत्यंत ही कठिन हो गयी है। ...(व्यवधान) अब इसे सरल बना दिया गया है। ...(व्यवधान) भारतीय रिजर्व बैंक एक लाख रुपये के दावों के बारे में निर्णय कर सकता हैं और इस कानून के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई शक्तियों के तहत इस सीमा को एक करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। ...(व्यवधान) इसी प्रकार, इससे पहले प्रतिभूति धारण करने वाले एकल व्यक्ति को अपने एक उत्तराधिकारी का नाम देने का अधिकार था। लेकिन संयुक्त धारकों के लिए एकल उत्तराधिकारी का नाम देने का अधिकार नहीं था। अब ऐसा प्रावधान किया गया है ...(व्यवधान) इसलिए, अब विवादों की संख्या में भारी कमी आयेगी। मामलों का निपटान शीघ्र किया जा सकेगा। ...(व्यवधान)

इसी प्रकार यदि कोई प्रतिभूति माता-पिता के नाम से थी और यदि वह बच्चों को बताना भूल जाता था तो बच्चे छह वर्ष के बाद अपना दावा करने का अधिकार खो देते थे जो एक अन्याय है। ...(व्यवधान) लेकिन अब इस कानून के द्वारा वे छह वर्ष के बाद भी दावा कर सकते हैं। ...(व्यवधान) आज इसे उदार बना दिया गया है। ...(व्यवधान) बैंक को उत्तराधिकारी के खाते में पैसा स्वयं स्थानांतरित करना पड़ता है। ...(व्यवधान) इस विधेयक की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं : इस विधेयक की कुछ विशेषताएं हैं — भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के उत्तराधिकारी को या अन्य को प्रतिभूति का शीघ्र स्थानांतरण जैसी प्रतिभूति धारक ने इच्छा व्यक्त की हो। ...(व्यवधान) मान लो कि यदि किसी व्यक्ति या कम्पनी को प्रतिभूति आज ही लेनी थी और वे लिम्बिडिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो वे प्रतिभूति को गिरवी रख सकते हैं और इक्विटी बढ़ा सकते हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी नाराजगी पूरी तरह व्यक्त करता हूं। यह शर्मनाक बर्ताव ह। यह संसदीय लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। मैं पुन: और अंतिमबार, सदस्यों से अपील करता हूं। मैं पूरी सभा से भी यह अपील करता हूं कि वे देखें कि इस प्रकार के बर्ताव से हमारी संसद की और हमारे देश की छवि कायम रहेगी या नहीं। क्या हम इस देश में संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि सभा का हर पक्ष तथा देश यह तय करे कि इस प्रकार के व्यवहार की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।

(व्यवधान)

श्री के०एस० राव : महोदय, इससे पहले प्रतिभूतियों को गिरवी रखने तथा लिम्बिडिटी बढ़ाने का प्रावधान नहीं था। अब, इस विधेयक में इस बात का प्रावधान है और एक निवेशक अपनी लिम्बिडिटी बढ़ा सकता है और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उसका निवेश कर सकता है। ...(व्यवधान)

महोदय, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी प्रतिभूतियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके प्रबंध से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 7 किसी मृत एकमात्र धारक या संयुक्त धारकों की सरकारी प्रतिभूति के हक की मान्यता

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4 हिन्दी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है (3)

(श्री पी० चिदम्बरम

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

(व्यवधान)

खण्ड 12 विवाद की दशा में बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति के हक का संक्षिप्त अवधारण

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 8 पंक्ति 5 से 6 "अपने अधीनस्थ किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को या अपने अधीनस्थ किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट" के स्थान पर "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" रखें। (4)

(श्री पी० चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गए।

खण्ड 13 और 14 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 15 बैंक की बंधपत्र की अपेक्षा करने की शक्ति।

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 8, पंक्ति 29,–

"बंधपत्र" के स्थान पर "क्षतिपूर्ति बंधपत्र" रखें। (5)

पृष्ठ 8, पंक्ति 32,–

"बंधपत्र" के स्थान पर "क्षतिपूर्ति बंधपत्र" रखें। (6)

पृष्ठ 8, पंक्ति 35,–

"बंधपत्र" के स्थान पर "क्षतिपूर्ति बंधपत्र" रखें। (7)

पृष्ठ 8, पंक्ति 37,–

"बंधपत्र" के स्थान पर "क्षतिपूर्ति बंधपत्र" रखें। (8)

(श्री पी० चिदम्बरम)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 16 और 22 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 23 ब्याज की बाबत सरकार के दायित्व की परिसीमा की अवधि।

संशोधन किया गया :

"पृष्ठ 10, पंक्ति 3 से 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखें :–

"23 (1) जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा कोई कम परिसीमा की अवधि नियत नहीं की जाती, वहां सरकारी प्रतिभूति पर शोध्य किसी ब्याज के संदाय की बाबत सरकार का दायित्व, उस तारीख से जिसको ब्याज के रूप में शोध्य रकम संदेय हो गई है छह वर्ष के अवसान पर समाप्त हो जाएगा : (9)

(श्री पी० चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गए।

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 25 दस्तावेजों का माइक्रो फिल्म, फैसिमाइल प्रतियां, चुंबकीय टेप और दस्तावेज तथा उनके साक्ष्य के रूप में कम्प्यूटर प्रिंट आउट।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 12 पंक्ति 10–14 के स्थान पर निम्नलिखित रखें–

'(क) "कंम्प्यूटर" से ऐसी इलैक्ट्रानिक, चुंबकीय, प्रकाशीय या अन्य द्रुत डाटा प्रसंस्करण सेवा युक्ति या प्रणाली अभिप्रेत है जो इलैक्ट्रानिक, चुंबकीय या प्रकाशीय तरंगों के अभिचालनों द्वारा तर्कसंगत, अंकगणितीय और स्मृति फलन के रूप में कार्य करता है और इसके अंतर्गत सभी निवेश, उत्पाद प्रक्रमण, भंडारण, कंप्यूटर साफ्टवेयर या संचार सुविधाएं भी हैं जो किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर से संयोजित या संबंधित होती हैं;

(ख) "कंप्यूटर प्रिंट आउट" के अंतर्गत बैंक या अभिकर्ता के कारबार के सामान्य अनुक्रम में रखे गए खाते, दैनिक बहियां, लेखा बहियां और अन्य अभिलेख भी हैं जो कंप्यूटर में भंडारित सूचना से या ऐसी सूचना से व्युत्पन्न करके कागत पर मुद्रित हों; और' (10)

(श्री पी० चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 25, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 26 से 35 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1 संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2 पंक्ति 3 "2004" के स्थान पर "2006" रखें। (2)

(श्री पी० चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 1 "पचपनवे" के स्थान पर "सतावनवें" रखें। (1)

(श्री पी० चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

उद्देशिका विधेयक में जोड़ दी गयी।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कहूंगा कि यह अत्यंत दुखद दिन है।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.23 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के कथित रूप से गायब हो जाने की जांच के बारे में न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट तथा रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ज्ञापन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 15 पर चर्चा करेगी। माननीय मंत्री श्री शिवराज वि० पाटील उत्तर देंगे।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटील) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जवाहर लाल नेहरू, श्री सुभाष चन्द्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्री बाबा साहेब अम्बेडकर, श्री जयप्रकाश नारायण कुछ ऐसे युवा नेता थे जिनका देश के सभी लोगों द्वारा काफी सम्मान किया जाता था तथा जिन्होंने अदम्य साहस और विश्वास के साथ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और देश के विकास में योगदान दिया।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यदि आपका भाषण तैयार है, आप उसे सभा-पटल पर रख सकते हैं तथा सदस्यों को वितरित कर सकते हैं।

श्री शिवराज वि० पाटील : जी महोदय, मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखता हूं।

*भारत के आधुनिक इतिहास का उल्लेख उन महान लोगों के योगदान के बिना नहीं किया जा सकता जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम तथा विकास में अपनी भूमिका निभाई थी। वे दिव्यदृष्टि तथा अगम्य साहस के व्यक्ति थे जो देश और दुनिया तथा भारत के लोगों की क्षमता के बारे में जानते थे। उनकी यादें भारत के लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं तथा भविष्य में भी बनी रहेंगी। यदि हम भूल गए अथवा उन्हें कभी-कभार याद किया जैसे कि वे कैसे कार्य करते थे, उनका संघर्ष, उनका स्वतंत्रता संग्राम तो हम कमजोर और असहाय हो जाएंगे तथा हम वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। स्वतंत्रता प्रप्ति की पूर्व संध्या पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

---

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

हमारी दृष्टि से ओझल हो गए और सशक्त भावी राष्ट्र के निर्माण में उनके योगदान से वंचित रह गए।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी यादों को किस प्रकार आदर प्रदान किया जा सकता है तथा उनकी भावनाओं तथा स्वप्न को भारत के भावी निर्माण में कैसे उपयोग किया जा सकता है। ऐसा हम उनसे संबंधित विवादों को दूर रहकर तथा उनके और अपनी जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर जोर दे कर कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश श्री सुभाष चन्द्रबोस के अस्तित्व अथवा अन्यथा से संबंधित विवाद उठे हैं तथा उनके पते-ठिकाने संबंधी विवाद अभी हल नहीं हुए हैं तथा हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं।

श्री सुभाष चन्द्र बोस ने अपने देशभक्त साथियों से दिल्ली की ओर कूच करते हुए लाल किले पर तिरंगा ध्वज फहराने का आह्वान किया। यदि वे भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित होते तो उनका भारत की करोड़ों जनता द्वारा सहृदय स्वागत किया जाता। परन्तु जब वे दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात भी उपस्थित नहीं हो पाए तो देश उनके बारे में अनुमान लगाने लगा, लोग क्षुब्ध थे। अपनी इच्छाओं के विपरीत लोगों ने यह सोचना आरम्भ कर दिया कि शायद वे जीवित नहीं होंगे अन्यथा स्वतंत्रता प्राप्ती के सपने के साकार होने के पश्चात वे अपनी मातृ भूमि पर आने से नहीं हिचकिचाते। उनका मानना था कि वे जीवित थे तथा यह भी आशंका व्यक्त की कि शायद वे मर चुके हैं इसी कारणवश उनके सगे संबंधियों तथा देशवासियों के मन में दुविधा थी इसी कारणवश सरकार को एक तीन सदस्यीय समिति का गठन करना पड़ा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे जीवित हैं अथवा नहीं और इस संबंध में देश को जानकारी दी जाए।

यह समिति एक ऐसे व्यक्ति द्वारा गठित की गई थी जोकि उनके द्वारा बनाए गए स्वतंत्रता संग्राम बल में था, उनका भाई था तथा एक वरिष्ठ प्रशासक भी था। समिति का गठन 1956 में किया गया था। समिति ने देश में तथा विदेशों में उपलब्ध गवाहों तथा साक्ष्यों की जांच के पश्चात अपनी रिपोर्ट सौंपी है। समिति के अधिकांश सदस्यों का यही मत था कि वे जीवित नहीं हैं तथा एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी तथा उनकी अस्थियां टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में रखी हुई हैं। वास्तव में प्रारम्भ में सभी सदस्यों ने, उनमें एक नेता जी का भाई भी था। उनका भी यही मत था। तथापि, कुछ समय पश्चात भ्रातृप्रेम के परिणामस्वरूप अथवा देशवासियों द्वारा इस बात को न मानना कि उनकी मृत्यु हो गई है, उन्होंने अपने विचार बदल लिए और एक विमत विचार दिया। तथापि घटना और जांच से संबंधित तथ्यों तथा आरम्भिक विचार और बाद में विगत, उस दुखद घटना को सही साबित नहीं करती तथा आसानी से स्वीकार्य नहीं है तथापि प्रयास किया कि इसे स्वीकार किया जाए।

यह जांच घटना घटित होने की *तिथि के आस-पास हुई जबकि* अन्य जांचें बाद में हुई थी। साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य अधिक विश्वसनीय तथा भरोसेमंद थे। इन साक्ष्यों को झूठा तथा अपूर्ण करार देने का ठोस कारण नहीं है। ऐसी जांच में साक्षियों द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्य, विशेषकर प्रत्यक्षदर्शियों का साक्ष्य किसी दस्तावेजी साक्ष्यों की तुलना में अधिक विश्वसनीय माना जाता है। यह दुर्घटना युद्ध काल के दौरान हुई थी। जब युद्ध समाप्त हो गया तो जिस देश में दुर्घटना हुई थी उसकी सरकार तथा उसके पड़ोसी देशों की सरकार भी बदल गई थी। दुर्घटना से संबंधित दस्तावेज तथा अन्य संबंधी चीजों को भी सुरक्षित रूप से नहीं रखा जा सका या फिर वे चीजें युद्ध में बर्बाद हो गई या दुर्घटना में जल गयी होंगी। दस्तावेज़ी साक्ष्य, निष्पक्ष गवाहों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्यों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं।

अत:, शहनवाज समिति के निष्कर्षों को कम आंकना न्यायिक रूप से बुद्धिमतापूर्ण नहीं होगा। दिए गए निष्कर्ष अपूर्ण नहीं थे। वे स्पष्ट से सम्पूर्ण विश्वसनीय थे। उनके निष्कर्षों पर विश्वास न करना तथा नजरअंदाज करना, उन निष्कर्षों को स्वीकार करना जो पचास वर्ष के पश्चात जांच में सामने आए; तथा जो पूर्ण नहीं थे तथा जिनके अनुसार जांच के संबंध में कोई उचित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता आसान नहीं है। निष्कर्षों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करते हुए हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

शाहनवाज समिति के निष्कर्षों से अधिकांश लोग सहमत थे, और ऐसा प्रतीत होता होता है कुछ कारणों से वे इससे सहमत नहीं थे। एक भारतीय, एक अमरीकी, तथा एक ब्रिटिश पत्रकार ने अपनी जांच में ऐसा ही पाया था तथा साथ ही कुछ लोगों जिन्हें निष्कर्षों को लेकर आशंका थी उनके पक्षों को नकार दिया। ऐसा प्रतीत होता है देश की अधिकांश जनता निष्कर्षों को सन्देह की दृष्टि से नहीं देखती और इस बात को स्वीकार किया कि एक महान नेता शारीरिक रूप से इस संसार में अब नहीं हैं।

इस मामले की पुन: जांच हेतु खोसला आयोग का गठन किया गया। ऐसा कुछ नागरिकों के मन में उत्पन्न सन्देह को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था। आयोग का गठन एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया गया और इसे जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करना था। आयोग उस देश में गया जहां घटना घटी थी, जिस देश में उनके अस्थियां रखी गयी थी तथा आयोग ने उस समय उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की। आयोग ने गवाहों एवं साक्ष्यों द्वारा दिए गए सबूतों एवं साक्ष्य की वैधता एवं विश्वसनीयता को कानूनी कुशाग्रता का आधार बनाया। सौंपी गयी रिपोर्ट स्पष्ट तथा सम्पूर्ण थी।

इस रिपोर्ट में से कुछ पंक्तियां इसके स्वरूप को दर्शाने हेतु व्यक्त करता हूं :

[श्री शिवराज वि० पाटील]

"अत: मैं, जांच के निष्कर्ष बिना किसी सन्देह के इस ओर इशारा करते हैं कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने 18 अगस्त 1945 की सुबह तोरीन से ताइहोकू तक जपानी बमवर्षक जहाज में यात्रा की थी। जहाज दुर्घनाग्रस्त होकर जमीन पर गिर पड़ा और इसके दो टुकड़े हो गए तथा उसमें आग लग गयी। उस आग में पायलट और जनरल शिडेई की तत्काल मृत्यु हो गयी तथा विमान में सवार अन्य व्यक्ति सह-पायलट अयोअगी की बाद में मृत्यु हो गयी और बोस की भी उस दौरान झुलसने के कारण अगली रात मृत्यु हुई। उनके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया गया तथा उनकी अस्थियों को टोक्यो ले जाया गया"

पृष्ठ संख्या 49 पैरा संख्या 4.129

हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि इस प्रकार की रिपोर्ट को किसी ऐसी रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकार क्यों किया जाए जो निर्णायक नहीं है। खोसला आयोग के पास गलत निष्कर्ष देने के लिए कोई कारण नहीं था। गवाहों की गलत बयानी का कोई कारण नहीं था। यदि सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाए, तो यह उचित होगा कि किसी, अन्य अधूरी रिपोर्ट पर भरोसा करने के बजाय इस रिपोर्ट पर भरोसा किया जाए।

वर्ष 1978 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री ने दोनों जांच आयोग द्वारा दिए गए निष्कर्षों की विश्वसनीयता के संबंध में अपनी आशंका व्यक्त की। ऐसा कहा जाता है सरकार के पास उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उन्हें उसकी विश्वसनीयता पर शक था। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया है कि उक्त फाइल में कोई तारीख, कोई नाम अथवा पहचान की कोई संख्या नहीं थी, जिसके आधार पर उस फाइल को आसानी से ढूंढ़ा जा सके। यदि उसके विवरण उपलब्ध कराते तो कार्यालय में उस फाइल को ढूंढ़ा नहीं जा सकता था। वास्तव में उस समय के प्रधानमंत्री सत्तासीन सरकार को हराकर सत्ता में आये थे, जब वे सत्ता में थे दो बार जांच करवायी गयी थी जिससे आसानी से इस निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता कि उनका बयान कानूनी आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों पर प्रेरित था। दो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने तथ्यों का पता लगाने के लिए दो जांच आयोग गठित किए थे। और एक प्रकार से जांच आयोग की रिपोर्टों को स्वीकार किया गया था। तीसरे प्रधानमंत्री ने तथ्यों की पुष्टि पर सन्देह जाहिर किया परन्तु किसी जांच आयोग का गठन नहीं किया जो कि बिना किसी कठिनाई के वह कर सकते थे। जैसाकि 20 वर्ष पूर्व किया गया था।

पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान तीसरी जांच के आदेश दिए गए थे तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को तथ्यों की जांच का कार्य-भार सौंपा गया था। जांच का कार्य छह माह में पूरा किया जाना था। इसने अपना कार्य छह वर्षों में पूरा किया। आयोग सरकार से दस्तावेजों की मांग कर सकता था, जो इसे अस्तित्व में लायी थी। आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए इसके पास पर्याप्त समय था। लगभग चार वर्ष बीतने के बाद भी पिछली सरकार से दस्तावेज प्राप्त क्यों नहीं किए जा सके? क्या इसे सर्वमान्य ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है? मेरे विचार से यह नहीं किया जा सकता।

आयोग को निम्न मुद्दों पर अपने निष्कर्ष देने थे।

1. क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु हुई है अथवा जीवित हैं;

2. यदि उनकी मृत्यु हो चुकी है तो क्या उनकी मृत्यु कथित रूप से विमान दुर्घटना में हुई;

3. क्या जापानी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी के अवशेष हैं;

4. क्या उनकी मृत्यु किसी अन्य स्थान पर अन्य रूप में हुई और यदि हां, तो कहां और कैसे हुई;

5. यदि वे जीवित हैं तो वे कहां हैं।

इन मुद्दों पर निम्न निष्कर्ष किए गए।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस शायद जीवित नहीं हैं। शायद उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई। अभी उल्लेख किए गए मुद्दों पर निम्नलिखित निष्कर्ष दिए गए।

1. नेताजी सुभाष बोस की मृत्यु हो चुकी हैं।

2. उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई जैसा कि कथित रूप से कहा गया था।

3. जापान के मंदिर में रखी हुई अस्थियां नेताजी की नहीं हैं।

4. किसी पुख्ता सबूत के अभाव में कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता।

5. उत्तर उपर्युक्त (1) में पहले ही दिया जा चुका है।

प्रश्न सं० 4 (घ) के सम्बंध में निष्कर्ष अंतिम नहीं हैं। इसलिए, उनपर भरोसा करना संभव नहीं है।

पहले के प्रतिवेदनों में दिये गए निष्कर्ष अंतिम हैं और इसलिए अधिक विश्वसनीय हैं। इसलिए प्रश्न यह है कि पूर्व के निष्कर्षों को

प्राथमिकता क्यों नहीं दी जानी चाहिए और तीसरे निष्कर्ष का उल्लेख किया जाना चाहिए।

सरकार ने पहले के दोनों जांचों के निष्कर्षों को अधिमान्यता दी है न की तीसरे निष्कर्षकों, क्योंकि यह अनंतिम है और निश्चित नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसा करने में सरकार ने कोई भूल या गलती नहीं की है।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट में तथा अयोग की रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की गई है। कानून में ऐसा प्रावधान है कि इसे छह माह के भीतर विधायिका में रखा जाना चाहिए। उन्हें छह माह और कुछ दिन के बाद रखा गया। विलम्ब के लिए बताये गये कारण अक्षम्य हैं। आयोग का गठन छह माह में रिपोर्ट देने के लिए हुआ था और इसने छह माह से ज्यादा का समय लिया। जांच रिपोर्ट और की गई कार्रवाई रिपोर्ट को रखने में हुए विलम्ब की तुलना कुछ दिनों के विलम्ब से की जानी चाहिए। इससे मामला साफ हो जाएगा।

यह भी बताया गया कि रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किये जाने तथा इसे अस्वीकृत करने का कोई तर्क संगत कारण नहीं बताया गया। कारण ये सिर्फ सही बताया गया कि पूरी रिपोर्ट नहीं दी गयी। पूर्ण कारण तभी बताया गया जब इस रिपोर्ट से सम्बंधित सारे पहलुओं तथा इसकी तुलना अन्य दो रिपोर्टों के साथ पूरी हुई। मुझे पता नहीं कि आज की चर्चा में दिये गये सभी बिन्दुओं के बारे में सूचना दी जाएगी या नहीं। यदि उन के बारे में रिपोर्ट नहीं दी जाती है तो आरोप लगाया जा सकता है कि इस विषय पर चर्चा के दौरान भी कोई वैद्य कारण नहीं बताया गया। किसी समाचार पत्र के दो या तीन कॉलम या किसी टी०वी० पर कुछ सेकेंड्स के समाचार में सभी वैद्य बिन्दुओं और सभी संगत तर्कों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इस रिपोर्ट में कमी गलत धारणा और गलतफहमी पैदा कर सकती है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस लाखों करोड़ों जनता के प्रिय थे और कांग्रेसी तथा सभी क्षेत्रों और विचारों के देश भक्त उनका सम्मान करते थे। जब कभी उनके पता-ठिकाना और अस्तित्व के बारे में संदेह उठाया गया, तथ्यों का पता लगाने के लिए कदम उठाये गये। एक बार नहीं बल्कि तीन-तीन बार ऐसा हुआ। तथ्यात्मक स्थिति का पता करने के लिए सभी प्रकार की मदद तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इन तथ्यों के आलोक में क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि इस बात का पता लगाने के लिए कि वे जीवित है या नहीं कोई कदम नहीं उठाया गया? सरकार ने उनकी यादों को सम्मान देने के लिए उन्हें मरनोपरान्त भारत रत्न देने का निर्णय किया है। यदि किसी व्यक्ति का सात वर्ष तक पता नहीं चलता तो उसे सामान्यत: मरा हुआ मान लिया जाता है। देश के सर्वोच्च सम्मान देने वक्त पर आपत्ति उठाते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों? इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। टिप्पणियां की जा सकती हैं। लेकिन हम इस प्रकार के विवादों में नहीं पड़ना चाहते और इसे लोगों के निर्णय करने के लिए छोड़ देते हैं। संसद भवन तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में लगाई गई मूर्तियों और चित्र इस बात के संकेत हैं कि हम उनकी यादों और उनके सम्मान की इच्छा रखते हैं। हम सदा सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। सभी नेता उनको याद कर उन्हें सम्मान देते हैं और इस देश को मजबूत तथा लोगों के विकास में उनके विचारों को कार्यरूप देना चाहते हैं। आयोजना की अवधारणा उनको बहुत प्रिय थी। हमारे देश की अवसंरचना और उद्योग, व्यापार और कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए इसे अपनाया गया। वे सभी के लिए प्रजातंत्र, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृति न्याय के पक्षधर थे। इन सिद्धांतों को देश के मूलभूत कानून और सरकार की नीति में सम्मिलित किया गया है। यदि महान आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का यह तरीका नहीं है तो उनको सम्मान देने का और कौन सा तरीका हो सकता है?

हम राजनीतिक चिंतनों का शिकार न हों। छोटी सोच के परिणाम बड़े और अच्छे नहीं होते। महान लोग अपनी महान सोच और अवधारणाओं के लिए महान हैं। इसलिए संकीर्णता के जाल से बचते हुए हम उनके पदचिह्नों का अनुसरण करें।

स्वतंत्रता संघर्ष के इस महान योद्धा को सम्मान न देने में कोई सरकार क्यों दिलचस्पी लेगी? क्या हम इस विवाद को जिंदा रखकर हम उनका सम्मान कर रहे हैं या अन्य महान नेताओं को असम्मानित कर रहे हैं? लोग इस बात को समझें।

कोई भी कार्य जो हम सभी को स्वीकार्य हो, उनकी यादों के सम्मान में हो, किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई तरीका है तो कृपया सुझाव दीजिए हम इसे स्वीकार करेंगे। सरकार यह कहने की स्थिति में नहीं है कि आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वह अंतिम है और स्वीकार्य है। रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि नेताजी की मृत्यु कैसे हुई; कहां हुई और वे अपनी मातृ भूमि से दूर क्यों रहे। इस प्रकार की अस्पष्ट रिपोर्ट को हम सब कैसे स्वीकार कर सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा कल, 8 अगस्त पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 8 अगस्त, 2006/17 श्रावण, 1928(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र० सं०	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री कमला प्रसाद रावत प्रो० रासा सिंह रावत	201
2.	श्री रामदास आठवले	202
3.	श्री एम० राजामोहन रेड्डी श्री रघुनाथ झा	203
4.	डा० के०एस० मनोज	204
5.	श्री सज्जन कुमार	205
6.	श्री के०जे०एस०पी० रेड्डी	206
7.	श्री एम० अंजनकुमार यादव श्री काशीराम राणा	207
8.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री रवि प्रकाश वर्मा	208
9.	डा० राम लखन सिंह श्री चन्द्रभान सिंह	209
10.	श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	210
11.	श्री संजय धोत्रे	211
12.	श्री हंसराज जी, अहीर श्री ब्रजेश पाठक	212
13.	श्रीमती मनोरमा माधवराज	213
14.	श्री सीता राम सिंह श्रीमती सुमित्रा महाजन	214
15.	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	215
16.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील श्री हरिकेवल प्रसाद	216
17.	श्री आलोक कुमार मेहता डा० के० धनराजू	217
18.	श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता श्री देविदास पिंगले	218
19.	श्री सनत कुमार मंडल	219
20.	श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार	220

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र० सं०	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1619, 1641, 1647, 1660
2.	अग्रवाल, डा० धीरेंद्र	1566
3.	अहीर, श्री हंसराज जी०	1600, 1650, 1663
4.	अंसारी, श्री फुरकान	1543, 1579, 1607
5.	अर्गल, श्री अशोक	1551
6.	आठवले, श्री रामदास	1617, 1644
7.	बाबा, श्री के०सी० सिंह	1615
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1540, 1606, 1643, 1669, 1672
9.	बर्मन, श्री हितेन	1538, 1630
10.	बर्मन, श्री रनेन	1624
11.	बखला, श्री जोवाकिम	1624, 1671
12.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	1558
13.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1536, 1570, 1604, 1664
14.	बोस, श्री सुब्रत	1527, 1598
15.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	1586
16.	चन्द्रप्पन, श्री सी०के०	1563
17.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1531, 1564
18.	चिन्ता मोहन, डा०	1616
19.	चौधरी, श्री बंसगोपाल	1547

1	2	3
20.	चौधरी, श्री पंकज	1578, 1647
21.	चौधरी, श्री अधीर	1581
22.	देव, श्री बिक्रम केशरी	1582
23.	देवरा, श्री मिलिन्द	1539
24.	धोत्रे, श्री संजय	1621
25.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	1560
26.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	1549, 1610
27.	गद्दीगउडर, श्री पी०सी०	1559
28.	गायकवाड, श्री एकनाथ महोदव	1597
29.	गांधी, श्रीमती मेनका	1569
30.	हर्ष कुमार, श्री जी०वी०	1553, 1613, 1652, 1666
31.	जगन्नाथ, डा० एम०	1567
32.	जय प्रकाश, श्री	1528
33.	झा, श्री रघुनाथ	1611
34.	करूणाकरन, श्री पी०	1556
35.	खैर, श्री चंद्रकांत	1529, 1602, 1655, 1668
36.	खारवेनथन, श्री एस०के०	1530
37.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1544, 1584
38.	कोया, डा० पी०पी०	1593
39.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	1571
40.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	1622
41.	कुरूप, श्री सुरेश	1586
42.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1616
43.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1545, 1608
44.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	1625
45.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	1585

1	2	3
46.	महताब, श्री भर्तृहरि	1598
47.	महतो, श्री टेक लाल	1579, 1637
48.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1640
49.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	1534, 1603
50.	मोहिते, श्री सुबोध	1577
51.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1554, 1614
52.	नायक, श्री अनन्त	1550
53.	निखिल कुमार, श्री	1581
54.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	1579, 1647
55.	ओराम, श्री जुएल	1535, 1546
56.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1532, 1644
57.	पलनिसामी, श्री के०सी०	1548, 1609, 1615, 1628
58.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1574
59.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1524, 1633
60.	पटेल, श्री जीवाभाई ए०	1564
61.	पटेल, श्री किसनभाई वी०	1674
62.	पाठक, श्री ब्रजेश	1599, 1651, 1664, 1671
63.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1552, 1612, 1649, 1662
64.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	1537
65.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	1561, 1626
66.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1618
67.	राजगोपाल, श्री एल०	1573
68.	राजेन्द्रन, श्री पी०	1639, 1592
69.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1576, 1632, 1653, 1665
70.	राव, श्री के०एस०	1526, 1631
71.	राठौर, श्री हरिभाऊ	1595

1	2	3
72.	रावले, श्री मोहन	1587, 1635
73.	रेड्डी, श्री जी० करूणाकर	1541, 1621
74.	रेड्डी, श्री एम० राजा मोहन	1605, 1645
75.	रेड्डी, श्री एम० श्रीनिवासुलु	1521, 1601, 1642
76.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1623, 1659
77.	साई प्रताप, श्री ए०	1584
78.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1522, 1558, 1604
79.	सरोज, श्री तूफानी	1583
80.	सत्पथी, श्री तथागत	1525, 1615
81.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1665
82.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	1590, 1638, 1657
83.	शिवाजीराव, अधलराव पाटील	1619, 1641, 1658, 1660, 1670
84.	शिवन्ना, श्री एम०	1575
85.	सिद्दीश्वर, श्री जी०एम०	1542, 1636, 1656
86.	सिंह, श्री लक्ष्मण	1572, 1629
87.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1589
88.	सिंह, श्री चन्द्रभान	1588
89.	सिंह, श्री दुष्यंत	1591
90.	सिंह, श्री गणेश	1535
91.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1594

1	2	3
92.	सिंह, श्री राम लखन	1620, 1648, 1661
93.	सिंह, श्री उदय	1557, 1627
94.	सुब्बा, श्री एम०के०	1520, 1579
95.	सुगावनम, श्री ई०जी०	1528
96.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1596
97.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी०	1533
98.	थामस, श्री पी०सी०	1555
99.	ठुम्मर, श्री वी०के०	1531
100.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1580, 1634, 1654, 1667, 1673
101.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी०	1568
102	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम०पी०	1565, 1662
103.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1641, 1658, 1670, 1674
104.	यादव, श्री एम० अंजन कुमार	1618, 1646, 1659
105.	यादव, श्री बालेश्वर	1523
106.	यादव, श्री भाल चन्द्र	1665
107.	यादव, श्री गिरिधारी	1568
108.	यादव, श्री मित्रसेन	1570
109.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1562

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	204, 208, 216
रसायन और उर्वरक	:	203
उपभोक्ता, मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	201, 205, 209, 213, 218
पर्यावरण और वन	:	202, 206, 212, 215, 219
सूचना और प्रसारण	:	210, 211, 214
श्रम और रोजगार	:	
संसदीय कार्य	:	
इस्पात	:	217
जल संसाधन	:	207, 220

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	1521, 1522, 1524, 1527, 1528, 1529, 1531, 1532, 1538, 1545, 1546, 1549, 1552, 1555, 1556, 1558, 1561, 1564, 1569, 1572, 1573, 1574, 1576, 1581, 1585, 1588, 1591, 1593, 1598, 1599, 1601, 1604, 1606, 1609, 1610, 1615, 1618, 1619, 1620, 1623, 1626, 1630, 1631, 1632, 1633, 1637, 1638, 1642, 1647, 1648, 1649, 1650, 1656, 1659, 1660, 1661, 1664, 1668, 1669, 1671, 1672, 1674
रसायन और उर्वरक	:	1547, 1577, 1579, 1586, 1592, 1612, 1640, 1644, 1653
उपभोक्ता, मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	1536, 1541, 1542, 1544, 1580, 1594, 1597, 1639, 1641, 1658, 1667, 1670
पर्यावरण और वन	:	1520, 1523, 1525, 1526, 1533, 1534, 1537, 1553, 1560, 1562, 1565, 1566, 1567, 1568, 1571, 1575, 1578, 1587, 1595, 1602, 1603, 1605, 1611, 1613, 1617, 1622, 1625, 1629, 1643, 1645, 1652, 1657, 1663, 1666

सूचना और प्रसारण	:	1557, 1570, 1596, 1616, 1621, 1627, 1636, 1673
श्रम और रोजगार	:	1543, 1550, 1554, 1589, 1590, 1607, 1608, 1614, 1624, 1634, 1646, 1662, 1665
संसदीय कार्य	:	—
इस्पात	:	1530, 1535, 1583, 1651, 1655
जल संसाधन	:	1539, 1540, 1548, 1551, 1559, 1563, 1582, 1584, 1600, 1628, 1635, 1654

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/22/11/2006 (एन०)
232

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।